सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2014-2015

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

Government of India, Ministry of Minority Affairs

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT
2014-15

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं.	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	1
1	प्रस्तावना	2–6
2	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	7–10
3	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	11
4	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	12
5	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	13
6	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	14
7	नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	15–16
8	नई उड़ान	17
9	पढ़ो परदेश	18
10	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	19
11	प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	20–22
12	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	23
13	अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल	24
14	भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने की योजना	25
15	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	26
16	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	27
17	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	28–29
18	वक़्फ प्रशासन, केन्द्रीय वक़्फ परिषद एवं राष्ट्रीय वक़्फ विकास निगम	30–36
19	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर	37–38
20	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	39–48
21	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	49–51
22	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	52–56
23	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	57–66
24	जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग	67
25	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	68
26	शासकीय लेखापरीक्षा	69
27	स्वच्छ भारत मिशन	70–71
28	परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	72
	अनुलग्नक I से XXI	73–130

कार्यकारी सारांश

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

- ''अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना" के तहत 68225 अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 26 राज्यों में 338 संगठनों को दिनांक 31.12.2014 तक ₹11.73 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बीच समझौता ज्ञापन को दिनांक 10.12.2014 को लोकसभा में और दिनांक 9.12.2014 को राज्य सभा में रखा गया था।

- एनएमडीएफसी द्वारा आवधिक ऋण और लघु वित्त के तहत 46763 लाभार्थियों को ₹246.70 करोड़ की निर्मुक्ति की गई।

- दिनांक 31.12.2014 तक 64.73 लाख मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹1040.11 करोड़ की निर्मुक्ति की गई। निर्मुक्त की गईं छात्रवृत्तियों में से, 51.03% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

- दिनांक 31.12.2014 तक 95,506 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹56.46 करोड़ की निर्मुक्ति की गई।

- दिनांक 31.12.2014 तक 80132 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹2.00 करोड़ की निर्मुक्ति की गईं।

- बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की नई पहलों के अंतर्गत, 31.12.2014 तक निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई हैं:–

  1. साइबर योजना के अंतर्गत, 244 मदरसों के 1,70,005 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को डिजिटल प्रशिक्षण।

  2. 1,24,985 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की मंजूरी।

  3. 10,860 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिलें प्रदान की गईं।

- "सीखो और कमाओ" के ब्रांड नाम के साथ एक कौशल पहल के रूप में, दिनांक 31.12.2014 तक 16270 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 34.68 करोड़ रु0 की निधियां जारी की गईं।

- "जियो पारसी" योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने भारत में पारसियों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना हेतु 31.12.2014 तक चिकित्सा सहायता के लिए 14.55 लाख रु0 और पक्षसमर्थन तथा आउटरीच कार्यक्रम के लिए 17.05 लाख रु0 की निधियां जारी की गईं।

- वर्ष 2014–15 के लिए बजट अनुमान (ब. अ.) 3711.00 करोड़ रु0 है, जबकि संशोधित अनुमान (सं. अ.) 3140.00 करोड़ रु0 है। 31.12.2014 तक 2292.40 करोड़ रु0 व्यय किया गया जो बजट अनुमान का 61.77% और संशोधित अनुमान का 73% बैठता है।

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से 29 जनवरी, 2006 को पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख तथा पारसियों से संबंधित मामलों पर बल देने के लिए गठित किया गया था और दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना के तहत जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल कर लिया गया है। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियामक एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।

संकल्पना एवं मिशन

1.2 मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु–जातीय, बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी एवं बहु–धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए वातावरण निर्मित करना है।

1.3 मंत्रालय का मिशन सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना तथा व्यापक विकास करना है ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो। अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राही बनाना तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करना।

1.4 श्रीमती नजमा हेपतुल्ला तथा श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्रमशः अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय का प्रभार ग्रहण किया। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु तीन संयुक्त सचिव तथा एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रालय में संस्वीकृत नफरी 98 की है और 66 अधिकारी/कर्मचारी स्टॉफ तैनात हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक–I** पर तथा पदधारिता विवरण **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है। हालांकि मंत्रालय के अधिकांश बहु–प्रकृति के कार्य इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, तथापि इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारी/संगठनों की सहायता मिलती रहती है।

1.5 आरंभ में, अल्पसंख्यकों के लिए 07 कल्याण योजनाएं थीं। इसके पश्चात, मंत्रालय द्वारा नवीन कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया गया और इस समय मंत्रालय द्वारा 22 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यभार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मंत्रालय का सृजन 98 की स्वीकृत क्षमता से हुआ था, जिसमें से 66 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं। मंत्रालय का कार्यभार बढ़ गया है किंतु कर्मचारियों की कमी अभी तक चल रही है। बढ़े हुए कार्यभार से निपटने के लिए तथा विभिन्न योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स आधार पर कंसल्टेंट्स, जूनियर कंसल्टेंट्स, सीनियर एसोसिएट्स, जूनियर एसोसिएट्स, प्रोग्राम सपोर्ट को–आर्डिनेटर, प्रोग्राम सपोर्ट असिस्टेंटस, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा चपरासियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया है।

कार्यो का आबंटन

1.6 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:–

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पत्ति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ़ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंगलो–इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत–मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर–मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(xiv) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ (संशोधित) अधिनियम, 2013।

(xiii) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त पोषण।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में

रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

(xviii) अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम।

(xix) राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का विकास।

(xx) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

राजभाषा का प्रयोग

1.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भारत सरकार की सुविचारित राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त निदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक और तीन कनिष्ठ अनुवादकों के पद हैं। फिलहाल, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) और कनिष्ठ अनुवादक का एक पद रिक्त है।

1.7.1 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक रिपोर्टें तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

1.7.2 राजभाषा अधिनियम और इसके उपबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच बिंदु बनाए गए हैं।

1.7.3 मंत्रालय की सभी योजनाओं यथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास हेतु नई रोशनी योजना, पढ़ो परदेश, नालंदा परियोजना, साईबर ग्राम, हमारी धरोहर, उस्ताद तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्रीय कार्यक्रम आदि राजभाषा हिंदी में प्रकाशित कराई गई।

1.7.4 मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी एवं समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यन्वयन समिति गठित है। यह समिति नियमित आधार पर मंत्रालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

1.7.5 अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिंदी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने के लिए उन्हें प्रभावी रूप से प्रशिक्षित करने हेतु हिंदी कार्यशाला अयोजित की गई।

1.7.6 मंत्रालय में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2014 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। मूल रूप से हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए "हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत किया गया।

1.7.7 मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सरल और सुगम बनाने हेतु **"राजभाषा दिग्दर्शिका"** तैयार की है, जिसमें भारत सरकार की राजभाषा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और साथ ही, अंग्रेजी–हिंदी शब्दावली तथा रोजमर्रा में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी/हिंदी वाक्यांशों को भी शामिल किया गया है।

सतर्कता एकक

1.8 श्री वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किया गया है। वे मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच लिंक का भी कार्य करते हैं। सीवीओ मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नीति, योजना एवं प्रशासन) के रूप में अपने सामान्य कार्यभार के अलावा सतर्कता का कार्य भी देखता है।

1.8.1 सीवीओ को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- मंत्रालय से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक सभी मामले।
- प्राप्त शिकायतों की जांच और उन पर समुचित कार्रवाई।
- शिकायतों के संबंध में जांच/पूछताछ/निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना और जब भी कहा जाए जांच रिपोर्टों और शिकायतों आदि के बारे में मंत्रालय के अभिमत केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग से, जब कभी अपेक्षित हो, सलाह लेना।
- भ्रष्टाचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना और इस प्रकार निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित करना।
- सरकार के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।

1.8.2 वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान, सात (07) शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से छह (06) मामले बंद कर दिए गए तथा बाकी शेष एक (01) को समुचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके अलावा, पहले का एक (01) मामला भी बंद कर दिया गया था। साथ ही, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 25 कार्मिकों को सतर्कता निकासी भी जारी की गई है।

- सतर्कता अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयां:
- संवेदनशील प्रकृति के अभिज्ञात क्षेत्रों पर निगरानी रखना।
- मंत्रालय में औचक सतर्कता निरीक्षण किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.9 मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना विकसित करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2014 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) मनाया गया।

बजट

1.10 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹17,323 करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया है। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान में ₹3,711 करोड़ के योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹3,140 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान में ₹23.01 करोड़ के गैर–योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में 2014–15 के संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर ₹25.00 करोड़ कर दिया गया था। बारहवीं योजना की योजना/कार्यक्रमवार परिव्यय, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.02.2014 तक वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–III** में दिया गया है।

अध्याय–2

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

क. सिंहावलोकन

2.1 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया था। यह अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में वर्ष 2008–09 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। यह सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करने की क्षेत्र विकास पहल है।

2.2 11वीं योजना के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचानः

जिला स्तर पर धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;

(ii) महिला साक्षरता दर;

(iii) कार्य में भागीदारी दर; और

(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक :

(i) पक्की दीवार वाले मकानों का प्रतिशत;

(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों का प्रतिशत;

(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों का प्रतिशत; और

(iv) जल सुविधा युक्त शौचालय वाले मकानों का प्रतिशत

2.3 अल्पसंख्यकः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित समुदायों को एमएसडीपी के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक माना जा रहा है।

ख. 12वीं पंचवर्षीय योजना में एमएसडीपी का पुनर्गठनः

2.4 सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पुनर्गठन का इसके कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया है। कार्यक्रम का और अधिक प्रभावी तथा लक्षित अल्पसंख्यकों पर उच्च ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठित एमएसडीपी में जिले के बजाय ब्लॉकों/नगरों को योजना की ईकाई बना दिया गया है ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दिया जा सके। 12वीं योजना के दौरान, कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम में अब अभिज्ञात 710 ब्लॉक तथा 66 नगर हैं। इसके अलावा, 12वीं योजना के दौरान, एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु निकटस्थ अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूहों की भी पहचान की जाएगी।

2.5 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों (एमसीबी/एमसीटी) तथा गांवों के समूहों की पहचानः

(i) **अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी):** 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन के अपनाए गए मानदंडों के आधार पर चुने गए पिछड़े जिलों में रहने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) के रूप में पहचान की गई है। 6 राज्यों के मामले में जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्या में हैं, अल्पसंख्यक आबादी के 15% का न्यूनतम कटऑफ उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा स्वीकार किया गया है। चुनिन्दा ब्लॉकों में उच्चतर अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों को ग्राम स्तरीय अवसंरचनाओं/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। जनगणना, 2001 के आंकड़ों के आधार पर 155 पिछड़े जिलों में आने वाले ऐसे कुल 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों की पहचान की गई है। तथापि, यह जनगणना, 2011 के आंकड़ों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा तथा वे क्षेत्र जो पुनर्गठित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत भी निरंतर रूप से पात्र बने रहते हैं, को कवर किया जाएगा।

(ii) **अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी):** कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय औसत से नीचे के सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत सुविधा मानदंडों वाले न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले नगरों/शहरों (6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा अल्पसंख्यक आबादी के 15%) की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के रूप में पहचान की गई है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के बाहर वाले 53 जिलों के कुल 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। इन नगरों/शहरों की भारत के अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण की विवक्षाओं संबंधी टास्क फोर्स (प्रो0 भालचंद्र मुंगेकर की अध्यक्षता वाली) द्वारा और पिछड़े नगरों के रूप में भी पहचान की गई थी। यह कार्यक्रम नगरों/शहरों में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने हेतु कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित केवल शिक्षा के संवर्धन हेतु क्रियाकलाप करने के लिए अभिप्रेत है।

(iii) **अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूहः** पिछड़े जिलों में ब्लॉकों के साथ सटे हुए समीपस्थ अल्पसंख्यक गांवों के समूहों **(कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले)** जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों के रूप में चयनित नहीं किया गया है, की पहचान की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के मामले

में, ऐसे गांव जिनमें अल्पसंख्यक आबादी 25% है, की पहचान की जाएगी। लगभग 500 गांव, जो अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित हैं, उनको चयनित किया जाना है।

ग. निगरानी तंत्र

2.6 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समितियां क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र में, अधिकार–प्राप्त समिति भी कार्यक्रम को मॉनीटर करने के लिए निगरानी समिति के रूप में कार्य करती है। सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा छह महीने में एक बार 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के साथ–साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाती है और फिर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ मंत्रिमंडल को सूचना दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी तिमाही आधार पर प्रगति को मॉनीटर किया जाता है।

2.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के नियमित सम्मेलनों के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करता है। मंत्रालय कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा के लिए जिला अधिकारियों तथा राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। इसके अलावा, क्रियान्वयनकर्ता अधिकारियों के निरंतर फॉलोअप के तौर पर जिला एवं राज्य के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस भी की जाती है। साथ ही, मंत्री (अल्पसंख्यक कार्य) तथा सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की ओर से मुख्यमंत्रियों तथा प्रमुख सचिवों को उनके राज्यों में लंबित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में ग्रहणशील बनाने के लिए पत्र भी भेजे गए हैं।

घ. एमएसडीपी के कार्यान्वयन की स्थिति

पुनर्संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के दिशा–निर्देशों में यथापरिकल्पनानुसार एमएसडीपी के अंतर्गत ली जाने वाली परियोजनाएं आय सृजन अवसरों के निर्माण के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़कों, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना के प्रावधान से संबंध रखती हैं। इनके अतिरिक्त, साईबर ग्राम नामक एक नया संघटक कक्षा VI से कक्षा X तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के मध्य डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लक्ष्य से वर्ष 2014–15 से ही एमएसडीपी के अंतर्गत एक पहल के रूप में आरंभ की गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (31.12.2014) तक की गई वित्तीय और वास्तविक प्रगति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

I. 11वीं योजना के दौरानः–

क) आर्थिक प्रगतिः 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए ₹3780 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹3733.90 करोड़ (आबंटन का 99%) के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹2935.93 करोड़ निर्मुक्त किए गए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्हें निर्मुक्त की गई कुल निधि में से ₹2359.47 करोड़ (80.30%) का उपयोग किया है। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–**IV पर है।

ख) वास्तविक प्रगतिः

क्रम सं0	परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित ईकाइयों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्य	कार्य प्रगति पर
1	इंदिरा आवास योजना	301221	217324	37658
2	स्वास्थ्य केंद्र	2537	1860	373
3	आंगनवाड़ी केंद्र	27595	19705	3736
4	पेयजल आपूर्ति	35775	24030	1947
5	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	13508	8298	2352
6	स्कूल भवन	660	373	277
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	72	11	40
8	पालिटेक्निक संस्थान	31	2	25
9	सौर लालटेन/सौर प्रकाश	30314	13488	3912
10	छात्रावास	334	85	176

राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–V** पर है।

II. 12वीं योजना के दौरानः–

(क) **<u>आर्थिक प्रगतिः</u>** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए ₹5775 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹3246.16 करोड़ के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.12.2014 तक ₹2351.15 करोड़ निर्मुक्त किए गए हैं। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** पर है।

(ख) **<u>वास्तविक प्रगतिः</u>** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या में अग्रलिखित शामिल है। इंदिरा आवास योजना के मकान –35501, स्वास्थ्य केंद्र–1265, आंगनवाड़ी केंद्र–6970, हैंड पम्प–11841, पेयजल सुविधा–9892, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष–7070, स्कूल भवन–520, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान–72, पोलिटेक्निक संस्थान–14, छात्रावास–449, मुफ्त साईकिल–10860, साईबर ग्राम–170005 तथा कौशल प्रशिक्षण–124985। राज्य–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VII** पर है।

अध्याय–3

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

3.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 से मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना 100% केंद्रीय निधियन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपए ₹1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान 414.50 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण हेतु ₹5000 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान (31 दिसम्बर, 2014 तक) ₹1040.11 करोड़ की राशि जारी की गई तथा 64.73 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसमें से 51.03% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

3.3 मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता की स्थिति में सुधार लाया जाए। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रत्येक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की सूची को उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेबसाइटों को मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। छात्रों की सहायतार्थ एक हेल्पलाइन की व्यवस्था की गयी है, जो कार्य दिवसों के दिन कार्य करती है।

3.4 इस योजना के तहत राज्य–वार एवं समुदाय–वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–VIII** पर देखी जा सकते हैं।

अध्याय–4

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

4.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत नवम्बर, 2007 में 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थीं और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2014–15 से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा पारदर्शी ढंग से अधिसूचित चुनिंदा एवं पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए दी जाती है। पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

4.2 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की योजना अवधि के दौरान 25 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए ₹2850.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013–14 (31.12.2014 तक) के दौरान, 95506 छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹56.46 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।

4.3 राज्य–वार वास्तविक एवं वित्तीय दोनों लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–IX** पर हैं।

अध्याय–5

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

5.1 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका संपूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 से मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता–प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

5.2 इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राओं के अनुपलब्ध होने पर इनका उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है।

5.3 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ₹20,000/- वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

5.4 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यताप्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50% से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.5 राज्य–वार, वास्तविक और वित्तीय दोनों लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–X** पर हैं।

अध्याय 6

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

6.1 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति को अनुमोदन 1 अगस्त, 2009 को मिला था। इस योजना को 11 अप्रैल, 2009 को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तौर पर प्रारंभ किया गया था। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जैसे कि एम. फिल और पीएच.डी. जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एकीकृत पांच वर्षीय अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करवाना है। अध्येतावृत्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुसंधान छात्रों को नियमित और पूर्ण कालिक एम0फिल और पीएच0डी0 करने के लिए दी जाने वाली अध्येतावृत्ति के परिमान पर आधारित है। जेआरएफ/एसआरएफ के पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु पूर्व–एम0फिल और पूर्व–पीएच0डी0 चरणों पर यूजीसी के प्रतिमानक, क्रमशः, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना शामिल है, लागू होंगें। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा ₹2.5 लाख प्रति वर्ष होगी।

6.2 योजनावधि (2012–17) के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3780 नई अध्येतावृत्तियों और नवीकरण प्रदान करने के लिए ₹430 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है। अध्येतावृत्तियों का 30% छात्राओं के लिए निर्धारित है। वर्ष 2012–13 के दौरान 66.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और 754 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान नवीकरणों के साथ–साथ अल्पसंख्यक समुदाय को 756 नई अध्येतावृत्तियों के लिए 50.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। है। वर्ष 2014–15 के दौरान 756 नई अध्येतावृत्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रक्रियाधीन है।

6.3 अध्येतावृत्ति योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय निरंतर प्रयासरत रहा है। इस उद्देश्य हेतु अध्येतावृत्ति योजना से संबंधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न और आनलाईन आवेदन करने में मदद, यूजीसी की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। इसी तरह, यूजीसी द्वारा प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की सूची इसकी वेबसाइट अर्थात www.ugc.ac.in पर अपलोड की जा रही है।

अध्याय–7

नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

7.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" नामक योजना इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गयी। इस योजना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसे दिनांक 16.10.2008 से संशोधित किया गया था और नए संघटक शामिल किए गए थे।

7.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

7.3 इस योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्यक्रम प्रदान करने वाले केंद्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालयों, पंजीकृत सोसाइटियों, ट्रस्टों, पंजीकृत कंपनियों, सहभागी फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7.4 इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी/विद्यार्थियों का संबंध अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, जैन और पारसियों से होना चाहिए। उनके माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों/अभ्यर्थियों के पास उस पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जिस पाठ्यक्रम की कोचिंग वह लेना चाहता/चाहती है।

नया संघटक

7.5 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया संघटक विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और/अथवा गणित) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013–14 से जोड़ा गया है। यह योजना प्रायोगिक आधार पर 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा दिल्ली में शुरू की गई है। वर्ष 2014–15 हेतु वास्तविक लक्ष्य 1500 विद्यार्थी हैं। योजना के दिशानिर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार बाद के वर्षों में और अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस योजना का संघटक बालकों और बालिकाओं के लिए अलग–अलग छात्रावास की सुविधा से युक्त और विज्ञान की 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं को नियमित रूप से चलाने वाले तथा सीबीएससी/आईसीएससी अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

7.6 इस योजना के अंतर्गत, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 24,760 छात्रों/अभ्यर्थियों को परिधि में लेने के लिए ₹63 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसके विपरीत 11वीं योजना के दौरान उपलब्धि 27876 छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए ₹54.60 करोड़ थी। वर्ष 2012–13 के दौरान, 6716 अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए 83 कोचिंग संस्थानों को 13.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 9997 अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए 116 कोचिंग संस्थानों को 23.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इसमें 400 छात्रों के लिए विज्ञान विषयों के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अभिकेंद्रित तैयारी कराने के लिए दो संस्थानों को सहायता अनुदान जारी किया जाना भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 6314 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए (31.12.2014 तक) 83 कोचिंग संस्थानों को 23.48 करोड़ रु0 जारी किए गए थे।

7.7 इस योजना से संबंधित सूचनाएं इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

7.8 कोचिंग के प्रकार और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में है:–

क्र. सं.	कोचिंग/प्रशिक्षण/सुधारात्मक कोचिंग के प्रकार	कोचिंग/प्रशिक्षण/सुधारात्मक कोचिंग शुल्क	प्रतिमाह वृत्तिका राशि
1.	ग्रुप 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000/- के अध्यधीन।	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹3000/- और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹1500/-
2.	ग्रुप 'ख' और 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹15,000/- के अध्यधीन।	–– तदैव ––
3.	तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000/- के अध्यधीन।	–– तदैव ––
4.	निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000/- के अध्यधीन।	–– तदैव –
5.	नए संघटक विज्ञान के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए अभिकेंद्रित तैयारी	प्रति अभ्यर्थि प्रति वर्ष ₹1 लाख की अधिकतम सीमा के अध्यधीन।	लागू नहीं

अध्याय–8

नई उड़ान

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता की योजना

8.1 इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रुप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप 'ए' तथा 'बी' (संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) इत्यादि के राजपत्रित एवं गैर–राजपत्रित पद) की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

8.2 अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से कुल परिवारिक आय, प्रति वर्ष 4.5 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा इस वित्तीय सहायता का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

8.3 प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत देश भर में अधिकतम 800 अभ्यर्थियो को पात्रता मापदंड प्राप्त करने पर तब तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन किसी विशिष्ट समुदाय के लिए उपलब्ध स्लॉट्स की सीमित संख्या के मामले में मैरिट के आधार पर किया जाएगा। आर्थिक सहायता की दर अधिकतम पचास हजार रुपए (50,000 रु0 राजपत्रित पद के लिएः तथा 25,000 रु0 अराजपत्रित पद के लिए) केवल होगी। यह आर्थिक सहायता उन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग; कर्मचारी चयन आयोग; अथवा राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित ग्रुप 'क' तथा 'ख' सीविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

8.4 वर्ष 2013–14 के दौरान, उन 483 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1,94.75 लाख रुपए जारी किए गए थे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी।

8.5 वर्ष 2014–15 के दौरान, 547 अभ्यर्थियों को जिन्होंने यूपीएससी/एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1.80 करोड़ रु0 जारी किए गए थे। वर्ष 2014–15 के लिए बजट आबंटन 4.00 करोड़ रु0 है। वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक लक्ष्य 800 अभ्यर्थी हैं।

अध्याय–9

पढ़ो परदेश

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

9.1 इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को एक बार के लिए ही या तो स्नातकोत्तर, अथवा पीएच.डी स्तरों के लिए प्रदान की जाएगी। छात्र ने पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होना चाहिए। पात्र होने के लिए, नियोजित अभ्यर्थियों अथवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के मामले में उसके/उसकी माता–पिताओं/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत, एक परिवार के एक लाभार्थी एक पाठ्यक्रम हेतु लाभ उठा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 30% लाभ महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

9.2 ऋण स्थगन अवधि के दौरान (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि जमा एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के पश्चात छः माह, जो भी पहले हो) जैसा कि आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित है, आईबीए के शिक्षा ऋणों का लाभ उठाने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ऋण स्थगन अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का वहन छात्र द्वारा मौजूदा शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, जिसमें समय–समय पर संशोधन किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अभ्यार्थी ऋण स्थगन अवधि के बाद मूल किस्तों और ब्याज वहन करेगा।

9.3 वर्ष 2014–15 के दौरान 573 अभ्यर्थियों (31.12.2014 तक) हेतु नोडल बैंकों को ब्याज इमदाद के लिए 3.50 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं। वर्ष 2014–15 के लिए बजट आबंटन 4.00 करोड़ रु0 है। वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक लक्ष्य 100 अभ्यर्थी हैं।

अध्याय–10

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

10.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से एक नई योजना ''नई रौशनी'' का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए उसी गांव/मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदायों की पड़ोसनों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तीकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है।

10.2 नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत महिला के अधिकारों, शिक्षा संबंधी, रोजगार, जीविका आदि को निरपवाद रूप से कवर करता है; केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, आरोग्य, परिवार नियोजन, बिमारी नियंत्रण, उचित दर की दुकान, पेय–जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, साफ–सफाई, आवास, स्व–रोजगार, मजदूरी, कौशल प्रशिक्षण अवसर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि से संबंधित सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं।

10.3 यह योजना गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

10.4 वर्ष 2014–15 के दौरान, मंत्रालय का लक्ष्य 40,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का है जिस पर 14.00 करोड़ रुपए व्यय किए जाने हैं। दिनांक 31.12.2014 तक, 26 राज्यों में 68,225 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 11.73 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

आरंभ किए गए महिला प्रशिक्षण के नए बैंचों और एनजीओ की दी गई निधियों के राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–XI** पर हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान जारी की गई निधियों की विभिन्न किस्तों के राज्य–वार और एनजीओ–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–XII** पर हैं।

दिनांक 31.12.2014 तक के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और अब तक जारी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (31.12.2014 तक)
2014–15	14.00		11.73

अध्याय–11

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन

11.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत उन संस्थानों/संगठनों को व्यावसायिक प्रभार प्रदान करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है और आधारभूत सर्वेक्षण/सर्वेक्षणों सहित अधिसूचित अल्पसंख्यकों की समस्याओं, मुद्दों और अपेक्षाओं पर प्रवीणता एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करने तथा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समवर्ती निगरानी करने के इच्छुक हैं। संगठनों को कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन के विषय का मंत्रालय के अधिदेश से प्रत्यक्ष संबंध हो। इस योजना के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं एवं पहलों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु सूचनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाह्य प्रचार सहित मल्टी–मीडिया अभियान को भी कवर किया जाता है।

11.2 वर्ष 2014–15 के दौरान, विभिन्न राज्यों में जागरुकता मुद्दों से संबंधित 150 कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए वित्तपोषण किया गया है (31.12.2014 तक) **(अनुलग्नक.XIII)**।

11.3 अनुसंधान और विकास पहल (आरडीआई), नई दिल्ली द्वारा 'मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियों का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन' पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

11.4 "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास योजना का आधारभूत सर्वेक्षण" और "भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के मूल्यांकन और प्रभावी अनुमान" की अंतिम रिपोर्ट हाई–टेक इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेंशन टेक्नॉलोजी (एचआईआईटी) लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

11.5 मंत्रालय पूरे वर्ष नियमित रूप से मल्टी–मीडिया अभियान चलाता रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान, डीएवीपी के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, जारी प्रिंट विज्ञापनों की भाषाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

भाषा	2014–15 (31–12–2014 तक)
हिंदी	235
अंग्रेजी	150

उर्दू	306
देशज भाषाएं	113
योग	**804**

- योजनाओं/कार्यक्रमों के बाह्य प्रचार के लिए, मंत्रालय 1 से 15 फरवरी, 2015 तक आयोजित होने वाले सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, 2015 में भागीदारी कर रहा है। मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों से स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 50 दुकाने बुक किए गए हैं। मंत्रालय के योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में सूचना भी मेला के दौरान प्रसारित की जाएंगी।

- त्रैमासिक त्रिभाषी (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू) मैंगजीन "माईनॉरिटी टूडे" के दूसरे अंक का प्रकाशन किया गया है। सार्वजनिक अवलोकन हेतु मैंगजीन की ई–रूपांतर भी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

- मंत्रालय के क्रियाकलापों और उपलब्धियों के बारे में एक ई–बुक भी तैयार की गई है और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

- वर्ष 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) जारी निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

शीर्ष	आबंटन	व्यय
मीडिया	39.50	19.22
अनुसंधान	5.50	2.24
योग	**45.00**	**21.46**

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए योजना

वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न एजेंसियों/संगठनों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

क्रम सं0	घटक	एजेंसी/संगठन के नाम	उद्देश्य	स्थान	निर्मुक्त धनराशि ₹ में
1	**मीडिया**	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रिंट विज्ञापन; मल्टी मीडिया अभियान,	पूरे भारत में	10,00,00,000/–

2		ऑल इंडिया रेडियो (भारतीय प्रसारण निगम)	योजनाओं/कार्यक्रमों पर जिंगल्स और ऑडियो स्पॉट प्रसारण	पूरे भारत में	3,56,00,000/–
3		दूरदर्शन (भारतीय प्रसारण निगम)	योजनाओं/कार्यक्रमों पर टीवी कमिर्शियल/वीडियो स्पॉट्स	पूरे भारत में	3,25,00,000/–
4		राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	वीडियो स्पॉट्स, रेडियो जिंगल्स आदि को डब करना तथा तैयार करना	–	1,52,89,949/–
5		के. एस. एन्टरप्राईसेस	(क) मंत्रालय की उपलब्धियों और पुस्तिकाओं का मुद्रण। (ख) संग्रह का मुद्रण	–	9,79,008/– 8,32,702/–
6		एनएमडीएफसी	(i) माइनॉरिटी साइबर ग्राम (ii) सुरजकुंड क्राफ्ट मेला, 2015 में भागीदारी	–	12,75,000/– 56,18,000/–
	सकल योग	**–**	**–**	**–**	**19,20,94,659/–**

अध्याय–12

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

12.1 मंत्रालय को वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान में विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए ₹3,711 करोड़ आबंटित किए गए, जिसे वर्ष 2014–15 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹3,140 करोड़ कर दिया गया था।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए योजना–वार निर्धारित धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

क्रम सं.	योजनाओं के नाम	निर्धारित राशि (करोड़ ₹ में)	
		बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2014–15
1.	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं	2.50	2.50
2.	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	0.20	0.20
3.	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना (व्यावसायिक सेवा)	0.30	0.2750
4.	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	5.00	0.10
5.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.30	0.30
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	1.50	1.50
7.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	110.00	113.00
8.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	60.00	60.00
9.	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	138.00	62.05
10.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	33.00	33.00
11.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	12.00	3.00
12.	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	0.40	0.00
13.	कौशल विकास संबंधी पहलें	4.00	4.6230
14.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	0.40	0.40
15.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	0.70	0.40
16.	मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता	0.20	0.00
	योग	**368.50**	**281.348**

अध्याय–13

अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल

13.1 मंत्रालय ने वर्ष 2013–14 से "सीखो और कमाओ (Learn & Earn)", ब्रांड नाम से एक कौशल विकास कार्यक्रम की शुरूआत की है। योजना विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक व्यवसायों में उसकी शैक्षणिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझान एवं बाजार की क्षमता के आधार पर अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उन्नयन करेगी, जिससे उन्हें उचित रोजगार मिलेगा अथवा वे स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकेंगे।

13.2 योजना के अंतर्गत, व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमईएस) पर कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए जा रहे पारंपरिक कौशलों का भी विकास किया जाएगा और उन्हें बाजार से जोड़ा जाएगा।

13.3 यह योजना पैनल में शामिल पच्चास (50) चयनित परियोजना क्रियान्वयन एजेसियों (पीआईए) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

13.4 पीआईए से अपेक्षा की जाती है कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कम से कम 75% का प्लेसमेंट करें और उनमें से कम से कम 50% प्लेसमेंट संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। पीआईए प्रशिक्षण के अंत में सफल पशिक्षणार्थियों के लिए नौकरी पत्र भी सुनिश्चित करेगा। न्यूनतम 30% सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं के लिए आरक्षित है।

13.5 परियोजना कार्यान्वित एजेंसियों के लिए प्रशिक्षित अल्पसंख्यक युवाओं को 1 (एक) वर्ष का प्लेसमेंट पश्चात सहयोग देना अनिवार्य है।

13.6 वर्ष 2013–14 के दौरान मंत्रालय ने 100% लक्ष्य प्राप्त किया है और 17.00 करोड़ रु0 के साथ 20,164 अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण के लिए पीआईए को मंजूरी प्रदान की है।

13.7 वर्ष 2014–15 के दौरान, मंत्रालय ने अब तक पीआईए को 16,270 अल्पसंख्यक युवाओं के प्रशिक्षण हेतु 34.68 करोड़ रु0 जारी किए हैं।

13.8 संस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों और जारी की गई निधि के राज्य–वार ब्यौरे **अनुलग्नक–XIV** पर हैं।

अध्याय–14

भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने की योजना

14.1 भारत में पारसियों की जनसंख्या 1941 में 1,14,000 थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार कम होकर 69,001 रह गई है। जनसंख्या में कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से है देर से विवाह करना और विवाह नहीं करना, प्रजनन क्षमता में कमी, उत्प्रवास, वाह्य–विवाह और संबंध विच्छेद तथा तलाक है।

14.2 पारसी समुदाय के सदस्यों के गिरते रुझान को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग थी और भारत सरकार ने पारसी जनसंख्या के गिरते रुझान को रोकने तथा उनकी जनसंख्या को न्यूनतम स्तर से ऊपर लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप को जरूरी समझा।

14.3 इसलिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 2013 को भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना ''जियो पारसी'' ब्रांड नाम से आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढ़ांचागत हस्तक्षेप अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रुख को उलटना और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना है।

14.4 100% निधियन के साथ यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 10 करोड़ रु0 अर्थात् 12वीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 करोड़ रु0 का परिव्यय है। इस योजना का कार्यान्वयन स्थानीय अंजुमनों और पारसी समुदाय की पंचायतों के परामर्श के साथ पारजोर फाउंडेशन और बॉम्बे पारसी पंचायत के माध्यम से किया जाता है।

14.5 लक्षित समूह वह दंपत्ति है, जो शिशु उत्पन्न करने की आयु के हैं, जो योजना के अंतर्गत सहायता चाहते हैं और व्यस्क/युवा/युवती/किशोर/किशोरियों की बंध्यत्व उत्पन्न करने वाली बीमारियों की जांच की जाती है। (किशोरों/किशोरियों की जांच के लिए माता–पिता/कानूनी अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य है।)

14.6 घटती जनसंख्या को रोकने के लिए, द्विकोणीय दृष्टिकोण की संकल्पना है, अर्थात् (क) पक्षसमर्थन (ख) चिकित्सा सहायता। प्रत्येक लक्षित समूह के लिए मानक चिकित्सा नवाचार का अनुसरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से किया जाता है। मरीजों के नाम और पहचान संबंधी गोपनीयता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।

14.7 वर्ष 2014–15 के दौरान, "जियो पारसी" योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता के लिए 14,55,252/– रु0 जारी किए गए हैं तथा पक्ष समर्थन एवं आउटरीच कार्यक्रम के लिए 17,03,500/– रु0 जारी किए गए हैं।

अध्याय–15

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

15.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। ये एजेंसियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित की जाती हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिससे उनकी प्रदानगी प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

15.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। यह योजना 12वीं योजना अवधि के लिए संशोधित की गई है। पहले इस योजना के अंतर्गत सहायता समान आधार पर थी, केंद्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में अंशदान करती थी लेकिन संशोधित योजना के अनुसार, 10% राज्य का हिस्सा समाप्त कर दिया गया है और यह योजना 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना बना दी गई है। योजना के विभिन्न संगठनों पर व्यय की सीलिंग/सीमा को हटा दिया गया है क्योंकि यह एससीए द्वारा निधियों के उपयोग में मुख्य बाधा बन रहा था। सहायता के मानदंड जो पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अल्पसंख्यक आबादी से जुड़े थे उनमें संशोधन किया गया है और संशोधित योजना में, सहायता अनुदान उन एससीए को प्रदान की जाती है, जो अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए आबंटित और निर्मुक्त राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

करोड़ रुपए में

वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि**
2007-08	10.00	10.00	10.00
2008-09	5.00	2.30	0.00
2009-10	2.00	2.00	2.00
2010-11	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00
2013-14	2.00	2.00	2.00
2014-15	2.00	2.00	2.00

अध्याय–16

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

16.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350–ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की जुलाई, 2012 से जून, 2013 की अवधि के लिए 50वीं रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 14–08–2014 और 12–08–2014 को रखी गई थी।

16.2 भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षोपाय

भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कतिपय संरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने और उनकी भिन्न–भिन्न भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृतियों को संरक्षित रखने के उनके अधिकार को मान्यता देने तथा उनके विकल्प के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और चलाने की संकल्पना है। अनुच्छेद 347 में, किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की आबादी के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट हो, किसी भाषा की शासकीय मान्यता हेतु राष्ट्रपति के निदेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भाषाओं में संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350–क में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से संबधित बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक चरण पर मातृभाषा में अनुदेश देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350–ख संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के लिए प्रावधान किए गए संरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए भाषायी अल्पसंख्यक समूहों हेतु आयुक्त के रूप में विनिर्दिष्ट एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

अध्याय–17

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

17.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से ''अल्पसंख्यक आयोग'' गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे पुनः ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग'' का नाम दिया गया।

17.2 प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था। भारत सरकार के दिनांक 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा जैनों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 1 (ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

17.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

17.4 आयोग के मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

17.5 वर्तमान आयोग का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके किया गया है:–

1.	श्री नसीम अहमद	:	अध्यक्ष
2.	सुश्री माबेल रिबेलो	:	सदस्य
3.	प्रो0 फरीदा अब्दुल्ला खान	:	सदस्य
4.	श्री परवीण डावर	:	सदस्य

5.	श्री दादी ई. मिस्त्री	:	सदस्य
6.	श्री टी नमगयाल शानु	:	सदस्य
7.	डॉ0 अजायब सिंह	:	सदस्य

17.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

17.7 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक पूर्ववर्ती अल्पसंख्यक आयोग की 1978–79 से 1992–93 तक की चौदह (14) वार्षिक रिपोर्टें और सांविधिक आयोग की वर्ष 1993–94 से 2010–11 तक की अठारह (18) रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 18 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ संसद में रखा गया था।

17.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब और केरल की राज्य सरकारों ने गैर–सांविधिक आयोगों का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

अध्याय–18

वक़्फ प्रशासन, केंद्रीय वक़्फ परिषद् एवं राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम

18.1 वक़्फ अधिनियम, 1995

वक़्फ अधिनियम, 1995 जो 1 जनवरी, 1996 से लागू हुआ, औक़ाफ के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। औक़ाफ (वक़्फ संपत्तियां/परिसंपत्तियां) के प्रभावी प्रशासन पर और अधिक बल देने, औक़ाफ के बेहतर संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास के लिए 2013 में अधिनियम में संशोधन किए गए। संशोधित उपबंध 1 नवम्बर, 2013 से लागू हो गए हैं। केंद्रीय वक़्फ परिषद् (सीडब्ल्यूसी) को देश में वक़्फ बोर्डों के क्रियाकलापों को नियंत्रित/मॉनीटर करने के लिए और शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना चल एवं अचल वक़्फ संपत्तियों पर कब्ज़ा करने के लिए सज़ा को और कठोर कर दिया गया है। अपराध को संज्ञेय और गैर–ज़मानती अपराध बना दिया गया है। वक़्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को रोकने के लिए वक़्फ संपत्तियों की 'बिक्री', 'उपहार', 'गिरवी', 'विनिमय' एवं 'हस्तांतरण' को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुमोदन से वाणिज्यिक क्रियाकलापों, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के प्रयोजनार्थ तीस वर्षों की अवधि के लिए वक़्फ संपत्तियों की 'पट्टेदारी' की अनुमति दे दी गई है।

18.2 योजनागत एवं योजनेतर योजनाओं का कार्यान्वयन

(i) राज्य वक़्फ बोर्डो के रिकार्डो के कम्पयूटरीकरण हेतु योजनागत योजनाः

वक़्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने उनकी 9वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर राज्य वक़्फ बोर्डों के रिकार्डों के कम्पयूटरीकरण के लिए दिसम्बर, 2009 से योजनागत योजना आरंभ की गई थी।

योजना के मुख्य उद्देश्यों में रिकार्ड कीपिंग को सरल और कारगर बनाना, पारदर्शिता लाना तथा वक़्फ बोर्डों के कार्यों/प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण करना है। भारत में वक़्फ प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यू ए एम एस आई (वामसी) लिए वेब आधारित एप्लीकेशन में अग्रलिखित शामिल हैं (क) संपत्ति पंजीकरण प्रणाली (ख) मुतवल्ली रिटर्नस प्रबंधन (ग) संपत्ति प्रबंध की पट्टेदारी तथा (घ) मुकद्दमा ट्रैकिंग प्रबंध मॉड्यूल्स योजना के अधीन प्रचालन में हैं।

कम्प्यूटरीकरण की योजना पूरे देश में समान रूप से लागू है। यह परियोजना नई प्रणाली को स्थिर करने तथा वक़्फ बोर्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य वक़्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों की सेवायें किराये पर लेने के लिए मामूली सी वित्तीय सहायता से 2 वर्षों की हैंड होल्डिंग सहायता अवधि को भी परिवेष्टित करती है। योजना की शुरूआत से राज्य वक़्फ बोर्डों, केंद्रीय वक़्फ परिषद् तथा एनआईसी को 19.18 करोड़ रुपये की

राशि निर्मुक्त की गई है जिसमें वर्ष 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) 3.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। 27 राज्य वक़्फ बोर्डों में केंद्रीय कंप्यूटिंग सुविधा–केंद्र की स्थापना की गई है और आँकड़ों का इंदराज (डाटा एंट्री) प्रगति पर है। लगभग 3,56,237 वक़्फ संपत्तियों को केंद्रीय डाटाबेस में पंजीकृत किया गया है, 1,25,857 वक़्फ रिकार्डों के अंकीकरण की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। केंद्रीय वक़्फ परिषद् को योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

(ii) **राज्य वक़्फ बोर्डो (एसडब्ल्यूबी) के सुदृढ़ीकरण की योजनागत योजनाः**

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि राज्य वक़्फ बोर्डों को केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का मौजूदा स्तर न केवल अपर्याप्त है अपितु विषम भी है। औक़ाफ के प्रशासन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है कि राज्य वक़्फ बोर्ड प्रभावी ढंग से कार्य करें।

राज्य वक़्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण हेतु योजनागत योजना, वक़्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है जिससे कि उनकी वक़्फ संपत्तियों का कुशल प्रशासन एवं प्रबंध हो तथा आय सृजन में सुधार हो जिससे आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। इससे उन्हें अपने प्रवर्तन प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण करते हुए वक़्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय सहायता 12वीं योजना अवधि, अर्थात् वह अवधि जिसके दौरान राज्य वक़्फ बोर्डों से अधिशेष आय सृजन के साथ आत्मनिर्भर होने की आशा की जाती है, के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, ऐसी निधियां कुछ शर्तों के अध्यध्यीन उपलब्ध कराई जाएंगी जो यह सुनिश्चित करें कि राज्य वक़्फ बोर्डों के कार्यकरण तथा संस्थागत क्षमता से राज्य वक़्फ बोर्ड अपनी आय सृजन को बेहतर बना सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। उनकी क्षमताओं में सुधार से उनकी आय में वृद्धि सरल हो सकेगी और इससे समय पाकर उनकी बाहरी वित्तीय सहायता पर निर्भरता समाप्त होगी। राष्ट्रीय वक़्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) को योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अतएव्, मंत्रालय द्वारा नावाडको को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो बदले में राज्य वक़्फ बोर्डों को निधियां जारी करेगा।

2014–15 के दौरान, नावाडको को 350.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है जो योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

(iii) **शहरी वक़्फ संपत्तियों के विकास की योजना (योजनेतर):**

औक़ाफ तथा औक़ाफ बोर्डों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के मद्देनज़र, तथा उन्हें अपने कल्याण संबंधी क्रियाकलाप के क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम बनाने हेतु, केंद्र सरकार 1974–75 से केंद्रीय वक़्फ बोर्डों/वक़्फ संस्थानों को उनकी शहरी वक़्फ संपत्तियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता अग्रिम में देने के विशिष्ट प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान देती रही है।

केंद्रीय वक़्फ परिषद् राज्य वक़्फ बोर्डों/वक़्फ संस्थानों को परिषद् द्वारा अनुमोदित विशिष्ट आर्थिक रूप से/वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। इन परियोजनाओं में वक़्फ की भूमिकाओं पर वाणिज्यिक रूप से अर्धक्षम भवनों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण शामिल है। बढ़ी हुई आय का उपयोग वक़्फ बोर्डों /वक़्फ को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा अपने कल्याण एवं धर्मार्थ क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाने के लिए समक्ष बनाने हेतु उपयोग की जाती है। समग्र प्रयोजन समाज की समूची प्रगति एवं विकास में योगदान देने के लिए आशयित है।

भारत सरकार ने 1974–75 से केंद्रीय वक़्फ परिषद् को 47.07 करोड़ रुपये की राशि का सहायता अनुदान जारी किया है जिसमें 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) जारी किए गए 274.55 लाख रुपये शामिल हैं।

2014–15 के दौरान वक़्फ विकास संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए केंद्रीय वक़्फ परिषद् को निर्मुक्त सहायता अनुदान निम्नानुसार हैः–

(लाख रुपये में)

क्र0सं0	**राज्य का नाम**	**राशि**
1.	कर्नाटक मिल्लत एजूकेशनल सोसायटी, चन्नागिरि की विकास परियोजना	27.00
2.	मिल्लत सोशल वेल्फेयर एंड एजूकेशन सोसायटी, बेटगेड़ी गदग की विकास परियोजना	47.00
3.	डॉ0 ज़ाकिर हुसैन कॉलोनी, मुस्लिम जमात, मुलगुंडा नाका, कदग की विकास परियोजना	15.00
4.	पुथुपल्ली शेख़ फरीद वलीउल्लाह माखम, मीनच्चिल, ईराटुपेट्टा, कोट्टायम की विकास परियोजना	56.50
5.	कोथिया पुथिया जमात पल्ली, तिरूर, मलप्पुरम की विकास परियोजना	56.00
6.	नुसराथुल इस्लाम संगम, महल्लू समिति, शोरानूर, पलक्कड़ की विकास परियोजना	57.05
7.	अंजुमन इस्लाम मुस्लिमीन, छावनी जामा मस्जिद, सीआरपी लाइन, इंदौर (म0प्र0) की विकास परियोजना	40.00
	कुल	**298.55**

18.3 राष्ट्रीय वक़्फ विकास निगम (नावाडको)

राष्ट्रीस वक़्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) की स्थापना 31 दिसम्बर, 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में वक़्फ संपत्तियों के विकास और वक़्फ बोर्डों/वक़्फ संस्थानों की आय को बढ़ाने के विशिष्ट

अधिदेश के साथ की गई थी। नावाडको के पास 500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 100 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी है।

नावाडको ने शहरी क्षेत्रों में कई संभाव्य वक़्फ संपत्तियों की पहचान की है। राज्य वक़्फ बोर्डों तथा मुतवल्लियों (प्रबंधक) को इन संपत्तियों के वाणिज्यिक विकास के लिए उनकी रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) संसूचित कर दी गई है।

निगम ने राजस्थान; बिहार; कर्नाटक; तमिलनाडु; गुजरात; मध्य प्रदेश; उत्तर प्रदेश; उत्तराखंड; महाराष्ट्र; तेलंगाना और दिल्ली में 67 से अधिक संपत्तियों की पहचान की है। राज्य–वार स्थिति निम्नानुसार हैः–

राज्य	पहचान की गई संपत्तियों की संख्या	प्राप्त रूचि की अभिव्यक्ति	कुल क्षेत्र (वर्ग मी0 में)
कर्नाटक, बंगलुरू	10	7	186750.00
कर्नाटक, मैसुर	5	0	58050.00
बिहार	6	4	166499.00
दिल्ली	9	7	88460.00
मध्य प्रदेश, भोपाल	5	0	140861.00
राजस्थान	3	1	49050.00
महाराष्ट्र	8	0	144770.00
गुजरात	8	5	16590.00
तमिलनाडु	8	3	28135.00
तेलंगाना	5	0	6299.00
कुल	**67**	**27**	**885464.00**

कुल 67 संपत्तियों में से बंगलुरू की तीन संपत्तियों और जोधपुर, राजस्थान की एक संपत्ति की व्यावहारिकता रिपोर्टें अंतर–राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के परामर्शदाताओं के माध्यम से तैयार कर ली गई है।

एनबीसीसी एक नवरत्न सार्वजनकि क्षेत्र की कंपनी है जिसका परियोजना प्रबंधन, रियल एस्टेट परियोजनाओं के परामर्शन और निष्पादन के क्षेत्र में विशाल अनुभव है। नावाडको ने व्यावहारिकता रिपोर्टें, डीपीआर तैयार करने तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एनबीसीसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। करार माननीय केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री की उपस्थिति में किया गया और इसका सभी राष्ट्रीय दैनिकों में व्यापक प्रचार हुआ।

निगम ने अपने प्रचालन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भविष्य की निम्नलिखित योजनाओं का ज़ाका तैयार किया है:–

(i) राज्यों वक़्फ बोर्ड के साथ 4 (चार) संपत्तियों अर्थात् कर्नाटक की 3 (तीन) तथा राजस्थान की 1 (एक) के लिए करार करना।

(ii) एनबीसीसी के साथ परियोजना विशिष्ट समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना था कम से कम एक संपत्ति की नींव रखने के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाले निर्माण क्रियाकलापों की शुरूआत करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु स्थानीय निकायों को निर्माण योजनायें प्रस्तुत करने की व्यवस्था करना।

(ii) 'राज्य वक़्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण' योजना के अंतर्गत राज्य वक़्फ बोर्डों को अनुदान वितरित करना।

18.4. केंद्रीय वक़्फ परिषद् (सीडब्ल्यूसी)

केंद्रीय वक़्फ परिषद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है। देश में वक़्फ बोर्डों के कार्यकरण से जुड़े मामलों तथा औक़ाफ के समुचित संचालन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकारी निकाय के रूप में वक़्फ अधिनियम, 1954 में दिए गए उपबंध के अनुसार इसका 1964 में गठना किया गया था। परिषद का एक अध्यक्ष होता है जो केंद्रीय मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण) है एवं अन्य ऐसे सदस्य, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुसार, जिनकी संख्या 20 से अधिक नहीं होती। इस समय सुश्री नजमा हेपतुल्ला परिषद की अध्यक्षा हैं। 10वीं परिषद् का गठन 12 मई 2011 को किया गया था।

18.4.1 केंद्रीय वक़्फ परिषद् की भूमिका:

वक़्फ अधिनियम, 1995 जो 01 नवम्बर, 2013 से देश में लागू किया जा चुका है, में केंद्रीय वक़्फ परिषद तथा राज्य वक़्फ बोर्डों की भूमिका को व्यापक बना दिया गया है। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं राज्य वक़्फ बोर्डों को सलाह देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सलाह की विस्तारित भूमिका के अलावा परिषद को राज्य सरकारों अथवा बोर्ड से वक़्फ बोर्डों के निष्पादन विशेषकर उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, राजस्व अभिलेखों, वक़्फ संपत्तियों के अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा–परीक्षा रिपोर्टों के बारे में सूचना प्राप्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

18.4.2. शहरी वक़्फ संपत्तियों का विकास:

वक़्फ विकास समिति ने शहरी वक़्फ संपत्तियों के विकास की योजनेतर योजना के अंतर्गत चल रही सात परियोजनाओं को सहायता देने की अनुशंसा की है। चल रहीं वक़्फ परियोजनाओं को ऋण की मंजूरी देने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से **298.55 लाख रुपये** की राशि अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई है। इस सहायता से, परिषद को भारत सरकार की ओर से 1974–75 से देश में शहरी वक़्फ संपत्तियों का वित्तपोषण करने के लिए **46.97 करोड़ रुपये** अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए हैं।

18.4.3. परिक्रामी निधि से वित्तपोषित छोटी परियोजनायें:

शहरी वक़्फ संपत्तियों के विकास की योजना के अंतर्गत, दिया गया ऋण 20 अर्द्धवार्षिक किस्तों में चुकाए जाने योग्य है। इसलिए, ऋण प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा चुकाई गई मूलधन की राशि परिषद की 'परिक्रामी निधि' बनती है जिसका उपयोग फिर से केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त सहायता अनुदान से वित्तपोषित बड़ी परियोजनाओं को प्रयोज्य अनुसार समान नियम व शर्तों के अधीन छोटी परियोजनाओं को 50.00 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करने के लिए किया जाता है।

अभी तक, परिषद ने परिक्रामी निधि से 94 परियोजनाओं को 5.92 करोड़ रुपये की राशि के ऋण उपलब्ध कराए हैं जिसमें से 70 परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य समाप्ति के अग्रिम चरण पर हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 'ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र' नामक एक परियोजना के लिए थाउबल, मणिपुर को वक़्फ भूमि पर अस्पताल के भवन के निर्माण हेतु अंतिम एवं द्वितीय किस्त के रूप में 25.00 लाख रुपये का ऋण दिया गया था। अन्य परियोजना अर्थात्, जामा मस्जिद, धेनकनाल की विकास परियोजना के लिए परिषद की परिक्रामी निधि से मस्जिद के मौजूदा वाणिज्यिक परिसर का विस्तार करने के लिए 37.00 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई है। अतएव्, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2014 तक परिक्रामी निधि में से दो छोटी परियोजनाओं के लिए 62.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई।

18.4.4. शिक्षा एवं महिला कल्याण समिति:

केंद्रीय वक़्फ परिषद ग़ैर–सरकारी संगठनों तथा तकनीकी संस्थानों को प्रत्यक्ष रुप से सहायता अनुदान उपलब्ध कराते हुए आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (वीटीसी) की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण सरीखे विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का संचालन करते हुए समुदाय के सामाजिक एवं कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के आयोजन करने में भी सक्रिय रूप से भागीदार रहा है। परिणामस्वरूप, देश भर के सौ से अधिक संस्थान लाभान्वित हो चुके हैं। इसी भांति, परिषद पुस्तकालयों को सहायता भी प्रदान कर रही है/पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण कर रही है तथा देश भर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुस्तक बैंक बना रही है। मदरसों के छात्र भी राज्य वक़्फ बोर्ड को समान (matching) अनुदान के अंतर्गत ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति के और संवितरण के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से लाभान्वित हो रहे हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् 2014–15 के दौरान, परिषद ने निम्नानुसार ब्यौरे के मुताबिक शैक्षणिक एवं महिला कल्याण कार्यक्रम के लिए 45.14 लाख रुपये की राशि मंजूर की है:–

1. आईटीआई को वित्तीय सहायता : 11,24,000.00 रुपये

2. वीटीसी को वित्तीय सहायता : 33,90,000.00 रुपये

18.4.5. परिषद एवं राज्य वक़्फ बोर्डो के सीईओ के राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजनः

केंद्रीय वक़्फ परिषद ने वक़्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने तथा राज्य वक़्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना तथा राज्य वक़्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना तथा अन्य अनुषंगी मामलों को अद्यतन बनाने के लिए **डॉ0 नजमा हेपतुल्ला, माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार तथा अध्यक्षा, सीडब्ल्यूसी** की अध्यक्षता में 13 नवम्बर, 2014 को सम्मेलन कक्ष, इंडिया इस्लामिक कलचरल सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में सभी राज्य वक़्फ बोर्डों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। **माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी** ने भी सम्मेलन में प्रतिभाग किया।

अध्याय–19

दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर

19.1 राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत, दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति के रूप में निहित है।

19.2 दरगाह समिति के कार्य और शक्तियां

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ की चारदीवारी के भीतर के भवनों तथा सभी मकानों, दुकानों की उचित देखभाल तथा उन्हें अच्छी हालत में रखना।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की समस्त राशि और अन्य आय प्राप्त करना।
- यह देखना कि धर्मार्थ प्राप्त दान की राशि दानदाताओं की इच्छा के अनुरूप खर्च की जाती हैं।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की आय अथवा राजस्व की ओर से देय या उस पर प्रभारित सभी अन्य का भुगतान करना और वेतन भत्ते तथा अनुलाभ का भुगतान करना।
- खादिमों के विशेषाधिकारों को निर्धारित करना तथा यदि समिति इसे आवश्यक मानती है तो उन्हें उनकी ओर से लाईसेंस प्रदान कर दरगाह में उनकी उपस्थिति नियमित करना।
- सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना।
- दरगाह के साथ मिलकर सजदानशीन द्वारा प्रयोग की जानी वाली शक्तियों और कार्यप्रणाली का निर्धारण।
- दरगाह के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलंबन तथा उनकी बर्खास्तगी।
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गरीब वंशजों और उनके परिवारों तथा भारत में रह रहे गरीब खादिमों और उनके परिवारों को शिक्षा और गुजारा के लिए वे प्रावधान करना जिसे समिति दरगाह की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सुसंगत समझे।

- जैसा समिति उचित समझे, नाजिम को कार्य और शक्तियां प्रदान करना।

- अन्य सभी कार्य करना जो दरगाह के दक्ष प्रशासन के लिए अनुषंगी अथवा सहायक हों।

19.3 उर्स तथा धर्म संघों का प्रबंधन :

ख्वाजा गरीब नवाज (आर.ए.) का 802वां वार्षिक उर्स मई, 2014 में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 6.5 लाख तीर्थ यात्रियों ने दरगाह का दर्शन किया। इस उर्स के दौरान कोई घटना नहीं हुई और तीर्थ यात्रियों को पूर्ण बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। महान सूफी संत को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक गणमान्य व्यक्ति भी दरगाह आए। अजमेर जिला सीविल और पुलिस अधिकारियों तथा राजस्थान सरकार के समन्वय और सहायता से व्यवस्थाएं की गईं।

अध्याय–20

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

20.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक लाभ सहित कंपनी के रूप में निगमित की गई थी। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को स्व–रोज़गार एवं जीविकोपार्जन के क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराता है। एनएमडीएफसी का मुख्य अधिदेश 6 अधिसूचित अल्पसंख्यकों यथा मुस्लिमों, इसाईयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों एवं जैनों को स्व–रोज़गार/आर्य सृजन के क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1,03,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार एनएमडीएफसी की योजनाओं के अंतर्गत लाभों के पात्र हैं। एनएमडीएफसी की विशेष पहल के तौर पर, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय हेतु वर्तमान में लागू 'क्रीमी लेयर' मापदंड को अपनाते हुए सितम्बर, 2014 के 6.00 लाख रुपये तक की नई वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता सीमा की शुरूआत की गई है। एनएमडीएफसी (i) संबंधित राज्य सरकार/संध राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों (एससीए) तथा (ii) ग़ैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है।

20.2 अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए, एनएमडीएफसी के पास 3000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी है, जिसमें से भारत सरकार का शेयर पूंजी 975.00 करोड़ रुपये (65%) है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का शेयर 390.00 करोड़ रुपये (26%) है जबकि बकाया 135.00 करोड़ रुपये (9%) का अंशदान अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा दिया जाएगा।

20.3 भारत सरकार ने शुरूआत से 31.10.2014 तक, एनएमडीएफसी की इक्विटी को 975.00 करोड़ रुपये (100%) का अंशदान दिया है जबकि इस अवधि के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 233.92 करोड़ रुपये (59.98%) का अंशदान दिया गया है। अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा 1 लाख रुपये की राशि का अंशदान दिया गया है। इस प्रकार, कुल प्रदत्त पूंजी 1208.93 करोड़ रुपये है।

20.4 एनएमडीएफसी की योजनायें एवं कार्यक्रमः

(क) एनएमडीएफसी की मौजूदा रियायती ऋण पद्धति को दो धारकों में विभाजित किया गया हैः–

ऋण पद्धति 1:– यह रियायती ऋण की वर्तमान धारा है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000 रुपये प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 1.03 लाख रुपये प्रतिवर्ष की आय सीमाओं के आधार पर रियायती ब्याज दर पर संवितरित किया जा रहा है।

ऋण पद्धति 2:– अल्पसंख्यक आबादी के 6.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले तबके जिसे भारत सरकार द्वारा ओबीसी के 'क्रीमी लेयर' मापदंड के आधार पर परिभाषित किया गया है, को रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह उस ब्याज दर पर रियायती ऋण प्राप्त करेगा, जो ऋण पद्धति 1 से उच्चतर है।

i. **सावधि ऋण योजनाः** यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत, वित्तपोषण हेतु 20.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपये तक) पर विचार किया जाता है। एनएमडीएफसी परियोजना लागत के 90% की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराता है। तथापि, लाभार्थियों को परियोजना की बकाया लागत का न्यूनतम 5% अंशदान देना होता है। लाभार्थी से 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर प्रभारित की जाती है। ऋण पद्धति–2 के लिए, पुरूष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों को 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 30.00 लाख रुपये तक दिए जाते हैं।

सावधि ऋण योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से किसी भी व्यवहार्य एवं तकनीकी रूप से व्यावहारिक उद्यम के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसे सुविधा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया हैः

क) कृषि एवं संबद्ध

ख) तकनीकी ट्रेड

ग) लघु व्यवसाय

घ) कारीगर एवं पारम्परिक व्यवसाय, तथा

ङ) परिवहन एवं सेवायें क्षेत्र

ii. **शैक्षणिक ऋण योजनाः–** यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है तथा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसिययों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यकों से संबंधित पात्र व्यक्तियों के लिए रोजगार आधारित शिक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत, पांच वर्षों से अनधिक अवधियों के 'तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों' के लिए 15.00 लाख रुपये (ऋण पद्धति–2 हेतु 20.00 लाख रुपये तक) का ऋण उपलब्ध है। इसके अलावा, विदेश के पाठ्यक्रमों के लिए (ऋण पद्धति–2 हेतु 30.00 लाख रुपये तक) का ऋण उपलब्ध है। इस प्रयोजनार्थ एससीए को 1% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, लाभार्थियों को 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार देने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ऋण पद्धति–2 के अंतर्गत, एससीए को 2% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर निधियां, पुरुष लाभार्थियों को 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर तथा महिला लाभार्थियों को 5% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार पर देने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। यह ऋण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम पांच वर्षों में देय है।

iii. **लघु वित्तपोषण योजनाः–** लघु वित्तपोषण योजना के अंतर्गत, एससीए/एनजीओ के माध्यम से स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को लघु–ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक के लघु ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। गैर सरकारी संगठनों/एससीए को 1% की ब्याज दर पर निधियां दी जाती हैं जो आगे 7% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर स्व–सहायता समूहों को उधार देते हैं। ऋण–पद्धति–2 के अंतर्गत, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 1.50 लाख रुपये, पुरूष लाभार्थियों के लिए 10% प्रतिवर्ष तथा महिला लाभार्थियों के लिए 8% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर दिया जाता है। योजना के अंतर्गत अदायगी की अवधि अधिकतम 36 महीने हैं।

iv. **महिला समृद्धि योजनाः–** स्व–सहायता समूहों में शामिल की जाने वाली महिलाओं को टेलरिंग, कटिंग और एम्ब्रायडरी इत्यादि सरीखे व्यवसायों में शामिल लघु ऋण को जोड़ने की एक अनूठी योजना है। यह एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और साथ ही साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत, किसी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प क्रियाकलाप में लगभग 20 महिलाओं के समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह समूह प्रशिक्षण के दौरान ही स्व–सहायता समूह बना दिया जाता है और प्रशिक्षण के उपरान्त, इस प्रकार गठित स्व–सहायता समूह के सदस्यों को लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि छहः माह है और प्रशिक्षण के अधिकतम खर्चे प्रति प्रशिक्षणार्थी 1500 रुपए प्रतिमाह हैं। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षुओं को 1000 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी दिया जाता है। प्रशिक्षण लागत और वजीफे के खर्च की पूर्ति एनएमडीएफसी द्वारा अनुदान के रूप में की जाती है। प्रशिक्षण के उपरान्त, स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 1.00 लाख रुपए के अध्यधीन आवश्यकता आधारित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) एनएमडीएफसी की संवर्धनात्मक योजनायें

i. **व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः–** एनएमडीएफसी की व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य स्व/मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों को कौशल प्रदान करना है। यह योजना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है, जो स्व/मजदूरी रोजगार के लिए संभाविता वाले ट्रेडों में स्थानीय सरकार के स्वामित्व वाले/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से अपने राज्यों में आवश्यकता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम की लागत छहः महीनों की अधिकतम अवधि के पाठ्यक्रमों के 2000 रुपये प्रति अभ्यर्थी प्रति माह तक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रति अभ्यर्थी को 1000 रुपये प्रति माह की दर से वजीफा भी दिया जाता है। एससीए/प्रशिक्षण संस्थान को औपचारिक क्षेत्र में 50% प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट के साथ मजदूरी रोजगार/स्व–रोजगार में कम से कम 80% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करना होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को 1 वर्ष की हैंडहोल्डिंग सहायता भी दी जाती है।

ii. **विपणन सहायता योजनाः** विपणन सहायता योजना व्यक्तिगत शिल्पकारों, एनएमडीएफसी के लाभार्थियों

के साथ–साथ एसएसजी के लिए है और एससीए तथा एनजीओ दोनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। विपणन को सवंर्धित करने और शिल्पकारों के उत्पादों का लाभकारी कीमतों पर बिक्री हेतु उनकी सहायता के उद्देश्य से, एनएमडीएफसी चुनिन्दा स्थानों पर राज्य/जिला स्तर की प्रर्दशनियां आयोजित करने में एससीए तथा एनजीओ की मदद करता है। इन प्रर्दशनियों में, अल्पसंख्यक शिल्पकारों के हस्तकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों को प्रर्दशित किया जाता तथा बेचा जाता है। ऐसी प्रर्दशनियां 'क्रेता–विक्रेता समागम' का प्रयोजन भी सिद्ध होता है, जिसे घरेलू बाजार के साथ–साथ निर्यातों के लिए उत्पाद विकास और बाजार संर्वधन के लिए अत्यधिक उपयोगी समझा जाता है। एनएमडीएफसी प्रस्तावों के संक्षिप्त मूल्यांकन के पश्चात योजना के विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रर्दशनियां आयोजित करने के लिए अनुदाय प्रदान करता है।

20.5. एनएमडीएफसी की उपलब्धियां

क. अपनी शुरूआत से 31/12/2014 तक, एनएमडीएफसी ने 24 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के **428032** लाभार्थियों को **2068.93 करोड़ रुपये** की साविध ऋण सहायता दी है। चालू वित्त वर्ष 2014–15 में, 31/12/2014 तक **19518 लाभार्थियों** को **185.40 करोड़ रुपये** की राशि संवितरित की गई है।

ख. एनएमडीएफसी प्रारंभ से 1998–99 से एनजीओ के माध्यम से लघु ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा बाद में एससीए को भी क्रियान्वयन में शामिल किया गया। 31/12/2014 तक, **600340** लाभार्थियों के लिए लघु ऋण योजना के अधीन **767.52 करोड़ रुपये** का कुल संवितरण किया गया है। चालू वित्त वर्ष 2013–14 में, 31/12/2014 तक **27245 लाभार्थियों** के लिए **61.30 करोड़ रुपये का लघु ऋण** संवितरित किया गया है।

ग. शुरूआत से 31/12/2014 तक, एनएमडीएफसी ने **1028372 लाभार्थियों** के लिए **2836.45 करोड़ रुपये** की समेकित राशि संवितरित की है। चालू वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, 31/12/2014 तक **46763 लाभार्थियों** को **246.70 करोड़ रुपये** की समेकित राशि संवितरित की गई है।

घ. मंत्रालय द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरणों (एससीए) को उनकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराने की योजना 2007–08 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अधीन एससीए को जागरूकता अभियानों, प्रदानगी प्रणाली में सुधार, ऋण की वसूली इत्यादि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना को सरल एवं निष्पादन आधारित बनाने के लिए 2013–14 के दौरान संशोधित किया गया था। अब केंद्र सरकार द्वारा एससीए को विगत वर्ष में निधियों के आहरण एवं उनके उपयोग के संबंध में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर 100% सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2014–15 के दौरान, इस योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

ङ. एनएमडीएफसी की 2012–13 की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा–परीक्षित लेखे 6 फरवरी, 2014 को लोक सभा तथा 10 फरवरी, 2014 को राज्य सभा में रखे गए थे।

20.6. एनएमडीएफसी द्वारा कौशल विकास

एनएमडीएफसी ने अपने लक्षित समूहों को रोज़गार उन्मुख कौशल प्रदान करने के लिए, 35.00 लाख रुपये की कुल वित्तीय विवक्षा के साथ 350 उम्मीदवारों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम की मंजूरी दी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निरस्त्र सुरक्षा गार्ड (150 प्रशिक्षणार्थी) तथा स्वास्थ्य परिचर्या सहायक (200 प्रशिक्षणार्थी) के व्यवसायों में टी.एस.स्किल्ज़ एंड टेड प्राइवेट लिमिटेड तथा स्किल ट्री कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। दिल्ली में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बवाना, नांगलोई, लोनी, मौलाना आज़ाद कॉम्पलैक्स तथा सीलमपुरी में स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है।

इस कौशल विकास प्रशिक्षण योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रशिक्षण एजेंसियों को कम से कम 80% सफल उम्मीदवारों को प्लेसमेंट् देना होता है जिनमें से 50% संगठित क्षेत्र में प्लेस किया जाएगा।

चालक प्रशिक्षण कार्यक्रमः एनएमडीएफसी ने मारूति सुजुकि इंडिया लिमिटेड के सहयोग से चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरूआत की है। देश के 16 राज्यों में कुल 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

20.7. एनएमडीएफसी की विशेष पहलें:

(i) **परिवार की वार्षिक आय सीमा को बढ़ानाः** एनएमडीएफसी के अंतर्गत लक्षित समूह के कवरेज को बढ़ाने के लिए 6.00 लाख रुपये तक बढ़ाना।

(ii) **क्षेत्रीय कार्यालयः** एनएमडीएफसी के बोर्ड ने 23/06/2014 को आयोजित अपनी 90वीं बैठक में निम्नलिखित स्थानों पर एनएमडीएफसी के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान किया हैः–

क. चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय

ख. मुम्बई में पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय

ग. कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र कार्यालय

घ. गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय

चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन 22 नवम्बर, 2014 को माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा किया गया था।

(iii) **आधार संख्या का अनिवार्य उपयोग :** एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की पहचान करते समय एससीए के लिए आधार संख्या के उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य चैनेलाइज़िग एजेंसियां आधार संख्याओं से लिंक करते हुए लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर ऋणों की निर्मुक्ति करेगी और ऋण की निर्मुक्ति, इसके उपयोग, व्यापार के लेन–देन तथा ऋण की किस्तों को चुकाने सरीखे सभी लेन–देनों के लिए इसी खाते का उपयोग होगा ताकि एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत द्विरावृत्ति से बचा जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि वही लाभार्थी साथ–साथ सरकार की ऐसी ही अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के अधीन लाभ प्राप्त न कर रहा हो अथवा साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ाया जा सके। यह खाता एससीए की निगरानी में भी होगा तथा एनएमडीएफसी को मानीटरिंग के प्रयोजनों से इस खाते को सुलभ कराया जाएगा। एससीए को उन अभिज्ञात लाभार्थियों के संबंध में बैंक खाते खोलने के लिए प्रधानमंत्री की जन धन योजना का उपयोग करने और आधार संख्या से जोड़ने का निदेश भी दिया गया है जिनका बैंक खाता नहीं है।

(iv) **मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस):** मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) की स्थापना 11 नवम्बर, 2014 को अल्पसंख्यक समुदायों के सभी कौशल विकास/उन्नयन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के रूप में की गई थी। मानस एक बहुत महत्वकांक्षी एवं महत्वपूर्ण कौशल विकास स्थापत्य है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक आबादी को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठनों के साथ संयोजनों के आधार पर (पीपीपी मोड पर) उन कौशलों में प्रशिक्षण देने के लिए जिनकी इस समय मांग है, अखिल भारतीय स्तर की प्रशिक्षण रूपरेखा उपलब्ध कराना है। यह अकादमी अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी 'कौशल संबंधी जरूरतों' को पूरा करने के पश्चात् अपने मौजूदा व्यापारों का विस्तार करने तथा नए व्यापार उद्यमों की स्थापना करने के लिए रियायती ऋण भी उपलब्ध कराएगी। इस अकादमी से बहु–आयसी संगठन के रूप में कार्य करने की आशा की जाती है जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों की उन कलाओं एवं शिल्पों, जिनका वैश्वीकरण के कारण मांद पड़ गए हैं, की पहचान करने, मदद देने और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुलम्ब शामिल है। मानस इस प्रयोजनार्थ 'अनुसंधान पदों' की भी स्थापना करेगा।

20.8 निम्नलिखित कार्य–निष्पादन चार्ट एतद्सह संलग्न हैं:–

i. एनएमडीएफसी – भारत सरकार द्वारा किया गया शेयर पूँजी आबंटन एवं अंशदान

ii. एनएमडीएफसी – सहायता प्राप्त लाभार्थियों की वर्ष–वार संख्या

iii. एनएमडीएफसी – संवितरित वर्ष–वार निधियां

iv. वर्ष 2014–15 के दौरान हुए आयोजनों के फोटोग्राफ

v. 2014–15 के दौरान (31/12/2014 तक) उपलब्धियों के लिंग–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक–XV**

vi. पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां **अनुलग्नक–XVI**

vii. 2014–15 के दौरान (31/12/2014 तक) राज्य–वार वास्तविक उपलब्धियां **अनुलग्नक–XVII**

vii. 2014–15 के दौरान (31/12/2014 तक) राज्य–वार वित्तीय उपलब्धियां **अनुलग्नक–XVII**

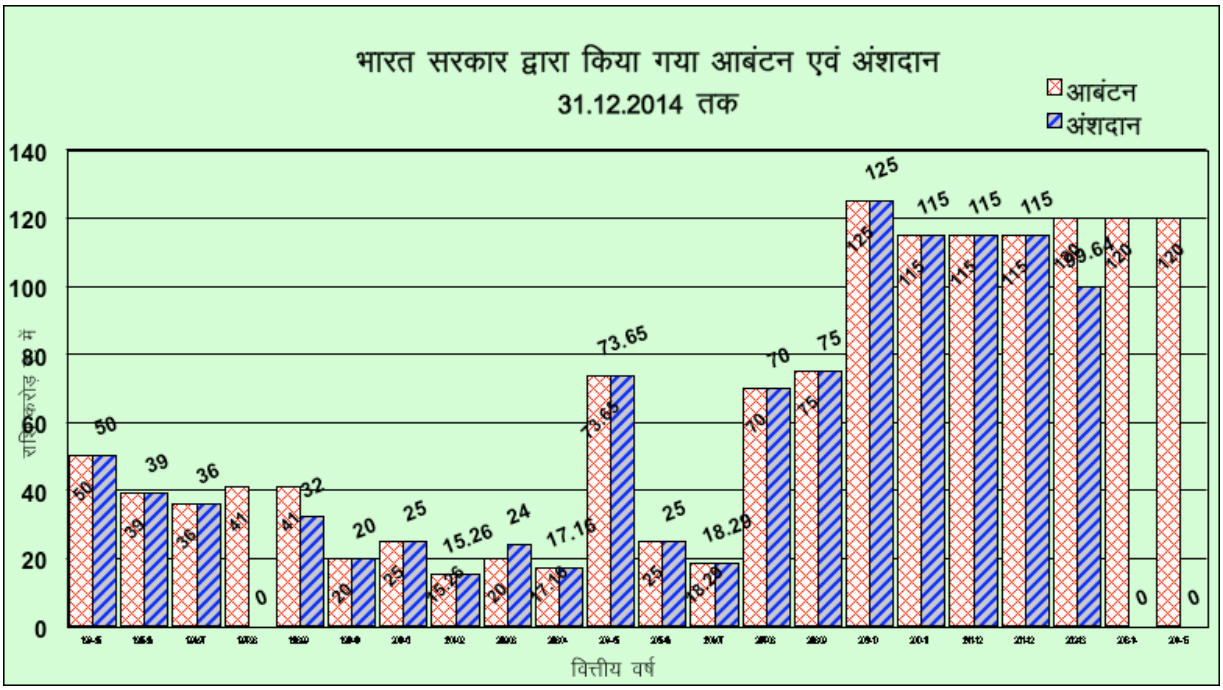

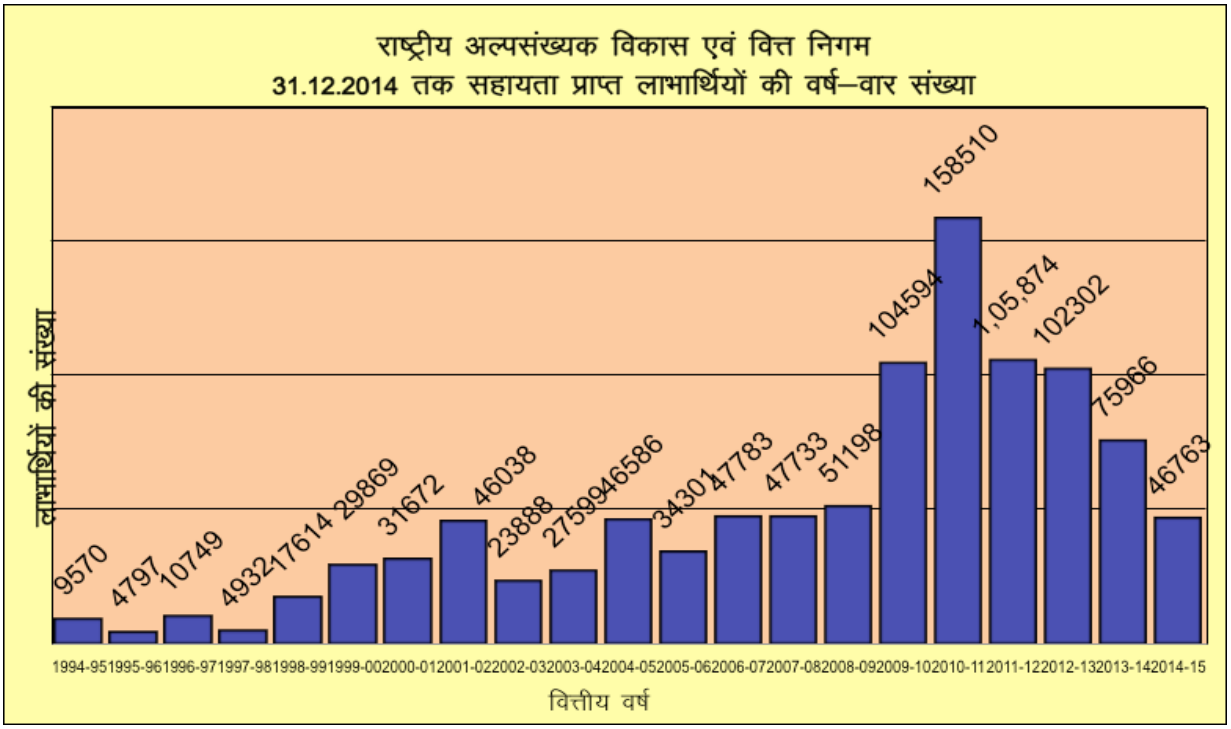

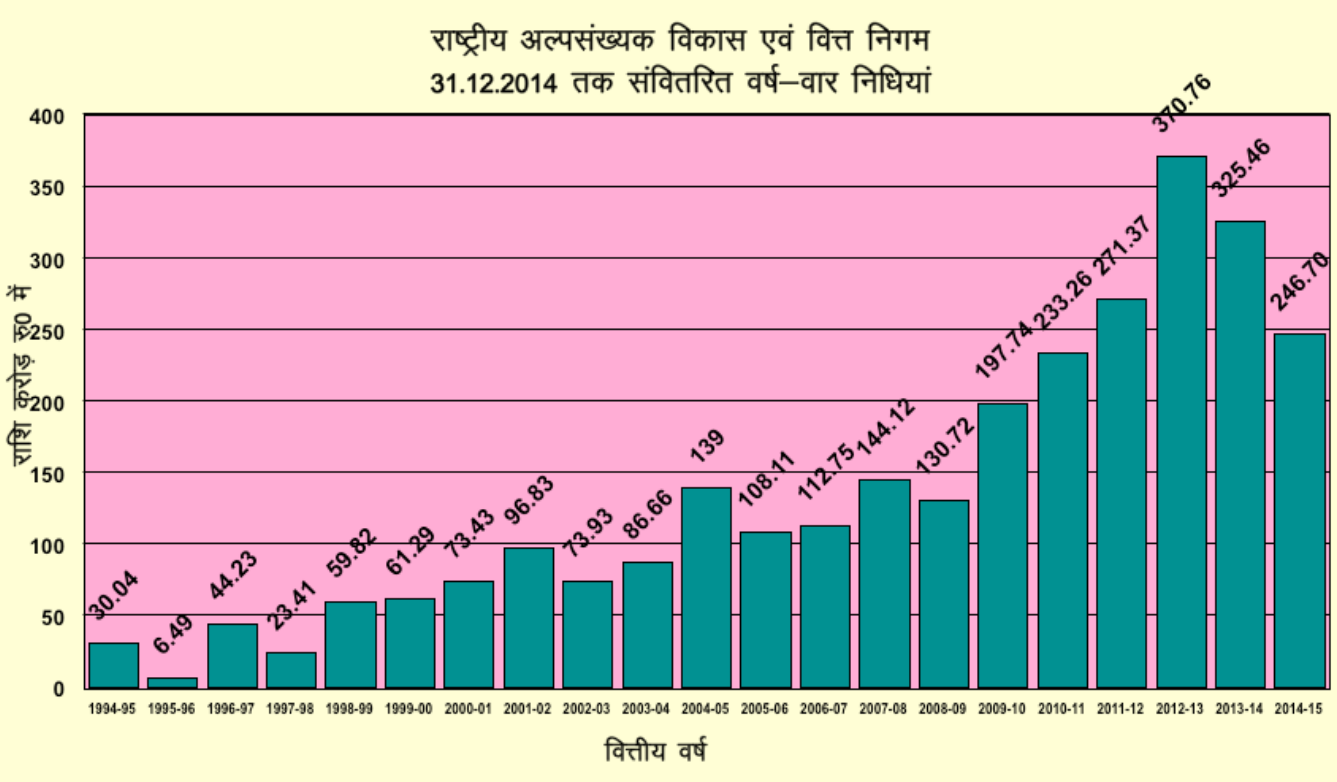

एनएमडीएफसी का 20वां स्थापना दिवस 8 अक्तूबर, 2014 को मिर्ज़ा ग़ालिब हॉल, स्कोप कन्वेन्शन सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ0 नजमा ए0 हेपतुल्ला, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया और अध्यक्षता डॉ0 ललित के0 पंवार, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई।

दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) के प्रथम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।

दिनांक 22.11.2014 को चेन्नई में एनएमडीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मानस के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएमडीएफसी के कार्यक्रम का क्रियान्वयन

एनएमडीएफसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों को ऋण की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देता है। एनएमडीएफसी की योजनायें अरूणाचल प्रदेश, मेघालय एवं सिक्किम को छोड़कर एससीए के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रभावी हैं। सावधि ऋण एवं लघु ऋण योजनाओं के अधीन, 31/12/2014 तक देश भर के अल्पसंख्यकों को उपलब्ध 2836.13 करोड़ रुपये में से पूर्वोत्तर राज्यों के 51,275 लाभार्थियों का शेयर 180.18 करोड़ रुपये (6.35%) रहा है। चालू वर्ष में, देश के 606.00 करोड़ रुपये (10.89%) के कुल आबंटन में से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 66.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है तथा 31 दिसम्बर, 2014 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों को 20.50 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्ति की गई है।

एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के अंतर्गत जेंडर विशिष्ट मुद्दे

एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देता है। इसकी लघु ऋण योजना मुख्य रूप से ग़रीब अल्पसंख्यक महिलाओं पर ध्यान देती है। इस योजना का मुख्य रूप से उद्देश्य एनजीओ/स्व–सहायता समूहों के माध्यम से अनौपचारिक ढ़ंग से उनकी साख संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। एनएमडीएफसी ने अब तक (31/12/2014 तक) 767.53 करोड़ रुपये के लघु ऋण की मदद के लगभग 6,00,336 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है, जिसमें से 90% से अधिक लाभार्थी महिलायें हैं

महिला समृद्धि योजना

इसके अलावा, एनएमडीएफसी ने महिला समृद्धि योजना नामक योजना आरंभ की है जो महिलाओं को प्रशिक्षणोपरांत लघु ऋण से जोड़ती है। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं को छहः माह की अवधि का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात् अपनी जीविका अर्जन क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 50,000 रुपये तक का अपेक्षित लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय–21

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

21.1 भूमिकाः मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–राजनैतिक, गैर–लाभकारी समाज सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1989 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था।

21.2 मुख्य उद्देश्यः इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषतः शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है।

21.3 एमएईएफ की संरचनाः अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान के सामान्य निकाय में 15 सदस्य हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इसके कार्यों का प्रबंधन इसके शासी निकाय के सुपुर्द है, जिसमें छः सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष–एमएईएफ, उपाध्यक्ष–एमएईएफ, खजांची–एमएईएफ, भी शामिल है और तीन सदस्य सामान्य निकाय में से चुने जाते हैं।

21.4 एमएईएफ के संसाधनः इसके आय का एकमात्र साधन एमएईएफ निवेश की गई संचित निधि पर अर्जित ब्याज है।

संचित निधिः एमएईएफ ने भारत सरकार से संचित निधि के रूप में 2014–15 तक कुल 1023 करोड़ रु0 प्राप्त किए हैं, जिन्हें बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेशित रखा गया गया है और इससे मिलने वाले ब्याज का उपयोग एमएईएफ की शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है। एमएईएफ ने एचपीसीएल, सेल और आईडीबीआई बैंक से संचित निधि के लिए 12 लाख रु0 का अंशदान भी प्राप्त किया है।

21.5 मौजूदा शैक्षणिक योजनाएंः एमएईएफ निम्नलिखित दो मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः

21.5.1 एनजीओ को सहायता अनुदानः शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता–अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः

- स्कूलों/बीएड कॉलेजों/वीटीसी/आईटीआई/पॉलिटेक्निक और छात्रावास भवनों का निर्माण/विस्तार।
- विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण/फर्नीचर की खरीद।

- तीन साल से चल रहे और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, जिसमें 50% से अधिक अल्पसंख्यक छात्र हैं, का प्रबंधन करने वाले एनजीओ आवेदन कर सकते हैं।

- उच्चतम सीमा 30 लाख रु0 है।

21.5.2 अल्पसंख्यको से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्तिः

अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्राओं को 12,000/– रु0 प्रति छात्रा की दर से (6,000/– रु0 की दो किस्तों में) निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती हैः

- दसवीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना।

- 11वीं कक्षा में स्थायी दाखिला होना।

- माता/पिता की वार्षिक आय रु0 1 लाख प्रतिवर्ष से कम होना।

- चयन राज्य–वार कोटे में मेरिट के आधार पर किया जाता है।

मौलाना आजाद सेहत योजना शीर्षक वाली एक नई योजना को दिनांक 04.03.2014 को आरंभ किया गया है।

21.6 उपलब्धियां:

एमएईएफ की योजनाओं ने देश भर में बहुत ख्याति प्राप्त की है। एमएईएफ अपनी योजनाएं बिना किसी मध्यवर्ती एजेंसी के हस्तक्षेप के सीधे ही कार्यान्वित करती है। इसकी योजनाओं के लाभ भारत के लगभग प्रत्येक भाग में पहुंचे हैः

21.6.1 सहायता अनुदानः दिनांक 30.09.2014 तक एमएईएफ ने 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 1423 एनजीओ को रु0 185.96 करोड़ के सहायता अनुदान स्वीकृत किए हैं। एमएईएफ द्वारा (शुरुआत से) 30.09.2014 तक स्वीकृत किए गए सहायता–अनुदान का राज्य–वार सार **अनुलग्नक–**XIX पर है।

21.6.2 छात्रवृत्तिः वर्ष 2013–14 तक एमएईएफ ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 1,37,318 छात्राओं को 162.61 करोड़ रु0 की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत छात्रवृत्ति का राज्य–वार सार संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। **अनुलग्नक–**XX

21.7 एमएईएफ द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रः

प्रतिष्ठान महिलाओं के लिए अजमेरी गेट, दिल्ली में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा है, जहां पर लड़कियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कटिंग एण्ड टेलरिंग, टैक्सटाईल डिजाईनिंग, ब्यूटी कल्चर, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स और कम्प्यूटर्स के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान

21.8 मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से अपनी योजना क्रियान्वित करता है। ये गैर–सरकारी संगठन संस्थानों, स्कूलों और छात्रावासों को चलाने के लिए एमएईएफ से अनुदान लेते हैं।

21.9 मंत्रालय उसकी समग्र निधि से एमएईएफ को सहायता अनुदान प्रदान करता है। इस मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों की अवसंरचना में सुधार के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के सहायता अनुदान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

करोड़ रु0 में

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि
2007.08	50	50	50
2008.09	60	60	60
2009.10	115	115	115
2010.11	125	125	125
2011.12	200	200	200
2012.13	100	100	शून्य
2013.14	160	160	160
2014.15	113	113	113

21.10 भविष्य के कार्यक्रम:

- मौलाना आजाद पब्लिक स्कूलों की स्थापना।
- आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।
- मौलाना आजाद पीठों की स्थापना।
- पुस्तकालयों की स्थापना।
- छः अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार करना।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद चिकित्सा सहायता योजना
- नई मंजिल
- नालंदा

अध्याय–22

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

22.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15–सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई। इसमें निश्चित लक्ष्यों के साथ कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों की व्यवस्था है, जिन्हें निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं – (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्व–रोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना; (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

22.2 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसुविधाप्राप्त लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचें, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

22.3 इस कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं– मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी। हालही में, जैनियों को दिनांक 27.01.2014 की अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, अधिसंख्य में है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं – जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

22.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में एक बार की जाती है तथा उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है।

22.5 नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल एवं निर्धारण योग्य योजनाओं की सूची निम्नानुसार :–

- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
- आजीविका/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (ग्रामीण विकास मंत्रालय)
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय)
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन)श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
- प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण (वित्तीय सेवाएं विभाग)
- इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (ग्रामीण विकास मंत्रालय)

वर्ष 2014–15 (सितम्बर, 2014 तक) के दौरान, इन योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियां नीचे दर्शायी गई हैं –

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबंधित मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वास्तविक)
1-	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
(i)	निर्मित प्राथमिक स्कूलों की संख्या	104
(ii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की संख्या	3630
2.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत सहायता प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार। ग्रमीण विकास मंत्रालय (31.12.2014 तक)	2,33,220
3.	आजीविका/एनआरएलएम	
(i)	सामाजिक संचालन योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिए गए स्व–सहायता समूहों की संख्या	7256
(ii)	परिक्रामी निधि उपलब्ध कराए गए स्व–सहायता समूहों की संख्या	2479
(iii)	सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराए गए स्व–सहायता समूहों की संख्या	718
(iv)	आजीविका कौशल योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	5196
4.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थी – आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए)	

(i) शहरी स्व–रोजगार कार्यक्रम के तहत वैयक्तिक उद्यम (यूएसईपी):

- वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदत्त अल्पसंख्यक शहरी गरीबों की कुल संख्या : 689
- अल्पसंख्यक समुदायों हेतु समुदाय–वार पृथकीकृत आकड़े (स्व–सहायता समूहों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों हेतु कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय की उपलब्धि का प्रतिशतः

(क) मुस्लिम : 51.44%
(ख) सिक्ख : 1.81%
(ग) ईसाई : 45.11%
(घ) बौद्ध : 1.43%
(ङ) पारसी : 0.11%
(च) जैन : 0.08%

(ii) शहरी गरीबों म0ें रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप)

- वास्तविकः 6372
- अल्पसंख्यक समुदायों हेतु समुदाय–वार पृथकीकृत आंकड़े (स्टेप–अप के अंतर्गत) अल्पसंख्यकों हेतु कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय की उपलब्धि का प्रतिशत :

(क) मुस्लिम : 41.18%
(ख) सिक्ख : 0.11%
(ग) ईसाई : 58.58%
(घ) बौद्ध : 0.11%
(ङ) पारसी : 0%
(च) जैन : 0%

(iii) कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की प्लेसमेंटः 1346

(iv) निर्मित स्व–सहायता समूहों में व्यक्तियों की संख्याः 2897

वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक) उन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि जिनमें वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैंः

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (करोड़ में)
1.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) : ग्रामीण विकास मंत्रालय (31.12.2014 तक)	500.05
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में उन्नत किया जाना : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (31.12.2014 तक)	1.62
3.	प्राथमिक श्रेत्र ऋण : वित्तीय सेवाएं विभाग (संचयी उपलब्धि)	2,48,761.84

कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण में से अल्पसंख्यकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के प्रतिशत में वर्ष 2007–08 में 10.6% से 30.09.2014 तक 15.76% की सतत् वृद्धि हुई है। पीएसएल के अंतर्गत, 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक) अल्पसंख्यकों हेतु कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय की उपलब्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है:

(क)	मुस्लिम	:	44.07
(ख)	सिक्ख	:	21.59
(ग)	ईसाई	:	24.25
(घ)	बौद्ध	:	1.91
(ङ)	पारसी	:	2.80
(च)	जैन	:	5.38

22.6 वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गयी उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है, नीचे दर्शायी गयी हैं :–

क्रम सं0	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वित्तीय) (कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत)
1.	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी): आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए)	₹6253.81 करोड़ (संचयी) (17 शहर)
2.	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	₹2133.09 करोड़ (संचयी) (102 शहर)
3.	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी), शहरी विकास मंत्रालय (31.12.2014 तक संचित उपलब्धियां)	₹10,259.78 करोड़ (संचयी) (18 शहर)
4.	छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी), शहरी विकास मंत्रालय (31.12.2014 तक संचित उपलब्धियां)	₹2048.91 करोड़ (संचयी) (95 शहर)
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (डीडब्ल्यूएस)	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में 6403 आवासों को कवर करने हेतु कुल स्वीकृत ₹920.66 करोड़।

22.7 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों आदि ने 24,783 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है, जो की गई कुल भर्ती का 8.53% बनता है।

22.8 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2009 में, सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियों में लोक सभा से दो सांसद और राज्य सभा से एक सांसद को शामिल करने तथा राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के दो विधायकों को नामित करने की मंजूरी दी थी। तथापि, राज्य स्तरीय समिति में शामिल किए गए सदस्यों में लोक सभा के एक तथा विधान सभा के सदस्य को उन राज्यों के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले में से चुना हुआ होना चाहिए, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक सदस्य जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, के अलावा उस जिले के सभी संसद सदस्य और विधायक इस जिला स्तरीय समिति में शामिल किए जाएंगे।

अध्याय–23

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

23. भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े/जानकारी एकत्र करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कई निर्णय लिए और विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :–

23.1 वित्तीय सेवाएं विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक) 562 नई शाखाएं खोली गईं। दिनांक 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों (एमसीडी) में 19,681 बैंक शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2014 को संशोधित किया है। दिनांक 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार, ₹2,48,761.84 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 15.76% है।

(iii) प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शी समितियां (डीसीसी) अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित मॉनीटरिंग कर रही हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के 545191 खाते खोले गए तथा ₹4,557.52 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक) ऐसे क्षेत्रों में 5084 जागरूकता अभियान चलाए गए।

(vi) वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक) प्रमुख बैंकों ने अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में 1,839 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए और लाभार्थियों की संख्या 13,644 है तथा लाभार्थियों को ₹90.57 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया।

23.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई गई है, जो नीचे दर्शायी गई हैः–

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। अभी तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत 555 केजीबीवी में से 555 को शुरू कर दिया गया है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। शुरूआत से देश में स्वीकृत कुल 10,513 नए माध्यमिक स्कूलों में से 1,184 को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मंजूरी दी गई है और इनमें से 864 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक–एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। वर्ष 2013–14 के दौरान, 70 मॉडल कॉलेजों की राष्ट्रीय उपलब्धि की तुलना में, ₹61.40 करोड़ के व्यय से 23 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई है।

(घ) पालिटेक्निकों संबंधी सब–मिशन की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर 291 जिले वित्तीय सहायता हेतु लक्षित हैं, जिनमें से 55 जिलें अल्पसंख्यक बहुल जिले (एमसीडी) हैं। संचयी रूप से 2009 से 30.09.2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर 291 पालिटेक्निकों के लिए ₹2,113.69 करोड़ जारी किए गए थे, जिसमें से ₹336.78 करोड़ (कुल निर्मुक्त निधि का 16.07%) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के 55 पालिटेक्निकों हेतु जारी किए गए थे।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों की व्यवस्था करने को वरीयता दी जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान (सितम्बर, 2014 तक), ₹0.26 करोड़ के व्यय से 19 महिला छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

(च) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) की शुरूआत की गई थी। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने आदि जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल है। वर्ष 2013–14 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 14859 मदरसों तथा 35376 शिक्षकों की सहायता के लिए ₹182.73 करोड़ की राशि जारी की गई है। दूसरी योजना, जो सहायता–प्राप्त/सहायता–रहित अल्पसंख्यकों के निजी

संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, की भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरूआत की गई थी। वर्ष 2013–14 के दौरान, 229 संस्थानों की सहायता के लिए आईडीएमआई के अंतर्गत ₹24.99 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।

(छ) परिवर्ती उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण–पत्रों और अर्हताओं को तत्संबंधी राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण–पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड के समकक्ष माना जाएगा। वर्ष 2005 से 31.07.2013 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा देने वाले 8,419 प्रमाण–पत्र जारी किए हैं।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमियां स्थापित की गईं हैं। 11वीं योजना के दौरान, 5,092 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तीनों अकादमियों प्रत्येक को 4 करोड़ रु0 की राशि मंजूर की गई थी।

(झ) संशोधित योजना के तहत, ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है। वर्ष 2012–13 के दौरान, पंजाब सरकार को 42 उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए ₹1.38 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई थी। योजना में और संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार उर्दू शिक्षकों, जहां किसी कक्षा के 15 अथवा इससे अधिक छात्र इसका विकल्प लेते हैं, की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है, साक्षर भारत क्रियान्वित किया जा रहा है। साक्षर भारत के अंतर्गत, मुस्लिम बहुल आबादी वाले 88 जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया है।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, देश में मुस्लिम बहुल आबादी वाले 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत, 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यकों का कवरेज 12.31% की सीमा तक था। वर्ष 2013–14 के दौरान, 1,16,911 भर्तियों में से 14,065 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।

(ठ) वर्ष 2008–09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है तथा इसमें उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है। योजना के स्वतंत्र मूल्यांकन से पता चलता है कि योजना का सकारात्मक शैक्षणिक, पौषणिक एवं सामाजिक प्रभाव पड़ा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा – 2005 (एनसीएफ) के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। इक्कीस राज्यों ने एनसीएफ, 2005 के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि एक राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में है। दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनसीईआरटी सिलेबस का जबकि तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अपवर्जन और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत की है। यूजीसी ने 23 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 114 राज्य विश्वविद्यालयों, 12 मानद विश्वविद्यालयों तथा 2179 कॉलेजों में अल्पसंख्यक एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 2328 समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना की है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ₹46.07 करोड़ की निर्मुक्ति की।

23.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और कार्यों संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। विविधता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग का प्रारूप विधेयक विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया गया था और प्रारूप विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा 20.02.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। तथापि, क्योंकि मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात संसद स्थगित हो गई थी, उक्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। आम चुनाव–2014 के पश्चात केंद्र में नई सरकार आने के बाद समान अवसर आयोग के गठन संबंधी मंत्रिमंडल नोट के मसौदे को प्रस्ताव पर मंत्रालय/विभागों के विचार प्राप्त करने के लिए पुनः परिचालित किया गया था। अंतरमंत्रालयीन परामर्शन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भिन्न विचार/टिप्पणियां प्राप्त की गई थी और मामला मंत्रालय की जाचांधीन है।

(ख) वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा 1 नवम्बर, 2013 से वक्फ़ संशोधन अधिनियम, 2013 लागू हो गया है।

(ग) सरकार ने ₹500 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के साथ राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको) बनाया है। प्राधिकृत शेयर पूंजी में अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का 49%, केन्द्रीय वक़्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) का 9% तथा निजी वक़्फ संस्थानों तथा सार्वजनिक का 42% अंशदान होगा।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को "सिद्धान्ततः" स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया था। फर्म ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसकी मंत्रालय में जांच की गई। सचिव (अ0 का0) तथा आरबीआई, नाबार्ड के अधिकारियों को मिलाकर गठित समिति ने एनएमडीएफसी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिनांक 11.07.2013 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और उनकी सिफारिशों के आधार पर एसबीआई–सीएपीएस को एनएमडीएफसी के लिए एक व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए मंत्रालय की सहायता करने के लिए रखा गया था। अंतिम मॉडल जिसके अनुसार एनएमडीएफसी को एक नोडल बैंक के साथ ब्याज छुट के लिए टाई अप करना था को ईएफसी द्वारा दिनांक 22.04.2014 को अनुमोदित किया गया था। मंत्रिमंडल नोट को मंत्रिमंडल सचिवालय को मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.07.2014 को भेजा गया था। नोट पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रतिक्षित है।

(ङ) अल्पसंख्यक बहुल अभिज्ञात 338 नगरों के विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। अंतरमंत्रालयीन कार्य दल ने निम्नलिखित व्यापक अनुशंसाएं कीं :–

(1) शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य अवसंरचना में पता लगाई गई कमियों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है।

(2) मूलभूत सुविधाओं में पता लगाई गई कमियों को शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है।

(3) वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण का प्रतिशत वर्ष 2010 तक बढ़ाकर 15% किया जाना है। मंत्रालयों/विभागों को समुचित सलाह दी गई थी।

(च) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः – पहली से दसवीं कक्षा के लिए **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना,** 11वीं से पीएच0डी तक की शिक्षा के लिए **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** और पूर्व–स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना** शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत, वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसम्बर, 2014 तक) 87.85 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹1739.55 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई। इसके अलावा, एमफिल

तथा पीएच0डी शोधकर्ताओं हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना नामक अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वयनाधीन है। एमएएनएफ हेतु 756 नए अभ्यर्थियों का चुनाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रक्रियाधीन है।

(छ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत, वर्ष 2014–15 के दौरान (30.09.2014 तक) 1423 गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु ₹185.96 करोड़ सहायता अनुदान दिया गया है और कक्षा–XI और XII की मेधावी छात्राओं को ₹162.61 करोड़ के व्यय की 137318 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

(ज) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2014–15 के लिए 7000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य के लिए ₹23.48 करोड़ का व्यय वहन करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 6314 छात्रों/अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता दी गयी है।

(झ) वर्ष 2008–09 में 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की शुरुआत की गई। 11वीं योजना के दौरान, ₹3734 करोड़ के केंद्रीय शेयर से 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की योजनाएं अनुमोदित की गईं तथा 2935.30 करोड़ रु0 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2012–13 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु ₹1109.74 करोड़ रु0 की जिला योजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा ₹641.26 करोड़ रु0 निर्मुक्त किए गए हैं।

सरकार ने 12वीं योजना के दौरान, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पुनर्गठन को अनुमोदित किया है। योजना की ईकाई को बदलकर जिलों के बजाए ब्लॉकों/नगरों/गांवों के समूह को बना दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 710 ब्लॉकों तथा 66 नगरों को कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान, ₹1466.98 करोड़ की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया तथा 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹952.80 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है। वर्ष 2014–15 में (दिसम्बर, 2014 तक) 669.17 करोड़ रु0 का अनुमोदन दिया गया है और 756.81 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं।

23.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक–धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न समाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है। जनसंख्या संबंधी 100 से ज्यादा तालिकाएं (जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।

23.5 योजना आयोग :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग

में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया था। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने तीन कार्य समूहों का सृजन किया। तीनों कार्य समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन रिपोर्टों के आधार पर एएमए ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। एएमए की सिफारिशें मंत्रालय में जाचांधीन है। आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल 30.06.2014 को समाप्त हो गया है।

(ख) कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद (पीएमएनसीएसडी), योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड (एनएसडीसीबी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को शामिल करते हुए केंद्रीय स्तर पर मई, 2013 तक कौशल विकास हेतु एक त्रि–स्तरीय संस्थागत संरचना कार्य कर रही थी। तथापि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार पीएमएनसीएसडी, एनएसडीसीबी तथा कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) में मिला लिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है तथा इसे अन्य बातों के अलावा, सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास संबंधी प्रयासों में ताल मेल बिठाने और उनका समन्वयन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि 12वीं योजना तथा इसके पश्चात के कौशल संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके तथा सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक एवं आर्थिक विभाजन को दूर किया जा सके।

23.6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु एक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए गए हैं। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तैनाती करें।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तैनाती करने संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करते हुए अनुदेश जारी किए हैं। प्रत्युत्तर में, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित परिपत्र जारी किए गए हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में 24783 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है, जो की गई कुल भर्तियों का 8.53% बनता है।

23.7 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामियों के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार परिसीमन अधिनियम पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया गया था तथा इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित किया गया, जिसे तदनंतर परिसीमन अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ख) दिनांक 05.12.2005 को देश में साम्प्रदायिक हिंसा के सभी पहलुओं और मुद्दों का निपटान करने के लिए राज्य सभा में "साम्प्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षक वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। राज्य सभा में विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए नोटिस दिए गए थे तथापि, इन अवसरों पर विधेयक को विचार के लिए नहीं उठाया जा सका। परिणामस्वरूप, साम्प्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2013 शीर्षकयुक्त एक नया विधेयक तैयार किया गया था। उक्त विधेयक को 16.12.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 17.12.2013 को नोटिस भेजा गया था किंतु उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सका। साम्प्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2014 शीर्षकयुक्त विधेयक को संसद के शीत सत्र में पुरःस्थापित करने के लिए दिनांक 21.01.2014 को राज्य सभा में दुबारा नोटिस दिया गया। तथापि, दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार–विमर्श के उपरांत, इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया गया। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों की पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षयुक्त विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, 05.02.2014 को वापस ले लिया गया है।

28.8 शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय :

(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), शहरी अवसंरचना एवं गवर्नेंस (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवायें (बीएसयूपी) के तहत निधियों के प्रवाह को कारगर बनाने हेतु अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों और शहरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों।

(क) यूआईजी के अंतर्गत, 31.12.2014 तक अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 18 शहरों के लिए ₹10259.78 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(ख) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत, 31.12.2014 तक अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 95 नगरों के लिए ₹2048.91 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(ग) आईएचएसडीपी के अंतर्गत, 30.09.2014 तक अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 102 नगरों के लिए ₹2133.09 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(घ) बी0 एस0 यू0 पी0 के अंतर्गत, 30.09.2014 तक 17 नगरों के लिए ₹6253.81 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(ii) आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडूचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरूणाचल प्रदेश, दमन दीव और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ संपत्ति नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में आरसीए नहीं है– मणिपुर, ओडिशा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।

23.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ–साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है।

23.10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाली वक्फ संपत्तियों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वक्फ़ संपत्तियां, जो केंद्र द्वारा संरक्षित हैं, की सूची तैयार की गई है और इसे संबंधित प्राधिकारियों को अपने–अपने राज्य वक्फ़ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए परिचालित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय एएसआई के अंतर्गत, वक्फ़ों की सूची की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वक्फ़ परिषद के साथ नियमित बैठक कर रहा है। ऐसी विगत बैठक दिनांक 15.10.2014 को आयोजित की गई।

23.11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

23.12 पंचायती राज मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय :

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि निम्ननिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैंः आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमन दीव, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने सूचित किया है कि द्वीप समूह में किसी भी समुदाय को धार्मिक अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा परिषद में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले सदस्य शामिल हैं, जिन्हें निगम चुनाव की सामान्य प्रक्रिया के तहत चुना गया है। अरूणाचल प्रदेश में उल्लेख किया है कि उसका यह मत है कि पूरे राज्य में विभिन्न जनजातीय समूहों का वास है, जिनमें से कुछ शायद अलग पंथ में धर्मांतरित हो गए हैं। तथापि, वे अनुसूचित जनजाति के लाभ और सामाजिक अधिकारों का लाभ उठाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने उल्लेख किया है कि राज्य में आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसकी जनसांख्यिकीय रूपरेखा आंध्र प्रदेश से भिन्न है। गोवा में यूएलबी में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हिमाचल प्रदेश के निगम की कार्रवाईयों में कोई व्यवस्था नहीं है।

पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल के आधार पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपेक्षित एडवाइजरी जारी की है।

23.13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फिल्म–चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन फिल्म–चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

23.14 अमिताभ कुंडु समिति की रिपोर्टः

23.14.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रो0 अमिताभ कुंडु, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 05.08.2013 को मुख्यतः भारत सरकार द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा नीतियों और कार्यक्रमों में हस्तक्षेप और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.10.2014 को प्रस्तुत कर दी है।

23.14.2 रिपोर्ट की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि समिति की सिफारिशें व्यापक रूप से अन्य मंत्रालयों/विभागों की नीतियों और कार्यक्रमों को भी कवर करती हैं और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार भी इन सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित हैं। तद्नुसार, सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों और नीति आयोग को समिति की सिफारिशों पर अपने विचार/टिप्पणियां देने का आग्रह किया गया है। विचार/टिप्पणियां प्रतिक्षित हैं।

अध्याय–24

जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग

24.1 मंत्रालय ने वर्ष 2012–13 से अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास के लिए एक नई योजना ''नई रोशनी'' का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं और उसी गांव/मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदायों के उनके पड़ोसियों को सरकारी तंत्रों, बैंकों और सभी स्तर पर मध्यस्थों के साथ संपर्क करने के साधन, तकनीकें और जानकारी उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास की भावना भरना और उन्हें सशक्त बनाना है। नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूलों में अनिवार्य रूप से संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अतर्गत महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, आजीविका आदि से संबंधित मुद्दों और महिला अधिकारों, और दुकान, पेय–जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, साफ–सफाई, आवास, स्व–रोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण अवसर, महिलओं के प्रति अपराध आदि के क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसरों, सुविधाओं और सेवाओं को कवर किया गया है। यह योजना गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान, मंत्रालय का लक्ष्य 15 करोड़ रुपए की राशि के साथ 40,000 महिलओं को प्रशिक्षित करने का है। दिनांक 31/03/2014 तक, 24 राज्यों में 60,875 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 11.96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, मंत्रालय ने 12.52 करोड़ रु0 की राशि के साथ 26 राज्यों में 68225 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की है।

24.2 देश में अल्पसंख्यकों के बीच महिलाएं सबसे कमजोर वर्ग हैं, इस तथ्य के आलोक में एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लघु वित्तपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को अनौपचारिक ढंग से गैर–सरकारी संगठनों/स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित करता है। एनएमडीएफसी ने शुरू से लेकर 31/3/2014 तक 5,73,095 लाभार्थियों को 706.22 करोड़ रु0 का लघु ऋण उपलब्ध कराया है, जिसमें से लगभग 90% लाभार्थी महिलाएं हैं।

24.3 महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना नामक एक विशेष योजना है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद सूक्ष्म ऋण से जोड़ा जाता है। इस योजना के तहत, महिलाओं को छह माह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1,00,000/– रुपए तक का लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

अध्याय–25

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

25.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, इस मंत्रालय ने सभी आवश्यक सूचना अर्थात् मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्त्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज आदि को आम जनता की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर अपलोड किया है। इसमें, मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

25.2 बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप में अपलोड कर दिया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं और उसे मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि पूर्ण हुए और चल रहे कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होता है। मंत्रालय ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित हेल्प लाइन भी है।

25.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौदह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और आठ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। वर्ष 2014–15 में (31 जनवरी, 2015 तक) आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 821 आरटीआई आवेदन और 50 अपीलें (ऑनलाइन सहित) प्राप्त हुईं थीं। आरटीआई आवेदनों और अपीलों से संबंधित स्थिति की तिमाही रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयुक्त की वेबसाइट पर भी नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।

25.4 केंद्रीय सचिवालय के निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक दर्शाते हुए एक स्क्रीन शॉट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत सभी दायित्व केंद्रों (आरसी) को उनके वेबसाइट पर सीपीग्राम्स लिंक दिए गए हैं। सभी आरसीएस को यूजर आईडी कोड और पासवर्ड आवंटित किए गए हैं तथा मंत्रालय सीपीग्राम्स लिंकों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में आरसीएस से संबंधित शिकायतें अग्रेषित करता है। वर्ष 2013–14 के दौरान, कुल 361 (90 अग्रेनीत सहित) शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 320 शिकायतों का विधिवत समाधान कर दिया गया था।

अध्याय–26

शासकीय लेखापरीक्षा

26.1 महालेखा परीक्षक (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली के कार्यालय से मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मांग संख्या 68– अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंध में पांच मसौदा पैरे अभिमत के लिए प्राप्त हुए थे। मौजूदा स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:–

क्रम सं0	लेखापरीक्षा पैरा	की गयी कार्रवाई
1	100 करोड़ रु0 अथवा अधिक की बचत	मंत्रालय का अभिमत महालेखा परीक्षक (केंद्रीय व्यय) को उनकी ओर से और समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
2	उप–शीर्ष के अंतर्गत 100 करोड़ रु0 अथवा अधिक की बचत	
3	वर्ष की समाप्ति पर बचत का अभ्यर्पण	
4	संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न किया जाना	
5	100 करोड़ रु0 अथवा अधिक की सतत बचत	

अध्याय–27

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पिछले तीन माह में अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई

27.1 मंत्रालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के सभी अधिकारियों तथा स्टॉफ को 02 अक्तूबर, 2014 **(अनुलग्नक–**XXI) का शपथ लेने के लिए कहा गया था। शपथ 02 अक्तूबर, 2014 को दिलाई गई थी। उनसे 02 अक्तूबर, 2014 से सफाई अभियान शुरू करने का अनुरोध किया गया था। तद्नुसार, यह अभियान 02 अक्तूबर, 2014 से मंत्रालय के सभी कार्यालयों में शुरू हो गया है और चल रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद जैसे अधीनस्थ कार्यालयों ने 02 अक्तूबर, 2014 को आयोजित स्वच्छ भारत मिशन के अवसर पर चलाए गए क्रियाकलाप के बारे में फोटोग्राफ के साथ अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

27.2 मंत्रालय ने फाइलों/कागजों की छंटाई का कार्य शुरू किया था और आदिनांक 1700 पुरानी फाइलों और गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों के 1840 अस्वीकृत प्रस्ताव की छंटाई कर दी गई है। मंत्रालय में पड़े फर्नीचर, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक मदों जैसी पुरानी तथा अप्रयुक्त वस्तुओं का निपटान कर दिया गया है। सभी शौचालयों का नवीनीकरण किया गया है। इससे मंत्रालय में स्वच्छ और स्वस्थ कार्य माहौल बना है।

27.3 माननीया मंत्री (अ0का0) और माननीय राज्य मंत्री (अ0का0) के क्रमशः 11वें तल और प्रथम तल, पर्यावरण भवन में स्थित कार्यालयों में पौधें रखे गए हैं। प्रथम तल, पर्यावरण भवन में माननीय राज्य मंत्री (अ0का0) के कार्यालय और गलियारे में क्षतिग्रस्थ वर्टिकल ब्लाइंड्स प्रतिस्थापित किए गए हैं। सीढ़ियों सहित कॉमन क्षेत्र की सफाई की जाती है। इससे मंत्रालय में एक अच्छा सुरूचिपूर्ण कार्य माहौल सृजित हुआ है।

27.4 स्वच्छता अभियान के रूप में माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने 07 अक्तूबर, 2014 को अभियान के कारगर क्रियान्वयन हेतु एक व्यापक कार्य योजना के लिए सीजीओ परिसर में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ एक बैठक की। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया उनमें यह था कि पूराने/बेकार वाहनों की एक बड़ी संख्या सीजीओ परिसर में स्थायी तौर पर पार्क की गई है, जो पार्किंग स्थान पर कब्जा बनाए हुए हैं तथा इससे परिसर में स्वच्छ और स्वस्थ माहौल बनाए रखने में और साथ ही दैनिक आधार पर वाहनों की पार्किंग में बाधा उत्पन्न हो रही है। समुचित यातायात प्रबंधन पर भी विचार–विमर्श किया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा संबंधित विभागों से भवनों और परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया गया।

27.5 माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में 07 अक्तूबर, 2014 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सीजीओ परिसर में पार्क किए गए पुराने/बेकार वाहनों का निपटान किया जाए/हटाया जाए। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से स्वच्छता अभियान में और सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया थाः–

(i) कार्यालय परिसरों का समुचित रख–रखाव और साफ–सफाई।

(ii) बगीचों का अच्छी तरह से रख–रखाव किया जाए। बागवानी पर ध्यान दिया जाए।

(iii) मंत्रालयों/विभागों को अप्रयुक्त वस्तुओं यथा अलमारी, कुर्सी, मेज, फाइल/कागज, सीढ़ियों अथवा कॉमन क्षेत्रों में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इनसे आग की जोखिम का खतरा भी बना रहता है।

(iv) लगातार जल आपूर्ति के साथ शौचालय का समुचित रख–रखाव किया जाए।

27.5.1 इस संबंध में, माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने भी सीजीओ परिसर के भीतर समुचित यातायात प्रबंधन के लिए माननीय गृह मंत्री को दिनांक 09 सितम्बर, 2014 को एक अ0शा0 पत्र लिखा है।

27.6 हाउसकीपिंग, तलों पर पोंछा लगाने का कार्य पहले ही निजी एजेंसियों से आउटर्सोस रूप में कराया जा रहा है और कार्य में काफी हद तक गुणात्मक सुधार आया है।

27.7 इस मंत्रालय का बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है उसका उद्देश्य चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना सृजित करके और अल्पसंख्यकों की जीवन गुणवता को उन्नत बनाने के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके विकास की कमियों का समाधान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 02 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किए जाने के पश्चात, निम्नलिखित कार्रवाईयों की गई हैंः–

(i) पेयजल के साथ साफ–सफाई सुविधाएं सभी स्कूल भवनों, कॉलेजों, छात्रावासों, आईटीआई, पोलीटेक्निकों और ऐसी अन्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए मुहैया कराई जाएंगी। यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अलग शौचालयों के परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो उनकी भी व्यवस्था की जाएगी।

(ii) इस वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा 7 डिग्री कॉलेज, 76 स्कूल भवन, 64 छात्रावास, 27 आईटीआई, 1 पोलीटेक्निक अनुमोदित किए गए हैं और सभी भवनों में सफाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा, जल सुविधा के साथ 33 शौचालय उन स्कूलों के लिए अलग से अनुमोदित किए गए हैं, जहां इसकी आवश्यकता थी।

(iii) इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान अनुरोध किया गया है कि अवसंरचना हेतु परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते समय, साफ–सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

27.8 स्वच्छ भारत मिशन के आलोक में उपर्युक्त सभी कदमों का आने वाले वर्षों में और अधिक जोड़दार ढ़ंग से अनुगमन किया जाएगा।

अध्याय–28

परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

28.1 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन में की गयी घोषणा के अनुसरण में, प्रधानमंत्री ने 11 सितम्बर, 2009 को सरकारी विभागों के लिए निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा का अनुमोदन कर दिया था।

इस प्रणाली के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि वह सरकार द्वारा समय–समय पर संसूचित घोषणा, कार्यसूची, राष्ट्रपति के संबोधन, संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार करे। इस मंत्रालय ने 30 नवम्बर, 2009 को वर्ष 2009–10 के लिए अपना प्रथम आरएफडी तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए "सरकार की घटती क्वांटिटी" से "सरकार की बढ़ती गुणवत्ता" में अंतरण की दिशा में इस कार्य की शुरूआत थी।

28.2 वर्ष 2013–14 के लिए मंत्रालय का नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर, जो 'सेवोत्तम' हेतु अनुवर्ती एवं अनिवार्य आवश्यकता है, तैयार कर लिया गया तथा और 29 मई, 2014 को मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 के लिए मंत्रालय का आरएफडी भी मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

28.3 मंत्रिमंडल सचिवालय में निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक वाले एक स्क्रीन शॉट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अनुलग्नक–I

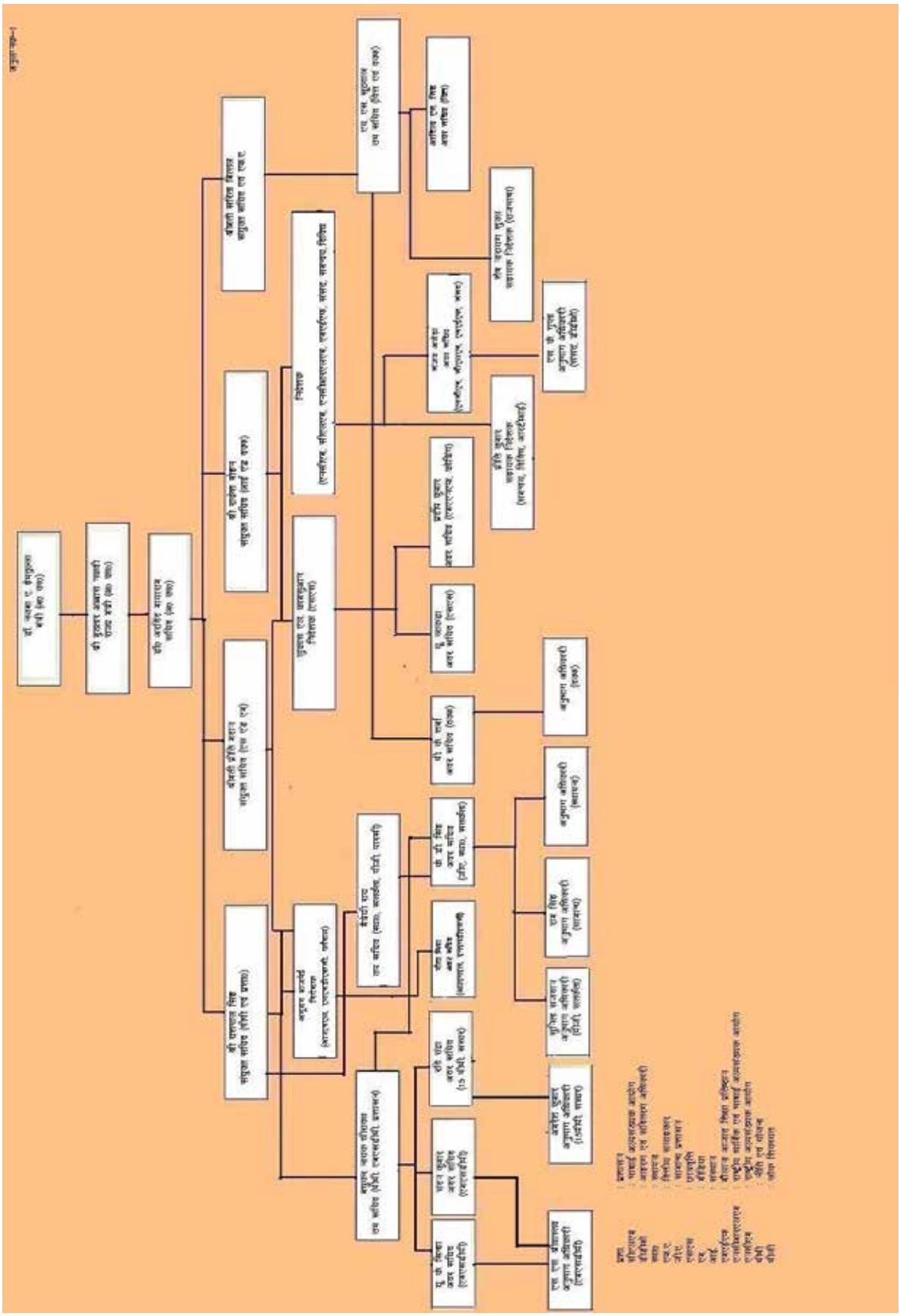

अनुलग्नक–II

31.01.2015 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदधारिता विवरण

क्र. सं	पद वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव/₹80,000/– निर्धारित/ ग्रुप 'ए'	01	01	00
2.	संयुक्त सचिव/ग्रे.वे. ₹10000/– ग्रुप 'ए'	03	03	00
3.	निदेशक/उप सचिव/ग्रे.वे. ₹8700/–/7600/ ग्रुप 'ए'	07	06	01
4.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. 7600/–	01	00	01
5.	अवर सचिव/ग्रे.वे. ₹6600/–/ग्रुप 'ए'	10	10	00
6.	सहायक निदेशक/ग्रे.वे. ₹5400/–/ ग्रुप 'ए'	03	01	02
7.	अनुसंधान अधिकारी/ग्रे.वे. ₹5400/–/ ग्रुप 'ए'	01	00	01
8.	सहायक निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. ₹5400/–/ ग्रुप 'बी'	01	01	00
9.	अनुभाग अधिकारी/ग्रे.वे. ₹4,800/–/ ग्रुप 'बी'	08	05	03
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ग्रे.वे. ₹7600/– ग्रेड 'ए'	01	01	00
11.	प्रधान निजी सचिव ग्रे.वे. ₹6600/–	03	02	01
12.	सहायक/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	10	06	04
13.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	02	02
14	वरिष्ठ अन्वेषक/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	00	04
15.	लेखाकार/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	00	01
16.	निजी सचिव/ग्रे.वे. ₹4800/–/ ग्रुप 'बी'	04	04	00
17.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी'/पीए ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	07	06	01
18.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	00
19.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	03	02	01
20.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'/ग्रे.वे. ₹2400/–/ ग्रुप 'सी'	05	03	02
21.	उच्च श्रेणी लिपिक/ग्रे.वे. ₹2400/–/ ग्रुप 'सी'	01	00	01
22.	स्टाफ कार चालक/ग्रे.वे. ₹1900/–/ ग्रुप 'सी'	02	02	00
23	एमटीएस ग्रेड/ग्रे.वे. ₹1800/–/ ग्रुप 'डी'	14	09	05
24	सहायक निदेशक (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹5400/– ग्रुप 'बी'	01	00	01
25.	वरिष्ठ अनुवादक (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	00
26.	टाइपिस्ट (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹1900/–/ ग्रुप 'सी'	01	00	01
योग :		**98**	**66**	**32**

अनुलग्नक–III

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) परिव्यय, वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के योजना/कार्यक्रम–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	बारहवीं योजना परिव्यय	बजट अनुमान 2014–15	संशोधित अनुमान 2014–15	वास्तविक व्यय 31.12.2014 तक
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	500.00	113.00	113.00	113.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	120.00	25.00	31.67	23.42
3.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	600.00	120.00	30.00	0.00
4.	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	220.00	45.00	32.75	21.63
5.	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	10.00	2.00	2.00	1.38
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	75.00	14.00	14.00	11.58
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	430.00	50.00	1.00	0.09
8.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	17.00	3.00	3.00	3.00
9.	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में आर्थिक सहायता	10.00	4.00	3.50	3.50
10.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	10.00	2.00	0.50	0.32
11.	कौशल विकास संबंधी पहलें	60.00	35.00	46.23	34.68

12.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	18.00	4.00	2.50	1.80
13.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	35.00	7.00	4.00	3.54
14.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	1580.00	335.00	350.00	222.84
15.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5788.00*	1250.00	770.94	754.45
16.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	5000.00	1100.00	1130.00	1040.23
17.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2850.00	598.50	598.50	56.54
18.	मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता योजना		2.00	0.01	0.00
19.	विकास हेतु कौशलों का उन्नयन तथा पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण (उस्ताद)			0.50	0.00
20.	हमारी धरोहर			5.00	0.00
21.	सचिवालय (सूचना प्रौद्योगिकी)		1.50	0.90	0.40
सकल योग (क+ख)		**17323.00**	**3711.00**	**3140.00**	**2292.40**

* (i) *पिछड़ों के रूप में चिन्हित 251 ऐसे नगरों/शहरों में से 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन की योजना* (ii) *एमसीबी/एमसीडी द्वारा अनाच्छादित गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम* (iii) *एमसीडी में जिला स्तर के संस्थान को सहायता और* (iv) *9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साईकिल जिन्हें एमएसडीपी के साथ आमेलित कर दिया गया है, के लिए आबंटन सहित।*

अनुलग्नक–IV

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) – 11वीं योजना हेतु अनुमोदन

31.12.2014 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई रिपोर्टो के अनुसार वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

लाख रु0 में

क्रम सं.	राज्य	आबंटन	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी की गई निधि
1	उत्तर प्रदेश	101570.00	100300.85	79012.30
2	पश्चिम बंगाल	68610.00	68579.68	61139.52
3	असम	70350.00	69275.35	46892.62
4	बिहार	52320.00	52280.58	40563.07
5	मणिपुर	13910.00	13912.58	12043.01
6	हरियाणा	4920.00	4919.90	4187.89
7	झारखंड	18140.00	17997.54	13944.70
8	उत्तराखंड	5950.00	5227.77	3235.84
9	महाराष्ट्र	6000.00	5993.93	5671.69
10	कर्नाटक	3990.00	3914.40	3793.15
11	अंडमान एवं निकोबार	1500.00	1242.85	68.25
12	ओडिशा	3130.00	3129.92	2562.21
13	मेघालय	3050.00	3047.65	3047.65
14	केरल	1500.00	1500.00	1462.92
15	मिजोरम	4590.00	3895.33	2724.93
16	जम्मू एवं कश्मीर	1500.00	1506.21	1349.61
17	दिल्ली	2210.00	2191.15	1099.73
18	मध्य प्रदेश	1500.00	1493.30	1398.30
19	सिक्किम	1500.00	1268.59	1100.02
20	अरूणाचल प्रदेश	11800.0	11711.70	8232.15
	योग	**378040.00**	**373389.28**	**293529.56**

अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) - 11वीं योजना हेतु अनुमोदन
31.12.2014 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई रिपोर्टो के अनुसार वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य		इंदिरा आवास योजना	कुल स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केंद्र	हैंडपम्प/ पेयजल सुविधा	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	स्कूल भवन	शिक्षण सहायता	प्रयोगशाला उपकरण	आईटीआई भवन	पोलीटेक्नीक	स्कूल में पेयजल एवं शौचालय	सोलर लालटेन/ सोलर प्रकाश	छात्रावास	विविध
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	84480	870	9336	12510	667	61	0	2	32	19	1578	0	12	0
		यू.सी.	74353	636	7700	9946	498	23	0	0	7	1	826	0	2	0
		डब्ल्यूआईपी	2871	59	1154	496	108	37	0	0	25	18	38	0	9	0
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	37532	743	7007	6529	6401	41	40	60	6	3	66	5000	39	0
		यू.सी.	37398	733	6925	6529	5526	34	40	60	2	0	20	5000	27	0
		डब्ल्यूआईपी	134	10	122	0	757	7	0	0	4	3	46	0	12	0
3	असम	यू.एस.	89836	133	2077	11195	3557	0	16	50	15	1	294	9905	38	0
		यू.सी.	43662	80	588	3463	636	0	0	0	0	0	144	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	13168	3	620	330	849	0	0	0	2	0	4	0	13	0
4	बिहार	यू.एस.	35657	249	4835	2533	2056	92	0	53	3	2	1360	14285	41	3
		यू.सी.	14702	97	1374	1746	1044	56	0	37	1	0	404	7515	10	0
		डब्ल्यूआईपी	16606	101	1030	787	474	32	0	4	1	1	75	3761	18	0
5	मणिपुर	यू.एस.	5940	152	75	679	0	375	0	0	1	0	0	0	35	1
		यू.सी.	5940	70	60	422	0	199	0	0	0	0	0	0	1	0
		डब्ल्यूआईपी	0	82	15	224	0	176	0	0	1	0	0	0	11	1
6	हरियाणा	यू.एस.	2000	6	142	0	183	8	0	0	1	0	0	0	0	0
		यू.सी.	2000	0	90	0	123	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	6	0	19	32	8	0	1	0	0	0	0	0	0

7	झारखंड	यू.एस.	9215	237	1335	0	28	0	1	0	8	2	0	1124	8	0
		यू.सी.	8764	173	1008	0	3	0	1	0	1	0	0	973	0	0
		डब्ल्यूआईपी	450	46	236	0	0	0	0	0	3	1	0	151	8	0
8	उत्तराखंड	यू.एस.	0	24	455	914	69	2	0	0	1	2	17	0	0	0
		यू.सी.	0	0	411	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	19	44	11	68	2	0	0	1	2	17	0	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	11670	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		यू.सी.	10471	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	1028	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
10	कर्नाटक	यू.एस.	4400	36	366	0	50	0	0	0	0	0	0	0	30	0
		यू.सी.	3479	24	277	0	47	0	0	0	0	0	0	0	12	0
		डब्ल्यूआईपी	237	15	89	0	4	0	0	0	0	0	0	0	18	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	35	0	0	0	25	0	1	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	11	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	15	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.	5740	15	151	0	11	0	0	0	2	0	64	0	0	0
		यू.सी.	4960	4	144	0	11	0	0	0	0	0	42	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	780	11	7	0	0	0	0	0	2	0	22	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.	5000	0	81	1301	54	1	0	0	0	0	0	0	5	0
		यू.सी.	5000	0	70	1301	51	1	0	0	0	0	0	0	5	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	केरल	यू.एस.	0	10	0	3	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		यू.सी.	0	10	0	3	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	मिजोरम	यू.एस.	2758	23	221	24	37	17	0	0	0	0	0	0	9	0
		यू.सी.	2236	16	158	0	36	17	0	0	0	0	0	0	5	0
		डब्ल्यूआईपी	0	1	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	0	40	82	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	2	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	0	35	61	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	दिल्ली	यू.एस.	0	5	0	2	80	2	0	0	1	0	17	0	0	0
		यू.सी.	0	2	0	2	80	2	0	0	0	0	10	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	1000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	750	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19	सिक्किम	यू.एस.	250	1	56	4	22	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यूआईपी	250	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	अरूणाचल प्रदेश	यू.एस.	5743	33	557	0	240	49	10	10	0	0	2	0	107	0
		यू.सी.	4359	15	452	0	195	35	5	10	0	0	2	0	23	0
		डब्ल्यूआईपी	1384	18	105	0	43	14	5	0	0	0	0	0	82	0
	योग	**यू.एस.**	**301221**	**2537**	**27595**	**35776**	**13508**	**660**	**92**	**175**	**72**	**31**	**3398**	**30314**	**334**	**4**
		यू.सी.	**217324**	**1860**	**19705**	**24030**	**8298**	**373**	**58**	**107**	**11**	**2**	**1448**	**13488**	**85**	**0**
		डब्ल्यूआईपी	**37658**	**373**	**3736**	**1947**	**2352**	**277**	**18**	**5**	**40**	**25**	**202**	**3912**	**176**	**1**

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर।

विविध : (आईडब्ल्यूडीपी)- एकीकृत जल विकास परियोजना, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) उपागमन सड़क,

अनुलग्नक–VI

12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)
31.12.2014 तक वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

लाख रु0 में

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी की गई निधि
1	उत्तर प्रदेश	88988.62	62320.22
2	पश्चिम बंगाल	113673.28	93268.01
3	असम	2237.73	4740.67
4	बिहार	41793.38	23483.34
5	मणिपुर	1854.39	2987.67
6	हरियाणा	2513.45	1905.17
7	झारखंड	7567.27	5137.05
8	उत्तराखंड	3815.17	3175.21
9	महाराष्ट्र	2829.73	1737.10
10	कर्नाटक	7614.34	3826.93
11	अंडमान एवं निकोबार	0.00	315.30
12	ओडिशा	4606.19	2543.41
13	मेघालय	2127.76	1590.88
14	केरल	3193.42	1640.78
15	मिजोरम	1396.21	1752.43
16	जम्मू एवं कश्मीर	646.72	323.36
17	दिल्ली	235.38	676.37
18	मध्य प्रदेश	503.09	346.54
19	सिक्किम	2040.63	1108.18
20	अरूणाचल प्रदेश	12741.21	9313.87
21	आंध्र प्रदेश	5304.30	2648.17
22	तेलंगाना	1512.72	756.57
23	त्रिपुरा	6914.25	4215.88
24	पंजाब	2143.17	1085.81
25	राजस्थान	6301.60	3159.11
26	गुजरात	0.00	0.00
27	छत्तीसगढ़	2009.46	1004.74
	योग	**324563.46**	**235062.75**

12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी)
31.12.2014 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त की गई रिपोर्टों के अनुसार वास्तविक प्रगति रिपोर्ट

क्रम सं.	राज्य		शिक्षा									साइबर ग्राम के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता	कौशल विकास			स्वास्थ्य अवसंरचना	आंगनवाड़ी केंद्र	पंयजल सुविधा		पक्का मकान	आय सृजक अवसंरचना	विविध
			डीग्री कॉलेज	स्कूल भवन	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	छात्रावास	स्कूल में कम्प्यूटर	प्रयोगशाला उपकरण	स्कूल में पेयजल एवं शौचालय	शिक्षण सहायता	बालिकाओं हेतु निःशुलक साईकिल		आईटीआई भवन	पोलीटेक्नीक	कौशल प्रशिक्षण	कुल स्वास्थ्य	आंगनवाड़ी केंद्र	हैंडपम्प	पेयजल सुविधा	इंदिरा आवास योजना		
1	उत्तर प्रदेश	यू.एस.	7	160	469	18	110	10	1850	272	0	0	21	5	39255	181	1754	8613	110	574	0	2
		यू.सी.	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175	5	191	3837	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	23	154	7	0	0	0	0	0	0	17	4	307	49	202	381	11	0	0	0
2	पश्चिम बंगाल	यू.एस.	0	67	3327	174	389	0	696	10	0	170005	34	5	63720	193	4087	1150	8100	18186	50	2367
		यू.सी.	0	3	279	12	373	0	37	0	0	0	0	0	0	9	542	105	2221	1049	6	0
		डब्ल्यू आईपी	0	5	2742	116	16	0	464	0	0	0	16	4	0	133	3044	1045	2333	16955	39	235
3	असम	यू.एस.	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	13	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	यू.एस.	0	130	1047	18	0	0	26	0	0	0	0	1	0	448	72	0	8	5630	0	1
		यू.सी.	0	0	111	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
5	मणिपुर	यू.एस.	0	50	163	13	0	0	0	0	764	0	0	0	0	39	0	0	0	910	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्य आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	हरियाणा	यू.एस.	0	1	60	5	0	12	0	0	0	0	1	1	0	20	142	0	178	0	0	1
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	झारखंड	यू.एस.	0	1	229	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	19	229	0	6	1195	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	0	0	200	0	0
8	उत्तराखंड	यू.एस.	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	576	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	महाराष्ट्र	यू.एस.	0	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	यू.एस.	0	29	188	42	0	0	59	0	0	0	0	0	7810	9	0	0	50	1500	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ओडिशा	यू.एस.	0	0	183	5	10	1	0	0	0	0	0	0	2850	18	145	1	34	4297	4	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मेघालय	यू.एस.	0	1	34	7	0	0	400	0	2154	0	0	0	0	22	21	563	580	849	0	0
		यू.सी.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	563	400	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

14	केरल	यू.एस.	0	4	152	0	0	0	0	0	1807	0	0	0	0	19	0	0	16	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मिजोरम	यू.एस.	0	15	43	0	60	0	12	0	0	0	2	0	0	4	17	0	1	0	1	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0
16	जम्मू एवं कश्मीर	यू.एस.	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	50	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	दिल्ली	यू.एस.	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		यू.सी.	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	यू.एस.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	4
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	सिक्किम	यू.एस.	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	252	0	2
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	अरुणाचल प्रदेश	यू.एस.	0	23	279	75	0	4	80	0	0	0	0	0	0	19	89	0	516	1692	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	आंध्र प्रदेश	यू.एस.	0	15	121	13	0	0	0	0	2700	0	3	0	7125	2	20	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	तेलंगाना	यू.एस.	0	4	133	34	0	0	5	27	700	0	0	0	4225	9	50	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	त्रिपुरा	यू.एस.	1	6	178	5	90	0	0	0	2735	0	0	0	0	17	0	0	215	393	0	1
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	1	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	44	165	0	0
24	पंजाब	यू.एस.	0	0	73	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	10	198	0	0	23	1	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	राजस्थान	यू.एस.	1	6	90	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	53	62	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	गुजरात	यू.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	छत्तीसगढ़	यू.एस.	0	0	257	3	203	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	65	0	0	0
		यू.सी.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		डब्ल्यू आईपी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	**यू.एस.**	**12**	**520**	**7070**	**449**	**881**	**27**	**3130**	**313**	**10860**	**170005**	**72**	**14**	**124985**	**1265**	**6970**	**11841**	**9892**	**35501**	**56**	**2381**
		यू.सी.	**0**	**3**	**419**	**21**	**373**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1175**	**39**	**746**	**4505**	**2621**	**1049**	**6**	**0**
		डब्ल्यू आईपी	**0**	**29**	**3319**	**132**	**16**	**0**	**464**	**0**	**0**	**0**	**36**	**8**	**307**	**221**	**3268**	**1426**	**2388**	**17320**	**39**	**235**

यू.एस.: संस्वीकृत यूनिट, यू.सी.: पूर्ण की गई यूनिट, डब्ल्यूआईपी: कार्य प्रगति पर

विविध : (आईडब्ल्यूडीपी)- एकीकृत जल विकास परियोजना, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी), उपागमन सड़क,

अनुलग्नक-VIII

वर्ष 2014-15 (31.12.2014 तक) के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और समुदाय-वार वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		जैन		पारसी		योग		पुरुष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	आंध्र प्रदेश	108232	124338	18309	6698	480	22	496	2	648	8	13	1	**128178**	**131069**	55937	75132	57ण्32	**28ण्15**
2	तेलंगाना		170115		5570		233		227		15		18		**176178**	72733	103445	58ण्72	**48ण्03**
3	अरूणाचल प्रदेश	320		3134		29		2216		3		14		**5716**	**0**			रुक्प्टध्0!	
4	असम	127504		15283		349		790		371		13		**144310**	**0**			रुक्प्टध्0!	**24ण्91**
5	बिहार'	212516	121687	823	1148	322	28	292	20	249	0	13	0	**214215**	**122883**	111776	11107	9ण्04	
6	छत्तीसगढ़	6345	15231	6212	1786	1078	2222	1011	453	869	261	14	0	**15529**	**19953**	9422	10531	52ण्78	**6ण्61**
7	गोवा	1428	455	5570	2679	15	0	10	0	13	0	86	0	**7122**	**3134**	1335	1799	57ण्40	**0ण्20**
8	गुजरात	71147	342869	4401	3121	706	779	276	523	8137	5843	97	35	**84764**	**353170**	155454	197716	55ण्98	**52ण्78**
9	हरियाणा	18944		421		18134		111		886		14		**38510**	**0**			रुक्प्टध्0!	
10	हिमाचल प्रदेश	1851		119		1121		1175		22		13		**4301**	**0**			रुक्प्टध्0!	**0ण्78**
11	जम्मू और कश्मीर	105283	214413	314	0	3209	0	1763	0	39	0	13	0	**110621**	**214413**	106624	107789	50ण्27	**43ण्36**
12	झारखंड	57726	24529	16937	3812	1291	121	92	0	253	2	13	1	**76312**	**28465**	13302	15163	53ण्27	**9ण्46**
13	कर्नाटक	100120	392212	15633	35728	237	339	6093	645	6392	6392	14	53	**128489**	**435369**	205979	229390	52ण्69	**63ण्85**
14	केरल	121705	509881	93808	335339	43	98	31	42	70	70	13	35	**215670**	**845465**	385471	459994	54ण्41	**85ण्39**
15	मध्य प्रदेश	59457		2639		2336		3243		8449		15		**76139**	**0**			रुक्प्टध्0!	
16	महाराष्ट्र	159023	471195	16394	9818	3336	3991	90411	212426	20167	19818	375	648	**289706**	**717896**	348440	369456	51ण्46	**75ण्16**
17	मणिपुर	2958	5303	11426	13986	26	0	30	75	23	0	13	0	**14476**	**19364**	9768	9596	49ण्56	**6ण्66**
18	मेघालय	1536		25234		48		73		12		13		**26916**	**0**			रुक्प्टध्0!	

19	**मिजोरम**	156	162	11971	75052	5	0	1092	3351	3	0	13	0	**13240**	**78565**	38438	40127	51ᵐ07	**28ᵐ03**
20	**नागालैंड**	545	355	27735	42464	18	13	21	4	32	0	13	0	**28364**	**42836**	21051	21785	50ᵐ86	**13ᵐ75**
21	**ओडिशा**	11804	28830	13909	10538	271	15	153	140	142	87	13	0	**26292**	**39610**	15210	24400	61ᵐ60	**3ᵐ12**
22	**पंजाब**	5918		4536		225948		643		608		13		**237666**	**0**			रुक्प्टध्0!	**43ᵐ87**
23	**राजस्थान**	74172	214953	1126	273	12678	33550	160	17	10077	4639	15	1	**98228**	**253433**	128312	125121	49ᵐ37	**44ᵐ98**
24	**सिक्किम**	119	0	559	1061	18	0	2355	3382	3	0	13	0	**3067**	**4443**	2311	2132	47ᵐ99	**1ᵐ11**
25	**तमिलनाडु**	53763	180131	58559	200902	148	5	84	7	1291	331	14	0	**113859**	**381376**	200920	180456	47ᵐ32	**66ᵐ29**
26	**त्रिपुरा**	3942	9178	1588	6	18	0	1532	9	7	0	13	0	**7100**	**9193**	4133	5060	55ᵐ04	**2ᵐ27**
27	**उत्तर प्रदेश**	475990	838366	3290	335	10504	6481	4679	1276	3208	291	13	8	**497684**	**846757**	450859	395898	46ᵐ75	**153ᵐ71**
28	**उत्तराखंड**	15679	48151	420	362	3284	5532	193	0	143	6	13	0	**19732**	**54051**	29468	24583	45ᵐ48	**9ᵐ25**
29	**पश्चिम बंगाल**	313442	1661221	7980	19072	1028	1137	3770	8589	855	14	13	6	**327088**	**1690039**	800250	889789	52ᵐ65	**225ᵐ31**
30	**अंडमान एवं निकोबार**	453	459	1196	337	25	5	7	0	0	0	13	0	**1694**	**801**	341	460	57ᵐ43	**0ᵐ12**
31	**चंडीगढ़**	551	1398	118	178	2249	1735	21	4	40	4	13	0	**2992**	**3319**	1689	1630	49ᵐ11	**0ᵐ38**
32	**दादर एवं नगर हेवली**	101		94		2		7		13		8		**225**	**0**			रुक्प्टध्0!	
33	**दमन एवं द्वीव**	190	726	52	2	2	0	2	0	4	0	65	0	**315**	**728**	125	603	82ᵐ83	**0ᵐ23**
34	**दिल्ली**	25150		2019		8607		367		2403		14		**38560**	**0**			रुक्प्टध्0!	**2ᵐ35**
35	**लक्षद्वीप**	897		8		1		1		1		12		**920**	**0**			रुक्प्टध्0!	
36	**पुदुचेरी**	920		1049		2		1		15		13		**2000**	**0**			रुक्प्टध्0!	
योग		**2139887**	**5376158**	**372866**	**770267**	**297568**	**56306**	**123201**	**231192**	**65448**	**37781**	**1030**	**806**	**3000000**	**6472510**	**3169348**	**3303162**	**51ᵐ03**	**1040ᵐ11**

* *पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की तुलना में समायोजन*

अनुलग्नक–IX

वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक आबंटन	छात्रवृत्तियों की संख्या			संस्वीकृत धनराशि (करोड़ रु0 में)
			नई (क)	नवीकरण (ख)	योग (क+ख)	
1	आंध्र प्रदेश	21363	3772	602	**4374**	**2.95**
2	तेलंगाना				**0**	
3	अरूणाचल प्रदेश	950			**0**	
4	असम	24077	19523	1350	**20873**	**14.87**
5	बिहार	35712		869	**869**	**0.59**
6	छत्तीसगढ़	2589	1317	160	**1477**	**0.78**
7	गोवा	1187	60	9	**69**	**0.04**
8	गुजरात	14127		36	**36**	**0.09**
9	हरियाणा	6417			**0**	
10	हिमाचल प्रदेश	718			**0**	
11	जम्मू और कश्मीर	18429			**0**	
12	झारखंड	12730			**0**	
13	कर्नाटक	21414			**0**	
14	केरल	35965	756	8942	**9698**	**2.56**
15	मध्य प्रदेश	12697		573	**573**	**0.40**
16	महाराष्ट्र	48302			**0**	
17	मणिपुर	2412	4309	349	**4658**	**3.59**
18	मेघालय	4486			**0**	
19	मिजोरम	2206			**0**	
20	नागालैंड	4726			**0**	

21	**ओडिशा**	4381	1861	244	**2105**	**1.32**
22	**पंजाब**	39627	32098		**32098**	**16.71**
23	**राजस्थान**	16371	13919	2914	**16833**	**11.41**
24	**सिक्किम**	511			**0**	
25	**तमिलनाडु**	18989			**0**	
26	**त्रिपुरा**	1183		38	**38**	**0.02**
27	**उत्तर प्रदेश**	82882			**0**	
28	**उत्तराखंड**	3288	966	54	**1020**	**0.67**
29	**पश्चिम बंगाल**	54501			**0**	
30	**अंडमान एवं निकोबार**	282			**0**	
31	**चंडीगढ़**	499	162	17	**179**	**0.09**
32	**दादर एवं नगर हेवली**	37			**0**	
33	**दमन एवं द्वीव**	53			**0**	
34	**दिल्ली**	6425	442	60	**502**	**0.33**
35	**लक्षद्वीप**	132			**0**	
36	**पुडूचेरी**	332	104		**104**	**0.07**
	योग	**500000**	**79289**	**16217**	**95506**	**56.46**

अनुलग्नक–X

वर्ष 2014–15 (31.12.2014 तक) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक आबंटन	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या			संस्वीकृत धनराशि (करोड़ रु0 में)
			नई (क)	नवीकरण (ख)	योग (क+ख)	
1	आंध्र प्रदेश	2564	196	269	465	1.33
2	तेलंगाना		773	400	1173	3.16
3	अरूणाचल प्रदेश	115	0	0	0	0.00
4	असम	2889	2190	1497	3687	10.93
5	बिहार	4284	3959	4934	8893	25.17
6	छत्तीसगढ़	310	222	161	383	1.08
7	गोवा	145	86	41	127	0.32
8	गुजरात	1697	1440	881	2321	5.72
9	हरियाणा	770	491	275	766	1.98
10	हिमाचल प्रदेश	85	60	0	60	0.18
11	जम्मू और कश्मीर	2211	0	1420	1420	4.14
12	झारखंड	1528	836	639	1475	4.32
13	कर्नाटक	2570	3554	2810	6364	16.25
14	केरल	4316	7421	10911	18332	51.64
15	मध्य प्रदेश	1524	978	215	1193	3.58
16	महाराष्ट्र	5797	2746	0	2746	7.49
17	मणिपुर	290	220	169	389	1.45
18	मेघालय	538	0	0	0	0.00
19	मिजोरम	264	0	0	0	0.00

20	नागालैंड	567	501	0	501	1.68
21	ओडिशा	525	279	0	279	0.70
22	पंजाब	4752	4263	1926	6189	18.81
23	राजस्थान	1965	1611	0	1611	4.10
24	सिक्किम	60	0	0	0	0.00
25	तमिलनाडु	2279	0	7	7	0.00
26	त्रिपुरा	142	62	0	62	0.21
27	उत्तर प्रदेश	9948	8878	1240	10118	26.95
28	उत्तराखंड	395	279	97	376	1.01
29	पश्चिम बंगाल	6541	5068	5381	10449	28.77
30	अंडमान एवं निकोबार	33	0	0	0	0.00
31	चंडीगढ़	60	26	0	26	0.07
32	दादर एवं नगर हेवली	4	0	0	0	0.00
33	दमन एवं द्वीव	6	0	0	0	0.00
34	दिल्ली	770	380	301	681	1.74
35	लक्षद्वीप	17	0	0	0	0.00
36	पुदुचेरी	39	33	6	39	0.09
	योग	**60000**	**46552**	**33580**	**80132**	**222.84**

अनुलग्नक–XI

"नई रोशनी" के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार वित्तपोषित संगठनों और महिला प्रशिक्षणार्थियों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला प्रशिक्षणार्थियों की सं.	जारी की गई धनराशि (रु0 में)	जारी की गई धनराशि की दूसरी किस्त (रु0 में)	जारी की गई धनराशि की तीसरी किस्त (रु0 में)
1	आंध्र प्रदेश	475	679725	486540	0
2	तेलंगाना	225	321975	0	0
3	असम	3450	4936950	286200	0
4	बिहार	4275	6117525	143100	0
5	छत्तीसगढ़	225	321975	0	0
6	गुजरात	1525	2182275	59927	0
7	हरियाणा	600	858600	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	250	357750	0	0
9	जम्मू और कश्मीर	350	500850	143100	0
10	झारखंड	725	1037475	171720	0
11	कर्नाटक	1250	1788750	0	64395
12	केरल	700	1001700	0	0
13	मध्य प्रदेश	8400	12020400	675859	85860
14	महाराष्ट्र	1950	2790450	0	0
15	मणिपुर	1700	2432700	143100	0
16	नागालैंड	450	643950	0	0
17	ओडिशा	575	822825	286200	57240
18	पंजाब	350	500850	0	0
19	राजस्थान	6000	8586000	336198	214650
20	सिक्किम	225	321975	0	0
21	तमिलनाडु	375	536625	346343	0
22	त्रिपुरा	225	321975	0	0
23	उत्तर प्रदेश	28375	40604625	12772299	2185675
24	उत्तराखंड	2125	3040875	143100	
25	पश्चिम बंगाल	1650	2361150	0	0
26	दिल्ली	1775	2540025	214650	0
	योग	**68225**	**97629975**	**16208336**	**2607820**
	व्यावसायिक सेवाएं	**839043**			
	सकल योग		**117285174**		

अनुलग्नक-XII

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य-वार एवं एनजीओ-वार विभिन्न किस्तों की निर्मुक्ति

क्रम सं.	राज्य का नाम	संगठन का नाम	जिला	महिला प्रशिक्षणार्थियों की सं0	वर्ष 2014-15 की प्रथम किस्त (रु0 में)	वर्ष 2012-13 की दूसरी किस्त (रु0 में)	वर्ष 2013-14 की तीसरी किस्त (रु0 में)	तीसरी किस्त (रु0 में)
1	आंध्र प्रदेश	रूरल एंड येनवायरमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी (आरईडीएस)	अनंतपुरम	225	321975			
2	आंध्र प्रदेश	गोवथामी फाउंडेशन	प्रकाशम			171720		
3	असम	एटा–भोवकमरी सोसाइटी डेवलपमेंट एसोसिएशन	ठंतचमजं	225	321975			
4	असम	डाउन टाउन चेरिटी ट्रस्ट	नालबरी एवं कामरूप	300	429300			
5	असम	अंकन एकादमी	कामरूप, अमीनगांव	225	321975			
6	असम	जालुगुटी अगरागमी महिला समिति	मोरीगांव	225	321975			
7	असम	आदर्श समाज कल्याण समिति	नागांव	225	321975	71550		
8	असम	दृष्टि फाउंडेशन	नागांव	225	321975			
9	असम	मरकजुल मारिफ	नागांव	225	321975			
10	असम	ग्लोबल हेल्थ इम्मुनाइजेशन एंड पॉपुलेशन कन्ट्रोल ऑरगेनाईजेशन	नागांव	225	321975			
11	असम	ग्लोबल हेल्थ एंड एडुकेशन सेंटर	नागांव	225	321975			
12	असम	ग्रामीण विकास अभियान	नागांव	225	321975			
13	असम	ब्रहमपुत्र वेल्ली शिक्षिता निबोनुआ प्रोगति गुष्ठि	नागांव	225	321975			
14	असम	ग्राम विकास परिषद्	नागांव	300	429300			
15	असम	ग्राम युवा जगराता समिति	नागांव	225	321975			

16	बिहार	धुमरेजनी विकास समिति	पश्चिम चंपारण	225	321975			
17	बिहार	भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति	अररिया	300	429300			
18	बिहार	विवेकानंद पर्यावरण एवम आरोग्य मिशन	समस्तीपुर	300	429300		143100	
19	बिहार	हरिशचंद्र सेवा सदन	दरभंगा	300	429300			
20	बिहार	नव चेतना विकास केंद्र	मोतिहारी	300	429300			
21	बिहार	नारी कल्याण संस्थान	इस्ट चंपारण मोतिहारी	300	429300			
22	बिहार	विशाल जन उत्थान केंद्र	इस्ट चंपारण मोतिहारी	300	429300			
23	बिहार	सत्यभमा धंतबया चिकित्सा केंद्र, पटना	अररिया	300	429300			
24	बिहार	लिच्छवी	दरभंगा	300	429300			
25	बिहार	इस्रकों सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी	भोजपुर (आरा)	300	429300			
26	बिहार	सिग्मा डेवलपमेंट सोसाइटी	भोजपुर (आरा)	300	429300			
27	बिहार	श्री नारायण बबुनी फाउंडेशन	किशनगंज	225	321975			
28	बिहार	आदिवासी विकास समिति	पश्चिम चंपारण	225	321975			
29	बिहार	चाणक्य फाउंडेशन	समस्तीपुर	300	429300			
30	बिहार	करूणा	पश्चिम चंपारण	300	429300			
31	छत्तीसगढ़	समरपीत	बिलासपुर	225	321975			
32	दिल्ली	जहानवी	शाहदरा (दिल्ली), गाजियाबाद (उ0प्र0)	225	321975			
33	दिल्ली	ग्रोपियस सोशल वेल्फेयर सोसाइटी	बिजनोर	300	429300			
34	दिल्ली	इंडियन मेडिसीन डेवलॉपमेंट सोसाइटी	सेन्ट्रल दिल्ली एंड गाजियाबाद (यूपी)	300	429300			

35	दिल्ली	फेडिरेशन ऑफ इंडियन वोमन इन्टरप्रेनियरस	नार्थ वेस्ट दिल्ली	225	321975			
36	दिल्ली	लुबंनी एजुकेशनल एंड सोसल एडवांसमेंट सोसाइटी	नार्थ इस्ट दिल्ली	225	321975			
37	गुजरात	रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन	आनंद	225	321975			
38	गुजरात	श्री गुजरात फाउंडेशन ट्रस्ट	सुरत	225	321975			
39	गुजरात	कायरा सोशल सर्विस सोसाइटी	गांधीनगर एंड आनंद	300	429300			
40	गुजरात	जन कल्याण सेवा समिति	गांधीनगर	225	321975			
41	गुजरात	ब्रह्म समाज सेवा ट्रस्ट	कुत्च	300	429300			
42	हरियाणा	ग्रामीण युवा विकास मंडल	कैथल	225	321975			
43	जम्मू एवं कश्मीर	ह्यूमन वेलफेयर ऑरगनाइजेशन	श्रीनगर एंड कुपवारा	225	321975		143100	
44	झारखंड	सोसाइटी फोर एनवायरमेंट एंड सोसल अवेयरनेश	पलामू	300	429300			
45	झारखंड	फूलिन महिला चेतना विकास केंद्र	देवगढ़	300	429300		171720	
46	कर्नाटक	स्पूर्ति	दवानगिरी	225	321975			
47	कर्नाटक	ममता मक्काला मंदिरा	बेंगलुरू	225	321975			64395
48	कर्नाटक	परिवर्तन रूरल डेवलॉपमेंट सोसाइटी	शिमोगा	225	321975			
49	कर्नाटक	सहयोग	बिदर	225	321975			
50	कर्नाटक	अमरेश्वर ग्रामीण अभिवरूदी शिक्षण मत्तु कल्याण संस्थी	कोप्पल	225	321975			
51	केरल	वयानंद डेवलॉपमेंट सोसाइटी	वयानंद	225	321975			
52	केरल	मलाबर सोशल डेवलॉपमेंट सोसाइटी	कन्नुर	225	321975			

53	मध्य प्रदेश	अभिनव मानव कल्याण समिति	हरदा	225	321975			
54	मध्य प्रदेश	एआईएसईसीटी (ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी	सतना	300	429300			
55	मध्य प्रदेश	अंबिका शिक्षा समाज कल्याण समिति	भोपाल	225	321975			
56	मध्य प्रदेश	अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी	सतना	225	321975			
57	मध्य प्रदेश	अर्पण वेलफेयर सोसाइटी	रायसेन	225	321975			
58	मध्य प्रदेश	आशुतोष समाज कल्याण कारी समिति	शिहोर	225	321975			
59	मध्य प्रदेश	बी॰एम॰ एजुकेशन सोसाइटी	भोपाल	225	321975			
60	मध्य प्रदेश	बंधेवल शिक्षा समिति	राजगढ़	225	321975			
61	मध्य प्रदेश	भागिनी निवेदिता शिक्षा समिति	भोपाल	225	321975			
62	मध्य प्रदेश	सेन्टर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉफ परफॉरमेंस	भोपाल	225	321975			
63	मध्य प्रदेश	फैसिलिटेशन एंड अवयेरनेस ऑफ कम्यूनीटी फोर एम्पावरमेंट एफएसीई / रेवा	सिधि और रेवा	225	321975		143100	
64	मध्य प्रदेश	गायत्री महिला एवं बाल कल्याण तथा शिक्षा प्रसार समिति / मोरेना	सियोनी	225	321975			
65	मध्य प्रदेश	हयुमन वेलफेयर ऑरगनाइजेशन	भोपाल	225	321975			
66	मध्य प्रदेश	जिज्ञासा समाजिक संस्थान	भोपाल	225	321975			
67	मध्य प्रदेश	कादम्बिनी शिक्षा एवम समाज कल्याण समिति	शिहोर	225	321975			
68	मध्य प्रदेश	मानव सेवा कल्याण संस्थान	देवास	225	321975			
69	मध्य प्रदेश	मानव सेवा कल्याण संस्थान	भोपाल	225	321975			

70	मध्य प्रदेश	नेटिव एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट डेवलपिंग सोसाइटी, भोपाल	भोपाल	225	321975			
71	मध्य प्रदेश	नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट एंड कॉमन वेल्थ (एनआरएमसीडब्ल्यू)	जबलपुर, भोपाल एंड रायसीन	225	321975			
72	मध्य प्रदेश	पुष्पम मुंशी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	भिंड	225	321975			
73	मध्य प्रदेश	रामश्री शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	ग्वालियर	225	321975			
74	मध्य प्रदेश	समाधान समाज सेवा संगठन	भोपाल एंड विदिशा	225	321975			
75	मध्य प्रदेश	समर्पण समाज कल्याण समिति	देवास	225	321975			
76	मध्य प्रदेश	शाबरी समाज सेवा समिति	बहिंद	225	321975			
77	मध्य प्रदेश	शिखर सोशल वेल्फेयर ऑरगेनाईजेशन	भोपाल	225	321975			
78	मध्य प्रदेश	शिव कल्याण एवं शिक्षा समिति	भोपाल	225	321975			
79	मध्य प्रदेश	श्री कृष्ण ग्रामोथान विकास समिति	मोरेना	225	321975		143100	
80	मध्य प्रदेश	सोसाइटी फोर एजुकेशन एंड टेक्नीकल ट्रेनिंग	शिवपुरी	225	321975			
81	मध्य प्रदेश	सुमन शिक्षा समाज कलयाण समिति	ग्वालियर	225	321975			
82	मध्य प्रदेश	दी 5 डायमेंशन एकादमी	खंडवा	225	321975			
83	मध्य प्रदेश	उद्यान समिति	इंदौर	225	321975			
84	मध्य प्रदेश	विज्यासन देवी मंडल	सिहोर	225	321975		143100	
85	महाराष्ट्र	ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट (जीएसएमटी)	यवतमल	225	321975			
86	महाराष्ट्र	ज्ञानसागर एजुकेशन एंड सोसल वेलफेयर सोसाइटी	परभनी	225	321975			
87	महाराष्ट्र	अलकामा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	धुले	225	321975			

88	महाराष्ट्र	हर्शल ग्रामीण बहु संस्था	चंद्रपुर	225	321975			
89	महाराष्ट्र	सोशल एक्शन फॉर मैनपावर क्रिएशन	पुणे	225	321975			
90	महाराष्ट्र	एसएएसआरसी मल्टीपरपोस सोसाइटी	नागपुर	225	321975			
91	महाराष्ट्र	गोपी मेमोरियल प्रतिष्ठान	हिंगोली	225	321975			
92	मणिपुर	संगाई फाउंडेशन	इम्फाल वेस्ट	225	321975		143100	
93	मणिपुर	सेंटर फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस (सीआरयूएस)	चुराचंद्रपुर	225	321975			
94	मणिपुर	वोमनस इनकम जेनिरेशन सेंटर	चुराचंद्रपुर	225	321975			
95	मणिपुर	दि रूरल डेवलॉपमेंट एसोसिएशन	इम्फाल इस्ट	225	321975			
96	मणिपुर	सोशल रिफॉरमेशन एंड डेवलॉपमेंट ऑरगनाइजेशन	इम्फाल इस्ट	225	321975			
97	मणिपुर	इंटिग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलॉपमेंट सोसाइटी	इम्फाल इस्ट	225	321975			
98	मणिपुर	इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल ऑरगनाइजेशन (आईआरडीईओ)	थौबल	225	321975			
99	नागालैंड	डेवलॉपमेंट एसोसिएशन ऑफ नागालैंड	दिमापुर	225	321975			
100	नागालैंड	स्कूल ऑफ सौशल वर्क	दिमापुर	225	321975			
101	ओडिशा	जन जागरण केंद्र	ढेंकनाल	225	321975			
102	ओडिशा	सुप्राटिवा	कटक	225	321975		143100	
103	पंजाब	रामेश्वर वेलफेयर ट्रस्ट, लुधियाना	लुधियाना	225	321975			
104	राजस्थान	अमरपाली प्रशिक्षण संस्थान	टोंक एंड बूंदी	225	321975			
105	राजस्थान	आर्य नगर महिला समिति, बेतुल	सिहोर	225	321975			

106	राजस्थान	भाग्यश्री संस्थान	भरतपुर	225	321975			
107	राजस्थान	सेंटर फॉर कम्यूनिटी एकॉनोमिक एंड डेवलपमेंट कंसलटेंट सोसायटी	टोंक	300	429300			
108	राजस्थान	गुरू कृपा लोक सेवा संस्थान	सिकर	225	321975		123930	
109	राजस्थान	झुनझुनु जिला पर्यावरण सुधार समिति	सिकर	225	321975			
110	राजस्थान	महिला मंडल बारमेर अगोर (एमएमबीए)	नगौर	225	321975			
111	राजस्थान	नवजीवन सोसाइटी	जयपुर	225	321975			
112	राजस्थान	पंत शिक्षा समिति	भरतपुर, सिकर एंड ६ गौसा	225	321975		143100	
113	राजस्थान	पायनियर अकादमी शिक्षण संस्थान	उदयपुर, राजसमंद, चित्तौरगढ़ एंड दुंगारपुर	225	321975			
114	राजस्थान	प्रेरणा संस्थान	बारमेर	225	321975			
115	राजस्थान	आर. के. संस्थान	अलवर	225	321975			35775
116	राजस्थान	रनथमबोर सेवा संस्थान	धौसा	225	321975			
117	राजस्थान	रोयाल ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	जयपुर	225	321975			
118	राजस्थान	सवेरा संस्थान बारमेर	बारमेर	225	321975			
119				225	321975			
120	राजस्थान	श्री कृष्णा संस्थान	बारमेर	225	321975			
121	राजस्थान	सृजन संस्थान	सिरोही, भरतपुर, राजसमंद, अलवर, धौसा	225	321975			178875
122	राजस्थान	स्टुडेंटस रिलीफ सोसाइटी	चित्तौरगढ़	225	321975			

123	राजस्थान	सम दृष्टि एजुकेशन सोसाइटी	षसिकर (राज0), गाजियाबाद एंड मुजफ्फर– नगर (यूपी)	300	429300			
124	राजस्थान	ट्राई संस्थान सुंदरी	धौसा	225	321975			
125	सिक्किम	भविष्य एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी	गंगटोक	225	321975			
126	त्रिपुरा	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति	अगरतला	225	321975			
127	तेलंगाना	गोवथामी फाउंडेशन	खम्माम	225	321975			
128	उत्तर प्रदेश	आचर्य जी महा समिति	महाराजगंज	225	321975		143100	
129	उत्तर प्रदेश	आदर्श जन कल्याण एवम शिक्षा समिति	लखनऊ	225	321975			
130	उत्तर प्रदेश	आधारशीला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान	बाराबंकी और लखनऊ	225	321975			
131	उत्तर प्रदेश	अल्लामा इक्बाल एजुकेशनल सोसाइटी	आगरा	225	321975	143100	143100	121635
132	उत्तर प्रदेश	अमर शहीद परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह	शाहजहांपुर	225	321975			
133	उत्तर प्रदेश	अंबेडकर शिक्षा समिति	लखनऊ	225	321975		143100	
134	उत्तर प्रदेश	अंचल वोमेंस वेल्फेयर सोसाइटी	लखनऊ	225	321975			
135	उत्तर प्रदेश	अंतर्राष्ट्रीय परिवार सेवा संस्थान,	खुशीनगर और महराजगंज	225	321975		143100	
136	उत्तर प्रदेश	अर्चना महिला कल्याण समिति	बाराबंकी	225	321975		143100	
137	उत्तर प्रदेश	अचार्य वेलफेयर फाउंडेशन	बाराबंकी	225	321975			
138	उत्तर प्रदेश	अवध कल्चरल सोसाइटी	बाराबंकी	225	321975			
139	उत्तर प्रदेश	बाल भारती	लेह	225	321975			
140	उत्तर प्रदेश	बंधाना फाउंडेशन	एटा	225	321975			

141	उत्तर प्रदेश	भारती ग्रामोत्थान सामाजिक विकास संस्थान	मुरादाबाद	225	321975			
142	उत्तर प्रदेश	भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान	मुजफ्फरनगर	225	321975			
143	उत्तर प्रदेश	भावना सेवा संस्थान	शाहजहांपुर	225	321975			
144	उत्तर प्रदेश	बीआईआरडी	लखनऊ	225	321975			
145	उत्तर प्रदेश	सेंटर फोर टेक्नॉलोजी एंड इंटरप्रेरनरशीप डेवलपमेंट (सीटीईडी)	बाराबंकी	225	321975			
146	उत्तर प्रदेश	चंद्रा ग्रामीण विकास संस्थान	प्रतापगढ़	225	321975			
147	उत्तर प्रदेश	दरगंज ग्रामद्योग विकास संस्थान	खुशामी और इलाहाबाद	225	321975			
148	उत्तर प्रदेश	दीन दयाल उपाध्याय वेलफेयर सोसाइटी	मुरादाबाद	225	321975			
149	उत्तर प्रदेश	देवहरी जन कल्याण सेवा समिति	आजमगढ़	225	321975			
150	उत्तर प्रदेश	डेवलपमेंट सर्विस इंटरनेशनल	गाजियाबाद	300	429300		143100	
151	उत्तर प्रदेश	एनलाइटिंग फ्यूचर	लखनऊ	225	321975			
152	उत्तर प्रदेश	फेयरडील ग्रामद्योग सेवा समिति	बाराबंकी	225	321975			
153	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद	खुशीनगर	225	321975			57240
154	उत्तर प्रदेश	ग्राम विकास समिति	महाराजगंज	225	321975			
155	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र	बाराबंकी एवं शाहजहांपुर	225	321975			
156	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण सेवा संस्थान	महाराजगंज	225	321975			
157	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान	लखिमपुर खीरी	225	321975			
158	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण विकास परिषद	महाराजगंज	225	321975			
159	उत्तर प्रदेश	ग्रामद्योग	खुशीनगर	225	321975			

160	उत्तर प्रदेश	ग्रम विकास संस्थान	लखीमपुर खीरी	225	321975		143100	
161	उत्तर प्रदेश	गुरूकुल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान	बाराबंकी एवं लखनऊ	225	321975			
162	उत्तर प्रदेश	जगत जगदीश जन कल्याण समिति	प्रतापगढ़	225	321975			
163	उत्तर प्रदेश	जन जागृति सेवा संस्थान	रायबरेली	225	321975			
164	उत्तर प्रदेश	जन कल्याण एवं विकास सति	लखीमपुर, खीरी और श्रावस्ती	225	321975			
165	उत्तर प्रदेश	जन सहयोग एवं विकास संस्थान	खुशीनगर	225	321975			
166	उत्तर प्रदेश	जवाहरलाल नेहरू सेवा संस्थान	कुशीनगर	225	321975			
167	उत्तर प्रदेश	कमला नेहरू सेवा सदन	श्रवास्ती	225	321975		143100	
168	उत्तर प्रदेश	कृषि विकास एवम मानव कल्याण संस्थान	प्रतापगढ़	225	321975			
169	उत्तर प्रदेश	मां पूर्णा जन कल्याण सेवा संस्थान	शाहजहांपुर एवं हरदोई	225	321975			
170	उत्तर प्रदेश	माश्रिता सेवा संस्थान	हरदोई	225	321975			
171	उत्तर प्रदेश	मदीहा एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी	रामपुर	225	321975			
172	उत्तर प्रदेश	महिला एवं बाल विकास संस्थान	महाराजगंज	225	321975			42930
173	उत्तर प्रदेश	मैत्रेयी साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था	इलाहाबाद	225	321975			
174	उत्तर प्रदेश	मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास संस्थान	कनौज	225	321975			
175	उत्तर प्रदेश	मानव सेवा समिति	शाहजहांपुर	225	321975			
176	उत्तर प्रदेश	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	लखनऊ	300	429300	1379250		357750
177	उत्तर प्रदेश	मातृभूमि विकास परिषद	इलाहाबाद	225	321975			

178	उत्तर प्रदेश	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी	महाराजगंज	225	321975			
179	उत्तर प्रदेश	नारी कल्याण सेवा संस्थान	खुशंबी और इलाहाबाद	225	321975		143100	
180	उत्तर प्रदेश	नव सृजन	कौशंबी	225	321975			
181	उत्तर प्रदेश	नवादा ग्रामद्योग विकास समिति	अमरोहा	225	321975		143100	
182	उत्तर प्रदेश	नेहरू सेवा आश्रम	शाहजहांपुर	225	321975			
183	उत्तर प्रदेश	नेहरू युवा चेतना केंद्र	खुशीनगर	225	321975			
184	उत्तर प्रदेश	न्यू रेनबो वेलफेयार सोसाइटी	बाराबंकी	225	321975			
185	उत्तर प्रदेश	निशार्ग	बाराबंकी	225	321975			
186	उत्तर प्रदेश	ओम शिव हरि मानव कल्याण समिति	फतेहपुर, बंदा और खुशीनगर	225	321975			
187	उत्तर प्रदेश	ओक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान	कनौज	225	321975			
188	उत्तर प्रदेश	पवन सेवा संस्थान	गोंडा	225	321975		142988	
189	उत्तर प्रदेश	पायोनिर फाउंडेशन	बाराबंकी और लखनऊ	300	429300		143100	293700
190	उत्तर प्रदेश	प्रगति जन कल्याण समिति	लखनऊ	225	321975			
191	उत्तर प्रदेश	प्रगति पथगामी	बाराबंकी	225	321975			
192	उत्तर प्रदेश	प्रेमा ग्राम विकास संस्थान	सीतापुर	225	321975	1379250		357750
193	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी	आजमगढ़	225	321975			
194	उत्तर प्रदेश	राहत फाउंडेशन	बाराबंकी और लखनऊ	225	321975		143100	
195	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय असहाय सेवा आश्रम परिषद	इलाहाबाद	225	321975			
196	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय सम उद्देशीय विकास संस्थान	मुजफ्फरनगर	225	321975			
197	उत्तर प्रदेश	रविन्द्रनाथ टैगोर ग्रामोथान एवं शिक्षा प्रसार संस्थान	हरदोई	225	321975			

198	उत्तर प्रदेश	राइट वेय सोसाइटी	बुलंदशहर	225	321975			
199	उत्तर प्रदेश	रिया जन कल्याण समिति	मुरादाबाद	225	321975			
200	उत्तर प्रदेश	स्क्रेड एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी	लखनऊ	225	321975		143100	
201	उत्तर प्रदेश	साकेत वूमन सोसल इफैक्ट क्राफ्ट विलेज इंस्टीट्यूट	आजमगढ़	225	321975			
202	उत्तर प्रदेश	संस्कृति विकास एवं साक्षरता सेवा संस्थान	लखनऊ	225	321975			
203	उत्तर प्रदेश	श्रसवती महिला शिल्कला प्रशिक्षण समिति	बाराबंकी	225	321975			
204	उत्तर प्रदेश	सौभाग्य श्री सहारा संस्थान	कौशंबी	225	321975			
205	उत्तर प्रदेश	शांति सर्वोदय संस्थान	गोंडा	225	321975		143100	
206	उत्तर प्रदेश	शांति शैक्षिक एवं सामाजिक कल्याण संस्थान	लखनऊ	300	429300			
207	उत्तर प्रदेश	शिवा औद्योगिक विकास सेवा संस्थान	देवरिया	225	321975	57240	143100	
208	उत्तर प्रदेश	शिवम ग्राम उत्थान सेवा संस्थान	आजमगढ़	225	321975			
209	उत्तर प्रदेश	श्री भोलानाथ सेवा संस्थान	श्रावस्ती	225	321975			
210	उत्तर प्रदेश	श्री हंस शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान	बाराबंकी	225	321975			
211	उत्तर प्रदेश	शुभम कल्याण समिति	बाराबंकी	225	321975			
212	उत्तर प्रदेश	सोसल अपलिफ्टमेंट थ्रू रिसर्च एक्टीविटी	देवरिया	225	321975			
213	उत्तर प्रदेश	सोसाइटी फोर कम्प्यूटर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट पद रूरल एरिया	बाराबंकी	300	429300			
214	उत्तर प्रदेश	सुमती फाउंडेशन	मुजफ्फरनगर	225	321975			

215	उत्तर प्रदेश	सपोर्ट फोर इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च (एसआईआर)	पीलीभीत और लखनऊ	225	321975			
216	उत्तर प्रदेश	सूर्य विकास समिति	लखनऊ और शाहजांपुर	225	321975		124200	
217	उत्तर प्रदेश	स्वजान शिक्षण संस्थान	फिरोजाबाद	225	321975			
218	उत्तर प्रदेश	स्वर्गीय भागवती शिक्षण संस्थान	देवरिया	225	321975			
219	उत्तर प्रदेश	स्वर्णीम संस्थान	लखनऊ और हरदोई	225	321975			
220	उत्तर प्रदेश	थारू जनजाति महिला विकास समिति	श्रावस्ती	225	321975			
221	उत्तर प्रदेश	त्रिवेनी ग्रामद्योग उत्थान समिति	इलाहाबाद	225	321975			
222	उत्तर प्रदेश	उपकार समिति	प्रतापगढ़	225	321975			
223	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम	अमरोहा, फतेहपुर, बाराबंकी, गोंडा, बिजनौर, मुरादाबाद और कन्नौज	225	321975			
224	उत्तर प्रदेश	वर्धवान वेफेयर सोसाइटी	लखनऊ	225	321975			
225	उत्तर प्रदेश	विनस विकास संस्थान	लखनऊ	225	321975			
226	उत्तर प्रदेश	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं ग्रामोद्योग प्रसार समिति	फतेहपुर, कौशम्बी	225	321975			
227	उत्तर प्रदेश	युवा कल्याण समिति	बाराबंकी एवं लखनऊ	225	321975		143100	
228	उत्तराखंड	हिमालय इंस्टीट्यूट फॉर रूरल अवेरकेनिंग	देहरादून और हरिद्वार	300	429300		143100	
229	उत्तराखंड	ग्रामीण क्षेत्र विकास समित	तिहरी गढ़वाल	225	321975			
230	उत्तराखंड	बाल कल्याण महिला विकास शिक्षा प्रचार प्रसार समिति	उद्धमसिंह नगर	225	321975			
231	उत्तराखंड	महिला ज्यंती सेवा समिति	उद्धमसिंह नगर	225	321975			

232	उत्तराखंड	सोसाइटी फोर वोल्युंटेरी एपरोच इन रूरल डेवलपमेंट एक्शन	देहरादून	225	321975			
233	उत्तराखंड	रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र	देहरादून	225	321975			
234	उत्तराखंड	नेहरू युवा ग्राम विकास समिति प्रशिक्षण संस्थान	हरिद्वार	225	321975			
235	उत्तराखंड	हिमालय इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट, इकोलोजी एंड डेवलपमेंट (एचआईएफईईडी)	देहरादून (यूके), शामली (यूपी)	225	321975			
236	पश्चिम बंगाल	बदुला दिशरी सोसाईटी	बांकुरा	225	321975			
237	पश्चिम बंगाल	ओरियन एडुटेक प्रा0 लि0	साउथ 24 परगना	225	321975			
238	पश्चिम बंगाल	धान शिमला सोसियो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डिविलॉपमेंट ऑरगेनाईजेशन	बांकुरा	225	321975			
239	पश्चिम बंगाल	अमानत फाउंडेशन	कोलकता	225	321975			
240	उत्तर प्रदेश	अखंड ज्योति जन कल्याण सेवा समिति / सिद्धार्थनगर / बलरामपुर	सिद्धार्थनगर / बलरामपुर	125	178875			
241	उत्तर प्रदेश	अमर शहीद परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह जन कल्याण सेवा संस्थान / शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	125	178875			
242	उत्तर प्रदेश	आनंद ग्रामोद्योग / संत कबीर नगर	संत कबीर नगर	125	178875			
243	उत्तर प्रदेश	भारती कला निकेतन शिक्षा समिति / देवरिया	देवरिया	125	178875			
244	उत्तर प्रदेश	भारतीय किसान कल्याण समिति / उन्नैव / बाराबंकी	उन्नैव / बाराबंकी	125	178875			

245	उत्तर प्रदेश	भारतीय शिक्षाएवं शिक्षण संस्थान / शामली	शामली	125	178875			
246	उत्तर प्रदेश	दीन दयाल उपाध्याय वेलफेयर सोसाइटी (डीडीयूडब्ल्यूएस) / मुरादाबाद	मुरादाबाद	125	178875			
247	उत्तर प्रदेश	दृष्टि – दी विजन / सिद्धार्थ नगर / शामली / मुज्जफरनगर	सिद्धार्थ नगर / शामली / मुज्जफरनगर	125	178875			
248	उत्तर प्रदेश	फेयरडील ग्रामद्योग सेवा समिति / फतेहपुर	फतेहपुर	125	178875			
249	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर भारतीय शिक्षा परिषद / संतकबीर नगर	संतकबीर नगर	125	178875			
250	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र फतेहपुर / बाराबंकी	बाराबंकी	125	178875			
251	उत्तर प्रदेश	हमिदिया इस्लामिया स्कूल सोसाइटी / महोबा	महोबा	125	178875			
252	उत्तर प्रदेश	इंडियन सोसल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी / मथुरा	मथुरा	125	178875		143100	
253	उत्तर प्रदेश	इंस्टीटयूट फॉर सोशिएलिस्ट एजुकेशन / लखनऊ / बाराबंकी	लखनऊ / बाराबंकी	125	178875			
254	उत्तर प्रदेश	कृषि एवम ग्रामोद्योग विकास संस्थान / इलाहाबाद	इलाहाबाद	125	178875			
255	उत्तर प्रदेश	महिला कल्याण समिति / प्रतापगढ़	बाराबंकी / लखनऊ	125	178875			
256	उत्तर प्रदेश	मैत्रेयी साहित्यिक सांस्कृतिक एवम सामाजिक संस्था / इलाहाबाद	इलाहाबाद	125	178875			
257	उत्तर प्रदेश	मानव कल्याण एवम ग्रामीण विकास संस्थान / मथुरा	मथुरा	125	178875			
258	उत्तर प्रदेश	मंगलम ग्राम विकास संस्थान / अमरोहा / श्रवस्थी	अमरोहा / श्रवस्थी	125	178875			

259	उत्तर प्रदेश	मथुरा प्रसाद ग्रामोद्योग संस्थान/ बाराबंकी	बाराबंकी	125	178875			
260	उत्तर प्रदेश	मात्रभूमि विकास परिषद/ इलाहाबाद	इलाहाबाद	125	178875			
261	उत्तर प्रदेश	मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसायटी/महाराजगंज	महाराजगंज	125	178875			
262	उत्तर प्रदेश	नव भारतीय नारी विकास समिति/ आजमगढ़	आजमगढ़	125	178875			
263	उत्तर प्रदेश	नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति/ मुरादाबाद/अमरोहा	मुरादाबाद, अमरोहा	125	178875		630405	
264	उत्तर प्रदेश	नव–श्रीजन/सन्त रविदास नगर/ इलाहाबाद/कौशम्बी	सन्त रविदास नगर, इलाहाबाद, कौशम्बी	125	178875			
265	उत्तर प्रदेश	नेहरु युवा मंडल/मुरादाबाद	मुरादाबाद	125	178875			
266	उत्तर प्रदेश	नेहरु युवा संगठन/मथुरा	मथुरा	125	178875			
267	उत्तर प्रदेश	पर्यावरण एवम ग्रामीण विकास संस्थान/बिजनोर	बिजनोर	125	178875			
268	उत्तर प्रदेश	प्रेमा ग्रामया विकास संस्थान/लखनऊ	लखनऊ	125	178875			
269	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल सोशल डेवलॉपमेंट सोसायटी/ सन्त रविदास नगर	सन्त रविदास नगर	125	178875			
270	उत्तर प्रदेश	रिया जन कल्याण समिति/मुरादाबाद	मुरादाबाद	125	178875			
271	उत्तर प्रदेश	सदभावना समिति/लखनऊ	लखनऊ	125	178875			143100
272	उत्तर प्रदेश	संकल्प सेवा संस्थान/बाराबंकी/बहरैच	बाराबंकी, बहरैच	125	178875			
273	उत्तर प्रदेश	सौभाग्य श्री सहारा संस्थान/सन्त कबीर नगर/कौशम्बी	सन्त कबीर नगर, कौशम्बी	125	178875			
274	उत्तर प्रदेश	श्रधा जन कल्याण संस्थान/लखीमपुर खेरी	लखीमपुर खेरी	125	178875			

275	उत्तर प्रदेश	श्री स्वामी अभिलाशा नंद आदर्श सेवा संस्थान	उन्नौ	125	178875		143100	
276	उत्तर प्रदेश	शुभ कामना सामाजिक सेवा संस्थान	लखनऊ	125	178875			
277	उत्तर प्रदेश	सैमित्रा वेल्फेयर सोसायटी/गाजियाबाद	गाजियाबाद	125	178875			
278	उत्तर प्रदेश	ग्राम विकास उत्थन शिक्षा समिति/ इलाहाबाद	इलाहाबाद	125	178875			
279	उत्तर प्रदेश	स्वाजन शिक्षण संस्थान/बलिया	बलिया	125	178875			
280	उत्तर प्रदेश	द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्टेरनशीप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलॉपमेंट	नैनीताल	125	178875			
281	उत्तर प्रदेश	तिरूपती एजुकेशनल एंड वेल्फेयर ट्रस्ट/मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	125	178875	3392206		
282	उत्तर प्रदेश	भावना सेवा संस्थान	शाहजहांपुर/लखनऊ	125	178875			
283	उत्तर प्रदेश	युवा विकास एवम प्रशिक्षण संस्थान/ बन्दा	बन्दा	125	178875			
284	आंध्र प्रदेश	प्रभात रूरल डेवलॉपमेंट सोसायटी	अनंतपुरम	125	178875			
285	आंध्र प्रदेश	रामकी फाउंडेशन	कुरनुल	125	178875			
286	असम	अंकद अकादमी	कामरूप, अमिंगांव	125	178875	71550		
287	असम	सरबंगीन उन्नयन समिति	नालबरी एंड कामरूप	125	178875			
288	असम	एट ब्रोडर्स सोशल वेल्फेयर सोसायटी	सोनीतपुर	125	178875			
289	दिल्ली	एसिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट	मंगोलपुरी	125	178875			
290	दिल्ली	एहसास फाउंडेशन	बाराबांकी	125	178875			
291	दिल्ली	दिल्ली कम्पेटीटीव एंड वोकेश्नल सोसायटी	ईस्ट दिल्ली	125	178875			

292	दिल्ली	शाक्षी	साऊथ ईस्ट दिल्ली	125	178875			
293	गुजरात	कैरा सोशल सर्विस सोसायटी	अहमदाबाद	125	178875			
294	गुजरात	नवजीवन ट्रस्ट	राजकोट	125	178875			
295	हरियाणा	नहरु युवा केंद्र	यमुनानगर	125	178875			
296	हरियाणा	नहरु युवा केंद्र, गुडगांव	गुडगांव	125	178875			
297	हरियाणा	सौगत		125	178875			
298	हिमाचल प्रदेश	नहरु युवा केंद्र, सोलन	सोलन	125	178875			
299	हिमाचल प्रदेश	नहरु युवा केंद्र, धर्मशाला	धर्मशाला	125	178875			
300	जम्मू एवं कश्मीर	डेस्टीटयूट एंड हैंडीकेप वेल्फेयर एसोसिएशन	उद्यमपुर	125	178875			
301	झाराखंड	फुलियन महिला चेतना विकास केंद्र	देवघर	125	178875			
302	कर्नाटक	स्फुर्ती	देवनगिरी	125	178875			
303	केरल	कुदयाथुर डेवलॉपमेंट सोसायटी	इडुक्की	125	178875			
304	केरल	नहरु युवा केंद्र	कसरगोद	125	178875			
305	महाराष्ट्र	महाराष्ट्रीय बहुद्देशीय शिक्षण प्रसरका संस्था	बुलदाना	125	178875			
306	महाराष्ट्र	रामक्रुष्णा बाबा बहुद्देशीय मंडल	वाशिम	125	178875			
307	महाराष्ट्र	सन्त दयनदेश्वर मौली बहुद्देशीय सेवा भावी संस्था	प्रभनी	125	178875			
308	मध्य प्रदेश	बंधेलवल शिक्षा समित	राजगढ़	125	178875			
309	मध्य प्रदेश	बायोरा जागृति महिला मंडल	राजगढ़	125	178875			
310	मध्य प्रदेश	हयूमन वेल्फेयर ऑरगेनाईजेशन	भोपाल	125	178875			85860

311	मध्य प्रदेश	मेडिकल कौंसुलिंग सेंटर	भोपाल	125	178875			
312	मध्य प्रदेश	नरमदापुर शिक्षा एवम जन कल्याण समिति	होशंगाबाद	125	178875			
313	मध्य प्रदेश	नेटिव एजुकेशन एंड इम्लायमेंट डेवलॉपिंग सोसायटी, भोपाल	भोपाल	125	178875			
314	मध्य प्रदेश	निवेदिता कल्याण समिति	रेवा	125	178875			
315	मध्य प्रदेश	शिवम फाउंडेशन समिति	भोपाल	125	178875			
316	मध्य प्रदेश	सुनिता मुरब समिति	बेतुल	125	178875			
317	मणिपुर	रूरल एरिया डेवलॉपमेंट कमिटी	छुराचंद्रपुर	125	178875			
318	ओडिशा	सेंटर फॉर कैटेलाईजिंग कमिटी	भदरक	125	178875			
319	पंजाब	रमेशवर वेल्फेयर ट्रस्ट, लुधियाना	लुधियाना	125	178875			
320	राजस्थान	चेतना संस्था	टोंक	125	178875			
321	राजस्थान	पर्यावरण मित्रा संस्था	जयपुर	125	178875			
322	राजस्थान	सेल्फ डेवलॉपमेंट इंस्टीट्यूट	टोंक	125	178875			
323	राजस्थान	सेंटर फॉर गुड गोवर्नेंस	जयपुर	125	178875			
324	राजस्थान	एमएमएम शिक्षण एंड जन सेवा संस्थान	टोंक	125	178875			
325	राजस्थान	श्रीनाथ एकुप्रेसर शोध संस्थान	भिलवारा	125	178875			
326	राजस्थान	सीयूटीएस	भिलवारा	125	178875			
327	राजस्थान	स्टुडेंटस रिलीु सोसायटी	चित्तोरगढ़	125	178875			
328	राजस्थान	नवजीवन सोसायटी	जयपुर	125	178875			
329	तमिलनाडु	अरूथल फाउंडेशन	इरोड	125	178875			
330	तमिलनाडु	फेडक्रोट	मदुरई	125	178875			

331	तमिलनाडु	मदुरई नॉन–फॉरमल एजुकेशन सेंटर	मदुरई	125	178875		203243	
332	उत्तराखंड	आदर्श युवा समिति	हरिद्वारा	125	178875			
333	उत्तराखंड	इदारा–शबाब–ए–इस्लामी	देहरादुन	125	178875			
334	पश्चिम बंगाल	दलपुर श्री ज्ञानंद सरस्वती आश्रम	बंकुरा	125	178875			
335	पश्चिम बंगाल	खानपुर घना उन्नयन केंद्र	हावड़ा	125	178875			
336	पश्चिम बंगाल	खरदाह पब्लिक कल्चरल एंड वेल्फेयर एसोसिएशन	हावड़ा	125	178875			
337	पश्चिम बंगाल	सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेवलॉपमेंट	हावड़ा	125	178875			
338	पश्चिम बंगाल	साऊथ मालदा बिदरोही एंड लाइबरेरी	हावड़ा	125	178875			
339	पश्चिम बंगाल	नेहरु युवा केंद्र	हावड़ा	125	178875			
340	मध्य प्रदेश	स्वायम सिद्धा सिद्धांत सेवा एवम शिक्षा समिति	भोपाल			114480		
341	उत्तर प्रदेश	बाल भारती	मेरठ					811570
342	राजस्थान	चानक्य युवा संघ जयपुर राजस्थान	जयपुर			69168		
343	उत्तर प्रदेश	मौलाना आजाद मेमोरियाल सोसायटी	जलायूं			114480	143100	
344	दिल्ली	अखिल भारतीय महिला जागृति संस्थान	ईस्ट दिल्ली			71550		
345	असम	धुला रेजिनल फिजीकली हैंडीकैप्ड डेवलॉपमेंट सोसायटी	दरंग				143100	
346	ओडिशा	अरूण इंस्टीटयूट ऑफ रूरल अफेयर्स	धेनकनाल					57240
347	उत्तर प्रदेश	शिव ग्रामोद्योग विकास समिति	लखीमपुर				143100	

348	उत्तर प्रदेश	विशेषवर दयाल माध्यमिक विद्यालय समिति	लखनऊ				143100	
349	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण विकास समिति	गोरखपुर				143100	
350	मध्य प्रदेश	कंसेप्ट सोसायटी एमपी	देवास				132079	
351	उत्तर प्रदेश	शिक्षा एवम ग्रामीण विकास संस्था	लखनऊ				143100	
352	उत्तर प्रदेश	केरिंग ऑफ पीपल एंड एडवांसिंग लाइफ सोसायटी	प्रतापगढ़				143100	
353	उत्तर प्रदेश	समवर्धन	गोरखपुर				143100	
354	उत्तर प्रदेश	जन कल्याण एवम विकास समिति					143100	
355	उत्तर प्रदेश	सतत सेवा संस्थान					143100	
356	गुजरात	मतुश्री चंद्रमुखी प्रतिष्ठान	अहमदाबाद			59927		
357	उत्तर प्रदेश	सर्व सुखई उज्जवल ग्रामोदय	बस्ती				143100	
358	आंध्र प्रदेश	ट्रेनिंग रिकंस्ट्रक्शन एजुकेशनल	विल्लोर				143100	
359	आंध्र प्रदेश	श्री स्वरूप निस्था आश्रम फिलोसोफिकल वेल्फेयर सोसायटी	आंध्र प्रदेश				171720	
360	दिल्ली	सहयोग विकास समिति	साऊथ दिल्ली				143100	
361	उत्तर प्रदेश	सौलिडेरिटी ऑफ द नेशन सोसायटी	गोंडा				143100	
362	उत्तर प्रदेश	श्रीजना	लखनऊ				143100	
363	उत्तर प्रदेश	आयुष जन कल्याण	गोंडा				143100	
364	उत्तर प्रदेश	एस पी ग्राम विकास एवम ग्रामोद्योग संस्थान	उत्तर प्रदेश				143100	
365	उत्तर प्रदेश	अरासन रूरल डेवलॉपमेंट सोसायटी	कलाक्कद				143100	
366	उत्तर प्रदेश	मदानी	सुन्दगढ़				143100	

367	उत्तर प्रदेश	द ऐसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	अमरोहा				143100	
368	उत्तर प्रदेश	सरायगिनी ग्रामोद्योग संस्थान	कौशंबी				143100	
369	उत्तर प्रदेश	प्रेमलता मंजू तिवारी					114480	
370	उत्तर प्रदेश	नेहरु युवा केंद्र	प्रतापगढ़ा				143100	
371	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण महिला एवम बाल उत्थन सेवा समिति	सि(र्थनगर				143100	
372	उत्तर प्रदेश	माकसन ग्रामोद्यय समित	लखनऊ				**143100**	
				68225	**97629975**	**7095471**	**9112865**	**2607820**
		व्यावसायिक सेवाएं	**839043**					
		कुल योग	**117285174**					

अनुलग्नक–XIII

प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान (31.12.2014 तक) कार्यशाला/सेमीनार/सम्मेलन आयोजित करने हेतु संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें निधियां जारी की गई हैं

क्र0सं0	राज्य	संगठनों का नाम	संस्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	**आन्ध्र प्रदेश**	राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी	125000/-	112500/-
2	**असम**	टॉप टूवेल्व सोसायटी	125000/-	112500/-
3		रूपही कोहिनुर कलब	125000/-	112500/-
4		छप्पर कमर्शियल इंस्टीट्यूट	125000/-	112500/-
5		पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट	125000/-	112500/-
6		मेहर कम्पोसिट फारमिंग सोसायटी	125000/-	112500/-
7	**बिहार**	इनिशिएटिव फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट	125000/-	112500/-
8		दुर्गा महिला शिशु कल्याण संस्थान	125000/-	112500/-
9		इस्माईल विकास कल्याण संस्थान	125000/-	112500/-
10		जागृति जन कल्याण समिति	125000/-	112500/-
11		महिला विकास चैरिटेबल सोसायटी	125000/-	112500/-
12		श्री दुर्गा समाज कल्याण संस्थान	125000/-	112500/-
13		अल हिन्द एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
14		संत रविदास चमकर कल्याण समिति	125000/-	112500/-
15		फ्रेश फाउंडेशन	125000/-	112500/-
16		अर्पन सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
17		महिला सूची शिल्प कला सिलाई एवम कशिदा करी केंद्र	125000/-	112500/-
18		मनसरा शांती लोक कल्याण केंद्र	125000/-	112500/-
19				

20		वीना ज्योती समाज सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
21		उत्तम वाटिका	125000/-	112500/-
22		डीएनएस रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव मैनेजमेंट	125000/-	112500/-
23	**दिल्ली**	बाल भारती अकादमी	125000/-	112500/-
24		एवेंचर फाउंडेशन	125000/-	112500/-
25		अनवर एजुकेशनल सोसायटी	125000/-	112500/-
26		सेंटर फॉर रिसर्च प्लॉनिंग एंड एक्शन	250000/-	225000/-
27		केरला डेवलॉपमेंट सोसायटी	125000/-	112500/-
28		जानवी	125000/-	112500/-
29		मोहम्मद युनूस एजुकेशनल सोसायटी	125000/-	112500/-
30		नेचरल एंड कल्चरल हेरिटेज कॉन्सरवेशन इनिशिएटिव	125000/-	112500/-
31		बाघ एजुकेशनल एंड सोशल वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
32		फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	125000/-	112500/-
33				
34		जन सेवा महिला समिति	125000/-	112500/-
35	**हरियाणा**	श्री श्याम सेवा समिति	125000/-	112500/-
36		राम चन्द्र एजुकेशन सोसायटी	125000/-	112500/-
37	**झारखंड**	फूलन महिला चेतना विकास केंद्र	125000/-	112500/-
38	**मध्य प्रदेश**	मन्थन ग्रामीण एवम समाज सेवा समिति	125000/-	112500/-
39	**पंजाब**	राजीव गांधी नेश्नल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ	125000/-	112500/-
40	**राजस्थान**	सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
41		श्री कृष्णा जन कल्याण समिति	125000/-	112500/-
42		महाराणा प्रताप अध्ययन एवम जन कल्याण संस्थान	125000/-	112500/-
43	**उत्तराखंड**	इंस्टीट्यूट ऑफ को–ऑपरेटिव मैनेजमेंट	125000/-	112500/-

44	**पश्चिम बंगाल**	युबा उन्नयन सेबा समिति	125000/-	112500/-
45		बमोनग्राम मोसिमपुर वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
46		ऑल इंडिया कलेंच फाउंडेशन	125000/-	112500/-
47	**उत्तर प्रदेश**	न्यू प्रशांत पब्लिक स्कूल	125000/-	112500/-
48		अमर शहीद परमवीर चक्र नायक जद्दुनाथ सिंह जन कल्यायण सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
49		सर्च एंड केयर फाउंडेशन	125000/-	112500/-
50		हेलपेज युथ फाउंडेशन	125000/-	112500/-
51		मंडलिया विकास संस्थान	125000/-	112500/-
52		भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन संस्थान	125000/-	112500/-
53		सर सय्यद एजुकेशनल सोसायटी	125000/-	112500/-
54		आईएनएस मेमोरियल सोसायटी	125000/-	112500/-
55		रिसर्च एंड डेवलॉपमेंट इंस्टीट्यूट	125000/-	112500/-
56		थारू जनजाती महिला कल्याण समिति	125000/-	112500/-
57		श्रम विद्यापीथ	125000/-	112500/-
58		फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलॉपमेंट	125000/-	112500/-
59		मध्यम सामाजिक संस्थान	125000/-	112500/-
60		थाकुर सत्यनारायण सिंह	125000/-	112500/-
61		रूखसाना बेगम एजुकेशनल सोसायटी	125000/-	112500/-
62		महिला उथ्थानम	125000/-	112500/-
63		कोशिश फाउंडेशन	125000/-	112500/-
64		इक्रा माईनॉरिटी डेवलॉपमेंट सोसायटी	125000/-	112500/-
65		सोसायटी फॉर कंप्यूटर एजुकेशन एंड डेवलॉपमेंट इन रूरल एरियाज	125000/-	112500/-
66		नव भारत महिला जन कल्याण समिति	125000/-	112500/-

67		लोक सेवा एवम ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास संस्थान	125000/-	112500/-
68		मॉ पूर्णा जन कल्याण सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
69		विजन	125000/-	112500/-
70		योगदान	125000/-	112500/-
71		निलुफर महिला विकास समिति	125000/-	112500/-
72		सरदार हमिदी तालीमी व सामाजिक मिशन	125000/-	112500/-
73		ग्रामोद्योग विकास समिति	125000/-	112500/-
74		मानव सहायता सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
75		शांती शैक्षणिक एवम सामाजिक कल्याण संस्थान	125000/-	112500/-
76		अर्ज फाउंडेशन	125000/-	112500/-
77		निर्मल इंडिया सेवा समिति	125000/-	112500/-
78		एमकेएम सोशल एजुकेशनल संस्थान, मुरादाबाद	125000/-	112500/-
79		नीति गौर फॉर एजुकेशनल एंड डेवलॉपमेंट सोसायटी	125000/-	112500/-
80		हरी सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
81		गंगा	125000/-	112500/-
82		ग्रामीण विकास ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
83		जहां विकास ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
84		कल्याणम	125000/-	112500/-
85		स्वास्थिक सामाजिक विकास संस्थान	125000/-	112500/-
86		सोसायटी फॉर द वाटर	125000/-	112500/-
87		शमसुद्दीन मेमोरियल शिक्षा ग्रामीण विकास संस्थान	125000/-	112500/-
88		मेवाती देवी सेवा समिति	125000/-	112500/-
89		गुरूकुल शिक्षा एवम ग्रामीण विकास संस्थान	125000/-	112500/-
90		शहीद अस्फाक उल्लाह खान मेमोरियल चैरिटेबल सोसायटी	125000/-	112500/-

91		दलित दस्तकार कल्याण समिति	125000/-	112500/-
92		तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति	125000/-	112500/-
93		जन जागृति सेवा समिति	125000/-	112500/-
94		रामा जन कल्याण समिति	125000/-	112500/-
95		आदर्श विकास संस्थान	125000/-	112500/-
96		रघुवीर जन सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
97		जनहित सेवा एवम शोध संस्थान	125000/-	112500/-
98		सुर्या महिला जन कल्याण समिति	125000/-	112500/-
99		उमंग सोशल वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
100		नाज जन सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
101		आधुनिक आर्थिक विकास एवम जागरूकता समिति	100000/-	90000/-
102		गलोबल एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
103		विन्ध्या वाशनी निरोग सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
104		ग्रामीण महिला एवम बाल उत्थान सेवा समिति	125000/-	112500/-
105		समदर्स मानव सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
106		मौलाना अबुल कलाम आजाद वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
107		सुधर सेवा एवम कल्याण समिति	125000/-	112500/-
108		महक सोशल वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
109		अर्चना ग्रामोद्योग सामाजिक संस्थान	125000/-	112500/-
110		पूरन एजुकेशनल सोशल सोसायटी	125000/-	112500/-
111		दिशा परिवार	125000/-	112500/-
112		नव भारतीय नारी विकास समिति	125000/-	112500/-
113		सरवा सुखई उज्जवल ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
114		सर्वोदय जन कल्याण शिक्षा समिति	125000/-	112500/-

115		पूर्वांचल उत्तन समिति	125000/-	112500/-
116		एचएसए खान महाविद्यालय शिक्षा समिति	125000/-	112500/-
117		हाजी झंडे खान मेमोरियल इंटर कॉलेज सोसायटी	125000/-	112500/-
118		लल्लाजी शियाराम स्मारक माध्यमिक विद्यालय	125000/-	112500/-
119		ग्राम विकास समिति	100000/-	90000/-
120		मानव कल्याण सोसायटी	125000/-	112500/-
121		कर्तव्य शिला महिला एवम बाल विकास संस्थान	125000/-	112500/-
122		मानव विकास परिषद	125000/-	112500/-
123		वर्दान वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
124		सर्वोदय ग्रामोद्योग विकास संस्थान	125000/-	112500/-
125		सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स	125000/-	112500/-
126		इदारा खिदमत ए खलक	125000/-	112500/-
127		राम सागर सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
128		ग्रीनफील्ड मॉर्डन सोसायटी	125000/-	112500/-
129		नेश्नल वेल्फेयर ग्रामोद्योग संस्थान	125000/-	112500/-
130		आयशा वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
131		इंडियन पब्लिक एजुकेशनल सोसायटी	125000/-	112500/-
132		बीबी फातिमा वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
133		बंधाना फाउंडेशन	125000/-	112500/-
134		गंगोतरी फाउंडेशन	125000/-	112500/-
135		महिला बाल कल्याण व सामाजिक सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
		विद्या कला संस्थान	125000/-	112500/-
136		जन कल्याण समिति	125000/-	112500/-
137		नेचुरल हयूमन रिसोर्स डेवलॉपमेंट इंस्टीट्यूट	125000/-	112500/-

138		श्री महाकालेश्वर सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
139		ब्राइट एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसायटी	125000/-	112500/-
140		भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास संस्थान	125000/-	112500/-
141		वर्ल्ड वेल्फेयर ऑरगेनाइजेशन	125000/-	112500/-
142		अवध ग्रामीण विकास संस्थान	125000/-	112500/-
143		विश्वा मानव सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
144		श्री सेवाराम ग्रामोत्थन समिति	125000/-	112500/-
145		सामाजिक कल्याण एवम टकनिकी शिक्षण संस्थान	125000/-	112500/-
146		शिल्प सेवा संस्थान	125000/-	112500/-
147		दिव्या प्रकाश ज्ञान संस्थान	125000/-	112500/-
148		जागृतिमन संस्था	125000/-	112500/-
149		ग्रामीण महिला विकास संस्थान	125000/-	112500/-
	योग		**1,87,00,000/-**	**1,68,30,000/-**

अनुलग्नक–XIV

वर्ष 2013–14 और 2014–15 (31.12.2014 तक) के दौरान ''सीखो और कमाओ (Learn & Earn)" – कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के लिए संस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों तथा जारी की गई निधियों के राज्य–वार संख्या

क्रम सं0	राज्य	2013.14		2014.15	
		संस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों की सं0	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु0 में)	संस्वीकृत प्रशिक्षणार्थियों की सं0	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु0 में)
1	आंध्र प्रदेश	600	0.57	1000	1.97
2	अरूणाचल प्रदेश	300	0.29	100	0.14
3	असम	760	0.73	900	1.69
4	बिहार	1250	1.20	1200	2.47
5	छत्तीसगढ़	100	0.10	200	0.42
6	दिल्ली	600	0.58	700	1.09
7	गुजरात	600	0.58	500	1.41
8	हरियाणा	700	0.67	500	1.09
9	हिमाचल प्रदेश	200	0.19	-	0.28
10	जम्मू एवं कश्मीर	700	0.67	2520	4.16
11	झारखंड	624	0.60	500	1.13
12	कर्नाटक	800	0.77	350	1.20
13	केरल	550	0.53	200	0.56
14	मध्य प्रदेश	600	0.58	600	1.27
15	महाराष्ट्र	200	0.19	200	0.28
16	मणिपुर	300	0.29	100	0.14
17	मेघालय	300	0.29	300	0.71
18	मिजोरम	100	0.10	100	0.14
19	नागालैंड	100	0.10	100	0.28

20	ओडिशा	120	0.38	100	0.14
21	पुदुचेरी	100	0.10	-	-
22	पंजाब	600	0.58	900	2.28
23	राजस्थान	800	0.77	700	1.35
24	सिक्किम	100	0.10	300	0.56
25	तमिलनाडु	250	0.24	300	0.78
26	तेलंगाना	-	-	500	0.71
27	त्रिपुरा	300	0.29	400	0.85
28	उत्तर प्रदेश	6030	3.53	1300	3.50
29	उत्तराखंड	1280	0.64	500	0.99
30	पश्चिम बंगाल	1200	1.16	1200	3.10
	उप–योग	**20164**	**16.79**	**16270**	**34.68**
	व्यावसायिक सेवाएं	**-**	**0.21**	**-**	**-**
	सकल योग	**20164**	**17.00**	**16270**	**34.68**

अनुलग्नक–XV

वर्ष 2014–15 (31.12.2014) के दौरान सावधि एवं सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत लिंग–वार वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

योजना का नाम	वित्तीय उपलब्धियां (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धियां*			महिला लाभार्थियों का %
				यूनिट/लाभार्थियों की संख्या			
	पुरूष*	महिला*	योग	पुरूष*	महिला*	योग	
सावधि	120.51	64.89	185.4	12687	6831	19518	**35%**
सूक्ष्म	6.13	55.17	61.3	2725	24521	27245	**90%**
योग	**126.64**	**120.06**	**246.70**	**15411**	**31352**	**46763**	

**व्यावसायिक*

अनुलग्नक–XVI

वर्ष 2014–15 (31.12.2014) के दौरान सावधि एवं सूक्ष्मऋण योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं0	संघ राज्य/शासित प्रदेश	लाख रु0 में	लाभार्थियों की सं0
1	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0
2	असम	0.00	0
3	मणिपुर	0.00	0
4	मेघालय	0.00	0
5	मिजोरम	0.00	0
6	नागालैंड	850.00	2083
7	सिक्किम	0.00	0
8	त्रिपुरा	1200.00	1263
	योग	**2050.00**	**3346**

अनुलग्नक–XVIII

वर्ष 2014–15 (31.12.2014) के दौरान सावधि एवं सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वित्तीय उपलब्धियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि लाख रु0 में
1	आंध्र प्रदेश	
2	असम	
3	बिहार	
4	चंडीगढ़	20.00
5	छत्तीसगढ़	300.00
6	दिल्ली	
7	गुजरात	
8	हिमाचल प्रदेश	350.00
9	हरियाणा	100.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	2000.00
11	झारखंड	
12	केरल	7400.00
13	कर्नाटक	2000.00
14	मध्य प्रदेश	
15	महाराष्ट्र	1000.00
16	मणिपुर	
17	मिजोरम	
18	नागालैंड	850.00
19	ओडिशा	
20	पंजाब	500.00
21	पुदुचेरी	100.00
22	राजस्थान	500.00
23	तमिलनाडु	850.00
24	त्रिपुरा	1200.00
25	उत्तर प्रदेश	
26	उत्तराखंड	
27	पश्चिम बंगाल	7500.00
	योग	**24670.00**

अनुलग्नक–XVII

वर्ष 2014–15 (31.12.2014) के दौरान सावधि एवं सूक्ष्म ऋण योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	
2	असम	
3	बिहार	
4	चंडीगढ़	21
5	छत्तीसगढ़	825
6	दिल्ली	
7	गुजरात	
8	हिमाचल प्रदेश	369
9	हरियाणा	377
10	जम्मू एवं कश्मीर	2106
11	झारखंड	
12	केरल	15929
13	कर्नाटक	2105
14	मध्य प्रदेश	
15	महाराष्ट्र	1053
16	मणिपुर	
17	मिजोरम	
18	नागालैंड	2083
19	ओडिशा	
20	पंजाब	527
21	पुदुचेरी	105
22	राजस्थान	526
23	तमिलनाडु	3100
24	त्रिपुरा	1263
25	उत्तर प्रदेश	
26	उत्तराखंड	
27	पश्चिम बंगाल	16374
	योग	**46763**

अनुलग्नक–XIX

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

30.09.2014 तक संस्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्य–वार सार (1989–90 प्रारंभ से 2013–14 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनजीओ की संख्या	राशि (लाख रु0 में)
1	अंडमान	3	35.00
2	आंध्र प्रदेश	75	1183.55
3	अरूणाचल प्रदेश	1	30.00
4	असम	24	371.00
5	बिहार	40	649.72
6	चंडीगढ़	1	25.00
7	दिल्ली	12	93.55
8	गोवा	3	53.00
9	गुजरात	79	1111.62
10	हरियाणा	45	585.10
11	हिमाचल प्रदेश	1	1.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	17	246.42
13	झारखंड	13	218.00
14	कर्नाटक	106	1511.06
15	केरल	92	1481.00
16	मध्य प्रदेश	48	518.28
17	महाराष्ट्र	181	2379.58
18	मणिपुर	19	266.00
19	मेघालय	2	30.00
20	नागालैंड	4	68.50
21	ओडिशा	8	47.62
22	पंजाब	7	64.17
23	राजस्थान	20	310.50
24	तमिलनाडु	32	480.78
25	उत्तरांचल	13	166.00
26	उत्तर प्रदेश	548	6268.56
27	पश्चिम बंगाल	29	401.40
	योग	**1423**	**18596.41**

नोटः वर्ष 2014–15 हेतु प्रस्तावित सहायता–अनुदान प्रक्रियाधीन है।

अनुलग्नक–XX

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
संस्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्य–वार सार (2003–04 से 2013–14)
(2003–04 में इसके प्रारंभ से 2013–14 तक)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालिकाओं की संख्यां	राशि (लाख रु0 में)
1	अंडमान एवं निकोबार	14	1.6
2	आंध्र प्रदेश	7543	896.78
3	असम	4401	521.54
4	अरूणाचल प्रदेश	2	0.24
5	बिहार	11923	1415.9
6	चंडीगढ़	28	3.36
7	छत्तीसगढ़	97	11.02
8	दमन एवं दीव	14	1.68
9	गोवा	29	3.2
10	गुजरात	5711	665.86
11	हरियाणा	154	18.14
12	हिमाचल प्रदेश	11	1.16
13	जम्मू एवं कश्मीर	704	77
14	झारखंड	4487	535.06
15	कर्नाटक	7586	887.76
16	केरल	19112	2281.08
17	मध्य प्रदेश	3585	424.5
18	महाराष्ट्र	12095	1435.98
19	मणिपुर	279	32.78
20	मेघालय	33	3.88
21	मिजोरम	15	1.5
22	नागालैंड	42	4.66
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1635	193.58
24	ओडिशा	515	60.46
25	पुदुचेरी	56	6.72
26	पंजाब	2354	281.82
27	राजस्थान	4094	486.2
28	तमिलनाडु	9283	1108.64
29	त्रिपुरा	14	1.56
30	उत्तर प्रदेश	28639	3377.66
31	उत्तरांचल	455	53.82
32	पश्चिम बंगाल	12408	1466.36
	योग	**137318**	**16261.52**
नोट : वर्ष 2014–15 हेतु प्राप्त आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।			

अनुलग्नक–XXI

स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।

महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आज़ाद कराया।

अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा।

हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा।

मैं न गंदगी करूंगा न किसी और को करने दूंगा।

सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा।

मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं।

इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा।

मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा।

वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा।

मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

***

ANNUAL REPORT
2014-15

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

Contents

Chapter No.	Chapter Title	Page No.
	Executive Summary	1
1.	Introduction	2-6
2.	Scheme of Multi-Sectoral Development Programme (MSDP)	7-10
3.	Pre-Matric Scholarship Scheme	11
4.	Post-Matric Scholarship Scheme	12
5.	Merit-cum-means based Scholarship Scheme	13
6.	Maulana Azad National Fellowship	14
7.	Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme	15-16
8.	Nai Udaan	17
9.	Padho Pardesh	18
10.	Scheme for Leadership Development of Minority Women	19
11.	Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Scheme Including Publicity	20-22
12.	Implementation of Minorities Welfare Programmes/Schemes in North-Eastern States and Sikkim	23
13.	Skill Development Initiative for Minorities	24
14.	Scheme for Containing Population Decline of Parsis in India	25
15.	Grant-in-Aid Scheme to State Channelising Agencies of National Minorities Development & Finance Corporation	26
16.	Commission for Linguistic Minorities	27
17.	National Commission for Minorities	28-29
18.	Waqf Administration, Central Waqf Council and National Waqf Development Corporation	30-36
19.	The Durgah Khawaja Saher, Ajmer	37-38
20.	National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC)	39-48
21.	Maulana Azad Education Foundation	49-51
22.	Prime Minister's 15 Point Programme for the Welfare of Minorities	52-56
23.	Sachar Committee Report and Follow up Action	57-66
24.	Gender Specific and Gender Budgeting	67
25.	Right to Information Act, 2005	68
26.	Government Audit	69
27.	Swachh Bharat Mission	70-71
28.	Result Framework Document, Citizen's Client's Chapters and Grievance Redressal Mechanism	72
	Annexure I to XX	73-130

EXECUTIVE SUMMARY

Achievements of the Ministry of Minority Affairs

- Rs 11.73 crore have been released to 338 Organisations in 26 States for imparting leadership training to 68225 minority women under the "Scheme for Leadership Minority Women" upto 31.12.2014.

- Memorandum of Understanding between Ministry of Minority Affairs and the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) was laid in the Lok Sabha on 10.12.2014 and in the Rajya Sabha 9.12.2014.

- During 2014-15 (upto 31.12.2014) Rs. 246.70 crore released to 46763 beneficiaries under term loan and micro finance by NMDFC.

- Up to 31.12.2014, 64.73 lakh number of pre-metric scholarship awarded and Rs 1040.11 crore released. 51.03% of the scholarships were released for girl students.

- Up to 31.12.2014, 95,506 post metric scholarship awarded and Rs. 56.46 crore released.

- Up to 31.12.2014, 80,132 merit cum means scholarship awarded and Rs. 2.00 crore released.

- Under the new initiatives of Multi-sectoral Development Programme, following achievements have been made up to 31.12.2014 :

    1. Under Cybergram Yojana, digital training to 1,70,005 minority students of 244 Madrasas sanctioned.

    2. Skill training for 1,24,985 minority students sanctioned.

    3. Free Bicycles provided to 10,860 minority students.

- As a skill development initiative with brand name "Seekho aur Kamo", funds of Rs.34.68 crore released for providing training of 16270 minority students up to 31.12.2014.

- Under the scheme "Jiyo Parsi", the Central Sector Scheme for containing population decline of Parsis in India, funds to the tune of Rs.14.55 lakhs released for Medical Assistance and Rs.17.05 lakh released for Advocacy & Outreach Programme, up to 31.12.2014.

- Budget Estimates (BE) for 2014-15 is Rs.3711.00 crore while the Revised Estimates (RE) is Rs.3140.00 crore. The expenditure up to 31.12.2014 was Rs.2292.40 crore which works out to 61.77% of the BE and 73% of the RE.

CHAPTER-1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was carved out of Ministry of Social Justice & Empowerment and created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the five notified minority communities namely Muslim, Christian, Budhist, Sikhs, Parsis and Jains have also been included in Minority community vide notification dated 27th January 2014. The mandate of the Ministry includes formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes for the benefit of the minority communities.

VISION AND MISSION

1.2 The vision of this Ministry is empowering the minority communities and creating an enabling environment for strengthening the multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-lingual and multi-religious character of our nation.

1.3 The mission is to improve the socio-economic conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has equal opportunity to participate actively in building a dynamic nation, to facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

1.4 Smt. Najma Heptulla and Shri Mukhtar Abbas Naqvi hold the charge of the Minister of Minority Affairs and Minister of State for Minority Affairs respectively. The Secretary of the Ministry is assisted by three Joint Secretaries and a Joint Secretary & Financial Adviser. The Ministry has a sanctioned strength of 98 Officers/Staff and 66 officers/staff are in position. The Organizational Chart of the Ministry is given at **Annexure-I** and the Incumbency Statement is at **Annexure-II.** While many of the multifaceted tasks of the Ministry are undertaken by it directly, it is supported by the officers/organizations under its administrative control.

1.5 There were initially 7 welfare schemes for the minorities. Subsequently, a number of new welfare schemes were launched by the Ministry, and at present 22 schemes are being implemented by the Ministry. This resulted in significant increase of work load. The Ministry was created with the sanctioned strength of 98 against which 66 officers/staff are in position. The

work load of the Ministry has increased but the shortage of staff continued. To cope up with the increased load of work and to ensure proper implementation of various schemes, the Ministry has engaged on contract, outsourced basis Consultants, Jr. Consultants, Sr. Associates, Jr. Associates, Programme Support Coordinators, Programme Support Assistants, Stenographers, Data Entry Operators and Peons on need basis.

ALLOCATION OF BUSINESS

1.6 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:-

(i) Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

(ii) All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

(iii) Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

(iv) Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

(v) Matters relating to National Commission for Minorities Act.

(vi) Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

(vii) Representation of the Anglo-Indian community.

(viii) Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(ix) Questions relating to the minority communities in neighboring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(x) Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

(xi) Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

(xii) The Waqf (Ammended) Act, 2013.

(xiii) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

(xiv) Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

(xv) Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

(xvi) Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

(xvii) National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

(xviii) Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

(xix) Development of Waqf properties through National Waqf Development Corporation

(xx) Any other issue pertaining to the minority communities.

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.7 To ensure the compliance of Government of India's well considered Official Language Policy in the Ministry of Minority Affairs and in the offices of its administrative control, there are posts of one Joint Director (OL), one Assistant Director (OL), one Senior Hindi Translator and three Junior Hindi Translators. At present, post of Joint Director (OL) and one post of Junior Hindi Translator is lying vacant.

1.7.1 All documents referred to in sub-section (3) of section 3 of the Official Language Act such as resolution, notification, press releases, administrative reports and the documents to be laid in the parliament were issued bilingually.

1.7.2 Sufficient check points have been made for full compliance of Official Language Act and its provisions.

1.7.3 All the schemes of the Ministry for the welfare of minorities like Pre-matric scholarship scheme, Post-matric scholarship scheme, Merit-cum-means based scholarship scheme, Maulana Azad National Fellowship, Free coaching and allied scheme related to the candidates belonging to minorities, Multi sectoral development scheme for minorities dominated districts, Nai Roshni scheme for Leadership development of minority women, Padho Pardesh, Nalanda project, Cyber Gram, Hamari Dharohar, Usttad and Prime Ministers 15 point programme etc. have been published in Hindi.

1.7.4 To monitor and evaluate the progressive usage of Hindi in the Ministry under the Chairmanship of Joint Secretary, a Departmental Official Language Implementation Committee has been constituted. This Committee regularly reviews the implementation of the Official Language in the Ministry.

1.7.5 Workshop was organized to encourage officials/employees to work in Hindi and to train them effectively for making noting and drafting in Hindi.

1.7.6 Hindi Pakhwada was organized in the Ministry from 01 September 2014 to 15 September 2014 and various competitions were organized in which the officials/employees enthusiastically took part. To encourage basic use of Hindi in noting and drafting 'Hindi noting and drafting writing competition' was organized. All the winners were awarded prizes.

1.7.7 To simplify and to ease the official work in Hindi the Official Language Division of the Ministry has brought out "Rajbhasha Digdarshika" in which English-Hindi vocabulary and English-Hindi phrases to be used in the day to day work have been included along with the important information about the official language policy of the Government of India.

VIGILANCE UNIT

1.8 Shri Y. P. Singh, Joint Secretary, acted as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) of the Ministry and also acted as a link between the Ministry and the Central Vigilance commission (CVC). The CVO looks after the vigilance work in addition to his normal duty as Joint Secretary (Policy, Planning & Administration) in the Ministry.

1.8.1 The CVO is entrusted with the following tasks:

- All vigilance and disciplinary matters relating to the Ministry.
- Scrutiny of complaints as and when received and taking appropriate action thereon.
- Enquiry/investigation/inspection and follow up action on the same.
- Coordinating with the Central Vigilance Commission and furnishing of comments of the Ministry to CVC on investigation reports and complaints etc. as and when asked for.
- Obtaining of advice from CVC as and when required.
- Identification of sensitive areas prone to corruption and transferring of officers in such positions from time to time, thus promoting preventive vigilance.
- Augment integrity, efficiency and transparency in the functioning of the Government.

1.8.2 During the year 2014-2015, seven (7) complaints were received out of which six(6) cases have been closed and for the remaining one (1) a report in the matter has been sent to Ministry of Home Affairs for appropriate action. In addition, one (1) earlier case was also closed. Further, Vigilance Clearance has been issued to 25 officials during the period under report.

1.8.3 Actions to be undertaken by Vigilance Section:

- To keep surveillance on identified areas of sensitive nature.
- May undertake surprise vigilance inspection in the Ministry.

NATIONAL INTEGRATION WEEK

1.9 The Ministry observed the Quami Ekta (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2014 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and integration.

BUDGET

1.10 An amount of Rs. 17,323 crore was allocated to this Ministry for the various Plan schemes/programmes for the Twelfth Five Year Plan (2012-17). Plan budget provision of Rs. 3,711 crore was made in the Budget Estimates 2014-15, which was reduced in the Revised Estimates for 2014-15 to Rs.3,140 crore. A non-plan provision of Rs. 23.01 crore was made in the Budget Estimates for the year 2014-15, which was enhanced to Rs.25.00 crore in the Revised Estimates 2014-15. A statement showing the plan scheme/programme-wise Twelfth Plan outlay, Budget Estimates, Revised Estimates and the actual expenditure upto 31.12.2014 during the year 2014-15 is at **Annexure-III.**

CHAPTER-2

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MSDP)

A. An Overview:

2.1 The Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was conceived as an area development programme as a follow up action on the Sachar Committee recommendations. It is a Centrally Sponsored Scheme (CSS) launched in the year 2008-09 in the Minority Concentrations Districts (MCDs). It is an area development initiative to address the development deficits in minority concentration areas by creating socio-economic infrastructure and providing basic amenities.

2.2. Identification of Minority Concentration Districts (MCDs) during 11th Plan:

Religion-specific socio-economic indicators at the district level

(i) literacy rate;

(ii) female literacy rate;

(iii) work participation rate; and

(iv) female work participation rate; and

Basic amenities indicators at the district level –

(i) percentage of households with pucca walls;

(ii) percentage of household with safe drinking water;

(iii) percentage of household with electricity; and

(iv) percentage of households with water closet latrines.

2.3 Minorities: Communities notified as minority communities under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 are being treated as minorities for purpose of MsDP.

B. Restructuring of MsDP in 12th Five Year Plan:

2.4 The Government has approved the restructuring of Multi-sectoral Development Programme for its implementation in 12th Five Year Plan. The Programme has been restructured to make it more effective & more focused on the targeted minorities. In the restructured MsDP the unit area of planning has been changed to blocks/towns instead of district for sharper focus on the minority concentration areas. The programme has now identified 710 Bocks & 66 towns for implementation during 12th Plan. Further, clusters of contiguous minority concentration villages would also be identified, for implementation of MsDP during 12th Plan.

2.5 Identification of Minority Concentration Blocks/Towns (MCBs/MCTs) and Cluster of Villages:

(i) Minority Concentration Blocks (MCBs): Blocks with a minimum of 25% minority population falling in the backward districts selected on the basis of backwardness parameters adopted during 11th Five Year Plan, have been identified as the backward Minority Concentration Blocks (MCBs). In case of 6 States, where a minority community is in majority, a lower cut-off of 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/UT, has been adopted. In selected blocks, the villages having higher minority population would be given priority for creation of the village level infrastructures/assets. A total of 710 such minority concentration blocks falling in 155 backward districts have been identified on the basis of data from Census 2001. However, this would be subject to availability of data of 2011 census and those areas which consequently become eligible even after implementation of the restructured programme will be covered.

(ii) Minority Concentration Towns (MCTs):Towns/cities with a minimum of 25% minority population (in case of 6 States/UTs, 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/UT) having both socio-economic and basic amenities parameters below national average, have been identified as Minority Concentration Towns/ Cities for the implementation of the programme. A total of 66 minority concentration towns of 53 districts falling outside the MCDs, have been identified for the implementation of the programme. These towns/cities were also identified as more backward towns by a Task Force on Implications of the Geographical Distribution of Minorities in India (headed by Prof. Bhalchandra Mungekar). This programme intends to intervene only for the promotion of education, including skill and vocational education for empowering the minority in town/cities.

(iii) Cluster of minority concentration villages falling outside the identified minority concentration blocks: Within the blocks of backward districts not selected as MCBs, cluster of contiguous minority concentration villages **(having at least 50% minority population)** would be identified. In case of hilly areas of North Eastern States, such villages having minority's

population of 25% may be identified. Cluster of about 500 villages which are falling outside the minority concentration blocks are to be selected.

C. Monitoring mechanism:

2.6 The District and State Level Committees for 15 Point Programme is responsible for monitoring the implementation of this programme at the district and State level respectively. At the Centre, the Empowered Committee also serves as the Oversight Committee to monitor the programme. The progress under this programme is also reviewed by the Committee of Secretaries (COS) along with the review of 15 Point Programme once in six months and then reported to the Cabinet along with the PM's New 15 Point Programme. The progress is also monitored by the PMO on a Quarterly basis.

2.7 The Ministry of Minority Affairs also reviews the progress of this programme through regular conferences of the Secretaries of States/UTs. The Ministry also conducts regional conferences with the district officials and State level officials to review the progress under the programme. Apart from this, video conferences are held with the district and State officials as a measure of constant follow up the implementing officials. Further, communications have been sent from Minister, (MA) and Secretary, MA to the Chief Ministers and Chief Secretaries to sensitise them on the important issues pending with their States.

D. Status of Implementation of MsDP

As envisaged in the guidelines of revamped Multi-sectoral Development Programme (MsDP), the projects being taken up under MsDP relate to provision of better infrastructure for education, heath, skill development, sanitation, pucca housing, roads, drinking water besides creating income generating opportunity. Apart from these, a new component namely Cybergram has been launched as an initiative under MsDP since 2014-15 with an aim to impart digital literacy amongst Minority Student of class VI to class X.

The details of financial and physical progress made during 11th five year plan period and 12th five year plan period upto (31.12.2014) are as under:-

I. During 11th Plan:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of Rs. 3780 crore for this programme during 11th Five Year Plan, approval to plans/projects with central share of Rs. 3733.90 crore (99% of allocation) have been given and Rs. 2935.93 crore have been released to the States/ UTs. As per reports received, the State Governments have utilized Rs.2359.47 (80.30%) crore for different projects out of the total fund released to them. State wise detail at **Annexure-IV**.

(b) Physical Progress:

S.No.	Name of the Projects	Unit Sanctioned	Unit Completed	Work in Progress
1	IAY	301221	217324	37658
2	Health centres	2537	1860	373
3	Aganwadi centres	27595	19705	3736
4	Drinking water supply	35775	24030	1947
5	Additional class rooms	13508	8298	2352
6	School building	660	373	277
7	Industrial training institute	72	11	40
8	Polytechnic institute	31	2	25
9	Solar Lantern/Solar Light	30314	13488	3912
10	Hostels	334	85	176

State wise Details is at **Annexure-V**.

II. During 12th Plan:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of Rs. 5775 crore for this programme during 12th Five Year Plan, approval to plans/projects with central share of Rs. 3246.16 crore have been given and Rs. 2351.15 crore have been released to the States/UTs till 31.12.2014. The State wise details in **Annexure-VI**.

(b) Physical Progress: The total number of projects taken up under MsDP during 12th Five Year Plan include IAY houses-35501, Health centres-1265, Aganwadi centres-6970, Hand Pumps-11841, Drinking Water Facility-9892, Additional class rooms-7070, School building-520, Industrial training institute-72, Polytechnic institute-14,Hostels-449, Free Bicycle-10860, Cyber-Gram- 170005 and Skill Training – 124985. The State wise detail is in **Annexure-VII**.

CHAPTER-3

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

3.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. This scheme was launched on 1st April, 2008 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) on a 75:25 fund sharing ratio between the Centre and States Union Territories are provided 100% assistance under the Scheme. From 2014-15, Pre-matric Scholarship Scheme is Central Sector Scheme with 100% Central funding. It is implemented through the State Governments/ Union Territory Administrations. Students with not less than 50% marks in the previous final examination, whose parents'/ guardians' annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh, are eligible for award of the Pre-matric scholarship under the scheme.

3.2 An outlay of Rs. 5000 crore has been provided in the XII Five Year Plan to award 414.50 Lakh scholarships and renewals during the plan period (2012-17). 30% of scholarships have been earmarked for girl students. An amount of Rs. 1040.11 crore was released and 64.73 lakh scholarships were awarded during the year 2014-15 upto 31st December, 2014. Out of this 51.03 % scholarships were catered to girl students.

3.3 It has been a constant endeavour of the Ministry to improve transparency in scholarship schemes. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) pertaining to different scholarship schemes have been uploaded on the website of the Ministry indicating the Scheme. Similarly, the list of scholarships awarded in States/UTs are being uploaded on their websites. Hyperlinks have been provided to the websites of the States/ Union Territories on the Ministry's website i.e. **www.minorityaffairs.gov.in** . The information on the Ministry's websites is regularly updated. To assist students, a helpline has been established which remains functional during office hours.

3.4 The State-wise, community-wise achievement both physical and financial may be seen at **Annexure –VIII**.

CHAPTER-4

POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

4.1 The scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) with 100% central funding and is implemented through the State Government/Union Territory Administrations. From 2014-15, Post-matric Scholarship Scheme is Central Sector Scheme. Post-matric Scholarship is awarded for studies in India in a government higher secondary school/college including residential government higher secondary school/college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/Union Territory Administration concerned. Students with not less than 50% marks in the previous year's final examination, whose parents' / guardians' annual income does not exceed Rs. 2.00 lakh are eligible for award of scholarship. 30% of scholarships have been earmarked for girl students. In case sufficient numbers of girl students are not available, then eligible boy students are to be given these scholarships.

4.2 An outlay of Rs. 2850.00 crore has been provided in the 12th Five Year Plan to award 25 lakh Fresh scholarships and Renewals during the plan period (2012-17). An amount of Rs. 56.46 crore has been released to award 95,506 scholarships during the year 2013-14 (upto 31.12.2014).

4.3 The State-wise, target and achievement both physical and financial is at **Annexure-IX**.

CHAPTER-5

MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

5.1 The Merit-cum Means Scholarship Scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched in 2007. It is being implemented through State Governments/Union Territory Administrations. The entire expenditure is being borne by the Central Government. From 2014-15, Merit-cum-means based Scholarship Scheme is Central Sector Scheme. Scholarships are awarded for pursuing professional and technical courses, at under-graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by appropriate authority. Under the scheme, 60,000 Fresh scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals.

5.2 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by eligible boy students, if an adequate numbers of eligible girl students are not available.

5.3 85 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of Rs.20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions.

5.4 To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed Rs.2.50 lakh.

5.5 The state-wise, target and achievement both physical and financial is at **Annexure-X**.

CHAPTER-6

MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP

6.1 The Maulana Azad National Fellowship (MANF) for Minority Students was approved on 1st August, 2009. This scheme was launched on 11th April, 2009 as a Central Sector Scheme (CSS). Scheme is implemented through University Grants Commission (UGC). 100% Central Assistance is provided under the Scheme. The objective of the Maulana Azad National Fellowship is to provide five year fellowships in the form of financial assistance to students from notified minority communities, as notified by the Central Government to pursue higher studies such as M.Phil and Ph.D. The Fellowship covers all Universities/Institutions recognized by the University Grants Commission (UGC). The Fellowship under the Maulana Azad National Fellowship for Minority students is on the pattern of University Grants Commission (UGC) Fellowship awarded to research students pursuing regular and full time M.Phil and Ph.D. courses In order to qualify for the award of JRF/SRF the UGC norms would be applicable at pre-M.Phil and pre-Ph.D stage, respectively, including the minimum score of 50% at post graduate level. The income ceiling of the parents/guardian of the candidate for Maulana Azad National Fellowship for Minority students will be Rs. 2.5 lakh per annum.

6.2 An outlay of Rs. 430 Crores has been provided in the XII Five Year Plan to award 3780 fresh fellowships and renewals during the plan period (2012-17). 30% of fellowships have been earmarked for girl students. An amount of Rs. 66.00 Crore was released during 2012-13 and 754 fresh fellowships were awarded. During 2013-14, Rs. 50.00 Crore was released for awarding 756 fresh fellowships to the minority candidates along with renewals. During 2014-15, selection of fresh 756 fellowships is under process in the UGC.

6.3 It has been a constant endeavor of the Ministry to improve transparency in fellowships schemes. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) and help to fill online application pertaining to fellowship scheme has been uploaded on the website of the UGC. Similarly, the list of fellowships awarded by UGC is being uploaded on its website i.e. **www.ugc.ac.in.**

CHAPTER-7

NAYA SAVERA - FREE COACHING AND ALLIED SCHEME

7.1 The "Free Coaching and Allied Scheme for the candidates belonging to minority communities" was launched by this Ministry w.e.f. 17.7.2007. It was modified w.e.f. 16.10.2008 for a wider coverage and further new component was added.

7.2 the objective of the scheme is to enhance skills and knowledge of students and candidates from minority communities to get employment in Government Sector/ Public Sector Undertaking, jobs in private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels.

7.3 Under the Scheme, financial assistance is provided to Central/State/Private Universities, Registered Societies, Trusts, Registered Companies, Partnership Firms and Public Sector Undertakings engaged in imparting coaching programmes.

7.4 To avail benefits under this scheme, candidates/students should belongs to notified minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis. The annual income of parents/guardians from all sources should not exceed Rs. 3.00 lakh. Candidates/ students should have the requisite educational qualifications for coaching course, they want to pursue.

New Component

7.5 A new component under Free Coaching & Allied Scheme has been added from 2013-14 for focused preparation of Minority Students at classes 11 & 12 with Science (Physics, Chemistry, Biology and/or Mathematics. The Scheme has been launched on pilot basis in 10 States/UTs, viz Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Maharashtra, Karnataka, Tamilnadu, Kerala & Andhra Pradesh and Delhi. The physical target of 2014-2015 is 1500 students. More States/UTs may be covered in later years as per scheme guidelines and availability of funds. This component of the scheme is implemented through Schools/Colleges /Institutes having the facility of Hostel accommodation separately for Boys and Girls and running regular classes of XIth and XIIth with Science and affiliated with the CBSE/ICSE or State Education Boards.

7.6 An outlay of R.s. 63 crore was provided in the Eleventh Five Year Plan (2007-12) with a target to cover 24760 students/candidates under the scheme. Against this, the achievement during the Eleventh Plan was 54.60 crore for 27876 students/candidates. During 2012-13, an amount of Rs. 13.99 crore was released to 83 Coaching Institutes for imparting coaching to 6716 candidates. In financial Year 2013-14, an amount of Rs. 23.66 crore was released to 116 Coaching Institutes for imparting coaching to 9997 candidates. This includes the release of Grants in Aid to two Institutes for imparting focused preparation of Class XI & XII with Science subjects for 400 students. In financial Year 2014-15, an amount of Rs. 23.48 crore was released to 83 Coaching Institutes for imparting coaching to 6314 candidates (as on 31.12.2014).

7.7 All information pertaining to this Scheme is available on the website of this Ministry at **www.minorityaffairs.gov.in.**

7.8 The Table given below indicates types of coaching and financial assistance provided under the Scheme.

S. No.	Type of Coaching/ Training / remedial Coaching	Coaching/ Training / remedial Coaching fee	Amount of Stipend per month
1.	Group 'A' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	Rs. 3000/- for outstation candidates, Rs. 1500/- for local candidates
2.	Group 'B' & 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 15,000/-	-Do-
3.	Entrance examination for technical/professional courses	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	-Do-
4.	Coaching/Training for jobs in Private Sectors	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of Rs. 20,000/-	-Do-
5.	Focused Preparation for Class XI and XII with science New Component	Subject to maximum ceiling of Rs. 1 Lakh per candidates per annum	Not applicable

CHAPTER-8

NAI UDAAN

SUPPORT FOR MINORITY STUDENTS CLEARING PRELIMS CONDUCTED BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, STAFF SELECTION COMMISSION, STATE PUBLIC SERVICE COMMISSIONS ETC.

8.1 The objective of the Scheme is to provide financial support to the minority candidates clearing prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission and State Public Service Commissions to adequately equip them to compete for appointment to Civil Services in the Union and the State Governments and to increase the representation of the minority in the Civil Services by giving direct financial support to candidates clearing Preliminary Examination of Group A and B (Gazetted and non-Gazetted posts of Union Public Service Commission (UPSC); State Public Service Commissions (SPSCs) and Staff Selection Commission (SSC) etc.

8.2 To be eligible, total family income of the candidates from all sources should not exceed Rs. 4.5 lakh per annum. The financial support can be availed by a candidate only once. The candidate will not be eligible to benefit from any other similar Scheme of the Central or State Governments /UT Administrations.

8.3 Every year up to a maximum of 800 candidates will be given financial support under the scheme throughout the country on fulfilling the eligibility criteria. Selection of the candidates will be based on merit in case of receipt of more number of applications against the earmarked number of slots for any particular community. The rate of financial assistance will be maximum Rs. Fifty thousand only(Rs. 50,000/- for Gazetted Post; and Rs 25,000/- for Non- Gazetted Post) as support to the minority candidates who have cleared the Prelims conducted by Union Public Service Commissions; Staff Selection Commissions or State Public Service Commissions etc for Group 'A' and 'B' Civil Services.

8.4 During the year 2013-14, Rs. 1,94.75 lakh was released for providing financial assistance to 483 candidates who cleared Prelims conducted by UPSC/SSC and States Public Service Commission.

8.5 During the year 2014-15, Rs. 1.80 crore was released for providing financial assistance to 547 candidates who cleared Prelims conducted by UPSC/SSC and States Public Service Commission. The Budget allocation for 2014-15 is Rs. 4.00 Crore. The physical target for 2014-15 is 800 candidates.

CHAPTER-9

PADHO PARDESH

SCHEME OF INTEREST SUBSIDY ON EDUCATIONAL LOANS FOR OVERSEAS STUDIES FOR THE STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIES

9.1 The objective of the Scheme is to award interest subsidy to meritorious students belonging to economically weaker sections of notified minority communities so as to provide them better opportunities for higher education abroad and enhance their employability. The interest subsidy under the scheme shall be available to the eligible students only once, either for Masters or Ph.D levels. The student should have secured admission in the approved courses at Masters, M.Phil or Ph.D levels abroad for the courses. To be eligible, total income from all sources of the employed candidate or his/ her parents/ guardians in case of unemployed candidate shall not exceed Rs. 6.00 lakh per annum. Under the Scheme, the benefit can be availed for only one course and also for one beneficiary in a family. 30% of the benefit under the scheme will be reserved for female candidates.

9.2 Interest payable by the students availing of the education loans of the IBA for the period of moratorium (i.e. course period, plus one year or six months after getting job, whichever is earlier) as prescribed under the Education Loan Scheme of the IBA, shall be borne by the Government of India. After the period of moratorium is over, the interest on the outstanding loan amount shall be paid by the student, in accordance with the existing Educational Loan Scheme as may be amended from time to time. The Candidate will bear the Principal installments and interest beyond moratorium period.

9.3 During the year 2014-15, Rs. 3.50 crore has been released towards interest subsidy to Nodal Bank for 573 candidates (as on 31.12.2014). The Budget allocation for 2014-15 is Rs. 4.00 Crore. The physical target for 2014-15 is 100 candidates.

CHAPTER-10

SCHEME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT OF MINORITY WOMEN

10.1 The Ministry has started implementation of a new scheme "Nai Roshni" for Leadership Development of Minority Women from 2012-13 with the objective to empower and instill confidence among minority women including thir neighbours from other communities living in the same village/ locality, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, Banks and other institutional at all levels.

10.2 The leadership training modules invariably cover issues and rights of women, relating to education, employment, livelihood etc. under the Constitution and various Acts; opportunities, facilities and services available under schemes and programmes of the Central Government and State Government in the fields of education, health, hygiene, nutrition, immunization, family planning, disease control, fair price shop, drinking water supply, electricity supply, sanitation, housing, self-employment, wage employment, skill training opportunities, crimes against women etc.

10.3 The scheme is implemented through Non-Governmental Organizations.

10.4 During 2014-15, Ministry aims to train 40000 women with an amount of Rs. 14 crore. Till 31-12-2014, an amount of Rs. 11.73 crore has been sanctioned for training of 68225 women in 26 States.

The State-wise details of fresh batches of women trained and funds given to NGOs are at **Annexure-XI**.

The State-wise & NGO-wise release of various installment of funds during 2014-15 are at **Annexure-XII**.

The details of the budget estimates (B.E.) revised estimates (R.E.) and fund released under the scheme till 31.12.14 are as follows.

(Rs. in crore)

Financial year	B.E.	R.E.	Expenditure (as on 31.12.2014)
2014-15	14.00	-	11.73

CHAPTER-11

RESEARCH/STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY

11.1 Ministry of Minority Affairs under the Central Sector Scheme of 'Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity' provides professional charges to those institutions/organizations which have expertise and willing to undertake purposeful studies on the problems, issues and requirement of notified minorities including baselines survey, surveys and also carrying out concurrent monitoring on the implementation of various schemes undertaken for minorities. Financial support is also extended to organizations for holding workshop/seminar/conferences provided the theme of workshop/seminar/conferences has direct relevance to the mandate of the Ministry. The scheme also covers Information, Education and Communication (IEC) component including multi-media campaign by using print media, electronic media, outdoor publicity etc. for the dissemination of information to generate awareness relating to programmes, schemes and initiatives undertaken for notified minorities.

11.2 During 2014-15, 150 workshops/seminars on awareness issues have been funded in various States (as on 31.12.2014). **(Annexure- XIII)**

11.3 The Final Reports on the 'Evaluation and Impact Assessment of Pre-matric, Post-matric and Merit-cum-Means Scholarships Schemes' have been submitted by Research and Development Initiative (RDI), New Delhi.

11.4 The Final Reports on the 'Baseline Survey of Scheme for Leadership Development of Minority Women' and "Evaluation and Impact Assessment of Free Coaching and Allied Scheme for Candidates belonging to Minority Communities in India' have been submitted by Hi-Tech Institute of Information Technology (HIIT), Lucknow, Uttar Pradesh .

11.5 Multi-media campaign is the regular feature of the Ministry throughout the year. During 2014-15, advertisement has been released through DAVP. Details of languages of print advertisements released during 2014-15 are as follows:

Languages	2014-15 (Till 31.12.2014)
Hindi	235

English	150
Urdu	306
Vernaculars	113
Total	**804**

- For outdoor publicity of the schemes/ programmes, Ministry is participating in the Surajkund International Craft Mela, 2015 to be held from 1st to 15th February, 2015. 50 stalls have been booked by the Ministry for showcasing the products of Self-Help Groups (SHGs) from different parts of the country. Information on the schemes/programmes of the Ministry will also be disseminated during the Mela.

- The 2nd Issue of quarterly Tri-lingual (Hindi, English and Urdu) magazine "Minority Today" has been published. The e-version of the magazine has also been uploaded in the website of the Ministry for public viewing.

- An e-book on the activities and achievements of the Ministry has been prepared and uploaded on the website of the Ministry.

- The details of funds released during 2014-15 (till 31.12.2014) are given below:

Head	Allocation	Expenditure
Media	39.50	19.22
Research	5.50	2.24
Total	**45.00**	**21.46**

SCHEME FOR RESEARCH/STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY

Details of Funds released to various Agencies/Organizations during 2014-15

S. No.	Component	Name of Agency/ Organization	Purpose	Location	Amount Released in Rs.
1	Media	Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP), Ministry of Information and Broadcasting	Print Advertisements, Multi-media Campaign	All Over India	10,00,00,000/-

2		All India Radio (Broadcasting Corporation of India)	Broadcast of jingles and Audio Spots on schemes/ programmes	All Over India	3,56,00,000/-
3		Doordarshan (Broadcasting Corporation of India)	TV Commercials/ video spots on schemes/programmes	All over India	3,25,00,000/-
4		National Film Development Corporation (NFDC)	Production and dubbing of Video Spots, Radio Jingles, etc.	-	1,52,89,949/-
5		K.S. Enterprises	(a) Printing of booklets and Achievements of the Ministry. (b) Printing of Compendiums	-	9,79,008/- 8,32,702/-
6		NMDFC	(a) Minority Cyber Gram (b) Participation in Surajkund Crafts Mela, 2015	- -	12,75,000/- 56,18,000/-
	Grand Total	**-**	**-**	**-**	**19,20,94,659/-**

CHAPTER-12

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES/ SCHEMES IN NORTH-EASTERN STATES AND SIKKIM

12.1 The Ministry was allocated an outlay of Rs. 3,711 crore in B.E. 2014-15 for various plan schemes, which was reduced to Rs. 3,140 crore in R.E. 2014-15.

The scheme-wise earmarked allocation for North Eastern States and Sikkim is given below:-

Sl. No	Name of Schemes	Amount Earmarked (Rs. in Crore)	
		BE 2014-15	R 2014-15
1	Free Coaching & Allied Scheme for Minorities	2.50	2.50
2	Grants-in-aid to State Channelising Agencies (SCA) engaged for implementation in NMDFC programmes	0.20	0.20
3	Research /studies , monitoring & evaluation of development Schemes for Minorities including publicity (Professional Services)	0.30	0.2750
4	Maulana Azad National Fellowship for Minority students	5.00	0.10
5	Computerization of records of State Waqf Boards	0.30	0.30
6	Scheme for Leadership Development of Minority Women	1.50	1.50
7	Pre-Matric Scholarships for Minorities	110.00	113.00
8	Post-Matric Scholarships for Minorities	60.00	60.00
9	Multi sectoral Development Programme for Minorities	138.00	62.05
10	Merit-cum-Means based scholarship for professional and technical courses for undergraduate and post-graduate	33.00	33.00
11	Contribution to the Equity of NMDFC	12.00	3.00
12	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	0.40	0.00
13	Skill Development Initiatives	4.00	4.6230
14	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commission	0.40	0.40
15	Strengthening of the State Waqf Board	0.70	0.40
16	Maulana Azad Medical Aid	0.20	0.00
Total		**368.50**	**281.348**

CHAPTER-13

SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE FOR MINORITIES

13.1 Ministry has started a skill development scheme with the brand name "Seekho aur Kamao (Learn & Earn) from 2013-14. The scheme aims at upgrading the skills of the minority youths in various modern/traditional vocations depending upon their educational qualification, present economic trends and the market potential, which can earn them a suitable employment or make them suitably skilled to go for self employment.

13.2 Under the scheme, Modular Employable Skills (MES) approved by National Council of Vocational Training (NCVT) taken up. In addition, traditional skills being practiced by minority communities also be taken for up-gradation and market linkages.

13.3 The scheme is being implemented in various States through empanelled Fifty (50) selected Project Implementing Agencies (PIAs).

13.4 The PIAs are required to provide placements to at least 75% of the trained candidates and out of them at least 50% placement should be in organized sector. The PIAs are also ensured job letters to successful trainees at the end of training. Minimum 30% seats are reserved for minority girls/ women.

13.5 Post placement support to trained minority youths for 1 (one) year is mandatory for project implementing agencies.

13.6 During 2013-14, Ministry has achieved 100% targets and sanctioned to PIAs for training of 20,164 minority youths with Rs. 17.00 Crore**.**

13.7 During 2014-15, Ministry has released Rs. 34.68 crore for training of 16,270 minority youths to PIAs so far.

13.8 State-wise details of trainees sanctioned and fund released are at **Annexure-XIV**.

CHAPTER-14

SCHEME FOR CONTAINING POPULATION DECLINE OF PARSIS IN INDIA

14.1 The population of Parsis in India has declined from 1,14,000 in 1941 to 69,001 in 2001 as per Census population data. Some of the important causes for the decline in Parsi population are late and non-marriages, fertility decline, emigration, out-marriages and separation and divorces.

14.2 There was a demand from the members of Parsi community for Government intervention to arrest the declining trend and the GoI considered it necessary to intervene immediately to arrest the declining trend of Parsi population and reverse it to bring their population above the threshold level.

14.3 Accordingly, a new scheme for containing the population decline of the notified minority community, Parsis, in India, "Jiyo Parsi" was launched by the Ministry of Minority Affairs in 2013. The objective of the scheme is to reverse the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structured interventions, stabilize their population and increase the population of Parsis in India.

14.4 The scheme is a Central Sector Scheme with 100% central funding as grants-in-aid. There is an outlay of Rs.10 crore for the scheme, i.e., Rs.2 crore for each year of the 12th Plan period. The scheme is implemented through the Parzor Foundation and Bombay Parsi Panchayet in consultation with the local Anjumans.

14.5 The target groups are the Parsi married couples of child bearing age who seek assistance under the scheme and adults/young men /women/adolescent boys/girls for detection of diseases resulting in infertility. (For screening of adolescent boys/girls, written consent of parents/legal guardians is mandatory.)

14.6 The scheme envisages a two pronged approach for the arrest of population decline, i.e., (a) Advocacy and (b) Medical Assistance. Standard medical protocols for each target group is followed in consultation with Ministry of Health and Family Welfare, GOI. Confidentiality regarding names and identity of the patients is considered as of utmost importance.

14.7 During 2014-15 under the 'Jiyo Parsi' scheme, an amount of Rs.14,55,252/- has been released for Medical Assistance and an amount of Rs.17,03,500/- has been released for Advocacy & Outreach programme.

CHAPTER-15

GRANT-IN-AID SCHEME TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

15.1 The National Minorities Development and Finance Corporation implement its scheme through the State Channelising Agencies (SCAs). These agencies are nominated by the respective State Governments. The SCA identify beneficiaries, channelize the lending and make recoveries from the beneficiaries. However, the most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

15.2 The Ministry launched a scheme of Grants-in-aid for improving the infrastructure of the SCAs during 2007-08. The scheme has been revised for the 12th plan period. Earlier the assistance under the scheme was on matching basis, the Central and the State Govt. contributing in the ratio of 90:10 but as per revised scheme, state share of 10% has been dispensed with and the scheme has been made 100% central sector scheme. The ceiling/limits of expenditure on various components of the scheme have been removed as this was proving to be a major bottleneck in utilization of funds by SCAs. The criterion of assistance which was earlier linked to minority population of the State/UT has been amended and in the modified scheme, grants-in-aid is provided to those SCAs which are performing well. The details of amount allocated and released by the Ministry for this scheme is as under:

(Rs. in Crore)

Year	BE	RE	Amount released by this Ministry
2007-08	10.00	10.00	10.00
2008-09	5.00	2.30	0.00
2009-10	2.00	2.00	2.00
2010-11	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00
2013-14	2.00	2.00	2.00
2014-15	2.00	2.00	2.00

CHAPTER-16

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

16.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July, 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7 Amendment) Act, 1956 consequent upon the recommendations of the States Reorganization Commission. Article 350-B envisages investigation by CLM of all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President upon these matters at such intervals as the President may direct, and the President cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government/Administrations of States/UTs concerned. The CLM has its headquarters at Allahabad with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM interacts with States/UTs on all the matters pertaining to the issue concerning implementation of the Constitutional and nationally agreed Safeguards provided to linguistic minorities. 50th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period July, 2012 to June, 2013 was laid on the table of the Lok Sabha and Rajya Sabha on 14-08-2014 and 12-08-2014 respectively.

16.2 CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS FOR LINGUISTIC MINORITIES

Under the Constitution of India, certain safeguards have been granted to the religious and linguistic minorities. Articles 29 and 30 of the Constitution seek to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their distinct language, script or culture and to establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for presidential direction for official recognition of any language spoken by a substantial proportion of the population of a State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redress of grievances to any authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union/States. Article 350 A provides for instruction in the mother tongue at the Primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Article 350-B provides for a Special Officer designated as Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

CHAPTER-17

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

17.1 In January, 1978, Government of India, vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

17.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act, 1992, vide Government of India notification dated 27 January 2014. Jains have been notified as minority community under Sec 1 (C) of the National Commission for Minorities Act, 1992.

17.3 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity. Five members including the Chairperson are from amongst the minority communities. In accordance with Section 4 (1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson holds office for a period of three years from the date of assumption of office.

17.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/State Governments, for the protection of the interests of minorities and look into specific complaint regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

17.5 The present Commission consists of the following persons:-

1. Shri Naseem Ahmad Chairman
2. Ms. Mabel Rebello Member

3. Prof. Farida Abdullah KhanMember
4. Shri Praveen Davar Member
5. Shri Dadi E Mistry Member
6. Shri T Namgyal Shanoo Member
7. Dr. Ajaib Singh Member

17.6 The National Commission for Minorities, in accordance with Section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual Report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/UT Administrations are forwarded to them by NCM to take necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992.

17.7 Till the 31st December, 2013 fourteen (14) Annual Report of erstwhile Minorities Commission for the period 1978-79 to 1992-93 and eighteen (18) Reports of the Statutory Commission for the year 1993-94 to 2010-11 have been laid in Parliament. The first three Annual Reports of the National Commission for Minorities, along with the Action taken Memoranda, were laid in both Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry the eighteen Annual Report of the Commission along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein were tabled in the Parliament

17.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Utter Pradesh, Uttaranchal, Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Governments of Punjab and Kerela have set up non-statutory Commissions. The Ministry has also requested the remaining State Governments/ Union Territory Administrations to set up such Commissions.

CHAPTER-18

WAQF ADMINISTRATION, CENTRAL WAQF COUNCIL AND NATIONAL WAQF DEVELOPMENT CORPORATION

18.1 WAQF ACT, 1995

The Waqf Act, 1995, which came into force with effect from 1st January, 1996, extends to whole of India except the State of Jammu &Kashmir to improve the administration of Auqaf. The amendments in the Act were made in 2013 to give more impetus for effective administration of auqaf (Waqf properties/assets), and better protection, management and development of auqaf. The amended provisions have become effective with effect from 1st November 2013. Central Waqf Council (CWC) has been given more teeth to control/monitor the activities of the Waqf Boards in the country. The punishment for taking possession of movable or immovable waqf properties without prior sanction of the Board has become more stringent. The offence has been made cognizable and non-bailable offence. The 'Sale', 'Gift', 'Mortgage', 'Exchange' and 'Transfer' of Waqf properties have been prohibited to curb alienation of waqf properties. 'Lease' of waqf properties has been allowed for a period upto thirty years for commercial activities, education or health purpose with the approval by the State Government.

18.2 IMPLEMENTATION OF PLAN AND NON-PLAN SCHEMES

(i) Plan Scheme for computerization of the records of the State Waqf Boards:

The Plan Scheme for computerization of records of State Waqf Boards (SWBs) was commenced from December, 2009 on the recommendation of Joint Parliamentary Committee (JPC) on Waqf in its 9th Report.

The main objectives of the scheme are to streamline record keeping, introduce transparency and to computerize the functions /process of the Waqf Boards. A Web-based software application for Waqf Management System of India (WAMSI) consists of the (a) Properties Registration Management (b) Muttawalli Returns Management (c) Leasing of Properties Management and (d) Litigations Tracking Managementmodules are in operations under the scheme.

The scheme of computerization is applicable uniformly across all over the country. The project also encompasses a handholding support period of 2 years with minimal financial support to

hire some computer personnel by State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. An amount of Rs.19.18 crore has been released to the SWBs, CWC and NIC since the inception of the scheme which includes an amount of Rs.3.00 crore during the year 2014-15 (up to 31.12.2014). The Central Computing Facility has been set up in 27 SWBs and data entry is in progress. About 3,56,237 waqf properties have been registered in the central data base, preparation for digitization of 1,25,857 waqf records has also been completed. The CWC has been made responsible to implement the Scheme.

(ii) Plan Scheme of Strengthening of State Waqf Boards (SWBs):

The JPC in its Ninth Report had recommended that the State Waqf Boards should be given central financial assistance as the present level of assistance provided by the State Governments is not only inadequate but also uneven. The primary responsibility of administration of auqaf vests with the State Governments. The State Governments are responsible to ensure that the State Waqf Boards function effectively.

The Plan scheme for strengthening of SWBs has been formulated to strengthen the Waqf Boards resulting a more transparent and accountable administration and management of their waqf properties and allow improvement in income generation attaining self-sufficiency. This would also help them in removal of encroachment from waft properties by strengthening their enforcement wing. The Central assistance would be provided during the 12th Plan period, i.e. during the period the State Waqf Boards are expected to become self-sufficient with surplus income generation. Further, such funds would be provided subject to certain conditions that will ensure that the functioning and institutional capacity of the State Waqf Boards improve their income generation and become self-sufficient. Improvement in their capabilities will facilitate enhancement in their income that will reduce, and over the period of time, eliminate their dependence on outside financial support. The National Waqf Development Corporation Ltd. (NAWADCO) has been made responsible to implement the Scheme. Therefore, the Central assistance would be provided by Ministry to NAWADCO which in turn would release the funds to the SWBs.

During 2014-15, an amount of Rs.350.00 lakh has been released to NAWDCO which is the nodal agency for implementation of the scheme.

(iii) Scheme for the Development of Urban Waqf Properties (Non-Plan):

With a view to improve the financial position of auqaf and the auqaf Boards and to enable them to enlarge the area of their welfare activity, the Central Government has been giving grant-

in-aid to the Central Waqf Council since 1974-75 for the specific purpose of advancing financial assistance to Waqf Boards/Waqf Institutions in the country for the development of their Urban Waqf properties.

The Central Waqf Council extends loan to SWBs / Waqf Institutions for specific economically / commercially viable development projects approved by the Council. These projects include construction or reconstruction of commercially viable buildings on waqf lands. The augmented income is utilized to enable the Waqf Boards/waqf to strengthen their financial position and to widen their welfare and charitable activities. The whole purpose is intended to contribute to overall progress and development of the society.

The Government of India has released grant-in-aid amounting to Rs.47.07 crore to CWC since 1974-75 which includes Rs.274.55 lakh released during 2014-15 (up to 31.12.2014).

The grants-in-aid released to CWC for financingwaqf development projects during 2014-15 are as under:-

(Rs. in lakh)

S.No.	Name of the State	Amount
1.	Development Project of Karnataka Millath Educational Society, Channagiri	27.00
2.	Development project of Millath Social Welfare & Education Society, BetgeriGadag	47.00
3.	Development project of Dr. Zakir Hussain Colony, Muslim Jamath, Mulgunda Naka, Gadag	15.00
4.	Development Project of Puthupally Shaikh Fareed ValiullahMakham, Meenachil, Erutupetta, Kottayam	56.50
5.	Development Project of KotthiyaPuthiyaJamathPalli, Tirur, Malapuram	56.00
6.	Development Project of Nusrathul Islam Sangam, Mahallu Committee, Shoranur, Palakkad	57.05
7.	Development project of AnjumanIslahulMuslimeen, ChavaniJama Masjid, CRP Line, Indore, (M.P)	40.00
	Total	**298.55**

18.3 NATIONAL WAQF DEVELOPMENT CORPORATION (NAWADCO)

National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO), was established on 31st

December, 2013 under the Companies Act 1956, with specific mandate to develop the Waqf properties in India and to enhance the income of Waqf Boards / Waqf institutions. NAWADCO has an authorised share capital of Rs. 500 Crore and paid up capital of Rs. 100 Crore.

NAWADCO has identified several potential Waqf properties in urban areas. The State Waqf Boards and Mutawallis (Manager) have been conveyed their Expression of Interest (EOI) for commercial development of these properties.

The Corporation has identified more than 67 properties in Rajasthan; Bihar; Karnataka; Tamil Nadu; Gujarat; Madhya Pradesh; Uttar Pradesh; Uttarakhand; Maharashtra; Telangana and Delhi. The state-wise status is as under:-

State	No. of properties identified	Expression of Interest received	Total Area (in sqm)
Karnataka, Bangalore	10	7	186750.00
Karnataka, Mysore	5	0	58050.00
Bihar	6	4	166499.00
Delhi	9	7	88460.00
Madhya Pradesh, Bhopal	5	0	140861.00
Rajasthan	3	1	49050.00
Maharashtra	8	0	144770.00
Gujarat	8	5	16590.00
Tamil Nadu	8	3	28135.00
Telangana	5	0	6299.00
Total	67	27	885464.00

Out of the total 67 properties feasibility reports of three properties in Bangalore and one of Jodhpur, Rajasthan have been prepared through Consultants of International repute.

NBCC is a Navratna public sector company having vast experience in the field of Project Management, Consultancy & in execution of Real Estate projects.NAWADCO entered into a MoU with NBCC Ltd. for preparation of feasibility reports, DPRs and execution of projects. The event took place in the presence of Hon'ble Union Minister of Minority Affairs and Hon'ble Union Minister of Urban Development and it got wide publicity in all national dailies.

To expand the area of its operation, the Corporation has drawn the following Future plans:-

(i) To process agreement with State Waqf Board for 4 (four) properties i.e. 3 (three) of Karnataka and 1 (one) of Rajasthan.

(ii) To enter into project specific MoU with NBCC and arrange to submit the building plans to local bodies for obtaining permission to commence construction activities to pave way for laying of foundation stone of at least one property..

(iii) To distribute grant under 'Strengthening of State Waqf Boards' scheme to State Waqf Boards.

18.4 CENTRAL WAQF COUNCIL (CWC)

Central Waqf Council is a statutory body under the administrative control of the Ministry of Minority Affairs. It was set up in 1964 as per the provision given in the Waqf Act, 1954 as National Level Apex Advisory Body to the Central Government on matters concerning the working of the Waqf Boards and the due administration of Waqfs in the country. The Council consists of Chairperson, who is the Union Minister (Minority Welfare) and such other members, not exceeding 20 in number, as may be appointed by the Government of India. Ms. Najma Heptulla is presently Chairperson of the Council. The 10th Council was constituted on 12th May, 2011.

18.4.1 Role of CWC:

The Waqf Act, 1995 which has been enforced in the country from 1st November, 2013 expanded the role of the Central Waqf Council and State Waqf Boards. The Council has been empowered to advise the Central Government, State Governments and State Waqf Boards. In addition to the expanded role of advice, it has been empowered to issue directives to the boards, State Government to furnish information to the Council on the performance of the board particularly on their financial performance, survey revenue records encroachment of Waqf properties and Annual and Audit report etc.

18.4.2 Development of Urban Waqf Properties:

The Waqf Development Committee recommended assistance to seven ongoing projects under the Non-Plan Scheme of Development of Urban Waqf Properties. An amount of **Rs.298.55** lakh as grants has been received from Ministry of Minority Affairs to sanction loan to the ongoing Waqf projects. With this assistance, the Council has received **Rs.46.97 Crore** as grants from Government of India to finance the Urban Waqf Properties in the Country since 1974-75.

18.4.3 Minor Projects funded out of the Revolving Fund:

Under the scheme for the development of Urban Waqf Properties, the advanced loan is repayable in 20 half yearly installments. Thus the principal amount repaid by the loaned forms the "Revolving Fund" of the Council, which is again utilized for advancing loans upto Rs. 50.00 lakhs to minor projects under the same Terms & Conditions as applicable to the Major Projects financed from Grant-in-Aid received from the Central Government.

So far, the Council has extended loans amounting to Rs. 5.92 crores from Revolving Fund to as many as 94 projects, out of which 70 projects have been completed and others are at advance stage of completion.

During the year under report one project namely "Rural Medical Health Care Centre" Thoubal, Manipur was given a loan of Rs. 25.00 lakhs as the last and second installment for the construction of Hospital Building on Waqf land. Another project i.e. Development project of Jama Masjid, Dhenkanal has been sanctioned a loan of Rs. 37.00 lakhs for the extension of the existing Commercial Complex of the Mosque out of the Revolving Fund of the Council. Thus, during the year under report upto December 2014, a sum of Rs. 62.00 lakhs sanctioned for the two minor projects out of the Revolving Fund.

18.4.4 Education & Women Welfare Committee:

The Central Waqf Council has also been actively involved in carrying out the social and welfare obligations of the community by undertaking various financial support programmes such as establishment and strengthening of ITI's and Vocational Training Centers (VTC's) by extending grant-in-aid directly to the NGO's and Technical Institutions. As a result, hundreds of institutions across the country have been benefitted. Likewise, the Council is also supporting/ strengthening libraries and creating book banks in the Muslim concentrated areas across the Country. The students of Madarsas are also being benefited by financial assistance provided under matching grant to the State Waqf Board for further disbursement of scholarship to such students.

During the year under report i.e. 2014-15, the Council has sanctioned an amount of Rs:- 45.14 lakhs for Educational and Women Welfare programme, as per detail given below:

1. Financial assistance to ITIs : Rs.11,24,000.00

2. Financial assistance to VTCs : Rs.33,90,000.00

18.4.5 Organisation of National Conferences of Council & CEO of State Waqf Boards:

The Central Waqf Council organized a one day National Conference of the Chairman and Chief Executive Officers of all the State Waqf Boards on November 13, 2014 in Conference Hall, India Islamic Cultural Centre, Lodhi Road, New Delhi under the chairpersonship of **Dr. Najma Heptulla, Hon'ble Minister of Ministry of Minority Affairs, Government of India and Chairperson, CWC** to review the progress of the implementation of the provisions of the Waqf (Amendment) Act, 2013 and to update the scheme of the Computerization of the records of the State Waqf Boards and the scheme of the strengthening of the State Waqf Boards and other ancillary issues. The **Hon'ble Minister of State of Minority Affairs Shri Mukhtar Abbas Naqvi** also participated in the conference.

CHAPTER-19

THE DURGAH KHAWAJA SAHEB, AJMER

19.1 The Durgah of Khawaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955, provides for the administration, control and management of the Durgah Endowment of the Durgah Khwaja Moinuddin Chishty (R.A). Under this Central Act, the administration, control and management of Durgah Endowment has been vested in a representative Committee known as the Durgah Committee.

19.2 Powers and Duties of the Durgah Committee

- To administer, control and manage the Dargah Endowment.
- To keep the building within the boundries of the Durgah Sharif and all buildings, houses and shops comprised in the Durgah Endowment in proper order and in a state of good repair.
- To receive all moneys and other income of the Durgah Endowment.
- To see that the Endowment funds are spent in the manner desired by the donors.
- To pay salaries, allowances and perquisites and make all other payments due out of, or charged on, the revenues or income of the Durgah Endowment.
- To determine the privileges of the Khadims and to regulate their presence in the Durgah by the grant of them licenses in that behalf, if the Committee thinks it necessary so to do.
- To determine the powers and duties of the Advisory Committee.
- To determine the functions and powers, if any, which the Sajjadanashin may exercise in relation to the Durgah.
- To appoint, suspend or dismiss servants of the Dargah Endowment.
- To make such provision for the education and maintenance of the indigent descendants of Khawaja Moin-ud-din Chishti and their families and the indigent

Khadims and their families residing in India as the Committee considers expedient consistently with the financial position of the Durgah.

- To delegate to the Nazim such powers and functions as the Committee may think fit.
- To do all other such things as may be incidental or conducive to the efficient administration of the Durgah.

19.3 Management of Urs and Congregations

The 802nd Annual Urs of Khwaja Gharib Nawaz (R.A.) was held in May 2014 in which around 6.5 lacs pilgrims visited the Shrine. The Urs was incident free with full infrastructure of amenities provided to the pilgrims. Various dignitaries also visited the Shrine to pay homage to the Great Sufi Saint. The arrangements were made in coordination and support of Ajmer District Civil and Police Officers apart from Government of Rajasthan.

CHAPTER-20

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

20.1 The National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994, as a non-profit company under Section 25 of the Companies' Act, 1956. NMDFC provides concessional loans for self employment and income generating activities to persons of minority communities.The prime mandate of NMDFC is to provide concessional finance to the Minorities for self employment/income generation activities to the 6 notified Minorities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis and Jains. The families having annual income up to Rs. 81,000 in rural areas and Rs. 1,03,000 in urban areas are eligible for benefits under the NMDFC schemes. As a special initiative of NMDFC, a new annual family income eligibility limit of up to Rs.6.00 lakh has been introduced with effect from September, 2014by adopting the "Creamy Layer" criterion currently followed for the OBC community by Government of India. NMDFC provides loans (i) through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Government/UT administrations, and (ii) through the Non-Governmental Organizations (NGOs).

20.2 To implement its programmes, NMDFC has authorized Share Capital of Rs.3000 Crore out of which, the share of Govt. of India is Rs. 975.00 Crore (65%) and the share of State Governments/UTs is Rs. 390.00 Crore (26%) while the remaining Rs. 135.00 Crore (9%) is to be contributed by institutions / Individuals having interest in Minorities.

20.3 Govt. of India has, since inception till 31.10.2014, contributed Rs. 975.00 Crore (100%) to the equity of NMDFC, while Rs. 233.92 Crore (59.98%) has been contributed by the various State Governments / UTs during this period. An amount of Rs.1 Lakh has been contributed by Institutions / individuals having interest in Minorities. The total paid up capital, thus, is Rs. 1208.93 crore.

20.4 Schemes and Programmes of NMDFC

(a) The existing concessional credit line of NMDFC has been bifurcated into two streams:-

Credit Line 1:- This is the existing stream of concessional credit, being disbursed on the basis

of income limits of Rs.81,000 per annum for rural areas and Rs.1.03 lakh per annum in urban areas, at the concessional interest rate.

Credit Line 2:- Concessional credit is provided to the section of Minority population with annual family income of up to Rs.6.00 lakh, defined on the basis of "Creamy Layer" criterion of OBC by Government of India. It will get concessional credit at a rate of interestwhich is higher than credit line 1.

i. Term Loan Scheme: This scheme is for individual beneficiaries and is implemented through the SCAs. Under the Term Loan Scheme, projects costing up to Rs. 20.00 Lakhs (up to Rs. 30.00 Lakh for credit line-2) are considered for financing. NMDFC provides loan to the extent of 90% of the project cost. The remaining cost of project is met by the SCA and the beneficiary. However the beneficiary has to contribute minimum of 5% of the project cost. The rate of interest charged from the beneficiary is 6% per annum. For credit line-2, up to Rs. 30.00 Lakh is given at the interest rate of 8% per annum for male beneficiaries and 6% per annum for women beneficiaries.

Assistance under Term Loan Scheme is available for any commercially viable and technically feasible venture, which for the purpose of convenience, are classified into the following sectors:

a) Agriculture & allied

b) Technical trades

C) Small business

d) Artisan and traditional occupations, and

e) Transport and services sector

ii. Educational Loan Scheme: This scheme is also for the individual beneficiaries and is implemented through the SCAs. The NMDFC extends educational loans with an objective to facilitate job oriented education for the eligible persons belonging to Minorities. Under this scheme, loan of up to Rs. 15.00 Lakh(Rs. 20.00 lakh for credit line -2) is available for 'technical and professional courses' of durations not exceeding five years. Further, for courses abroad, maximum amount of Rs.20.00 lakhs is available (Rs.30.00 lakhs for credit line-2) for a course duration of maximum 5 years. Funds for this purpose are made available to the SCAs at an interest rate of 1 % per annum for on-lending to the beneficiaries at 3% interest per annum.

Under credit line -2, funds are made available to the SCAs at an interest rate of 2% per annum for on-lending to the beneficiaries at 8% interest per annum for male beneficiaries and at 5% per annum for women beneficiaries. The loan is payable in maximum five years after completion of the course.

iii. Micro Financing Scheme: Under the Micro Financing Scheme, micro-credit is extended to the members of the Self Help Groups (SHGs), through SCAs/NGOs. Under this scheme, small loans up to a maximum of Rs. 1.00 lakh per member of SHG are provided. Funds are given to the NGOs /SCAs at an interest rate of 1%, which further on-lend to the SHGs, at an interest rate not more than 7% per annum.Under credit line-2, Rs.1.50 lakh per member of SHG is given at an interest rate not more than 10% per annum for male beneficiaries and 8% per annum for women beneficiaries. The repayment period under the scheme is maximum of 36 months.

iv. Mahila Samridhi Yojana: It is a unique scheme linking micro-credit with the training to the women members to be formed in to SHGs, in the trades such as tailoring, cutting and embroidery, etc. It is being implemented by NMDFC, through the State Channelising Agencies of NMDFC as well as NGOs. Under the Mahila Samridhi Yojana, training is given to a group of around 20 women in any suitable women friendly craft activity. The group is formed into Self Help Group during the training itself and after the training, micro-credit is provided to the members of the SHG so formed. The maximum duration of the training is of six months with maximum training expenses of Rs. 1,500 p.m. per trainee. During the training a stipend of Rs. 1,000 p.m. is also paid to the trainees. The training cost and stipend is met by NMDFC as grant. After the training, need based micro credit subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh is made available to each member of SHG at an interest rate of 7% p.a.

(b) Promotional Schemes of NMDFC

i. Vocational Training Scheme: The Vocational Training Scheme of NMDFC aims at imparting skills to the targeted individual beneficiaries leading to self/wage employment. The scheme is implemented through the State Channelising Agencies, which organize need based vocational training programmes in their States with the help of local Government owned / recognized training institutes in trades having potential for self/wage employment. The cost of the training programme is upto Rs. 2000 per candidate per month for courses of maximum duration of 6 months. Stipend @ Rs.1000 per month per trainee is also offered during the training. The SCAs/Training Institute have to ensure placement of at least 80% trainees in wage employment/self-employment with placement of 50% trainees in formal sector. Handholding support of 1 year is also given to trainees after the training program.

ii. Marketing Assistance Scheme: The Marketing Assistance Scheme is meant for individual crafts-persons, beneficiaries of NMDFC as well as SHGs and is implemented through both SCAs as well as NGOs. With a view to support the crafts-persons to promote marketing and sale of their products at remunerative prices, NMDFC assists the SCAs and NGOs in organizing State /District level exhibitions at selected locations. In these exhibitions, handloom /handicraft products of Minority crafts-persons are exhibited and sold. Such exhibitions also serve the purpose of "buyer seller meet", which is considered very useful for product development and market promotion, for domestic market as well as for exports. NMDFC provides grants for organizing exhibitions, as per the specific guidelines of the scheme, after due appraisal of the proposals.

20.5 ACHIEVEMENTS OF NMDFC

a. Since its inception till 31/12/2014, NMDFC has given Term Loan assistance of **Rs. 2068.93 Crore** to **428032** beneficiaries spread over 24 States and 3 Union Territories. In the current financial year 2014-15, an amount of **Rs. 185.40 Crore** has been disbursed to **19518 beneficiaries** up to 31/12/2014.

b. Micro Financing is being implemented by NMDFC since 1998-99 initially through NGOs and later on SCAs were also involved in implementation. Upto 31/12/2014, a total disbursement of Rs. **767.52 Crore** has been made under the micro financing scheme for **600340** beneficiaries. In the current financial year 2013-14, **micro-credit of Rs. 61.30 Crore** has been disbursed for **27245 beneficiaries** up to 31/12/2014**.**

c. Since inception upto 31/12/2014, NMDFC has disbursed a consolidated amount of **Rs. 2836.45 Crore** to **1028372 beneficiaries**. During the current financial year 2014-15, a consolidated amount of **Rs. 246.70 Crore** has been disbursed to **46763 beneficiaries** till 31/12/2014.

d. A scheme for providing grants-in-aid to State Channelising Agencies (SCAs) for strengthening of their infrastructure was launched by the Ministry in 2007-08. Assistance under this scheme is provided to SCAs for awareness campaigns, improvement in delivery system, loan recovery etc. The scheme was revised during 2013-14 in order to make it simple and performance based. Now 100% assistance is provided by the Central Government to SCAs on the basis of their performance interms of drawl of funds and their utilization in previous year. During 2014-15 an amount of Rs. 2.00 crore has been earmarked for this scheme.

e. The annual Report and audited accounts of NMDFC for 2012-13 were laid in the Lok Sabha on 6th February, 2014 and in the Rajya Sabha on 10th February, 2014.

20.6 Skill Development by NMDFC

In order to impart employment oriented skills to its target groups, NMDFC has sanctioned training program in respect of 350 candidates with total financial implication of Rs.35.00 lakh. The training program is being implemented through T.S. Skills and Tech Pvt. Ltd. and Skill Tree Consulting Pvt. Ltd. in the trades of unarmed security guards (150 trainees) and Health Care Assistant (200 trainees). The training program is being organized in Delhi at training centers located at Bawana, Nangloi, Loni, Maulana Azad Complex and Seelampuri.

The prominent feature of the Skill Development Training scheme is that the training agencies have to provide placement to at least 80% of the successful candidates, out of which 50% would be placed in the organized sector.

Driver Training Programme: NMDFC has also launched the Driver Training Programme in association with the Maruti Suzuki India Ltd. A total of 1000 candidates are being trained in 16 States of the country.

20.7 Special Initiatives of NMDFC

(i) Increasing the Annual Family Income Limit: To Rs.6.00 lakh to widen the target group coverage under NMDFC schemes.

(ii) Regional Offices: The Board of NMDFC in its 90th meeting held on 23/6/14 had accorded approval for opening of 4 Regional Offices of NMDFC at the following locations:-

a. Southern Regional office at Chennai

b. Western Regional office at Mumbai

c. Eastern Regional office at Kolkata

d. North-Eastern Regional Office at Guwahati.

The regional office at Chennai was inaugurated by the Hon'ble Minister of Minority Affairs on 22nd November, 2014.

(iii) Mandatory use of AADHAR Number: The use of AADHAR number has been made mandatory for SCAs while identifying beneficiaries for extending benefits under various NMDFC schemes. The SCAs shall release loans to the beneficiaries directly into their bank account duly linking them with their AADHAR numbers and the same account shall be used for all transactions like release of loan, its utilisation, business transactions and repayment of loan instalments to avoid de-duplication under NMDFC schemes, ensure that the same beneficiary does not simultaneously avail benefits under other similar social sector schemes of the Govt. and also for increased transparency. This account will also be under surveillance of the SCAs and NMDFC will also be given access to this account for monitoring purposes. The SCAs have also been directed to make use of Jan Dhan Yojana of the Prime Minister for opening of bank accounts in respect of identified beneficiaries who do not possess bank accountand link the same with AADHAR number.

(iv) Maulana Azad National Academy for Skills (MANAS): The Maulana Azad National Academy for Skills (MANAS) has been established by NMDFC on 11th November, 2014 as a Special Purpose Vehicle (SPV), set-up for meeting all skill development/up-gradation needs of Minority Communities. MANAS is a very ambitious over-arching skill development architecture, aimed at providing an All India level training framework, based upon tie-ups with National/International training organizations (on PPP mode), for imparting training to the Minority population in skills that are currently in demand. This Academy will also provide concessional credit for Minority Communities after meeting their "Skilling Needs" for expanding their existing businesses and setting up new business ventures. This academy is expected to serve as a multi-dimensional organization which includes a special vertical for identifying, supporting and promoting those arts and crafts of Minority communities which are getting phased out due to globalization. MANAS will also establish "Research Chairs" for this purpose.

20.8 Following performance charts are enclosed herewith:

i. NMDFC – share capital allocation and contribution by Govt. of India.

ii. NMDFC – year wise beneficiaries assisted.

iii. NMDFC – year wise funds disbursed.

iv. Photographs of events during the year 2014-15.

v. Statement showing gender wise break up of achievements during 2014-15 (up to 31/12/2014) **Annexure-XV.**

vi. Financial & physical achievements in NE Region **Annexure-XVI.**

vii. State wise physical achievements during 2014-15 (up to 31/12/2014) **Annexure-XVII.**

viii. State wise financial achievements during 2014-15 (up to 31/12/2014) **Annexure-XVIII.**

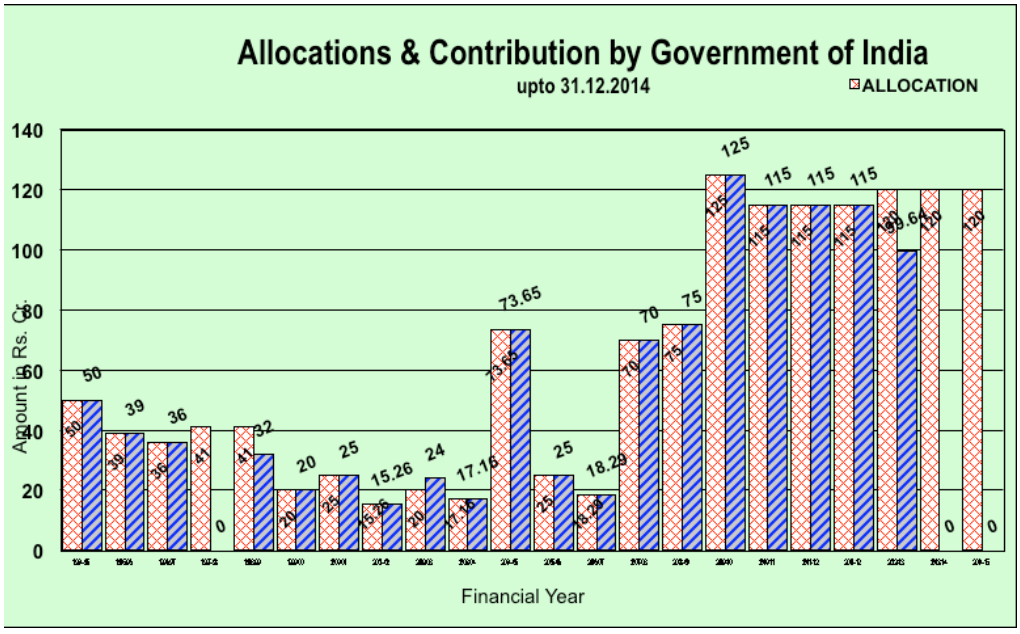

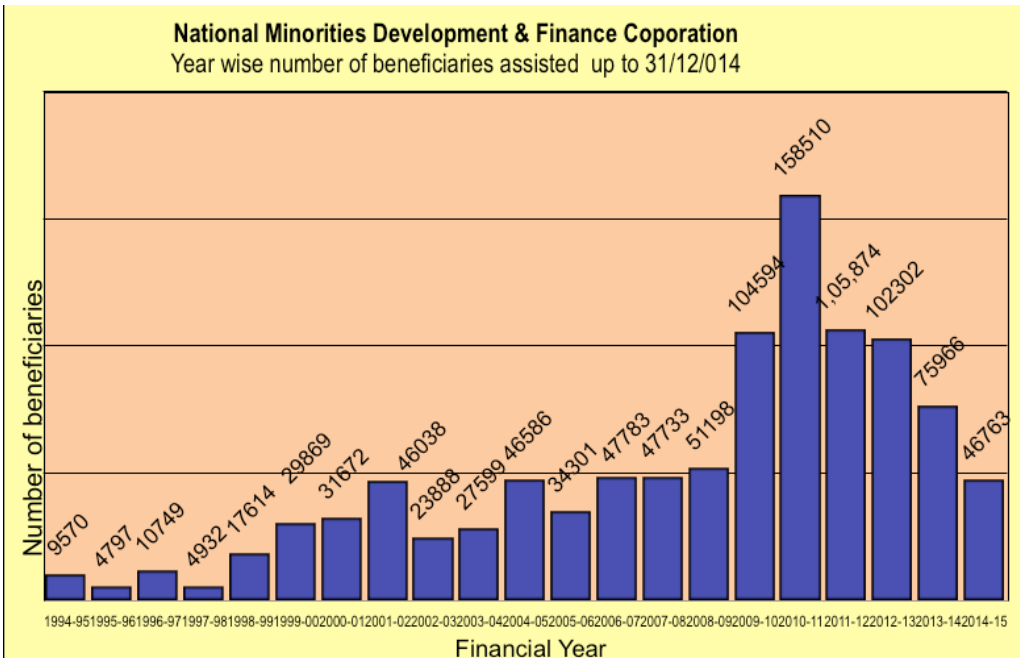

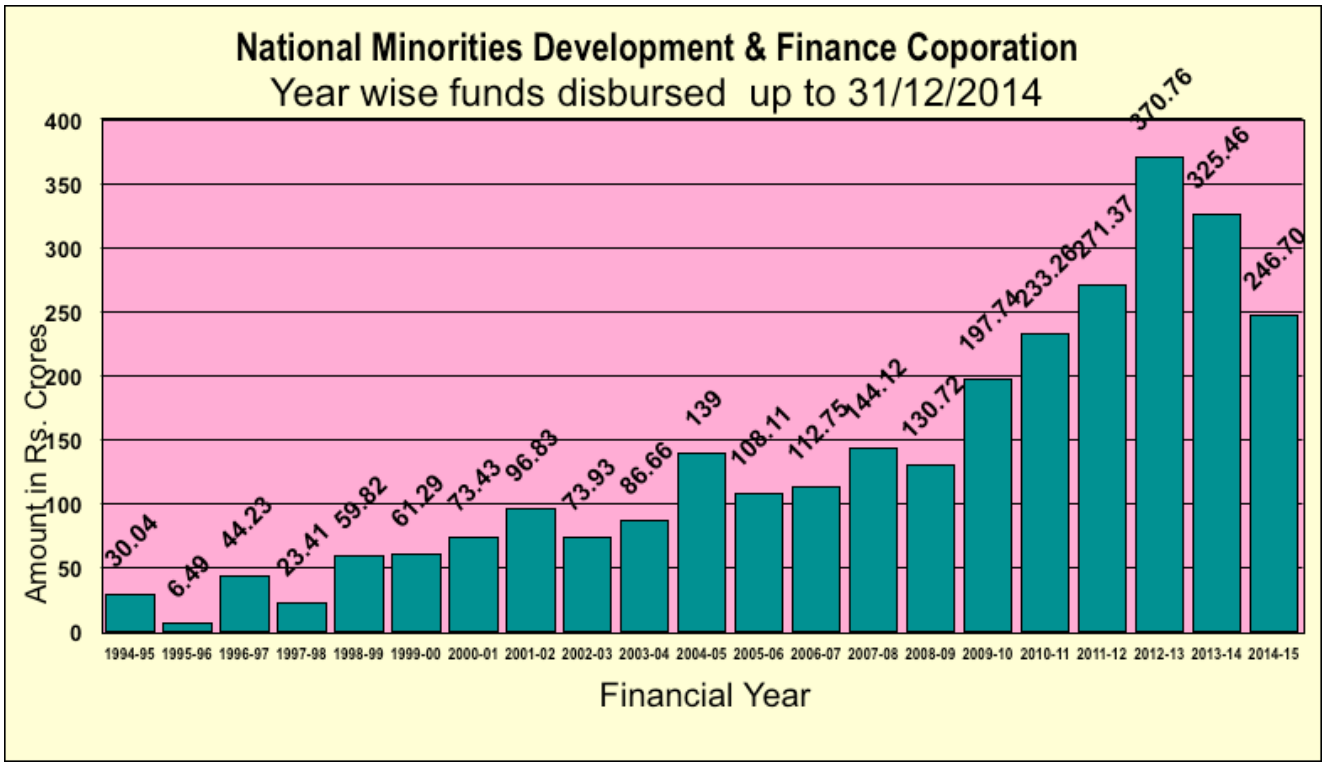

20th Foundation Day Programme of NMDFC was organized on 8th October 2014 in the Mirza Ghalib Hall, SCOPE Convention Center, Lodhi Road, New Delhi. The programme was inaugurated by Dr. Najma A. Heptulla, Hon'ble Minister of Minority Affairs, Government of India and chaired by Dr. Lalit K. Panwar, Secretary, Ministry of Minority Affairs, Government of India.

Launching of first Skills Training Programme of Maulana Azad National Academy for Skills (MANAS) on 11th November 2014.

Inauguration of Regional Office of NMDFC at Chennai, and Skill Training Center of MANAS on 22.11.2014.

IMPLEMENTATION OF NMDFC PROGRAMME IN NORTH EASTERN REGION

NMDFC gives special focus to availability of credit to the Minorities residing in North Eastern Region. NMDFC schemes are operational in the North Eastern States through SCA with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under Term Loan & Micro credit schemes, out of Rs.2836.13 Crores provided to the minorities all over the country till 31/12/2014, the share of North Eastern States has been Rs.180.18 Crores (6.35%) for 51,275 beneficiaries. In the current year out of total allocation of Rs. 606.00 Crores in the country, an allocation of Rs. 66.00 Crores (10.89%) has been made for the North Eastern Region and up to 31st December 2014, an amount of Rs.20.50 Crores has been released to the SCAs in the N-E Region.

GENDER SPECIFIC ISSUES UNDER NMDFC PROGRAMES

NMDFC provides special focus to the credit needs of women. Its micro financing scheme mainly focuses on poor minority women. This scheme mainly aims on empowerment of women by way of meeting their credit needs in an informal manner through NGOs/SHGs. NMDFC has so far (up to 31/12/2014) assisted around 6,00,336 beneficiaries with micro credit of Rs.767.53 crore, out of which over 90% of the beneficiaries are women.

MAHILA SAMRIDHI YOJANA

Further, NMDFC has introduced the Scheme of Mahila Samridhi Yojana which links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to Rs.50,000 with an interest rate of 7% per annum for starting their income generation activities.

CHAPTER-21

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

21.1 Introduction: Maulana Azad Education Foundation is a voluntary non-profit making social service organization established to promote education amongst the educationally backward minorities. It was registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 in July 1989.

21.2 Main Objective: The aim of the Foundation is to formulate and implement educational schemes and plans for benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker section in general.

21.3 Constitution of MAEF: The Hon'ble Minister of Minority Affairs is the EX-Officio President, MAEF. There are 15 members in the General Body of MAEF which includes 06 Ex-Officio Members and 09 members nominated by the President, MAEF. The management of its affairs is entrusted with its Governing Body which consists of 06 members including President, MAEF, Vice President, MAEF, Treasurer, MAEF and 3 members elected from amongst the General Body.

21.4 Resource of MAEF: The only source of its income is interest earned from investment of the Corpus Fund of MAEF.

Corpus Fund: Upto 2014-15 MAEF has received total Corpus Fund of Rs. 1023 crore from the Govt. of India which is kept in fixed deposit with banks and interest earned thereon is utilized for implementation of educational schemes of MAEF. MAEF has also received Rs.12 Lakh as contribution towards its Corpus Fund from the HPCL, SAIL and IDBI Bank.

21.5 Existing Schemes: MAEF is implementing the following two main schemes:

21.5.1 Grant-in-aid to NGOs for infrastructure development of educational institutions: Financial Assistance as Grant-in-Aid is provided for:

- Construction / Expansion of schools / B.Ed. College / VTC / ITI/ Polytechnic and Hostel buildings.
- Purchase of Science / Computer lab equipments / furniture.

- NGOs running for at least three years & managing recognized educational institutions with more than 50% minorities student can apply.
- Maximum ceiling limit is Rs.30 lakh

21.5.2 Maulana Azad National Scholarship to meritorious girl students belonging to minorities:

Scholarship is given @ 12,000/- per student (in two installments of Rs.6,000/- each) to the girl students belonging to minorities based on the following criterion:

- Passed 10th class with minimum 55% marks.
- Confirmed admission to Class 11
- Having parents income less than Rupees one Lakh per annum
- Selection is made on merit basis based on State-wise quota.

A new scheme entitled "Maulana Azad Sehat Scheme has been launched on 04.03.2014

21.6 Achievements:

The schemes of MAEF have gained large popularity across the country. The MAEF is implementing its schemes directly without intervention of any intermediary agency. The benefits of its schemes have reached in almost every part of the country.

21.6.1 Grant-in-aid: Upto 30.09.014, MAEF has sanctioned Grant-in-aid of Rs.185.96 crore to 1423 NGOs spread over 27 States / UTs. State-wise summary of Grant-in-aid sanctioned by MAEF upto 30.09.2014 (since inception) **Annexure –XIX.**

21.6.2 Scholarship: Upto 2013-14 MAEF has sanctioned Scholarship of Rs.162.61 crore to 1,37,318 girls students spread in 32 states / UTs under the scheme of Maulana Azad National Scholarship, State-wise summary of Scholarship sanctioned upto 2013-14**.** Proposal received during the current financial year 2014-15 are under process **Annexure- XX.**

21.7 Vocational Training Centre for Women run by MAEF:

The Foundation is also running a Vocational Training Center for Women at Ajmeri Gate, Delhi, where free training is provided to girls under various vocational courses like Cutting & Tailoring, Textile Designing, Beauty Culture, Arts & Crafts and Computers.

GRANT-IN-AID TO MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

21.8 Maulana Azad Education Foundation (MAEF) implements its scheme through NGOs. These NGOs takes grants from MAEF to run institutes, schools and hostels.

21.9 Ministry provides grant-in-aid to MAEF against its Corpus Fund. The details of Grant-in-Aid to Maulana Azad Education Foundation for improving the infrastructure of institutes run by NGOs by this Ministry is given below:

Rs (in crore)

Year	BE	RE	Amount released by this Ministry
2007-08	50	50	50
2008-09	60	60	60
2009-10	115	115	115
2010-11	125	125	125
2011-12	200	200	200
2012-13	100	100	Nil
2013-14	160	160	160
2014-15	113	113	113

21.10 Future Programmes:

- Establishment of Maulana Azad Public Schools
- Establishment of ITIs/Vocational Training Centres
- Establishment of Maulana Azad Chairs
- Establishment of Libraries
- Establishment of six Minority Universities
- Expansion of Scholarship programme
- Maulana Abul Kalam Azad Medical Aid Scheme
- Nayi Manzil
- Nalanda

CHAPTER-22

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

22.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

22.2 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the underprivileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

22.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians. Recently, Jains have been notified as minority community vide notification dated 27.01.2014. In States, where one of the minority communities notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States/UTs are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

22.4 The progress of implementation of the programme is monitored by each of the Ministries/Departments concerned on a monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs reviews the overall progress on a quarterly basis with the Nodal officers of other Ministries. The progress is reviewed once in six months by the Committee of Secretaries, and thereafter, a report is submitted to the Union Cabinet. As envisaged in the guidelines, the States/UTs are

required to constitute the State Level Committees to monitor the progress. Similar mechanism has also been envisaged at the district level.

22.5 The list of schemes included in the New 15 Point Programme, where targets are being earmarked, is as under:-

- Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres {Ministry of Women & Child Development}.
- Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) {Ministry of Human Resources Development}
- Aajeevika/ National Rural Livelihood Mission (NRLM) {Ministry of Rural Development}
- Swarnajayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)/ National Urban Livelihood Mission (NULM) {Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation}
- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) {Ministry of Labour & Employment}
- Bank credit under priority sector lending {Department of Financial Services}
- Indira Awas Yojana (IAY) {Ministry of Rural Development}

Physical progress under these schemes during 2014-15 (upto September, 2014) are given below:-

S. No.	Name of the scheme and Ministry/Dept. Concerned	Achievement (Physical)
1.	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) D/o School Education & Literacy.	
(i)	No. of primary schools constructed	104
(ii)	No. of additional classrooms constructed.	3630
2.	Below Poverty Line (BPL) families assisted under Indira Awas Yojana (IAY)-M/o Rural Development. (upto 31.12.2014)	2,33,220
3.	Aajeevika/NRLM	
(i)	No. of Self Help Groups promoted under Social Mobilization Scheme	7256
(ii)	No. of Self Help Groups provided with revolving fund	2479

(iii)	No. of Self Help Groups provided with community investment fund	718
(iv)	No. of persons benefited with Aajeevika Skill Scheme	5196

4. Beneficiaries assisted under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)/ NULM, M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA)

(i) Individual enterprises Urban Self-Employment Programme (USEP):

- Total no. of minority urban poor assisted to set up individual micro-enterprises: 689
- Community-wise segregated data for minority communities (achievement % of the respective minority community w.r.t. total achievement for minorities under Self Help Groups formed:

  (a) Muslims : 51.44%

  (b) Sikhs : 1.81%

  (c) Christians : 45.11%

  (d) Buddhists : 1.43%

  (e) Parsis : 0.11 %

  (f) Jains : 0.08%

(ii) Skill Training for Employment Promotion amongst Urban Poor (STEP-UP):

- Physical: 6372
- Community-wise segregated data for minority communities (achievement % of the respective minority community w.r.t. total achievement for minorities under STEP-UP:

  (a) Muslims : 41.18%

  (b) Sikhs : 0.11 %

  (c) Christians : 58.58%

  (d) Buddhists : 0.11%

  (e) Parsis : 0

  (f) Jains : 0

(iii) Placement of Skill Trainined persons: 1346

(iv) No. of persons in Self Help Groups formed: 2897

Financial Achievement during 2014-15 (upto September, 2014) under the schemes where financial targets are earmarked:

The percentage of Priority Sector Lending (PSL) to minorities out of total PSL has

S. No.	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	Achievement (Rs. in crore)
1	Indira Awas Yojana (IAY): M/o Rural Development (upto 31.12.2014)	500.05
2	Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) into Centres of Excellence: Ministry of Labour & Employment (upto 31.12.2014)	1.62
3	Priority Sector Lending. D/o Financial Services (Cumulative achievement)	2,48,761.84

shown steady increase from 10.6% in 2007-08 to 15.76% as on 30.09.2014 .The achievement % of the respective minority community w.r.t. total achievement for minorities during 2014-15 (upto Sep. 2014) under PSL is as under:

(a) Muslims : 44.07

(b) Sikhs : 21.59

(c) Christians : 24.25

(d) Buddhists : 1.91

(e) Parsis : 2.80

(f) Jains : 5.38

22.6 The achievements in 2014-15 (upto Sept. 2014) under schemes included in the 15 Point Programme where the flow of funds/benefits to development projects in minority concentration areas is monitored are given below:

S . No.	Name of the Scheme and Ministry/ Dept. concerned	Achievement (Financial) (Project cost sanctioned and number of cities/towns covered having a substantial minority population)

1.	Basic Services for Urban Poor (BSUP): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA)	Rs. 6253.81 crore (cumulative) (17 cities)
2.	Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP), M/o HUPA	Rs. 2133.09 crore (cumulative) (102 cities)
3.	Urban Infrastructure & Governance (UIG), M/o Urban Development (Cumulative achievement, up to 31.12.2014)	Rs. 10,259.78 crore (cumulative) (18 cities)
4.	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), M/o Urban Development. (Cumulative achievement, upto 31.12.2014) 2013)	Rs. 2048.91 crore (cumulative) (95 cities)
5.	National Rural Drinking Water Programme (NRDWP): M/o Drinking Water & Sanitation (DWS)	Rs. 920.66 crore covering 6403 habitations in districts having substantial minority population.

22.7 It has been reported by Department of Personnel and Training during 2013-14, various Ministries/Departments, Public Sector Banks, Financial institutions, etc. have recruited 24,783 minority candidates, which works out to 8.53% of the total recruitments made.

22.8 The monitoring mechanism for implementation of Prime Minister's New 15 Point Programme has been strengthened. In 2009, the Government approved inclusion of two Members of Parliament from Lok Sabha and one Member of Parliament from Rajya Sabha, two Members of the Legislative Assembly to be nominated by the State Government in the State Level Committees for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. However, one of the Members included in the State Level Committee from Lok Sabha and Legislative Assembly should have been elected from any of the minority concentration districts in those states which have minority concentration districts (MCDs). In respect of District Level Committee for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme, besides one Member of Parliament from Rajya Sabha representing the State to be nominated by the Central Government, all Members of Parliament and all Members of Legislative Assembly representing the district would be included in the District Committee.

CHAPTER-23

SACHAR COMMITTEE REPORT AND FOLLOW UP ACTION

23. A High Level Committee, constituted under the Chairmanship of Justice (Retired) Rajinder Sachar to gather data/information for preparation of a comprehensive report on the social, economic and educational status of the Muslim community of India submitted its report on 17th November, 2006. The Government took several decisions on the recommendations of the Sachar Committee and the status of implementation of the decisions taken by the various Ministries/Departments concerned is as under:

23.1 Department of Financial Services:

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. During 2014-15 (upto September, 2014), 562 new branches have been opened. As on 30.09.2014, a total of 19,681 bank branches are operating in minority concentration districts (MCDs).

(ii) RBI revised its Master Circular on 1st July, 2014 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. As on 30.09.2014, Rs. 2,48,761.84 crore, which is 15.76% of total PSL, was provided to minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications for minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 5,45,191 accounts have been opened for minority women with Rs. 4,557.52 crore as micro-credit.

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/districts/towns with substantial minority population. During 2014-15 (upto September, 2014), 5085 awareness campaigns were organized in such areas.

(vi) Lead Banks have organized 1,839 entrepreneurial development programmes in blocks/districts/towns with substantial minority population during 2014-15 (upto September,

2014) and the number of beneficiaries is 13,644 and an amount of Rs. 90.57 crores was financed to the beneficiaries.

23.2 Ministry of Human Resource Development:

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy . So far, 555 out of 555 KGBVs sanctioned in MCDs, have been operationalised.

b) Scheme for universalization of access to quality education at secondary stage called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been approved. State Governments have been advised to accord priority to setting up of new / upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme. Since inception, out of a total of 10,513 New Secondary schools sanctioned in the country, 1,184 have been sanctioned in MCDs and 864 of these have become functional.

c) One model degree college each would be set up in 374 Educationally Backward Districts (EBDs) of the country. Out of 374 EBDs, 67 are among identified minority concentration districts. During 2013-14, against national achievement of 70 model colleges, 23 new model degree colleges have been set up with an expenditure of Rs. 61.40.

d) Under the scheme of Sub-mission on Polytechnics, at the national level 291 districts are targeted for financial assistance, out of which 55 Districts are Minority Concentration Districts (MCDs). Cumulatively, from 2009 till 31.09.2014, Rs. 2,113.69 crore was released for 291 polytechnics at the national level, out of which Rs. 336.78 crore (16.07% of total fund released) was released for 55 polytechnics in the MCDs.

e) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. During 2014-15 (upto September, 2014), 19 women hostels have been sanctioned with an expenditure of Rs. 0.26 crore.

f) The Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas

(SPQEM) had been launched in the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers and introduction of vocational subjects, etc. During 2013-14, an amount of Rs. 182.73 crore has been released under this scheme for assisting 14,859 Madarasas and 35,376 teachers. The other scheme, which provides financial assistance for Infrastructure Development of Private aided/unaided Minority Institutes (IDMI), has also been launched in the Eleventh Five-Year Plan. During 2013-14, an amount of Rs. 24.99 crore has been released under IDMI for assisting 229 institutes.

g) For subsequent access to higher education, the Certificates issued by the State Madarsa Boards, whose Certificates and qualifications have been granted equivalence by the corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/and by any other school examination board. From 2005 to 31.07.2013, the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) has issued 8,419 Certificates granting minority educational institutions.

h) Academies for professional development of Urdu medium teachers have been set up at three Central Universities namely, Aligarh Muslim University, Jamia Milia Islamia University, New Delhi and Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. 5,092 Urdu teachers have been trained and an amount of Rs. 4 crore has been sanctioned for each of the universities by the UGC during the 11th Five Year Plan.

i) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urduteachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers. During 2012-13, an amount of Rs. 1.38 crore was released to the Government of Punjab for the salary of 42 Urdu Teachers. The scheme has been further revised as per which the Government of India would provide financial assistance for appointment of Urdu teachers, where 15 or more students in a class opt for it.

j) The States/UTs have been advised to undertake community based mobilization campaigns in areas having a substantial population of Muslims. Saakshar Bharat is being implemented in 372 districts out of 410 eligible districts where adult female literacy is 50% or below as per 2001 Census. Out of 88 districts with substantial Muslim population, 61 districts have been covered under Saakshar Bharat.

k) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are envisaged in the revised schemes. At present, JSSs are imparting vocational training in 33 out of the 88 districts with substantial muslim population in the country. The coverage of minorities under JSSs programme was to the extent of 12.31% as on 31.10.2013. During 2013-14, out of 1,16,911 enrollment, 14,065 belong to minorities.

l) The mid-day meal scheme has been extended to all areas in the country from the year 2008-09 and also covers upper primary schools. Blocks with a concentration of Muslim population are being covered under this scheme. Independent evaluation of the Scheme has affirmed a positive educational, nutritional and social impact of the Scheme.

m) All State Governments/UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

n) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005 (NCF). Twenty One States have revised their curriculum as per the NCF 2005 while one States is in the process of doing so. Ten States/UTs are following NCERT syllabus while 3 UTs/ have adopted textbooks of neighboring States or NCERT textbooks.

o) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes. UGC has established 2328 Equal Opportunity Cells for Minorities SC/ST/OBCs in 23 Central Universities, 114 State Universities, 12 Deemed Universities and 2179 Colleges and Rs. 46.07 crore released during the 11th Five Year Plan.

23.3 Ministry of Minority Affairs:

(a) An expert group, constituted to study and recommend the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008, the concept of diversity index has been subsumed in the EOC. The draft Bill for EOC was formulated in consultation with the Ministry of Law & Justice and the draft bill has been approved by the Cabinet in its meeting held on 20.02.2014. However, since the Parliament adjourned immediately after approval of the proposal by the Cabinet, the said Bill could not be introduced in the Parliament. After formation of the new Government at the Centre after General Elections-2014, the draft Cabinet Note regarding setting up of EOC was re-circulated for obtaining views of the Ministries/Departments on the proposal. During inter-ministerial consultation, divergent views/comments have been received from various Ministries/Departments and the matter is under examination of the Ministry.

(b) Wakf (Amendment) Bill has been passed by both the Houses of Parliament and the Wakf Amendment Act 2013 has come into force, w.e.f. 1st November, 2013.

(c) The Government has incorporated National Wakf Development Corporation (NAWADCO) with an authorized capital of Rs. 500 crore. The contribution of NMDFC in the authorized share capital will be 49%, CWC 9% and 42% by individual wakf institutions and the public.

(d) The Government has accorded 'in-principle' approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). A consultancy firm which was appointed to study and work out the details for restructuring of NMDFC submitted its Reports which were examined in the Ministry. A Committee comprising Secretary (Minority Affairs) and Officers of RBI, NABARD finalized the proposal for restructuring of NMDFC. The Expenditure Finance Committee (EFC) considered the proposal in its meeting on 11.07.2013 and based on their recommendations, the SBI-CAPs were engaged to assist the Ministry in developing a business model for NMDFC. The final model according to which NMDFC may tie-up with a Nodal Bank for Interest Subvention was approved by EFC on 22.04.2014. The Cabinet Note was sent to Cabinet Secretariat on 30.07.2014 for placing before the Cabinet. The approval of the Cabinet on the Note is awaited.

(e) An inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, has submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/Departments have been advised to give priority to these 338 towns in the implementation of their schemes. The following were the broad recommendations of the Inter-ministerial Task Force:

    (1) The identified deficiencies in educational and health infrastructure are to be attended on priority by Deptt. of School Education & Literacy, Deptt. of Higher Education, Min. of Women & Child Development, Min. of Labour & Employment and Min. of Health & Family Welfare.

    (2) The identified deficiencies in basic civic amenities are to be attended on priority by Min. of Urban Development and M/o of Housing & Urban Poverty Alleviation.

    (3) Percentage of priority sector lending to minorities to be stepped up to 15% by 2010 by the Deptt. of Financial Services. Ministries/Departments were advised suitably.

(f) Three scholarship schemes for minority communities namely, Pre-matric scholarship from class-I to X, Post-matric scholarship from class XI to PhD and Merit-cum-means based scholarship for technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels have been launched. Under these schemes, during 2014-15 (upto Dec. 2014)

funds of Rs. 1739.55 crore have been released under these schemes for awarding 87.85 lakh scholarships. Further, a fellowship scheme called Maulana Azad National Fellowship (MANF) scheme for M.Phil and Ph.D. scholars has been under implementation. The selection of 756 fresh candidates for MANF is under process in University Grants Commission.

(g) Under the schemes of MAEF, during 2014-15 (upto 30.09.2014),1423 NGOs have been given grants-in-aid of Rs. 185.96 crores for infrastructure development of educational institutions and 1,37,318 scholarships were awarded with the expenditure of Rs. 162.61 crores to meritorious girls in classes-XI and XII.

(h) A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07. Against the target of 7000 candidates for 2014-15, financial assistance has been given to 6314 students/candidates belonging to minority communities incurring an expenditure of Rs.23.48 crores.

(i) Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Plans of 90 minority concentration districts with Central share of Rs. 3,734 crore was approved and Rs. 2,935.30 crore released to State Governments and Union Territory Administrations during the Eleventh Plan. During 2012-13, approvals have been given to the district plans for Rs. 1109.74 crore and Rs. 641.26 crore was released to the States/UTs for 90 MCDs.

The Government has approved the restructuring of Multi-sectoral Development Programme for implementation during 12th Plan. The unit of planning has been changed from districts to blocks/towns/cluster of villages. 710 blocks and 66 towns have been identified for implementation during the 12th Five Year Plan. During 2013-14, projects of Rs. 1466.98 crore were approved and an amount of Rs. 952.80 crore was released as on 31.03.2014. In 2014-15 (upto December, 2014) approvals have been given of Rs. 669.17 crore and Rs. 756.81 crore has been released.

23.4 Ministry of Statistics and Programme Implementation:

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). More than 100 tables on population (Census 2001 and Census 2011) have been uploaded on the website of the MoSPI.

23.5 Planning Commission:

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyze data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, was set up in the Planning Commission. Since the term

of the AMA ended on 15th January, 2011, the Planning Commission reconstituted the AMA. AMA constituted three Working Groups. All the three Working Groups have submitted their report. On the basis of these reports, AMA has submitted its report to the Planning Commission. The recommendations of AMA are under examination in the Ministry. The term of the AMA has ended on 30.06.2014.

(b) A three-tier institutional structure for skill development was functioning till May, 2013 at the Central level involving the Prime Minister's National Council on Skill Development (PMNCSD), National Skill Development Co-Ordination Board (NSDCB) under the Planning Commission and the National Skill Development Corporation (NSDC). However, as per a decision of the Union Cabinet the PMNCSD, NSDCB and O/o Adviser to PM on Skill Development has been subsumed in the National Skill Development Agency (NSDA). The NSDA is an autonomous body under the newly constituted Department of Skill Development and Entrepreneurship and has been set up inter alia, to coordinate and harmonize the Skill Development efforts of the Government and the Private Sector to achieve the skilling targets of the 12th Plan and beyond and endeavor to bridge the Social, Regional, Gender and Economic Divide.

23.6 Department of Personnel and Training:

(a) Department of Personnel & Training has developed training modules for sensitization of government officials for the welfare of minorities. These modules have been sent to the Central/ State Training Institutes for training.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel & Training for posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas.

DoPT has issued instructions to Ministries of HRD, Home Affairs and Health & Family Welfare for issuing necessary guidelines regarding posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas. In response, suitable circulars have been issued by MHA, Ministry of Health and Ministry of Family Welfare and M/o HRD in this regard.

Department of Personnel and Training has reported that during 2013-14, various Ministries/Departments, Public Sector Banks, Financial institutions, etc. have recruited 24,783 minority candidates, which works out to 8.53% of the total recruitments made.

23.7 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed

in the Sachar Committee report regarding anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes and submitted its Report.

The Delimitation Act as suggested by the High level Committee was considered by a Group of Ministers and the same was placed before the Cabinet. On the basis of the decision of the Cabinet, the Delimitation (Amendment) Ordinance 2008 was promulgated which was later replaced by the Delimitation Act, 2008.

(b) A Bill titled "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005" was introduced in the Rajya Sabha on 05.12.2005 to address all aspects of the issues of communal violence in the country. Notices were given in the Rajya Sabha for consideration and passing of the Bill, However, the Bill could not be taken up for consideration on these occasions. Subsequently, a new Bill titled, "The Preventation of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013" was prepared. The said Bill was approved by the Cabinet on 16.12.2013. Notice for introduction of the Bill in Rajya Sabha was sent on 17.12.2013 but the same could not be introduced. Again, notice 21.01.2014 for introduction of the Bill titled, "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014" in the Winter session of the Parliament. However, the House after discussion in the Rajya Sabha on 05.02.2014 deferred its introduction. The titled "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005", which was pending in the Rajya Sabha, has been withdrawn on 05.02.2014..

23.8 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

(i) For facilitating the flow of funds under the Jawarharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Urban Infrastructure & Governance (UIG), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP) and Basic Services for Urban Poor (BSUP) to towns and cities, having a substantial concentration of minority population, necessary steps have been taken to ensure that Detailed Project Reports (DPRs) for such towns and cities include adequate provisions for minorities.

(a) Under UIG, Rs. 10,259.78 crore has been sanctioned for 18 cities having substantial minority population upto 31.12.2014.

(b) Under UIDSSMT, Rs. 2,048.91 crore has been sanctioned for 95 towns having substantial minority population upto 31.12.2014.

(c) Under IHSDP, projects costing Rs. 2,133.09 crore are for 102 towns having substantial minority population have been sanctioned upto 30.09.2014.

(d) Under BSUP, Rs. 6,253.81 crore has been sanctioned for 17 towns up to 30.09.2014.

(ii) Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Jharkhand, Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep, Chandigarh, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act, while Arunachal Pradesh, Daman & Diu and Nagaland have informed that no Waqf property exists in these States. The following States do not have RCA- Manipur, Odisha and Andaman & Nicobar Island.

23.9 Ministry of Labour and Employment:

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter- alia, includes home based workers.

23.10 Ministry of Culture:

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State Waqf Boards to review the list of waqf properties which are under the Archeological Survey of India. The list of Wakf properties which are centrally protected has been prepared by Archeological Survey of India (ASI) and circulated to the concerned authorities with the direction to hold meetings with respective State Wakf Boards. The Ministry of Culture is holding regular meeting viz., Central Wakf Council to review the list of Wakfs under the ASI. The last such meeting was held in 15.10.2014.

23.11 Ministry of Health and Family Welfare:

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

23.12 Ministry of Urban Development and Panchayati Raj:

Ministry of Urban Development has informed that the following States/UTs have taken action for improving the representation of minorities in local bodies- Andhra Pradesh, Chandigarh, Daman & Diu, Karnataka, Kerala, Orissa, Tamil Nadu and West Bengal. Andaman Nicobar Islands Administration informed that no community has been declared as minority community in Islands either on religious or linguistic grounds. However, the present council consists of member belonging to minority communities who has been elected in normal course of municipal election. Arunachal Pradesh has stated that it is of the view that the whole state is inhabited by various ethnic Tribal groups, some of whom may have converted to some other faith. However, they enjoy the privileges and social rights as Scheduled Tribes. The Government of Chhattisgarh has stated that adopting the Andhra Pradesh Model in the State is not feasible

as its demographic profile is different from Andhra Pradesh. However, the State Government is mulling alternative model in its context and circumstances. There is no representation of minorities in ULB in Goa. In Himachal Pradesh there is no provision in HP municipal Acts for representation of minorities in ULB.

M/o Panchyati Raj has issued requisite advisory letter to all the State Governments for improving representation of minorities in local bodies on the lines of the initiative taken by the Andhra Pradesh government.

23.13 Ministry of Information & Broadcasting:

The Ministry of Information & Broadcasting has been regularly releasing features of various themes associated with minority welfare covering issues such as scholarship schemes and initiatives taken in pursuance of the Sachar Committee Report.

23.14 Report of the Amitabh Kundu Committee:

23.14.1 The Ministry of Minority Affairs constituted a Committee on 05.08.2013 under the Chairmanship of Professor Amitabh Kundu, Jawaharlal Nehru University, New Delhi primarily to evaluate the process of implementation of decisions taken by Government of India on the recommendations of Sachar Committee and to assess the efficacy of the Prime Minister's New 15 Point Programme, and to recommend interventions and corrective measures in policies and programmes. The Committee has submitted its Report on 09.10.2014.

23.14.2 The report has been examined in the Ministry of Minority Affairs. It has been decided that since the recommendations of the Committee are overarching covering the policies and programmes of other Ministries/ Departments also, the views of the concerned Ministries/ Departments are required. Accordingly, all the concerned Ministries/ Department and NITI Aayog have been requested to give their views/ comments on the recommendations of the Committee. The views/ comments are awaited.

CHAPTER-24

GENDER SPECIFIC ISSUE AND GENDER BUDGETING

24.1 The Ministry has started implementation of a new scheme "Nai Roshni" for leadership Development of Minority Women from 2012-13 with the objective to empower and instill confidence among minority women including their neighbors from other communities living in the same village/locality, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Governments systems, Banks and other institutions at all levels. The leadership training modules invariably cover issues and rights of women, relating to education, employment, livelihood etc. under the Constitution and various Acts; opportunities, facilities and services available under schemes and programmes of the Central Government and State Government in the fields of shop, drinking water supply, electricity supply, sanitation, housing, self-employment, wage employment, skill training opportunities, crime against women etc. During 2013-14, Ministry aims to train 40000 women with an amount of Rs.15.00 Crore. Till 31/03/2014, Rs.11.96 Crore has been sanctioned for training of 60,875 women in 24 States. During 2014-15, Ministry has supported training of 68225 women in 26 States with an amount of Rs.12.52 Crore.

24.2 Keeping in view the fact of women being the weakest section among minorities, special focus is extended to credit needs of women by NMDFC. The micro financing scheme of NMDFC mainly focuses on poor minority women aiming their empowerment by way of meeting their credit needs is an informal manner through Non-Government Organizations and Self Help Groups. Since inception till 31/03/2014, NMDFC has assisted 5,73,095 beneficiaries with micro credit of Rs.706.22 Crore, out of which over 90% of the beneficiaries are women.

24.3 Mahila Samridhi Yojna

An exclusive Scheme of Mahila Samridhi Yojna links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to Rs. 1,00,000/- with an interest rate of 7% per annum for stating their income generation activities.

CHAPTER-25

RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

25.1 In accordance with the provisions of Section 4(1)(b) of the Right to information Act,2005 this Ministry has uploaded all the relevant information viz the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. in the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in. for information and guidance of the general public. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

25.2 To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions (FAQ), statistics of achievements under each Scheme/Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyper link is provided in the website of the Ministry. Further, under the MsDP, the States/UTs submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes/programmes in the Ministry.

25.3 The Ministry of Minority Affairs has designated fourteen CPIOs and the eight 1st Appellate Authorities under this Act. In 2014-15 (upto 31st January, 2015), 821 RTI applications and 50 appeals (including online) under the RTI Act were received. A Quarterly Report of the status of RTI applications and appeals is also being uploaded on the website of the Central Information Commission.

25.4 "A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website. All responsibilities Centres(RCs) under the Ministry of Minority Affairs have given CPGRAMS link on their website. User ID Code and Password have been allocated to all RCs and the Ministry forwards grievances relating to the RCs electronically through CPGRAMS links. During 2013-14 a total of 361(including 90 brought forward) grievances were received and 320 grievances were duly redressed."

CHAPTER-26

GOVERNMENT AUDIT

26.1 Five draft para in respect of Grant No.68-Minisrtry of Minority Affairs for the year ending March, 2014 were received from the Office of the Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi for comments. The present status is given in the table below:-

S.No.	Audit para	Action Taken
1.	Saving of Rs.100 crore or more	Comments of Ministry have been furnished to the Director General of Audit (Central Expenditure) for further review at their end.
2.	Saving of Rs.100 crore or more under sub head	
3.	Surrender of saving at closing of the year	
4.	Non-utilization of entire provision	
5.	Persistent saving of Rs.100 crore or more.	

CHAPTER-27

SWACHH BHARAT MISSION

ACTION TAKEN BY THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (MOMA) AND ITS ATTACHED/ SUBORDINATE OFFICES IN THE LAST 3 MONTHS UNDER

27.1 All the Officers and Staff of the Ministry as well as of the subordinate/attached offices were asked to take pledge on 2nd Oct, 2014 (**Annexure-XXI**). The pledge was administered on 2nd Oct, 2014. They were requested to start cleanliness drive from 2nd October, 2014. Accordingly this drive has been started in all the offices of the Ministry from 2nd October, 2014 and is continuing. The subordinate offices like Central Waqf Council under Ministry of Minority Affairs has been submitted their action taken report on the activity carried out on the occasion of Swachh Bharat Mission held on 2nd October, 2014 along with photographs.

27.2 The Ministry started weeding of files/papers and till date 1700 old files and 1840 rejected proposals of NGOs/Organizations have been weeded out. The obsolete and unused articles like furniture, coolers, and electronic items lying in the Ministry have been disposed of. All toilets have been renovated. This has created clean and healthy working environment in the Ministry.

27.3 Plantation in the Offices of the Hon'ble Minister (MA) and Hon'ble MoS (MA) at 11th floor and 1st floor, Paryavaran Bhawan respectively has been done. All damages vertical blinds in the Office and in corridor of Hon'ble MoS (MA) at 1st floor, Paryavaran Bhawan, have been replaced. Cleaning of common area including staircase. This has created good aesthetic working environment in the Ministry.

27.4 As a cleanliness drive, the Hon'ble Minister for Minority Affairs on 07th October, 2014 held a meeting with all Ministries/Departments located in the CGO Complex for a comprehensive plan of action for effective implementation of the campaign. The major issues discussed was that a large number of old/condemned vehicles are permanently parked in the CGO Complex which are occupying parking place and also creating a hindrance in maintaining clean and health environment in the complex apart from creating congestion for parking of vehicles on a daily basis. Proper traffic management was also discussed. CPWD as well as the Departments concerned were requested to keep the buildings as well as the complex clean.

27.5 It was decided in the meeting held on 07th October, 2014 under the Chairpersonship of

Hon'ble Minister of Minority Affairs that old/condemned vehicle parked in the CGO Complex may be disposed of /remove. CPWD was requested to take the following action to further improve the cleanliness drive:

(i) Proper maintenance and cleanliness of office premises.

(ii) Gardens to be well maintained. Attention may be given to horticulture.

(iii) Ministries/Departments should not be allowed to keep unused articles viz. almirahs, chairs, tables, files/papers on staircase or common areas as they are prone to fire hazard also.

(iv) Toilets to be properly maintained with constant supply of water.

27.5.1 In this regards, the Hon'ble Minister of Minority Affairs also wrote a DO Letter dated September 9, 2014 to Hon'ble Minister of Home Affairs for proper traffic management inside the CGO Complex.

27.6 The work of Housekeeping, mopping of floors has already been outsourced from private agencies and work has qualitatively improved to a greater extent.

27.7 The Multi-sectoral Development Programme (MsDP) of this Ministry which is a Centrally Sponsored Scheme aims to address the Development deficits of the identified minority concentration areas by creating socio-economic infrastructure and providing basic amenities for uplifting the quality of life of the minorities. Under this programme, after launch of Swachh Bharat Mission on 2nd October, 2014, following actions have been taken;

(i) The sanitation facilities along with drinking water would be provided in all school buildings, colleges, hostels. ITTs, Polytechnics and such other infrastructural projects. Also, if project proposals for independent toilets are received from the States/UTs, the same would also be provided.

(ii) During this year, 7 Degree Colleges, 76 School Buildings, 64 Hostels, 27 it is, 1 Polytechnic have been approved by the Ministry and all buildings have been provided sanitation facilities. Apart from these 33 toilets with water facility have been approved separately for the schools where it was required.

(iii) Further, the States/UTs have been requested during review through video conferencing that while preparing the projects proposals for an infrastructure, adequate provisions of sanitation must be made.

27.8 All the steps mentioned above in the wake of Sawchh Bharat Mission will be pursued rather vigorously in the coming year.

CHAPTER-28

RESULT FRAMEWORK DOCUMENT, CITIZEN's CLIENT's CHARTERS AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

28.1 Pursuant to the announcement made in the President's address to both Houses of Parliament on 4th June 2009, the Prime Minister approved the outline of the Performance Monitoring and Evaluation System for the Government Department on 11th September 2009.

According to this system, each Ministry/Department is required to prepare a Result Framework Document consisting of priorities set out by the Ministry concerned, President's address and announcements, agenda as spelt out by the Government from time to time. This Ministry completed the preparation of its first RFD for the year 2009-10 on 30th November 2009. This was the beginning of an exercise to bring out transparency and accountability in the Government with a shift from "reducing quantity of government" to "increasing quantity of government".

28.2 The Citizen's/Clients Charter of the Ministry for the year 2013-2014 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement was prepared and uploaded on the Cabinet Secretariat's website on 29th May 2014. The RFD of the Ministry for the year 2014-15 has also been uploaded on the Cabinet Secretariat's website.

28.3 A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

Annexure-I

Organisational Chart of Ministry of Minortiy Affairs

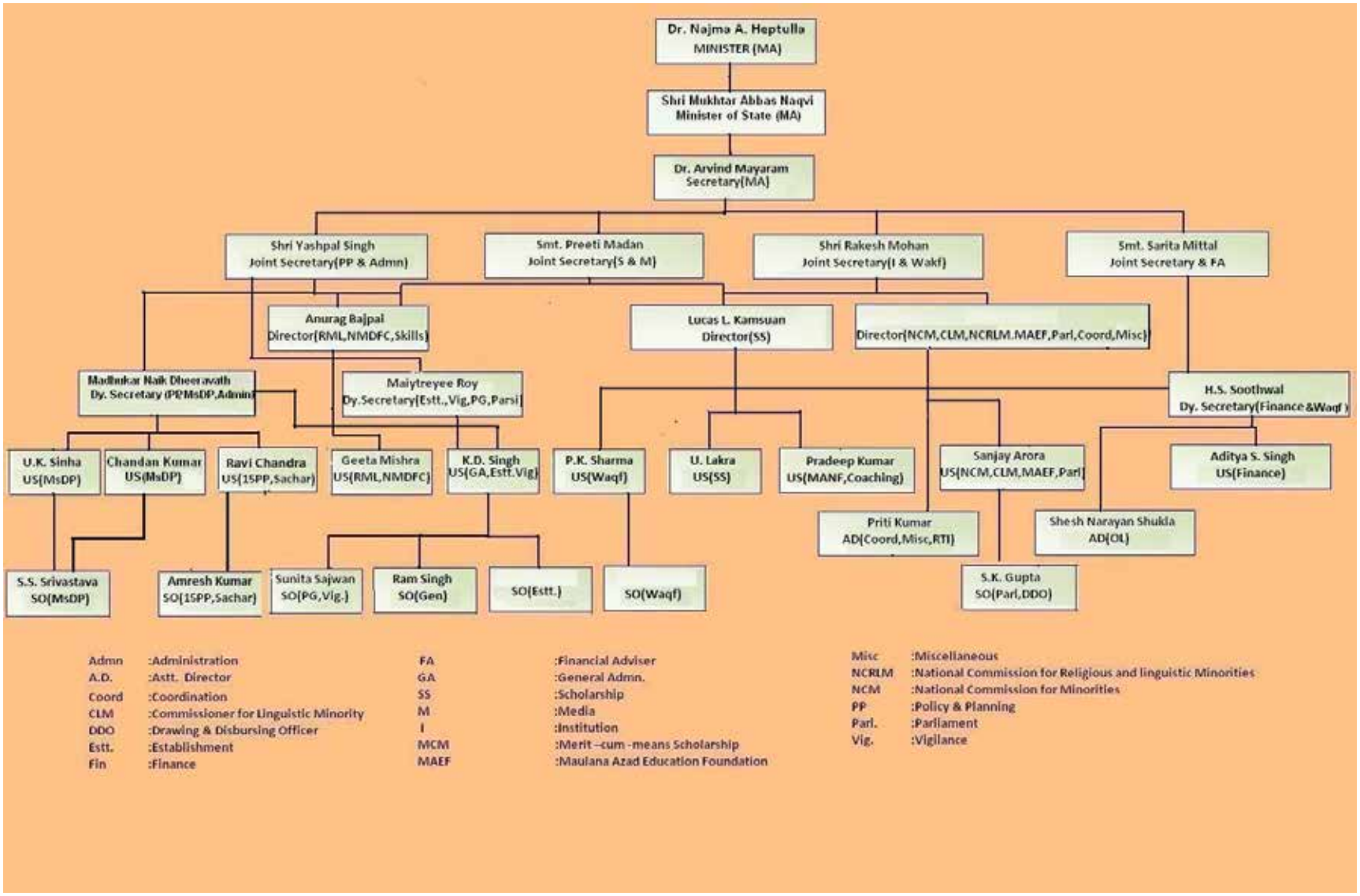

ANNEXURE-II

Incumbency Statement of Ministry of Minority Affairs as on 31.01.2015

Sl No.	Post/Pay Band/Grade Pay/Group	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancy
1.	SECRETARY/ Rs.80,000/- Fixed/ Gr. 'A'	01	01	00
2.	JOINT SECRETARY/ G.P. 10000/- / Gr. 'A'	03	03	00
3.	DIRECTOR/ DEPUTY SECRETARY/ G.P. 8700/- / 7600/- Gr. 'A'	07	06	01
4.	JOINT DIRECTOR (OL) GP: 7600/-	01	00	01
5.	UNDER SECRETARY/ G.P. 6600/-/ Gr. 'A'	10	10	00
6.	ASSISTANT DIRECTOR/ G.P. 5400/- / Gr. 'A'	03	01	02
7.	RESEARCH OFFICER/ 5400/- / Gr. 'A'	01	00	01
8.	ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)/ G.P. 5400/- /Gr. 'B'	01	01	00
9.	SECTION OFFICER/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	08	05	03
10.	Sr. PPS G.P. 7600/- / Gr. 'A'	01	01	00
11.	PPS GP Rs.6600/-	03	02	01
12.	ASSISTANT/ G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	10	06	04
13.	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	02	02
14.	SENIOR INVESTIGATORS/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	00	04
15.	ACCOUNTANT/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	01	00	01
16.	PRIVATE SECRETARIES/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	04	04	00
17.	STENO GRADE 'C'/PA G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	07	06	01
18.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/ G.P. 4600/- /Gr. 'B' (NG)	01	01	00
19.	JUNIOR HINDI TRANSLATOR Rs.4200/-	03	02	01
20.	STENO GRADE 'D'/ G.P. 2400/- Gr. 'C'	05	03	02
21.	UDC. /G.P. 2400/ Gr. 'C'	01	00	01
22.	STAFF CAR DRIVER G.P. 1900/- / Gr. 'C'	02	02	00
23.	MTS/ G.P. 1800/- / Gr. 'D'	14	09	05
24.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU) G.P. 5400/- / Gr. 'B'	01	00	01
25.	Sr. TRANSLATOR (URDU) G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	01	01	00
26.	TYPIST (URDU) G.P. 1900/- / Gr. 'C'	01	00	01
Total		**98**	**66**	**32**

Annexure-III

Statement Showing Scheme/Programme-Wise Twelfth Five Year Plan (2012-17) Allocation , Budget Estimates, Revised Estimates,And Actual Expenditure (Upto 31.12.2014) During 2014-15

(Rs. in crore)

S. No	Name of Scheme/Programme	Twelfth Plan Allocation	Budget Estimates 2014-15	Revised Estimates 2014-15	EXPENDITURE upto 31.12.2014
1	Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	500.00	113.00	113.00	113.00
2	Free Coaching & Allied Scheme for Minorities	120.00	25.00	31.67	23.42
3	Contribution to the Equity of NMDFC	600.00	120.00	30.00	0.00
4	Research/Studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	220.00	45.00	32.75	21.63
5	Grants-in-aid to State Channelising Agencies(SCAs) engaged for implementation of NMDFC programmes	10.00	2.00	2.00	1.38
6	Scheme for Leadership Development of Minority Women	75.00	14.00	14.00	11.58
7	Maulana Azad National Fellowship for minority students	430.00	50.00	1.00	0.09
8	Computerization of records of State Waqf Boards	17.00	3.00	3.00	3.00
9	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	10.00	4.00	3.50	3.50
10	Scheme for containing population decline of small Minorities	10.00	2.00	0.50	0.32
11	Skill Development Initiatives	60.00	35.00	46.23	34.68
12	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commission	18.00	4.00	2.50	1.80
13	Strengthening of the State Waqf Boards	35.00	7.00	4.00	3.54

14	Merit-cum-Means based scholarship for professional and technical courses for undergraduate and post-graduate.	1580.00	335.00	350.00	222.84
15	Multi-sectoral Development Programme for Minorities	5788.00 *	1250.00	770.94	754.45
16	Pre-matric Scholarships for Minorities	5000.00	1100.00	1130.00	1040.23
17	Post-matric Scholarships for Minorities	2850.00	598.50	598.50	56.54
18	Maulana Azad Medical Aid Scheme		2.00	0.01	0.00
19	Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)			0.50	0.00
20	Hamari Dharohar			5.00	0.00
21	Secretariat (Information Technology)		1.50	0.90	0.40
Grand Total (A+B)		**17323.00**	**3711.00**	**3140.00**	**2292.40**

** Including the allocations for (i) Scheme for promotion of education in 100 minority concentration towns/cities, out of 251 such towns/cities identified as backward (ii)Village Development Programme for Villages not covered by MCB/MCD (iii) Support to District Level Institutions in MCDs and (iv) Free Cycle for Girls Students of Class IX, which have been merged with MsDP.*

Annexure - IV

Multi sectoral Development Programme (MsDP) for Minority Concentration Districts (MCDs)-Approval for 11th plan Financial Progress Report as per reports receievd from States/UTs upto 31/12/2014

Rs. in Lakh

Sl. No.	State	Allocation	Projects Approved	Fund Released
1	Uttar Pradesh	101570.00	100300.85	79012.30
2	West Bengal	68610.00	68579.68	61139.52
3	Assam	70350.00	69275.35	46892.62
4	Bihar	52320.00	52280.58	40563.07
5	Manipur	13910.00	13912.58	12043.01
6	Haryana	4920.00	4919.90	4187.89
7	Jharkhand	18140.00	17997.54	13944.70
8	Uttrakhand	5950.00	5227.77	3235.84
9	Maharashtra	6000.00	5993.93	5671.69
10	Karnataka	3990.00	3914.40	3793.15
11	Andaman & Nicobar Island	1500.00	1242.85	68.25
12	Odisha	3130.00	3129.92	2562.21
13	Meghalaya	3050.00	3047.65	3047.65
14	Kerala	1500.00	1500.00	1462.92
15	Mizoram	4590.00	3895.33	2724.93
16	Jammu & Kashmir	1500.00	1506.21	1349.61
17	Delhi	2210.00	2191.15	1099.73
18	Madhya Pradesh	1500.00	1493.30	1398.30
19	Sikkim	1500.00	1268.59	1100.02
20	Arunachal Pradesh	11800.0	11711.70	8232.15
	Total	**378040.00**	**373389.28**	**293529.56**

Annexure -V

Multi sectoral Development Programme (MsDP) for Minority Concentration Districts (MCDs)-Approval for 11th plan Physical Progress Report as per reports receievd from States/UTs upto 31/12/2014

S.No	State		IAY	Total of Health	AWC	Hand pumps/ DWS	Additional class rooms	School building	Teaching aid	Lab equip.	ITI building	Plytechnic	Toilet & DW in HS	Solar Lantern/ Solar Light	Hostels	Misc.
1	Uttar Pradesh	U.S.	84480	870	9336	12510	667	61	0	2	32	19	1578	0	12	0
		U.C	74353	636	7700	9946	498	23	0	0	7	1	826	0	2	0
		WIP	2871	59	1154	496	108	37	0	0	25	18	38	0	9	0
2	West Bengal	U.S.	37532	743	7007	6529	6401	41	40	60	6	3	66	5000	39	0
		U.C	37398	733	6925	6529	5526	34	40	60	2	0	20	5000	27	0
		WIP	134	10	122	0	757	7	0	0	4	3	46	0	12	0
3	Assam	U.S.	89836	133	2077	11195	3557	0	16	50	15	1	294	9905	38	0
		U.C	43662	80	588	3463	636	0	0	0	0	0	144	0	0	0
		WIP	13168	3	620	330	849	0	0	0	2	0	4	0	13	0
4	Bihar	U.S.	35657	249	4835	2533	2056	92	0	53	3	2	1360	14285	41	3
		U.C	14702	97	1374	1746	1044	56	0	37	1	0	404	7515	10	0
		WIP	16606	101	1030	787	474	32	0	4	1	1	75	3761	18	0
5	Manipur	U.S.	5940	152	75	679	0	375	0	0	1	0	0	0	35	1
		U.C	5940	70	60	422	0	199	0	0	0	0	0	0	1	0
		WIP	0	82	15	224	0	176	0	0	1	0	0	0	11	1
6	Haryana	U.S.	2000	6	142	0	183	8	0	0	1	0	0	0	0	0
		U.C	2000	0	90	0	123	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	6	0	19	32	8	0	1	0	0	0	0	0	0

7	Jharkhand	U.S.	9215	237	1335	0	28	0	1	0	8	2	0	1124	8	0
		U.C	8764	173	1008	0	3	0	1	0	1	0	0	973	0	0
		WIP	450	46	236	0	0	0	0	0	3	1	0	151	8	0
8	Uttrakhand	U.S.	0	24	455	914	69	2	0	0	1	2	17	0	0	0
		U.C	0	0	411	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	19	44	11	68	2	0	0	1	2	17	0	0	0
9	Maharashtra	U.S.	11670	0	626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
		U.C	10471	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	1028	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
10	Karnataka	U.S.	4400	36	366	0	50	0	0	0	0	0	0	0	30	0
		U.C	3479	24	277	0	47	0	0	0	0	0	0	0	12	0
		WIP	237	15	89	0	4	0	0	0	0	0	0	0	18	0
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.	0	0	35	0	0	0	25	0	1	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	11	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	15	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
12	Odisha	U.S.	5740	15	151	0	11	0	0	0	2	0	64	0	0	0
		U.C	4960	4	144	0	11	0	0	0	0	0	42	0	0	0
		WIP	780	11	7	0	0	0	0	0	2	0	22	0	0	0
13	Meghalaya	U.S.	5000	0	81	1301	54	1	0	0	0	0	0	0	5	0
		U.C	5000	0	70	1301	51	1	0	0	0	0	0	0	5	0
		WIP	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kerala	U.S.	0	10	0	3	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		U.C	0	10	0	3	38	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Mizoram	U.S.	2758	23	221	24	37	17	0	0	0	0	0	0	9	0
		U.C	2236	16	158	0	36	17	0	0	0	0	0	0	5	0
		WIP	0	1	0	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Jammu & Kashmir	U.S.	0	0	40	82	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		U.C	0	0	2	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	35	61	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Delhi	U.S.	0	5	0	2	80	2	0	0	1	0	17	0	0	0
		U.C	0	2	0	2	80	2	0	0	0	0	10	0	0	0
		WIP	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	Madhya Pradesh	U.S.	1000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	750	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19	Sikkim	U.S.	250	1	56	4	22	12	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	250	0	10	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Arunachal Pradesh	U.S.	5743	33	557	0	240	49	10	10	0	0	2	0	107	0
		U.C	4359	15	452	0	195	35	5	10	0	0	2	0	23	0
		WIP	1384	18	105	0	43	14	5	0	0	0	0	0	82	0
	Total	**U.S.**	**301221**	**2537**	**27595**	**35776**	**13508**	**660**	**92**	**175**	**72**	**31**	**3398**	**30314**	**334**	**4**
		U.C	**217324**	**1860**	**19705**	**24030**	**8298**	**373**	**58**	**107**	**11**	**2**	**1448**	**13488**	**85**	**0**
		WIP	**37658**	**373**	**3736**	**1947**	**2352**	**277**	**18**	**5**	**40**	**25**	**202**	**3912**	**176**	**1**

Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned, U.C.: Unit Completed, WIP: Work in Progress

IAY=Indira Awas Yojana, AWC= Anganwadi Centres, ITI= Industrial Training Institute, DWS= Drinking Water Supply, ACRs= Additional Classrooms, PHC= Primary Health Centre, CHC= Community Health Centre, Mis= (IWDP- Integrated Water Development Project, District Institute of Education and Trainig (DIET), Approach Rorad)

Annexure - VI

Multi sectoral Development Programme (MsDP) for 12th Five Year Plan
Financial Progress Report upto 31.12.2014

Rs. in lakh

Sl. No.	State	Projects Approved d	Funds released
1	Uttar Pradesh	88988.62	62320.22
2	West Bengal	113673.28	93268.01
3	Assam	2237.73	4740.67
4	Bihar	41793.38	23483.34
5	Manipur	1854.39	2987.67
6	Haryana	2513.45	1905.17
7	Jharkhand	7567.27	5137.05
8	Uttrakhand	3815.17	3175.21
9	Maharashtra	2829.73	1737.10
10	Karnataka	7614.34	3826.93
11	Andaman & Nicobar Island	0.00	315.30
12	Odisha	4606.19	2543.41
13	Meghalaya	2127.76	1590.88
14	Kerala	3193.42	1640.78
15	Mizoram	1396.21	1752.43
16	Jammu & Kashmir	646.72	323.36
17	Delhi	235.38	676.37
18	Madhya Pradesh	503.09	346.54
19	Sikkim	2040.63	1108.18
20	Arunachal Pradesh	12741.21	9313.87
21	Andhra Pradesh	5304.30	2648.17
22	Telangana	1512.72	756.57
23	Tripura	6914.25	4215.88
24	Punjab	2143.17	1085.81
25	Rajasthan	6301.60	3159.11
26	Gujarat	0.00	0.00
27	Chattisgarh	2009.46	1004.74
	Total	**324563.46**	**235062.75**

Multi sectoral Development Programme (MsDP) during 12th Five Year Plan

Physical Progress Report as per reports received from States/UTs upto 31.12.14

S. No	State		Education									Digital Literacy under Cyber Gram	Skill Development			Health	aAganwadi Cente	Drinking Water		Pucca Housing	Income Generation Infrastructure	Misc.
			Degree College	School building	Additional class rooms	Hostels	Computers in School	Lab equip.	Toilet & DW in School	Teaching aid	Free Bicycle for Girls		ITI Building	Polytechnic	Skill Training	Total of Health	AWC	Hand pumps	Drinking Water Facilties	IAY		
1	Uttar Pradesh	U.S.	7	160	469	18	110	10	1850	272	0	0	21	5	39255	181	1754	8613	110	574	0	2
		U.C	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175	5	191	3837	0	0	0	0
		WIP	0	23	154	7	0	0	0	0	0	0	17	4	307	49	202	381	11	0	0	0
2	West Bengal	U.S.	0	67	3327	174	389	0	696	10	0	170005	34	5	63720	193	4087	1150	8100	18186	50	2367
		U.C	0	3	279	12	373	0	37	0	0	0	0	0	0	9	542	105	2221	1049	6	0
		WIP	0	5	2742	116	16	0	464	0	0	0	16	4	0	133	3044	1045	2333	16955	39	235
3	Assam	U.S.	0	0	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	13	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bihar	U.S.	0	130	1047	18	0	0	26	0	0	0	0	1	0	448	72	0	8	5630	0	1
		U.C	0	0	111	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
5	Manipur	U.S.	0	50	163	13	0	0	0	0	764	0	0	0	0	39	0	0	0	910	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Haryana	U.S.	0	1	60	5	0	12	0	0	0	0	1	1	0	20	142	0	178	0	0	1
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Jharkhand	U.S.	0	1	229	13	0	0	0	0	0	0	3	1	0	19	229	0	6	1195	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	32	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	16	0	0	200	0	0
8	Uttrakhand	U.S.	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	576	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Maharashtra	U.S.	0	2	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Karnataka	U.S.	0	29	188	42	0	0	59	0	0	0	0	0	7810	9	0	0	50	1500	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Andaman & Nicobar Island	U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Odisha	U.S.	0	0	183	5	10	1	0	0	0	0	0	0	2850	18	145	1	34	4297	4	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Meghalaya	U.S.	0	1	34	7	0	0	400	0	2154	0	0	0	0	22	21	563	580	849	0	0
		U.C	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	563	400	0	0	0
		WIP	0	0	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
14	Kerala	U.S.	0	4	152	0	0	0	0	0	1807	0	0	0	0	19	0	0	16	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Mizoram	U.S.	0	15	43	0	60	0	12	0	0	0	2	0	0	4	17	0	1	0	1	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0

16	Jammu & Kashmir	U.S.	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	50	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Delhi	U.S.	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		U.C	0	0	20	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Madhya Pradesh	U.S.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	4
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sikkim	U.S.	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	252	0	2
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Arunachal Pradesh	U.S.	0	23	279	75	0	4	80	0	0	0	0	0	0	19	89	0	516	1692	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Andhra Pradesh	U.S.	0	15	121	13	0	0	0	0	2700	0	3	0	7125	2	20	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Telamgana	U.S.	0	4	133	34	0	0	5	27	700	0	0	0	4225	9	50	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Tripura	U.S.	1	6	178	5	90	0	0	0	2735	0	0	0	0	17	0	0	215	393	0	1
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	1	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	44	165	0	0
24	Punjab	U.S.	0	0	73	0	19	0	0	4	0	0	0	0	0	10	198	0	0	23	1	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Rajasthan	U.S.	1	6	90	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	53	62	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Gujarat	U.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Chattisgarh	U.S.	0	0	257	3	203	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	65	0	0	0
		U.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		WIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**U.S.**	**12**	**520**	**7070**	**449**	**881**	**27**	**3130**	**313**	**10860**	**170005**	**72**	**14**	**124985**	**1265**	**6970**	**11841**	**9892**	**35501**	**56**	**2381**
		U.C	**0**	**3**	**419**	**21**	**373**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1175**	**39**	**746**	**4505**	**2621**	**1049**	**6**	**0**
		WIP	**0**	**29**	**3319**	**132**	**16**	**0**	**464**	**0**	**0**	**0**	**36**	**8**	**307**	**221**	**3268**	**1426**	**2388**	**17320**	**39**	**235**

Abbreviation :- U.S: Unit Sanctioned, U.C.: Unit Completed, WIP: Work in Progress
IAY=Indira Awas Yojana, AWC= Anganwadi Centres, ITI= Industrial Training Institute, DWS= Drinking Water Supply, ACRs= Additional Classrooms, PHC= Primary Health Centre, CHC= Community Health Centre, Mis= (IWDP- Integrated Water Development Project, District Institute of Education and Trainig (DIET), Approach Rorad, Cmpuetr with accesoriies, Libraray, Hat Sheds)

Annexure -VIII

State/UT- wise & Community- wise physical targets and achievements of Pre-matric scholarships for students belonging to the minority communities for the year 2014-15 (As on 31/12/2014)

S. No.	States/UTs	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Jain		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount released (in cr.)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A				
1	Andhra Pradesh	108232	124338	18309	6698	480	22	496	2	648	8	13	1	**128178**	**131069**	55937	75132	57.32	**28.15**
2	Telangana		170115		5570		233		227		15		18		**176178**	72733	103445	58.72	**48.03**
3	Arunachal Pradesh	320		3134		29		2216		3		14		**5716**	**0**			#DIV/0!	
4	Assam	127504		15283		349		790		371		13		**144310**	**0**			#DIV/0!	**24.91**
5	Bihar*	212516	121687	823	1148	322	28	292	20	249	0	13	0	**214215**	**122883**	111776	11107	9.04	
6	Chhattisgarh	6345	15231	6212	1786	1078	2222	1011	453	869	261	14	0	**15529**	**19953**	9422	10531	52.78	**6.61**
7	Goa	1428	455	5570	2679	15	0	10	0	13	0	86	0	**7122**	**3134**	1335	1799	57.40	**0.20**
8	Gujarat	71147	342869	4401	3121	706	779	276	523	8137	5843	97	35	**84764**	**353170**	155454	197716	55.98	**52.78**
9	Haryana	18944		421		18134		111		886		14		**38510**	**0**			#DIV/0!	
10	Himachal Pradesh	1851		119		1121		1175		22		13		**4301**	**0**			#DIV/0!	**0.78**
11	Jammu & Kashmir	105283	214413	314	0	3209	0	1763	0	39	0	13	0	**110621**	**214413**	106624	107789	50.27	**43.36**
12	Jharkhand	57726	24529	16937	3812	1291	121	92	0	253	2	13	1	**76312**	**28465**	13302	15163	53.27	**9.46**
13	Karnataka	100120	392212	15633	35728	237	339	6093	645	6392	6392	14	53	**128489**	**435369**	205979	229390	52.69	**63.85**
14	Kerala	121705	509881	93808	335339	43	98	31	42	70	70	13	35	**215670**	**845465**	385471	459994	54.41	**85.39**
15	Madhya Pradesh	59457		2639		2336		3243		8449		15		**76139**	**0**			#DIV/0!	
16	Maharashtra	159023	471195	16394	9818	3336	3991	90411	212426	20167	19818	375	648	**289706**	**717896**	348440	369456	51.46	**75.16**

17	Manipur	2958	5303	11426	13986	26	0	30	75	23	0	13	0	**14476**	**19364**	9768	9596	49.56	**6.66**
18	Meghalaya	1536		25234		48		73		12		13		**26916**	**0**			#DIV/0!	
19	Mizoram	156	162	11971	75052	5	0	1092	3351	3	0	13	0	**13240**	**78565**	38438	40127	51.07	**28.03**
20	Nagaland	545	355	27735	42464	18	13	21	4	32	0	13	0	**28364**	**42836**	21051	21785	50.86	**13.75**
21	Odisha	11804	28830	13909	10538	271	15	153	140	142	87	13	0	**26292**	**39610**	15210	24400	61.60	**3.12**
22	Punjab	5918		4536		225948		643		608		13		**237666**	**0**			#DIV/0!	**43.87**
23	Rajasthan	74172	214953	1126	273	12678	33550	160	17	10077	4639	15	1	**98228**	**253433**	128312	125121	49.37	**44.98**
24	Sikkim	119	0	559	1061	18	0	2355	3382	3	0	13	0	**3067**	**4443**	2311	2132	47.99	**1.11**
25	Tamil Nadu	53763	180131	58559	200902	148	5	84	7	1291	331	14	0	**113859**	**381376**	200920	180456	47.32	**66.29**
26	Tripura	3942	9178	1588	6	18	0	1532	9	7	0	13	0	**7100**	**9193**	4133	5060	55.04	**2.27**
27	Uttar Pradesh	475990	838366	3290	335	10504	6481	4679	1276	3208	291	13	8	**497684**	**846757**	450859	395898	46.75	**153.71**
28	Uttarakhand	15679	48151	420	362	3284	5532	193	0	143	6	13	0	**19732**	**54051**	29468	24583	45.48	**9.25**
29	West Bengal	313442	1661221	7980	19072	1028	1137	3770	8589	855	14	13	6	**327088**	**1690039**	800250	889789	52.65	**225.31**
30	Andaman & Nicobar	453	459	1196	337	25	5	7	0	0	0	13	0	**1694**	**801**	341	460	57.43	**0.12**
31	Chandigarh	551	1398	118	178	2249	1735	21	4	40	4	13	0	**2992**	**3319**	1689	1630	49.11	**0.38**
32	Dadra & Nagar Haveli	101		94		2		7		13		8		**225**	**0**			#DIV/0!	
33	Daman & Diu	190	726	52	2	2	0	2	0	4	0	65	0	**315**	**728**	125	603	82.83	**0.23**
34	Delhi	25150		2019		8607		367		2403		14		**38560**	**0**			#DIV/0!	**2.35**
35	Lakshadweep	897		8		1		1		1		12		**920**	**0**			#DIV/0!	
36	Puducherry	920		1049		2		1		15		13		**2000**	**0**			#DIV/0!	
	Total:	**2139887**	**5376158**	**372866**	**770267**	**297568**	**56306**	**123201**	**231192**	**65448**	**37781**	**1030**	**806**	**3000000**	**6472510**	**3169348**	**3303162**	**51.03**	**1040.11**

T= Target A= Achievement

** Adjustment against Unspent balance of previous years.*

Annexure-IX

State/UT- wise Target & Achievements under Post-matric scholarships for students belonging to the minority communities for the year 2014-15 (As on 31.12.2014)

S.No.	States/UTs	Physical Allocation	No. of Scholarships			Amount Sanctioned (Rs. in Cr.)
			Fresh (a)	Renewal (b)	Total (a+b)	
1	**Andhra Pradesh**	21363	3772	602	**4374**	**2.95**
2	**Telangana**				**0**	
3	**Arunachal Pradesh**	950			**0**	
4	**Assam**	24077	19523	1350	**20873**	**14.87**
5	**Bihar**	35712		869	**869**	**0.59**
6	**Chhattisgarh**	2589	1317	160	**1477**	**0.78**
7	**Goa**	1187	60	9	**69**	**0.04**
8	**Gujarat**	14127		36	**36**	**0.09**
9	**Haryana**	6417			**0**	
10	**Himachal Pradesh**	718			**0**	
11	**Jammu & Kashmir**	18429			**0**	
12	**Jharkhand**	12730			**0**	
13	**Karnataka**	21414			**0**	
14	**Kerala**	35965	756	8942	**9698**	**2.56**
15	**Madhya Pradesh**	12697		573	**573**	**0.40**
16	**Maharashtra**	48302			**0**	
17	**Manipur**	2412	4309	349	**4658**	**3.59**
18	**Meghalaya**	4486			**0**	

19	**Mizoram**	2206			**0**	
20	**Nagaland**	4726			**0**	
21	**Orissa**	4381	1861	244	**2105**	**1.32**
22	**Punjab**	39627	32098		**32098**	**16.71**
23	**Rajasthan**	16371	13919	2914	**16833**	**11.41**
24	**Sikkim**	511			**0**	
25	**Tamil Nadu**	18989			**0**	
26	**Tripura**	1183		38	**38**	**0.02**
27	**Uttar Pradesh**	82882			**0**	
28	**Uttarakhand**	3288	966	54	**1020**	**0.67**
29	**West Bengal**	54501			**0**	
30	**Andaman & Nicobar**	282			**0**	
31	**Chandigarh**	499	162	17	**179**	**0.09**
32	**Dadra & Nagar Haveli**	37			**0**	
33	**Daman & Diu**	53			**0**	
34	**Delhi**	6425	442	60	**502**	**0.33**
35	**Lakshadweep**	132			**0**	
36	**Puducherry**	332	104		**104**	**0.07**
	Total:	**500000**	**79289**	**16217**	**95506**	**56.46**

T= Target A= Achievement

Annexure-X

State/UT-wise Target and Achievements under Merit-Cum-means based Scholarship Scheme for the year 2014-15 (as on 31.12.2014)

S.No.	States	Physical Target	No. of Scholarship Sanctioned			Amount released (Rs. in crore)
			Fresh (a)	Renewal (b)	Total (a+b)	
1	Andhra Pradesh	2564	196	269	465	1.33
2	Telangana		773	400	1173	3.16
3	Arunachal Pradesh	115	0	0	0	0.00
4	Assam	2889	2190	1497	3687	10.93
5	Bihar	4284	3959	4934	8893	25.17
6	Chhatisgarh	310	222	161	383	1.08
7	Goa	145	86	41	127	0.32
8	Gujarat	1697	1440	881	2321	5.72
9	Haryana	770	491	275	766	1.98
10	Himachal Pradesh	85	60	0	60	0.18
11	Jammu & Kashmir	2211	0	1420	1420	4.14
12	Jharkhand	1528	836	639	1475	4.32
13	Karnataka	2570	3554	2810	6364	16.25
14	Kerala	4316	7421	10911	18332	51.64
15	Madhya Pradesh	1524	978	215	1193	3.58
16	Maharashtra	5797	2746	0	2746	7.49
17	Manipur	290	220	169	389	1.45
18	Meghalaya	538	0	0	0	0.00

19	Mizoram	264	0	0	0	0.00
20	Nagaland	567	501	0	501	1.68
21	Orissa	525	279	0	279	0.70
22	Punjab	4752	4263	1926	6189	18.81
23	Rajasthan	1965	1611	0	1611	4.10
24	Sikkim	60	0	0	0	0.00
25	Tamil Nadu	2279	0	7	7	0.00
26	Tripura	142	62	0	62	0.21
27	Uttar Pradesh	9948	8878	1240	10118	26.95
28	Uttarakhand	395	279	97	376	1.01
29	West Bengal	6541	5068	5381	10449	28.77
30	Andaman and Nicobar Island	33	0	0	0	0.00
31	Chandigarh	60	26	0	26	0.07
32	Dadra & Nagar Haveli	4	0	0	0	0.00
33	Daman & Diu	6	0	0	0	0.00
34	Delhi	770	380	301	681	1.74
35	Lakshadweep	17	0	0	0	0.00
36	Puducherry	39	33	6	39	0.09
	Total	**60000**	**46552**	**33580**	**80132**	**222.84**

Annexure-XI

Annual Report 2014-15
State /UT wise List Of Organizations Funded and Women Trained During 2014 -15 Under " Nai Roshni"

S No.	State/UT	No. of women Trainees	Amount Released (In Rs.)	Amount released as 2nd installment (in Rs.)	Amount released as 3rd installment (in Rs)
1	**Andhra Pradesh**	475	679725	486540	0
2	**Telangana**	225	321975	0	0
3	**Assam**	3450	4936950	286200	0
4	**Bihar**	4275	6117525	143100	0
5	**Chattisgarh**	225	321975	0	0
6	**Gujarat**	1525	2182275	59927	0
7	**Haryana**	600	858600	0	0
8	**Himachal Pradesh**	250	357750	0	0
9	**Jammu & Kashmir**	350	500850	143100	0
10	**Jharkhand**	725	1037475	171720	0
11	**Karnataka**	1250	1788750	0	64395
12	**Kerala**	700	1001700	0	0
13	**Madhya Pradesh**	8400	12020400	675859	85860
14	**Maharashtra**	1950	2790450	0	0
15	**Manipur**	1700	2432700	143100	0
16	**Nagaland**	450	643950	0	0
17	**Odisha**	575	822825	286200	57240
18	**Punjab**	350	500850	0	0
19	**Rajasthan**	6000	8586000	336198	214650
20	**Sikkim**	225	321975	0	0
21	**Tamil Nadu**	375	536625	346343	0
22	**Tripura**	225	321975	0	0
23	**Uttar Pradesh**	28375	40604625	12772299	2185675
24	**Uttarakhand**	2125	3040875	143100	
25	**West Bengal**	1650	2361150	0	0
26	**Delhi**	1775	2540025	214650	0
	TOTAL	**68225**	**97629975**	**16208336**	**2607820**
	Professional Services	**839043**			
	Grand Total		**117285174**		

Annexure-XII

The State-wise and NGO-wise Release of Various Installments of Funds Under the Scheme of Leadership Development for Minority Women During 2014-15

Sr. No.	State name	Name of Organization	District	No. of Trainees	1st Installment of 2014-15 (in Rs.)	2nd installment 2012-13 (in Rs.)	2nd installment 2013-14 (in Rs.)	3rd Installment (in Rs.)
1	Andhra Pradesh	Rural and Environment Development Society (REDS)	Ananta puram	225	321975			
2	Andhra Pradesh	Gowthami Foundation	Prakasam			171720		
3	Assam	Ata- Bhowkamari Society Development Association	Barpeta	225	321975			
4	Assam	Down Town Charity Trust	Nalbari and Kamrup	300	429300			
5	Assam	Ankan Academy	Kamrup, Amingaon	225	321975			
6	Assam	Jaluguti Agragami Mahila Samity	Morigaon	225	321975			
7	Assam	Adarsh Samaj Kalyan Samiti	Nagaon	225	321975	71550		
8	Assam	Drishti Foundation	Nagaon	225	321975			
9	Assam	Markazul Maarif	Nagaon	225	321975			
10	Assam	Global Health Immunisation and Population Control Organization	Nagaon	225	321975			
11	Assam	Global Health & Education Centre	Nagaon	225	321975			
12	Assam	Gramin Vikas Abhiyan	Nagaon	225	321975			
13	Assam	Brahmaputra Valley Sikshita Nibonua Progati Gusthi	Nagaon	225	321975			

14	Assam	Gram Vikas Parishad	Nagaon	300	429300			
15	Assam	Grammya Yuva Jagrata Samiti	Nagaon	225	321975			
16	Bihar	Dumrejani Vikas Samiti	Paschim Champaran	225	321975			
17	Bihar	Bhagwan Buddh Vikas Seva Samiti	Araria	300	429300			
18	Bihar	Vivekanand Paryavaran Evam Arogya Mission	Samastipur	300	429300		143100	
19	Bihar	Harishchandra Sewa Sadan	Darbhanga	300	429300			
20	Bihar	Nav Chetna Vikas Kendra	Motihari	300	429300			
21	Bihar	Nari Kalyan Sansthan	East Champaran, Motihari	300	429300			
22	Bihar	Vishal Jan Utthan Kendra	East Champaran, Motihari	300	429300			
23	Bihar	Satyabhama Dantbya Chikitsa Kendra, Patna	Araria	300	429300			
24	Bihar	LichhwiBihar	Darbhanga	300	429300			
25	Bihar	Isrcon Social Development Society	Bhojpur(Ara)	300	429300			
26	Bihar	Sigma Development Society	Bhojpur(Ara)	300	429300			
27	Bihar	Sri Narayan Babuni Foundation	Kishanganj	225	321975			
28	Bihar	Adiwasi Vikas Samiti	Paschim Champaran	225	321975			
29	Bihar	Chankya Foundation	Samastipur	300	429300			
30	Bihar	Karuna	Paschim Champaran	300	429300			

31	Chhattisgarh	Samarpit	Bilaspur	225	321975			
32	Delhi	Jahanvi	Shahdara (Delhi), Ghaziabad (UP)	225	321975			
33	Delhi	Groupious Social Welfare Society	Bijnor	300	429300			
34	Delhi	Indian Medicine Development Trust	Central Delhi and Ghaziabad (UP)	300	429300			
35	Delhi	Federation of Indian Women Entrepreneurs	North West Delhi	225	321975			
36	Delhi	Lumbini Education and Social Advancement Society	North East Delhi	225	321975			
37	Gujarat	Rural Development Foundation	Anand	225	321975			
38	Gujarat	Shri Gujarat Education Trust	Surat	225	321975			
39	Gujarat	Kaira Social Service Society	Gandhinagar and Anand	300	429300			
40	Gujarat	Jan Kalyan Sewa Samiti	Gandhinagar	225	321975			
41	Gujarat	Bramha Samaj Sewa Trust	Kutch	300	429300			
42	Haryana	Gramin Yuva Vikas Mandal	Kaithal	225	321975			
43	Jammu and Kashmir	Human Welfare Organization	Srinagar and Kupwara	225	321975		143100	
44	Jharkhand	Society for Environment and Social Awareness	Palamau	300	429300			
45	Jharkhand	Phoolean Mahila Chetna Vikas Kendra	Devghar	300	429300		171720	
46	Karnataka	Spoorthy	Davangere	225	321975			
47	Karnataka	Mamatha Makkala Mandira	Bangalore	225	321975			64395

48	Karnataka	Parivarthana Rural Development Society	Shimoga	225	321975			
49	Karnataka	Sahayog	Bidar	225	321975			
50	Karnataka	Amareshwar Grameen Abhivruddi Shikshan Mattu Kalyan Sansthe	Koppal	225	321975			
51	Kerala	Wayanand Social Service Society	Wayanad	225	321975			
52	Kerala	Malabar Social Service Society	Kannur	225	321975			
53	Madhya Pradesh	Abhinav Manav kalyan Samiti	Harda	225	321975			
54	Madhya Pradesh	Aisect(All India Society for Electronics and Computer Technology	Satna	300	429300			
55	Madhya Pradesh	Ambika Shiksha Samaj Kalyan Samiti	Bhopal	225	321975			
56	Madhya Pradesh	Anupama Education Society	Satna	225	321975			
57	Madhya Pradesh	Arpan Welfare Society	Raisen	225	321975			
58	Madhya Pradesh	Ashutosh Samaj Kalyan Kari Samiti	Sehore	225	321975			
59	Madhya Pradesh	B.M. Education Society	Bhopal	225	321975			
60	Madhya Pradesh	Bandhewal Shiksah Samiti	Rajgarh	225	321975			
61	Madhya Pradesh	Bhagini Nivedita Shiksha Samiti	Bhopal	225	321975			
62	Madhya Pradesh	Centre for Research and Industrial Staff Performance	Bhopal	225	321975			

63	Madhya Pradesh	Facilitation and Awareness of Community for Empowerment FACE	Sidhi and Rewa	225	321975		143100	
64	Madhya Pradesh	Gayatri Mahila Avam Bal Kalyan Tatha Shiksha Prasar Samiti Morena	Seoni	225	321975			
65	Madhya Pradesh	Human Welfare Organization	Bhopal	225	321975			
66	Madhya Pradesh	Jigyasa Samajik Sansthan	Bhopal	225	321975			
67	Madhya Pradesh	Kadambini Shiksha Evam Samaj Kalyan Samiti	Sehore	225	321975			
68	Madhya Pradesh	Manav Seva Kalyan Sansthan	Dewas	225	321975			
69	Madhya Pradesh	Manav Vikas sewa Sangha	Bhopal	225	321975			
70	Madhya Pradesh	Native Education and Employment Developing Society, Bhopal	Bhopal	225	321975			
71	Madhya Pradesh	Natural Resource Management & Common Wealth (NRMCW)	Jabalpur, Bhopal and Raisen	225	321975			
72	Madhya Pradesh	Pushpam Munshi Shiksha Avam Samaj Kalyan Samiti	Bhind	225	321975			
73	Madhya Pradesh	Ramshri Shiksha Evam Samaj Kalyan Samiti	Gwalior	225	321975			
74	Madhya Pradesh	Samadhan Samaj Seva Sangathan	Bhopal and Vidisha	225	321975			
75	Madhya Pradesh	Samarpan Samaj Kalyan Samiti	Dewas	225	321975			
76	Madhya Pradesh	Shabri Samaj Sewa Samiti	Bhind	225	321975			

77	Madhya Pradesh	Shikhar Social Welfare Organization	Bhopal	225	321975			
78	Madhya Pradesh	Shiv Kalyan Evam Shiksha Samiti	Bhopal	225	321975			
79	Madhya Pradesh	Shri Krishna Gramothan Samiti	Morena	225	321975		143100	
80	Madhya Pradesh	Society for Educatin and Technical Training	Shivpuri	225	321975			
81	Madhya Pradesh	Suman Shiksha Samaj Kalyan Samiti	Gwalior	225	321975			
82	Madhya Pradesh	The 5th Dimension Academy	Khandwa	225	321975			
83	Madhya Pradesh	Udaan Samiti	Indore	225	321975			
84	Madhya Pradesh	Vijyasan Devi Mandal	Sehore	225	321975		143100	
85	Maharashtra	Gramin Samasya Mukti Trust (GSMT)	Yavatmal	225	321975			
86	Maharashtra	Gyansagar Education and Social Welfare Society, Parbhani	Parbhani	225	321975			
87	Maharashtra	Alqama Education and Welfare Society	Dhule	225	321975			
88	Maharashtra	Harshal Grameen Vikas Bahu Sanstha	Chandrapur	225	321975			
89	Maharashtra	Social Action for Manpower Creation	Pune	225	321975			
90	Maharashtra	SAARC Multipurpose Society	Nagpur	225	321975			
91	Maharashtra	Gopi Memorial Pratisthan	Hingoli	225	321975			
92	Manipur	Sangai Foundation	Imphal West	225	321975		143100	

93	Manipur	Centre of Rural Upliftment Service (CRUS)	Churachandpur	225	321975			
94	Manipur	Women's Income Generation Centre	Churachandpur	225	321975			
95	Manipur	The Rural Development Association	Imphal East	225	321975			
96	Manipur	Social Reformation & Development Organization	Imphal East	225	321975			
97	Manipur	Integrated Economic Development Society	Imphal East	225	321975			
98	Manipur	Integrated Rural Development & Educational Organization (IRDEO)	Thoubal	225	321975			
99	Nagaland	Development Association of Nagaland	Dimapur	225	321975			
100	Nagaland	School of Social Work	Dimapur	225	321975			
101	Odisha	Jana Jagran Kendra	Dhenkanal	225	321975			
102	Odisha	Suprativa	Cuttack	225	321975		143100	
103	Punjab	Rameshwar Welfare Trust, Ludhiana	Ludhiana	225	321975			
104	Rajasthan	Amrapali Prashikshan Sansthan	Tonk and Bundi	225	321975			
105	Rajasthan	Arya Nagar Mahila Samiti, Betul	Sehore	225	321975			
106	Rajasthan	Bhagyashree Sansthan	Bharatpur	225	321975			
107	Rajasthan	Centre for Community Economics and Development Consultant Society	Tonk	300	429300			
108	Rajasthan	Guru Kripa Lok Sewa Sansthan	Sikar	225	321975		123930	
109	Rajasthan	Junjhunu Zila Paryavaran Sudhar Samiti	Sikar	225	321975			

110	Rajasthan	Mahila Mandal Barmer Agor (MMBA)	Nagaur	225	321975			
111	Rajasthan	Navjeevan Society	Jaipur	225	321975			
112	Rajasthan	Pant Shiksha Samiti	Bharatpur, Sikar and Dausa	225	321975		143100	
113	Rajasthan	Pioneer Academy Shikshan Sansthan	Udaipur, Rajsamand, Chittorgarh and Dungarpur	225	321975			
114	Rajasthan	Prerna Sansthan	Barmer	225	321975			
115	Rajasthan	R.K. Sansthan	Alwar	225	321975	35775		
116	Rajasthan	Ranthambore Seva Sansthan	Dausa	225	321975			
117	Rajasthan	Royal Oxford Education and Welfare Society	Jaipur	225	321975			
118	Rajasthan	Savera Sansthan Barmer	Barmer	225	321975			
119	Rajasthan	Self Development Institute	Tonk and Ajmer	225	321975			
120	Rajasthan	Shri Krishna Sansthan	Barmer	225	321975			
121	Rajasthan	Srijan Sansthan	Sirohi, Bharatpur, Rajsamand, Alwar, Dausa	225	321975			178875
122	Rajasthan	Students Relief Society	Chittorgarh	225	321975			
123	Rajasthan	Sum Drishti Education Society	Sikar (Raj), Ghaziabad and Muzzaffarnagar (UP)	300	429300			
124	Rajasthan	Tri Sansthan Sundri	Dausa	225	321975			
125	Sikkim	Bhavishya Educational & Charitable Society	Gangtok	225	321975			

126	Tripura	Tripura Adivasi mahila Samiti	Agartala	225	321975			
127	**Telangana**	Gowthami Foundation	Khammam	225	321975			
128	Uttar Pradesh	Acharya Jee Maha Samiti	Maharajganj	225	321975		143100	
129	Uttar Pradesh	Adarsh Jan Kalyan Evam Shiksha Samiti	Lucknow	225	321975			
130	Uttar Pradesh	Adharshila Samajik Evam Sanskritik Vikas Sansthan	Barabanki and lucknow	225	321975			
131	Uttar Pradesh	Allama Iqbal Educational Society	Agra	225	321975	143100	143100	121635
132	Uttar Pradesh	Amar Shaheed Paramvir Chakra Nayak Jadunath Singh	Shahjahanpur	225	321975			
133	Uttar Pradesh	Ambedkar Shiksha Samiti	Lucknow	225	321975		143100	
134	Uttar Pradesh	Anchal Womens Welfare Society	Lucknow	225	321975			
135	Uttar Pradesh	Antarrashtriya Pariwar Sewa Sansthan	Kushinagar and Maharajganj	225	321975		143100	
136	Uttar Pradesh	Archana Mahila Kalyan Samiti	Barabanki	225	321975		143100	
137	Uttar Pradesh	Ashray Welfare Foundation	Barabanki	225	321975			
138	Uttar Pradesh	Awadh Cultural Society	Barabanki	225	321975			
139	Uttar Pradesh	Bal Bharti	Leh	225	321975			
140	Uttar Pradesh	Bandhana Foundation	Etah	225	321975			
141	Uttar Pradesh	Bharti Gramotthan Samajik Vikas SANsthan	Moradabad	225	321975			
142	Uttar Pradesh	Bhartiya Prodhuagiki Evam Udyami Vikas Sansthan	Muzaffarnagar	225	321975			
143	Uttar Pradesh	Bhawana Sewa Sansthan	Shahjahanpur	225	321975			
144	Uttar Pradesh	BIRD	Lucknow	225	321975			

145	Uttar Pradesh	Centre of Technology and Entrepreneurship Development (CTED)	Barabanki	225	321975			
146	Uttar Pradesh	Chandra Gramin Vikas sansthan	Pratapgarh	225	321975			
147	Uttar Pradesh	Daraganj Gramodyog Vikas Sansthan	kaushami and Allahabad	225	321975			
148	Uttar Pradesh	Deen Dayal Upadhyay Welfare Society	Moradabad	225	321975			
149	Uttar Pradesh	Dev Hari Jan Kalyan Sewa Samiti	Azamgarh	225	321975			
150	Uttar Pradesh	Development Services International	Ghaziabad	300	429300		143100	
151	Uttar Pradesh	Enlighting Future	Lucknow	225	321975			
152	Uttar Pradesh	Fairdeal Gramodyog Sewa Samiti	Barabanki	225	321975			
153	Uttar Pradesh	Gorakhpur Bhartiya Shiksha Parishad	Kushinagar	225	321975			57240
154	Uttar Pradesh	Gram Vikas Samiti	Maharajganj	225	321975			
155	Uttar Pradesh	Gramin Mahila Audyogik Prashikshan Kendra	Barabanki & Shahjahanpur	225	321975			
156	Uttar Pradesh	Gramin Sewa Sansthan	Maharajganj	225	321975			
157	Uttar Pradesh	Gramin Vikas Evam Prashikshan Sansthan	Lakhimpur Khiri	225	321975			
158	Uttar Pradesh	Gramin Vikas Parishad	Maharajganj	225	321975			
159	Uttar Pradesh	Gramodaya	Kushinagar	225	321975			
160	Uttar Pradesh	Gramya Vikas Sansthan	Lakhimpur Khiri	225	321975		143100	
161	Uttar Pradesh	Gurukul Shiksha Evam Grameen Vikas Sansthan	Barabanki & Lucknow	225	321975			

162	Uttar Pradesh	Jagat Jagdish Jan kalyan samiti	Pratapgarh	225	321975			
163	Uttar Pradesh	Jan Jagriti Sewa Sansthan	Raebareilly	225	321975			
164	Uttar Pradesh	Jan Kalyan Evam Vikas Samiti	Lakhimpur Khiri & Shrawasti	225	321975			
165	Uttar Pradesh	Jan sahayog evam vikas sansthan	Kaushambi	225	321975			
166	Uttar Pradesh	Jawahar Lal Nehru Sewa Sansthan	Kushinagar	225	321975			
167	Uttar Pradesh	Kamla Nehru Sewa Sadan	Shrawasti	225	321975		143100	
168	Uttar Pradesh	Krishi Vikas Evam Manav Kalyan Sansthan	Pratapgarh	225	321975			
169	Uttar Pradesh	Maa Purna Jan Kalyan Sewa Sansthan	Shahjahanpur & Hardoi	225	321975			
170	Uttar Pradesh	Maashrita Sewa Sansthan	Hardoi	225	321975			
171	Uttar Pradesh	Madeeha Educational Welfare Society	Rampur	225	321975			
172	Uttar Pradesh	Mahila Evam Bal Vikas Sansthan	Maharajganj	225	321975			42930
173	Uttar Pradesh	Maitreyee Sahityik Sanskritik Evam Samajik Sanstha	Allahabad	225	321975			
174	Uttar Pradesh	Manav Kalyan & Gramin Vikas Sansthan	Kannauj	225	321975			
175	Uttar Pradesh	Manav Sewa Samiti	Shahjahanpur	225	321975			
176	Uttar Pradesh	Manav Vikas Evam Sewa Sansthan	Lucknow	300	429300	1379250		357750
177	Uttar Pradesh	Matribhoomi Vikas Parishad	Allahabad	225	321975			
178	Uttar Pradesh	Maulana Azad Educational Society	Maharajganj	225	321975			

179	Uttar Pradesh	Nari Kalyan Sewa Sansthan	Kaushambi and Allahabad	225	321975		143100	
180	Uttar Pradesh	Nav Srejan	Kaushambi	225	321975			
181	Uttar Pradesh	Navada Gramododhyog Vikas Samiti	Amroha	225	321975		143100	
182	Uttar Pradesh	Nehru Sewa Ashram	Shahjahanpur	225	321975			
183	Uttar Pradesh	Nehru Yuva Chetna Kendra	Kushinagar	225	321975			
184	Uttar Pradesh	New Rainbow Welfare Society	Barabanki	225	321975			
185	Uttar Pradesh	Nisharg	Barabanki	225	321975			
186	Uttar Pradesh	Om Shiv Hari Manav Kalyan Samiti	Fatehpur, Banda and Kaushambi	225	321975			
187	Uttar Pradesh	Oxford Shiksha Prasar Sansthan	Kannauj	225	321975			
188	Uttar Pradesh	Pawan Sewa Sansthan	Gonda	225	321975		142988	
189	Uttar Pradesh	Pioneer Foundation	Barabanki and Lucknow	300	429300		143100	293700
190	Uttar Pradesh	Pragati Jan Kalyan Samiti	Lucknow	225	321975			
191	Uttar Pradesh	Pragati Pathgami	Barabanki	225	321975			
192	Uttar Pradesh	Prema Gramya Vikas Sansthan	Sitapur	225	321975	1379250		357750
193	Uttar Pradesh	Purvanchal Social Development Society	Azamgarh	225	321975			
194	Uttar Pradesh	Rafat Foundation	Barabanki and Lucknow	225	321975		143100	
195	Uttar Pradesh	Rashtriya Asahaya Sewa Ashram Parishad	Allahabad	225	321975			
196	Uttar Pradesh	Rashtriya Sam Uddeshiya Vikas Sansthan	Muzaffarnagar	225	321975			

197	Uttar Pradesh	Ravidranath Tagore Gramothan Evam Shiksha Prasar Sansthan	Hardoi	225	321975			
198	Uttar Pradesh	Right Way Society	Bulandshehar	225	321975			
199	Uttar Pradesh	Riya Jan kalyan Samiti	Moradabad	225	321975			
200	Uttar Pradesh	Sacred Education and Welfare Society	Lucknow	225	321975		143100	
201	Uttar Pradesh	Saket Women Social Effort Craft Village Institute	Azamgarh	225	321975			
202	Uttar Pradesh	Sankriti Vikas Evam Sakshatra Sewa Sansthan	Lucknow	225	321975			
203	Uttar Pradesh	Saraswati Mahila Shilpkala Prashikshan Samiti	Barabanki	225	321975			
204	Uttar Pradesh	Saubhagya Shree Sahara Sansthan	Kaushambi	225	321975			
205	Uttar Pradesh	Shanti Sarvoday Sansthan	Gonda	225	321975		143100	
206	Uttar Pradesh	Shanti Shaikshik Evam Samajik Kalyan Sansthan	Lucknow	300	429300			
207	Uttar Pradesh	Shiva Audhogik Vikas Sewa Sansthan	Deoria	225	321975	57240	143100	
208	Uttar Pradesh	Shivam Gram Utthan Seva Sansthan	Azamgarh	225	321975			
209	Uttar Pradesh	Shri Bholanath Sewa Sansthan	Shrawasti	225	321975			
210	Uttar Pradesh	Shri Hans Shaikshanik Evam Sewa Sansthan	Barabanki	225	321975			
211	Uttar Pradesh	Shubham Kalyan Samiti	Barabanki	225	321975			
212	Uttar Pradesh	Social Upliftment Through Research Activity	Devaria	225	321975			
213	Uttar Pradesh	Society for Computer Education and Development In Rural Area	Barabanki	300	429300			

214	Uttar Pradesh	Sumati Foundation	Muzaffarnagar	225	321975			
215	Uttar Pradesh	Support for Implementation and Research (SIR)	Pilibhit and Lucknow	225	321975			
216	Uttar Pradesh	Surya Vikas Samiti	Lucknow and Shahajahanpur	225	321975		124200	
217	Uttar Pradesh	Swajan Shikshan Sansthan	Firozabad	225	321975			
218	Uttar Pradesh	Swargiya Bhagwati Shikshan Sansthan	Devaria	225	321975			
219	Uttar Pradesh	Swarnim Sansthan	Lucknow and Hardoi	225	321975			
220	Uttar Pradesh	Tharu Janjati Mahila Vikas Samiti	Shrawasti	225	321975			
221	Uttar Pradesh	Triveni Gramodyog Utthan Samiti	Allahabad	225	321975			
222	Uttar Pradesh	Upkar Samiti	Pratapgarh	225	321975			
223	Uttar Pradesh	Uttar Pradesh Mahila Kalyan Nigam	Amroha, Fatehpur, Barabanki, Gonda, Bijnor, Moradabad and Kannauj	225	321975			
224	Uttar Pradesh	Vardaan Welfare Society	Lucknow	225	321975			
225	Uttar Pradesh	Venus Vikas Sansthan	Lucknow	225	321975			
226	Uttar Pradesh	Vigyan Prodyogiki Avam Gramodhyog Prasar Samiti	Fatehpur, Kaushambi	225	321975			
227	Uttar Pradesh	Yuva Kalyan Samiti	Barabanki & Lucknow	225	321975		143100	
228	Uttarakhand	Himalayan Institute of Rural Awakening	Dehradun and Haridwar	300	429300		143100	
229	Uttarakhand	Gramin Kshetra Vikas Samiti	Tehri Garhwal	225	321975			

230	Uttarakhand	Bal Kalyan Mahila Vikas Shiksha Prachar Prasar Samiti	Uddamsingh Nagar Uddhamsingh Nagar	225	321975			
231	Uttarakhand	Mahila Janjati Sewa Samiti	Uddamsingh Nagar	225	321975			
232	Uttarakhand	Society for Voluntary Approach in Rural Development Action	Dehradun	225	321975			
233	Uttarakhand	Rural Litigation and Entitlement Kendra	Dehradun	225	321975			
234	Uttarakhand	Nehru Yuva Gram Vikas Samiti Prashikshan Sansthan	Haridwar	225	321975			
235	Uttarakhand	Himalayan Institute for Environment, Ecology and Development (HIFEED)	Dehradun (UK), Shamli (UP)	225	321975			
236	West Bengal	Badulara Deeshari Society	Bankura	225	321975			
237	West Bengal	Orion Edutech Pvt. Ltd.	South 24 Parganas	225	321975			
238	West Bengal	Dhansimla Socio- Economic Research and Development Organization	Bankura	225	321975			
239	West Bengal	Amanat Foundation	Kolkata	225	321975			
240	Uttar Pradesh	Akhand Jyoti Jan Kalyan Seva Samiti /Siddharthnagar/ Balrampur	Siddhartha Nagar, Balrampur	125	178875			
241	Uttar Pradesh	Amar Shaheed Paramveer Chakra Nayak Jadunath Singh Jan Kalyan Sewa Sansthan / Shahjahanpur	Shahjahanpur	125	178875			
242	Uttar Pradesh	Anand Gramodyog/ Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	125	178875			
243	Uttar Pradesh	Bharti kala Naiketan shiksha samiti/Deoria	Deoria	125	178875			

244	Uttar Pradesh	Bhartiya Kisan Kalyan Samiti / Unnao/Barabanki	Unnao, Barabanki	125	178875			
245	Uttar Pradesh	Bhartiya Shiksha ewam shikshan Sansthan /Shamli	Shamli	125	178875			
246	Uttar Pradesh	Deen Dayal Upadhyay Welfare Society (DDUWS) /Moradabad	Moradabad	125	178875			
247	Uttar Pradesh	Drishti- The Vision /Siddharth Nagar/Shamli/Muzzaffarnagar	Siddhartha Nagar, Shamli, Muzzaffarnagar	125	178875			
248	Uttar Pradesh	Fairdeal Gramodyog Sewa Samiti /Fatehpur	Fatehpur	125	178875			
249	Uttar Pradesh	Gorakhpur Bhartiya Shiksha Parishad / Santkabir Nagar	Sant Kabir Nagar	125	178875			
250	Uttar Pradesh	gramin mahila audhougik prashikhan kendra fatehpur/ barabanki	barabanki	125	178875			
251	Uttar Pradesh	Hamidiya Islamiya School Society /Mahoba	Mahoba	125	178875			
252	Uttar Pradesh	Indian Social Welfare and Educational Society /Mathura	Mathura	125	178875		143100	
253	Uttar Pradesh	Institute for Socialist Education / Lucknow/Barabanki	Lucknow, Barabanki	125	178875			
254	Uttar Pradesh	Krishi Evam Gramodyog Vikas Sansthan /Allahabad	Allahabad	125	178875			
255	Uttar Pradesh	Mahila Kalyan Samiti / Pratapgarh	Barabanki, Lucknow	125	178875			
256	Uttar Pradesh	Maitreyee Sahityik, Sanskritik Evam Samajik Sanstha / Allahabad	Allahabad	125	178875			
257	Uttar Pradesh	Manav Kalyan Evam Gramin Vikas Sansthan /Mathura	Mathura	125	178875			

258	Uttar Pradesh	Mangalam Gram Vikas Sansthan /Amroha/Shrawasti	Amroha, Shrawasti	125	178875			
259	Uttar Pradesh	Mathura Prasad Gramodyog Sansthan /Barabanki	Barabanki	125	178875			
260	Uttar Pradesh	Matribhoomi Vikas Parishad / Allahabad	Allahabad	125	178875			
261	Uttar Pradesh	Maulana Azad Educational Society /Maharajgang/	Maharajganj	125	178875			
262	Uttar Pradesh	Nav Bhartiya Nari Vikas Samiti / Azamgarh	Azamgarh	125	178875			
263	Uttar Pradesh	Navada Gramudhyog Vikas Samiti / Moradabad/Amroha	Moradabad, Amroha	125	178875		630405	
264	Uttar Pradesh	Nav-Srejan/Sant Ravidas Nagar/Allahabd/Kaushambi	Sant Ravidas nagar, Allahabad, Kaushambi	125	178875			
265	Uttar Pradesh	Nehru Yuva Mandal /Moradabad	Moradabad	125	178875			
266	Uttar Pradesh	Nehru yuwa Sangthan/ Mathura	Mathura	125	178875			
267	Uttar Pradesh	Paryavaran Avem Gramin Vikas Sansthan / Bijnor	Bijnor	125	178875			
268	Uttar Pradesh	Prema gramya Vikas sansthan/ Lucknow	Lucknow	125	178875			
269	Uttar Pradesh	Purvanchal Social Development Society /Sant Ravidas Nagar	Sant Ravidas nagar	125	178875			
270	Uttar Pradesh	Riya Jan Kalyan Samiti / Moradabad	Moradabad	125	178875			
271	Uttar Pradesh	Sadhbhawna Samiti /Lucknow	Lucknow	125	178875			143100
272	Uttar Pradesh	sankalp Sewa Sansthan/ barabanki/Baharaich	Barabanki, Baharaich	125	178875			

273	Uttar Pradesh	Saubhagya Shree Sahara Sansthan/Sant Kabir nagar/ Kaushambhi	Sant Kabir Nagar, Kaushambhi	125	178875			
274	Uttar Pradesh	Sharda Jan Kalyan Sansthan / Lakhimpur Kheri	Lakhimpur Kheri	125	178875			
275	Uttar Pradesh	Shree Swami Abhilasha Nand Adarsh Vidhyala /Unnao	Unnao	125	178875		143100	
276	Uttar Pradesh	Shubh Kamna Samajik Sewa Sansthan	Lucknow	125	178875			
277	Uttar Pradesh	Soumitra Welfare Society / Ghaziabad	Ghaziabad	125	178875			
278	Uttar Pradesh	Gram Vikas Utthan Shiksha Samiti /Allahabad	Allahabad	125	178875			
279	Uttar Pradesh	Swajan Shikshan Sansthan / Ballia	Ballia	125	178875			
280	Uttar Pradesh	The National Institute for Enterpreneurship and Small Business Development	Nainital	125	178875			
281	Uttar Pradesh	Tirupati Educational and Welfare Trust /Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	125	178875	3392206		
282	Uttar Pradesh	Bhawana Sewa Sansthan	Shahjahanpur/ Lucknow	125	178875			
283	Uttar Pradesh	Yuva Vikas Evam Prakshikshan Sansthan /Banda	Banda	125	178875			
284	Andhra Pradesh	Prabhat Rural Development Society	Anantapuram	125	178875			
285	Andhra Pradesh	Ramky Foundation	Kurnool	125	178875			
286	Assam	Ankan Academy	Kamrup, Amingaon	125	178875	71550		
287	Assam	Sarbangin Unnayan Samiti	Nalbari and Kamrup	125	178875			

288	Assam	Eight brothers Social Welfare Society	Sonitpur	125	178875			
289	Delhi	Asia Pacific Institutr of Management	Mangolpuri	125	178875			
290	Delhi	Ehsaas Foundation	Barabanki	125	178875			
291	Delhi	Delhi Competitive and Vocational Society	East Delhi	125	178875			
292	Delhi	Sakshi	South East Delhi	125	178875			
293	Gujarat	Kaira Social Service Society	Ahmedabad	125	178875			
294	Gujarat	Navjeevan Trust	Rajkot	125	178875			
295	Haryana	Nehru Yuva Kendra	Yamunanagar	125	178875			
296	Haryana	Nehru Yuva Kendra, Gurgaon	Gurgaon	125	178875			
297	Haryana	Saugat		125	178875			
298	Himachal Pradesh	Nehru Yuva Kendra, Solan	Solan	125	178875			
299	Himachal Pradesh	Nehru Yuva Kendra, Dhramshala	Dhramshala	125	178875			
300	Jammu and Kashmir	Destitute and Handicap Welfare Association	Uddhampur	125	178875			
301	Jharkhand	Phoolean Mahila Chetna Vikas Kendra	Deoghar	125	178875			
302	Karnataka	Spoorthy	Devangiri	125	178875			
303	Kerala	Kudayathoor Development Society	Idukki	125	178875			
304	Kerala	Nehru Yuva Kendra	Kasargod	125	178875			
305	Maharashtra	Maharasthriya Bahuudeshiya Shikshan Prasarak Sanstha	Buldana	125	178875			

306	Maharashtra	Ramkrushna Baba Bahuudeshiya Mandal	Washim	125	178875			
307	Maharashtra	Sant Dyndadeshwar Mauli Bahuudeshiya Sewa Bhavi Sanstha	Parbhani	125	178875			
308	Madhya Pradesh	Bandhelwal Shiksha Samit	Rajgarh	125	178875			
309	Madhya Pradesh	Biora Jagriti Mahila Mandal	Rajgarh	125	178875			
310	Madhya Pradesh	Human Welfare Organization	Bhopal	125	178875			85860
311	Madhya Pradesh	Medical Counselling Centre	Bhopal	125	178875			
312	Madhya Pradesh	Narmadapur Shiksha Evam Jan Kalyan Samiti	Hoshangabad	125	178875			
313	Madhya Pradesh	Native Education and Employment Developing Society, Bhopal	Bhopal	125	178875			
314	Madhya Pradesh	Nivedita Kalyan Samiti	Rewa	125	178875			
315	Madhya Pradesh	Shivam Foundation Samiti	Bhopal	125	178875			
316	Madhya Pradesh	Sunita Murab Samiti	Betul	125	178875			
317	Manipur	Rural Area Development Committee	Churachandpur	125	178875			
318	Odisha	Centre for Catalyzing Committee	Bhadrak	125	178875			
319	Punjab	Rameshwar Welfare Trust, Ludhiana	Ludiana	125	178875			
320	Rajasthan	Chetna Sanstha	Tonk	125	178875			

321	Rajasthan	Paryavaran Mitra Sanstha	Jaipur	125	178875			
322	Rajasthan	Self Development Institute	Tonk	125	178875			
323	Rajasthan	Centre for Good Governance	Jaipur	125	178875			
324	Rajasthan	MMM Shikshan and Jan Sewa Sansthan	Tonk	125	178875			
325	Rajasthan	Srinath Acupressure Shodh Sansthan	Bhilwara	125	178875			
326	Rajasthan	CUTS	Bhilwara	125	178875			
327	Rajasthan	Students Relief Society	Chittorgarh	125	178875			
328	Rajasthan	Navjeevan Society	Jaipur	125	178875			
329	Tamil Nadu	Aaruthal Foundation	Erode	125	178875			
330	Tamil Nadu	Fedcrot	Madurai	125	178875			
331	Tamil Nadu	Madurai Non-Formal Education Centre	Madurai	125	178875		203243	
332	Uttarakhand	Adarsh Yuva Samiti	Haridwar	125	178875			
333	Uttarakhand	Edara-Shabab-e-Islami	Dehradun	125	178875			
334	West Bengal	Dalpur Shree Gyanand Saraswati Ashram	Bankura	125	178875			
335	West Bengal	Khanpur Ghana Unnayan Kendra	Howrah	125	178875			
336	West Bengal	Khardah Public Cultural and Welfare Association	Howrah	125	178875			
337	West Bengal	Centre for environment and participatory development	Howrah	125	178875			
338	West Bengal	South Malda Bidrohi and Library	Malda	125	178875			
339	West Bengal	Nehru Yuva Kendra	Howrah	125	178875			

340	Madhya Pradesh	swayam Siddha Siddhant Sewa Evam Shiksha Samiti	Bhopal			114480		
341	Uttar Pradesh	Bal Bharti	Meerut					811570
342	Rajasthan	Chanakya Yuva Sangha Jaipur Rajasthan	Jaipur			69168		
343	Uttar Pradesh	Maulana Azad Memorial Society	Jalaun			114480	143100	
344	Delhi	Akhil Bhartiya Mahila Jagriti Sansthan ,	east Delhi			71550		
345	Assam	Dhula Regional Physically Handicapped Development Association	Darang				143100	
346	Odisha	Arun Institute of Rural Affairs	Dhenkanal					57240
347	Uttar Pradesh	Shiv Gramodyog vikas Samiti	Lakhimpur				143100	
348	Uttar Pradesh	Visheshwar Dayal Madhyamik Vidhyalaya Samiti,	Lucknow				143100	
349	Uttar Pradesh	Gramin Vikas Samiti	Gorakhpur				143100	
350	Madhya Pradesh	Concept Society Mp	Dewas				132079	
351	Uttar Pradesh	Shiksha Evam Gramin Vikas Sanstha	Lucknow				143100	
352	Uttar Pradesh	Caring of People and Advancing life Society	Pratapgarh				143100	
353	Uttar Pradesh	Samvardhan	Gorakhpur				143100	
354	Uttar Pradesh	Jan Kalyan Evam Vikas Samiti					143100	
355	Uttar Pradesh	Satat Sewa Sansthan					143100	
356	Gujarat	Matushri Chandramukhi Pratisthan	Ahmedabad			59927		
357	Uttar Pradesh	Serva Sukhai Ujjawal Gramodaya	Basti				143100	

358	Andhra Pradesh	Training Reconstruction Educational Environmental Society	Vellore				143100	
359	Andhra Pradesh	Shri Swaroopa Nistha Ashram Philosophical Welfare Society	Andhra Pradesh				171720	
360	Delhi	Sehyog Vikas Samiti	South Delhi				143100	
361	Uttar Pradesh	Solidarity of the Nation Society	Gonda				143100	
362	Uttar Pradesh	Srijana	Lucknow				143100	
363	Uttar Pradesh	Ayush Jan Kalyan	Gonda				143100	
364	Uttar Pradesh	S P Gramya Vikas Evam Gramodaya Sansthan	Uttar Pradesh				143100	
365	Tamil Nadu	Arasan Rural Development Society	Kalakkad				143100	
366	Odisha	Madani Welfare Association	Sundergarh				143100	
367	Uttar Pradesh	The Associate Chambers of Commerce and Industry of India	Amroha				143100	
368	Uttar Pradesh	Saraigani Gramodyog Sansthan	Kaushambi				143100	
369	Uttar Pradesh	Premlata Manju Tiwari					114480	
370	Uttar Pradesh	Nehru Yuva Kendra	Pratapgarh				143100	
371	Uttar Pradesh	Gramin Mahila Evam Bal Utthan Sewa Samiti	Siddharthnagar				143100	
372	Uttar Pradesh	Macson Gramodaya Samit	Lucknow				143100	
	Total			**68225**	**97629975**	**7095471**	**9112865**	**2607820**
	Professional Services		**839043**					
	Grand Total		**117285174**					

Annexure-XIII

State-wise list of Organizations to whom funds have been released for organizing Workshops/Seminars/Conferences during 2014-15 under the scheme of Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity (Till 31.12.2014)

Sl. No.	State	Name of Organizations	Amount Sanctioned	Amount Released
1	Andhra Pradesh	Department of Political Science and Public Administration, Maulana Azad National Urdu University	125000/-	112500/-
2	Assam	Top Twelve Society	125000/-	112500/-
3		Rupahi Kohinnor Club	125000/-	112500/-
4		Chapar Commercial Institute	125000/-	112500/-
5		Pacific Institute of Technology and Management	125000/-	112500/-
6		Meher Composite Farming Society	125000/-	112500/-
7	Bihar	Initiative for Social Upliftment	125000/-	112500/-
8		Durga Mahila Shishu Kalyan Sansthan	125000/-	112500/-
9		Ismail Vikas Kalyan Sansthan	125000/-	112500/-
10		Jagriti Jan Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
11		Mahila Vikas Charitable Society	125000/-	112500/-
12		Shree Durge Samaj Kalyan Sanstha	125000/-	112500/-
13		Al Hind Educational and Welfare Society	125000/-	112500/-
14		Sant Ravidas Chamkar Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
15		Fresh Foundation	125000/-	112500/-
16		Arpan Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
17		Mahila Suchi Shilp Kala Silai Evam Kasida Kari Kendra	125000/-	112500/-
18		Mansara Shanti Lok Kalyan Kendra	125000/-	112500/-
19				
20		Veena Jyoti Samaj Sewa Sansthan	125000/-	112500/-

21		Uttam Vatika	125000/-	112500/-
22		DNS Regional Institute of Cooperative Management	125000/-	112500/-
23	Delhi	Bal Bharti Academy	125000/-	112500/-
24		Aventure Foundation	125000/-	112500/-
25		Anwar Education Society	125000/-	112500/-
26		Center for Research, Planning and Action	250000/-	225000/-
27		Kerala Development Society	125000/-	112500/-
28		Jahanvi	125000/-	112500/-
29		Mohammed Younus Education Society	125000/-	112500/-
30		Natural and Cultural Heritage Conservation Initiative	125000/-	112500/-
31		Bagh Educational and Social Welfare Society	125000/-	112500/-
32				
33		Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry	125000/-	112500/-
34		Jan Sewa Mahila Samiti	125000/-	112500/-
35	Haryana	Shree Shyam Sewa Samiti	125000/-	112500/-
36		Ram Chander Education Society	125000/-	112500/-
37	Jharkhand	Phooleen Mahila Chetna Vikas Kendra	125000/-	112500/-
38	Madhya Pradesh	Manthan Gramin Evam Samaj Sewa Samiti	125000/-	112500/-
39	Punjab	Rajiv Gandhi National University of Law	125000/-	112500/-
40	Rajasthan	Sujas Sanskritik Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
41		Shri Krishna Jan Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
42		Maharana Pratap Adhyayan Evam Jan Kalyan Sansthan	125000/-	112500/-
43	Uttarakhand	Institute of Cooperative Management	125000/-	112500/-
44	West Bengal	Yuba Unnayan Seba Samiti	125000/-	112500/-

45		Bamongram Mosimpur Welfare Society	125000/-	112500/-
46		All India Clench Foundation	125000/-	112500/-
47	Uttar Pradesh	New Prashant Public School	125000/-	112500/-
48		Amar Shaheed Paramveer Chakra Nayak Jadunath Singh Jan Kalyan Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
49		Search and Care Foundation	125000/-	112500/-
50		Helpage Youth Foundation	125000/-	112500/-
51		Mandliya Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
52		Bhartiya Sanskritik Unnayan Sansthan	125000/-	112500/-
53		Sir Syed Educational Samiti	125000/-	112500/-
54		INS Memorial Society	125000/-	112500/-
55		Research and Development Institute	125000/-	112500/-
56		Tharu Janjati Mahila Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
57		Shram Vidypeeth	125000/-	112500/-
58		Foundation for Education and Economic Development	125000/-	112500/-
59		Madhyam Samajik Sansthan	125000/-	112500/-
60		Thakur Satyanarayan Singh	125000/-	112500/-
61		Ruksana Begum Education Society	125000/-	112500/-
62		Mahila Utthanam	125000/-	112500/-
63		Kohshish Foundation	125000/-	112500/-
64		Iqra Minority Development Society	125000/-	112500/-
65		Society for Computer Education and Development in Rural Areas	125000/-	112500/-
66		Nav Bharat Mahila Jan Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
67		Lok Seva Evam Gramin Prodyogiki Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
68		Maa Purna Jan Kalyan Sewa Sansthan	125000/-	112500/-

69		Vision	125000/-	112500/-
70		Yogdan	125000/-	112500/-
71		Nilofar Mahila Vikas Samiti	125000/-	112500/-
72		Sardar Hameedi Taleemi Wa Samajik Mission	125000/-	112500/-
73		Gramodyog Vikas Samiti	125000/-	112500/-
74		Manav Sahayta Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
75		Shanti Shikshanik Evam Samajik Kalyan Sansthan	125000/-	112500/-
76		Arj Foundation	125000/-	112500/-
77		Nirmal India Sewa Samiti	125000/-	112500/-
78		MKM Social Educational Sansthan, Moradabad	125000/-	112500/-
79		Nitai Gaur For Educational and Development Society	125000/-	112500/-
80		Hari Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
81		Ganga	125000/-	112500/-
82		Gramin Vikas Gramodyog Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
83		Jahan Vikas Gramodyog Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
84		Kalyanam	125000/-	112500/-
85		Swastik Samjik Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
86		Society for the Water	125000/-	112500/-
87		Samsuddin Memorial Shiksha Gramin Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
88		Mewati Devi Sewa Samiti	125000/-	112500/-
89		Gurukul Shiksha Evam Gramin Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
90		Shaheed Ashfaq Ullah Khan Memorial Charitable Society	125000/-	112500/-
91		Dalit Dastkar Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
92		Tulsi Gramodyog Sewa Samiti	125000/-	112500/-

93		Jan Jagriti Sewa Samiti	125000/-	112500/-
94		Ramma Jan Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
95		Adarsh Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
96		Raghivir Jan Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
97		Janhit Sewa Evam Shodh Sansthan	125000/-	112500/-
98		Surya Mahila Jan Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
99		Umang Social Welfare Society	125000/-	112500/-
100		Naaz Jan Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
101		Adhunik Aarthik Vikas Evam Jagrukta Samiti	100000/-	90000/-
102		Global Educational and Welfare Society	125000/-	112500/-
103		Vindya Vashini Nirog Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
104		Gramin Mahila Evam Bal Uttahn Sewa Samiti	125000/-	112500/-
105		Samdars Manav Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
106		Mulana Abul Kalam Azad Welfare Society	125000/-	112500/-
107		Sudhar Sewa Evam Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
108		Mahak Social Welfare Society	125000/-	112500/-
109		Archana Gramodyog Samajik Sansthan	125000/-	112500/-
110		Pooran Educational Social Society	125000/-	112500/-
111		Disha Pariwar	125000/-	112500/-
112		Nav Bhartiya Nari Vikas Samiti	125000/-	112500/-
113		Serva Sukhai Ujjwal Gramodyog Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
114		Sarvodaya Jan Kalyan Shiksha Samiti	125000/-	112500/-
115		Purvanchal Uttan Samiti	125000/-	112500/-
116		HSA Khan Mahavidyalaya Shiksha Samiti	125000/-	112500/-

117		Haji Jhande Khan Memorial Inter College Smaiti	125000/-	112500/-
118		Lallaji Siyaram Smarak Madhyamik Vidhyalay	125000/-	112500/-
119		Gram Vikas Samiti	100000/-	90000/-
120		Manav Kalyan Society	125000/-	112500/-
121		Kartavya Shila Mahila Evam Bal Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
122		Manav Vikas Parishad	125000/-	112500/-
123		Vardaan Welfare Society	125000/-	112500/-
124		Sravodaya Gramodyog Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
125		Centre for Industrial and Management Consultants	125000/-	112500/-
126		Idara Khidmat e Khalq	125000/-	112500/-
127		Ram Sagar Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
128		Greenfield Modern Society	125000/-	112500/-
129		National Welfare Gramodyog Sansthan	125000/-	112500/-
130		Aisha Welfare Society	125000/-	112500/-
131		Indian Public Educational Society	125000/-	112500/-
132		Bibi Fatima Welfare Society	125000/-	112500/-
133		Bandhana Foundation	125000/-	112500/-
134		Gangotri Foundation	125000/-	112500/-
135		Mahila Baal Kalyan Wa Samajik Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
		Vidya Kala Sansthan	125000/-	112500/-
136		Jan Kalyan Samiti	125000/-	112500/-
137		Natural Human Resource Development Institute	125000/-	112500/-
138		Sri Mahakaleshwar Sewa Sansthan	125000/-	112500/-

139		Bright Educational and Social welfare Society	125000/-	112500/-
140		Bheemrao Ambedkar Gram Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
141		World Welfare Organization	125000/-	112500/-
142		Avadh Gramin Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
143		Vishwa Manav Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
144		Shree Sewashram Gramotthan Samiti	125000/-	112500/-
145		Samajik Kalyan Evam Takniki Shikshan Sansthan	125000/-	112500/-
146		Shilp Sewa Sansthan	125000/-	112500/-
147		Divya Prakash Gyan Sansthan	125000/-	112500/-
148		Jagratiman Sanstha	125000/-	112500/-
149		Gramin Mahila Vikas Sansthan	125000/-	112500/-
	Total		**1,87,00,000/-**	**1,68,30,000/-**

Annexure-XIV

State wise no. of trainees sanctioned and funds released to the Project Implementing Agencies (PIAs) for Implementation of "Seekho Aur Kamao (Learn and Earn)- Skill Development Scheme during 2013-14 and 2014-15 (up to 31.12.2014)

S. No.	State	2013-14		2014-15	
		No. of Trainees sanctioned	Amount released (Rs. in crore)	No. of Trainees sanctioned	Amount released (Rs. in crore)
1	ANDHRA PRADESH	600	0.57	1000	1.97
2	ARUNACHAL PRADESH	300	0.29	100	0.14
3	ASSAM	760	0.73	900	1.69
4	BIHAR	1250	1.20	1200	2.47
5	CHHATTISGARH	100	0.10	200	0.42
6	DELHI	600	0.58	700	1.09
7	GUJARAT	600	0.58	500	1.41
8	HARYANA	700	0.67	500	1.09
9	HIMACHAL PRADESH	200	0.19	-	0.28
10	JAMMU & KASHMIR	700	0.67	2520	4.16
11	JHARKHAND	624	0.60	500	1.13
12	KARNATAKA	800	0.77	350	1.20
13	KERALA	550	0.53	200	0.56
14	MADHYA PRADESH	600	0.58	600	1.27
15	MAHARASHTRA	200	0.19	200	0.28
16	MANIPUR	300	0.29	100	0.14
17	MEGHALAYA	300	0.29	300	0.71

18	MIZORAM	100	0.10	100	0.14
19	NAGALAND	100	0.10	100	0.28
20	ODISHA	120	0.38	100	0.14
21	PUDUCHERRY	100	0.10	-	-
22	PUNJAB	600	0.58	900	2.28
23	RAJASTHAN	800	0.77	700	1.35
24	SIKKIM	100	0.10	300	0.56
25	TAMILNADU	250	0.24	300	0.78
26	TELENGANA	-	-	500	0.71
27	TRIPURA	300	0.29	400	0.85
28	UTTAR PRADESH	6030	3.53	1300	3.50
29	UTTARAKHAND	1280	0.64	500	0.99
30	WEST BENGAL	1200	1.16	1200	3.10
	Sub - Total	**20164**	**16.79**	**16270**	**34.68**
	Professional Services	-	0.21	-	-
	Grand Total	**20164**	**17.00**	**16270**	**34.68**

ANNEXURE- XV

STATEMENT SHOWING FINANCIAL & PHYSICAL ACHIEVEMENTS GENDER WISE UNDER THE SCHEMES OF TERM LOAN & MICRO CREDIT DURING 2014-15 (AS ON 31.12.2014)

NAME OF THE SCHEME	FINANCIAL ACHIEVEMENTS (Rs. In Crores)			PHYSICAL ACHIEVEMENTS* No. of Units/beneficiaries			% of women beneficiaries
	Men*	Women*	Total	Men*	Women*	Total	
TERM LOAN	120.51	64.89	185.4	12687	6831	19518	**35%**
MICRO CREDIT	6.13	55.17	61.3	2725	24521	27245	**90%**
Total	**126.64**	**120.06**	**246.70**	**15411**	**31352**	**46763**	

** Provisional*

ANNEXURE- XVI

FINANCIAL AND PHYSICAL ACHIEVEMENTS IN NORTH EASTERN REGION & SIKKIM UNDER THE SCHEME OF TERM LOAN AND MICRO CREDIT DURING 2014-15 (AS ON 31.12.2014)

S.No	State Union/ Territories	Rs In lakh	No. of Benf.s
1	Arunachal Pradesh	0.00	0
2	Assam	0.00	0
3	Manipur	0.00	0
4	Meghalaya	0.00	0
5	Mizoram	0.00	0
6	Nagaland	850.00	2083
7	Sikkim	0.00	0
8	Tripura	1200.00	1263
	Total	**2050.00**	**3346**

ANNEXURE- XVII

STATE/UT-WISE PHYSICAL ACHIEVEMENTS UNDER THE SCHEMES OF TERM LOAN & MICRO CREDIT DURING 2014-15 (AS ON 31.12.2014)

Sl. No.	State/Union Territories	No. of Beneficiaries
1	AP	
2	ASSAM	
3	BIHAR	
4	CHANDIGARH	21
5	CHHATISGARH	825
6	DELHI	
7	GUJARAT	
8	HP	369
9	HARYANA	377
10	J&K	2106
11	JHARKHAND	
12	KERALA	15929
13	KARNATAKA	2105
14	MADHYA PRADESH	
15	MAHARASHTRA	1053
16	MANIPUR	
17	MIZORAM	
18	NAGALAND	2083
19	ODISHA	
20	PUNJAB	527
21	PUDUCHERRY	105
22	RAJASTHAN	526
23	TAMIL NADU	3100
24	TRIPURA	1263
25	UP	
26	UTTRAKHAND	
27	WEST BENGAL	16374
	T O T A L	**46763**

ANNEXURE -XVIII

STATE/UT-WISE FINANCIAL ACHIEVEMENTS UNDER THE SCHEME OF TERM LOAN & MICRO CREDIT DURING 2014-15 (AS ON 31.12.2014)

Sr. No.	State/Union Territories	Amt. In Rs. Lakhs
1	AP	
2	ASSAM	
3	BIHAR	
4	CHANDIGARH	20.00
5	CHHATISGARH	300.00
6	DELHI	
7	GUJARAT	
8	HP	350.00
9	HARYANA	100.00
10	J&K	2000.00
11	JHARKHAND	
12	KERALA	7400.00
13	KARNATAKA	2000.00
14	MADHYA PRADESH	
15	MAHARASHTRA	1000.00
16	MANIPUR	
17	MIZORAM	
18	NAGALAND	850.00
19	ORISSA	
20	PUNJAB	500.00
21	PONDICHERRY	100.00
22	RAJASTHAN	500.00
23	TAMIL NADU	850.00
24	TRIPURA	1200.00
25	UP	
26	UTTRANCHAL	
27	WEST BENGAL	7500.00
	T O T A L	**24670.00**

Annexure - XIX

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION
Statewise Summary of Grant-in-Aid sanctioned upto 30.09.2014 (since Inception from 1989-90 to 2013-14)

Sl.No.	State/U.Ts	No. of NGOs	Amount (Rs. in Lakh)
1	Andaman	3	35.00
2	Andhra Pradesh	75	1183.55
3	Arunachal Pradesh	1	30.00
4	Assam	24	371.00
5	Bihar	40	649.72
6	Chattisgarh	1	25.00
7	Delhi	12	93.55
8	Goa	3	53.00
9	Gujarat	79	1111.62
10	Haryana	45	585.10
11	Himachal Pradesh	1	1.00
12	Jammu & Kashmir	17	246.42
13	Jharkhand	13	218.00
14	Karnataka	106	1511.06
15	Kerala	92	1481.00
16	Madhya Pradesh	48	518.28
17	Maharashtra	181	2379.58
18	Manipur	19	266.00
19	Meghalaya	2	30.00
20	Nagaland	4	68.50
21	Orissa	8	47.62
22	Punjab	7	64.17
23	Rajasthan	20	310.50
24	Tamil Nadu	32	480.78
25	Uttaranchal	13	166.00
26	Uttar Pradesh	548	6268.56
27	West Bengal	29	401.40
	TOTAL	**1423**	**18596.41**

Note: Proposals of grants-in-aid for 2014-15 are under process

Annexure - XX

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION
Summary of State-wise Sanction of Scholarship (2003-04 to 2013-14)
(Since inception from 2003-04 to 2013-14)

Sl. No.	State/U.Ts	No. of Girls	Amount (Rs. in Lakh)
1	Andaman & Nicobar	14	1.6
2	Andhra Pradesh	7543	896.78
3	Assam	4401	521.54
4	Arunachal Pradesh	2	0.24
5	Bihar	11923	1415.9
6	Chandigarh	28	3.36
7	Chattisgarh	97	11.02
8	Daman & Diu	14	1.68
9	Goa	29	3.2
10	Gujarat	5711	665.86
11	Haryana	154	18.14
12	Himachal Pradesh	11	1.16
13	Jammu & Kashmir	704	77
14	Jharkhand	4487	535.06
15	Karnataka	7586	887.76
16	Kerala	19112	2281.08
17	Madhya Pradesh	3585	424.5
18	Maharashtra	12095	1435.98
19	Manipur	279	32.78
20	Meghalaya	33	3.88
21	Mizoram	15	1.5
22	Nagaland	42	4.66
23	NCT of Delhi	1635	193.58
24	Orissa	515	60.46
25	Pondicherry	56	6.72
26	Punjab	2354	281.82
27	Rajasthan	4094	486.2
28	Tamil Nadu	9283	1108.64
29	Tripura	14	1.56
30	Uttar Pradesh	28639	3377.66
31	Uttaranchal	455	53.82
32	West Bengal	12408	1466.36
	Total	**137318**	**16261.52**

Note: Applications received for 2014-15 are under process.

अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संगठन :–

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), नई दिल्ली
2. केन्द्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको), नई दिल्ली
5. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली
6. दरगाह ख्वाज़ा साहेब (डीकेएस), अजमेर
7. आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक (सीएलएम), इलाहाबाद

Organisation under the Ministry of Minority Affairs:-

1. National Commission for Minorities (NCM), New Delhi
2. Central Waqf Council (CWC), New Delhi
3. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC), New Delhi
4. National Woqf Development Corporation (NAWADCO), New Delhi
5. Maulana Azad Education Foundation (MAEF), New Delhi
6. Durgah Khawaja Saheb (DKS), Ajmer
7. Commissioner for Linguistic Minorities (CLM), Allahabad

www. minorityaffairs.gov.in